

Indian Journal of Social Concerns

इण्डियन जर्नल ऑफ सोशल कन्सर्न्स

A RESEARCH JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES
(An International Peer-Reviewed Journal)

Volume - 8 : Issue - 33 April-June 2019 Gaziabad



33



Research Journal is indexed in the
International Innovative Journal
Impact Factor (IIJIF) database

Guest Editor
Dr. Suman Rathi

Chief Editor
Dr. Hari Sharan Verma

Editor
Dr. Binay Chandra Shukla

Managing Editor
Dr. Suresh Verma

सहयोग राशि (भारत में)

(व्यक्तिगत) (आजीवन 4100 रुपये)

(संस्थागत) (आजीवन 6100 रुपये)

विदेश में :-

(व्यक्तिगत) 26 यू.एस. डॉलर (आजीवन) (संस्थागत) 32 यू.एस. डॉलर (आजीवन)

कृपया सहयोग राशि बैंक ड्राफ्ट से ही भेजें।

बैंक ड्राफ्ट, संपादक "इण्डियन जर्नल ऑफ सोशन कन्सर्न्स" के पक्ष में देय होगा। आजीवन सदस्यता केवल दस वर्षों के लिए मान्य होगी। यदि किसी कारण वश पत्रिका का प्रकाशन बन्द हो जाता है तो आजीवन सदस्यता स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।

संपादकीय कार्यालय :

1. डॉ० हरिशरण वर्मा, प्रधान सम्पादक

F-120, सेक्टर-10, DLF, फरीदाबाद (हरियाणा)

harisharanverma1@gmail.com 09355676460

WWW.IJSCJOURNAL.COM

2. डॉ० राजनारायण शुक्ला, सम्पादक

SH, A-5, कविनगर, गाजियाबाद (उ०प्र०)

क्षेत्रीय कार्यालय

1. डॉ० वाई.आर. शर्मा, A-24, रेजिडेंसल कैम्पस, न्यू कैम्पस, जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू-180001, फोन : 09419145967

2. डॉ० पी.के. शर्मा, ई-36 बलवन्त नगर विश्वविद्यालय मार्ग, गवालियर, मध्यप्रदेश फोन : 09039131615

3. डॉ० राजकुमारी सिंह (प्रोफेसर एफ.टी.एम. विश्वविद्यालय लोधीपुर राजपुत मुरादाबाद उत्तर प्रदेश। फोन : 09760187147

4. श्री मोहनलाल, 11 अशोक विहार, संजय नगर, पो. इज्जत नगर बरेली (उ०प्र०) फोन : 09456045552

5. श्री जितेन्द्र गिश्दर, कार्यालय सहायक 105/26 जवाहर नगर, कॉपरेटिव बैंक के पीछे, रोहतक 09896126686

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक एवं मुद्रक डॉ० राजनारायण शुक्ला द्वारा आदर्श प्रिंट हाऊस, बी-३२, महेन्द्रा एन्क्लेव, शास्त्री नगर, गाजियाबाद में मुद्रित कराकर, SH, A-5, कविनगर, गाजियाबाद (उ०प्र०) से प्रकाशित।

सम्पादक : डॉ० राजनारायण शुक्ला। **पंजीकरण संख्या :** ISSN-2231 - 5837

टोट : 1. प्रकाशित आलेखों के विचारों से सम्पादक मण्डल का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

2. सभी पद मानद एवं अवैतनिक हैं।

3. शोध-पत्रिका से सम्बन्धित सभी विवाद केवल गाजियाबाद/फरीदाबाद

2. डॉ० योगेश्वर नाथ शर्मा, जरुण (पूर्व प्राध्यापक, रुहलखण्ड विश्वविद्यालय, ७४/३, नया नेहरुनगर, रुड़की, उत्तराखण्ड)
3. डॉ० एस.पी. वत्स, (पूर्व कुलसचिव, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक)
4. डॉ० रमेशचन्द्र लवानिया, (पूर्व अध्यक्ष हिन्दी विभाग, शम्भु दयाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गाजियाबाद)
5. डॉ० वाई.आर.शर्मा, (राजनीति शास्त्र विभाग, जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू)

परामर्शदात्री समिति :

1. प्रो० गंगा प्रसाद विमल (पूर्व निदेशक, केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, दिल्ली)
2. डॉ० नरेश मिश्रा (पूर्व आचार्य, हिन्दी विभाग, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक)
3. डॉ० सुधेश (पूर्व आचार्य, हिन्दी विभाग, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली)
4. डॉ० गिरिराजशरण अग्रवाल (पूर्व रीडर एवं अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, वर्धमान कॉलेज, बिजनौर)
5. डॉ० राजकुमारी सिंह, प्रोफेसर एफ.टी.एम. विश्वविद्यालय लोधीपुर राजपुत मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश 9760187147
6. डॉ० प्रतिभा त्यागी, (प्रोफेसर, अंग्रेजी विभाग, चौधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय, मेरठ)
7. डॉ० जंगबहादुर पाण्डेय, (प्रोफेसर एवं अध्यक्ष हिन्दी विभाग) रांची विश्वविद्यालय, रांची-834008
फोन : 09431595318
8. डॉ० माया मलिक, (प्रोफेसर हिन्दी विभाग, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक)
9. डॉ० ममता सिंहल, (एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष अंग्रेजी विभाग) जे०वी० जैन कॉलेज सहारनपुर

संपादकीय विशेषज्ञ समिति :

हिन्दी विभाग:

1. डॉ० राजेश पाण्डे (डी.वी. कॉलेज, उरई, जिला जालौन, उ०प्र०)
2. डॉ० संजीव कुमार, प्रोफेसर, हिन्दी विभाग, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक
3. डॉ० सुशील कुमार शर्मा (अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय शिलांग, मेघालय)
4. डॉ० शशि मंगला, एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, गोस्वामी गणेशदत्त सनातन धर्म स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पलवल
5. डॉ० के०डी० शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, हिन्दी विभाग, गोस्वामी गणेशदत्त सनातन धर्म स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पलवल
6. डॉ० उमा प्रसाद, (पूर्व रीडर एवं अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, एन. कॉलेज, मेरठ)

9. डॉ० राजेश कुमार वर्मा (सहायक प्रोफेसर) हिन्दी विभाग, गोस्वीनी गणेशदत्त सनातन धर्म महाविद्यालय, पलपल
10. कु० महाविद्या उपाध्याय (हिन्दी विभाग, राजकीय महाविद्यालय, आरोना (गुना) म०प्र०)
11. डॉ० रूबी, (सीनियर सहायक प्रोफेसर हिन्दी विभाग कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर (कश्मीर) 09419058585
12. डॉ. सुरेश कुमार (सहायक प्रोफेसर, हिन्दी विभाग, बी.एल.जे. एस. कॉलेज, तोशाम, भिवानी)
13. डॉ० उर्मिला अग्रवाल, पूर्व प्राचार्या, नेशनल इस्माईल महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मेरठ
14. डॉ० शशिबाला अग्रवाल (रीडर, हिन्दी विभाग, कनोहर लाल स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय, मेरठ)
15. डॉ० अनिल कुमार विश्वकर्मा (जनता महाविद्यालय अजीतमल, औरैया, उ०प्र०)
16. डॉ० एम. के. कलशेट्टी, हिन्दी विभाग, श्री माधवराव पाटिल महाविद्यालय, मुरुम तह० अमरगा, जिला उस्मानाबाद (महाराष्ट्र)-413605
17. डॉ० मनोज पंड्या, व्याख्याता हिन्दी विभाग, श्री गोविन्द गुरु, राजस्थान महाविद्यालय, बांसवाड़ा-327001, मो० 09414308404
18. डॉ. कृष्णा जून, प्रो० हिन्दी विभाग, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक
19. डॉ. विपिन गुप्ता, सहायक प्रोफेसर, वैश्य कॉलेज भिवानी
20. डॉ० सीता लक्ष्मी, पूर्व प्रो० एवं अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, आन्ध्र विश्वविद्यालय, विशाखापट्टनम, आन्ध्रप्रदेश
21. डॉ० जाहिदा जबीन, (वरिष्ठ सहायक प्रो०, हिन्दी विभाग, कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर-६)
22. डॉ० टी०डी० दिनकर, (एसो० प्रो० एवं अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, अग्रवाल कॉलेज, बल्लभगढ़)
23. डॉ० शीला गहलौत, प्रोफेसर (हिन्दी विभाग) महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक)
24. डॉ० राजीव मलिक, (प्रो. एवं अध्यक्ष, हिन्दी-विभाग, भगत फूलसिंह महिला विश्वविद्यालय, खानपुर)
25. डॉ० सुभाष सैनी, (सहायक प्रोफेसर हिन्दी विभाग दयालसिंह कॉलेज, करनाल, हरियाणा)
26. डॉ० उर्विजा शर्मा, (सहायक प्रोफेसर हिन्दी विभाग शम्भु दयाल स्नातकोत्तर, महाविद्यालय, गाजियाबाद)
27. डॉ० कामना कौशिक, (सहायक प्रोफेसर हिन्दी विभाग एम. के. स्नातकोत्तर, महाविद्यालय, सिरसा 09896796006
28. डॉ० मधुकान्त, (वरिष्ठ साहित्यकार) 211-L मॉडल टाऊन, रोहतक

अंग्रेजी विभाग:

1. डॉ. ममता सिंहल, अध्यक्ष, अंग्रेजी विभाग, जे.वी. जैन कॉलेज, सहारनपुर, उ.प्र.

4. डॉ० राधिका कुमार, (एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष अंग्रेजी विभाग, चौ० चरणसिंह विश्वविद्यालय, मेरठ)
5. डॉ. अनिल वर्मा (पूर्व रीडर, अंग्रेजी विभाग, जे.वी. जैन स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सहारनपुर)
6. डॉ. जे.के. शर्मा, एसो. प्रोफेसर, अंग्रेजी विभाग, एस.जे.के. कॉलेज, कलानौर (रोहतक)
7. डॉ. रेशमा सिंह, (एसो. प्रोफेसर, अंग्रेजी-विभाग, जे.वी. जैन कॉलेज, सहारनपुर)
8. डॉ. पी.के. शर्मा, (प्रो., अंग्रेजी-विभाग, राजकीय के.आर.जी. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ग्वालियर)
9. डॉ. गीता रानी शर्मा, (सहायक प्रोफेसर) गो.ग.दत्त सनातन धर्म कॉलेज, पलवल
10. डॉ. किरण शर्मा, (एसोसिएट प्रोफेसर) राजकीय स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय रोहतक

वाणिज्य विभाग:

1. डॉ० नवीन कुमार गर्ग (वाणिज्य विभाग, शम्भुदयाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गाजियाबाद)
2. डॉ० ए.के. जैन, रीडर (वाणिज्य विभाग, जे.वी. जैन कॉलेज, सहारनपुर)
3. डॉ० दिनेश जून, एसोसिएट प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, फरीदाबाद
4. डॉ० एम.एल. गुप्ता, (पूर्व एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, वाणिज्य एवं व्यवसायिक प्रशासन संकाय, एस.एस.वी. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, हापुड़ एवं संयोजक-शोध उपाधि समिति एवं संयोजक बोर्ड ऑफ स्टीडिज चौधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय, मेरठ)
5. डॉ० वजीर सिंह नेहरा, प्रोफेसर वाणिज्य विभाग, म.द.वि. रोहतक
6. डॉ० संजीव कुमार, प्रोफेसर वाणिज्य विभाग, म.द.वि. रोहतक
7. डॉ. गीता गुप्ता, (सहायक प्रोफेसर) वाणिज्य विभाग, वैश्य महिला महाविद्यालय, रोहतक)
7. डॉ. नरेन्द्रपाल सिंह, (एसोसिएट प्रोफेसर) वाणिज्य विभाग, साहू जैन कॉलेज, नजीबाबाद, उ.प्र.)

राजनीति शास्त्र विभाग:

1. साकेत सिसोदिया, (राजनीति शास्त्र विभाग, एस.डी. कॉलेज, गाजियाबाद)
2. डॉ० रोचना मित्तल (रीडर एवं अध्यक्ष, राजनीति शास्त्र-विभाग, शम्भु दयाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गाजियाबाद)
3. डॉ० राजेन्द्र शर्मा (एस.डी. कॉलेज, गाजियाबाद, उ०प्र०)
4. डॉ० कौशल गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर, राजनीति शास्त्र विभाग, देशबन्धु महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
5. डॉ०पी.के. वाष्णोय, एसोसिएट प्रोफेसर, राजनीति शास्त्र विभाग,

- विश्वविद्यालय, जम्मू (फरीदाबाद)
8. डॉ. रेनु राणा, (सहायक प्रोफेसर, राजनीति शास्त्र विभाग, पं. नेकीराम शर्मा राजकीय महाविद्यालय रोहतक 124001)
9. डॉ. ममता देवी, (सहायक प्रोफेसर, राजनीतिक शास्त्र विभाग, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक)

इतिहास विभाग:

1. डॉ० भूकन सिंह (प्रवक्ता, इतिहास विभाग, शम्भुदयाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गाजियाबाद)
2. डॉ० मनीष सिन्हा, पी.जी. विभाग, इतिहास, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया, बिहार-824231
3. डॉ० राजीव जून, सहायक प्रो० इतिहास, सी.आर इन्स्टीट्यूट ऑफ ला, रोहतक
4. डॉ० मीनाक्षी (सहायक प्रोफेसर इतिहास विभाग) सी.आर. किसान कॉलेज, जीन्द
5. डॉ० जगवीर सिंह गुलिया, (सहायक प्रोफेसर इतिहास विभाग राजकीय महाविद्यालय मकड़ौली कलां रोहतक)

भूगोल विभाग:

1. डॉ० पी.के शर्मा, पूर्व रीडर एवं अध्यक्ष, भूगोल विभाग, जे.वी. जैन स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सहारनपुर
2. रश्मि गोयल (भूगोल विभाग, एस.डी. कॉलेज, गाजियाबाद)
3. डॉ० भूपेन्द्र सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, भूगोल विभाग, राजकीय पी.जी. कॉलेज, हिसार
4. डॉ० विनीत बाला, सहायक प्रो. भूगोल विभाग, वैश्य पी.जी. कॉलेज, रोहतक

शिक्षा विभाग:

1. डॉ० उमेन्द्र मलिक, एसिस्टेंट प्रोफेसर, शिक्षा विभाग, म.द.वि. , रोहतक
2. डॉ० सरिता दहिया असिस्टेंट प्रोफेसर, शिक्षा विभाग, म.द.वि. , रोहतक
3. डॉ० संदीप कुमार, सहायक प्रो० शिक्षा विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
4. डॉ० तपन कुमार बसन्तिया, एसोसिएट प्रोफेसर, सेंटर फॉर एजुकेशन, सैट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ विहार, गया कैम्पा, विनोभा नगर, वार्ड नं. 29, Behind ANMCH मगध कालोनी, गया-823001 बिहार Mob.: 09435724964
5. डॉ० नीलम रानी, प्राचार्या, गोल्ड फील्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन, बल्लभगढ़ (फरीदाबाद)
6. डॉ० उमेश चन्द्र कापरी, सहायक प्राफेसर, शिक्षा विभाग, गोल्ड फील्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन, बल्लभगढ़ (फरीदाबाद) Mob.: 09711151966, 7428160135
7. डॉ० सुनीता बडेला, एसो० प्रो०, शिक्षा विभाग, हेमवतीनंदन बहुगुणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, श्रीनगर, गढ़वाल-246908

10. डॉ० जनाता देवी, (प्राचार्या, आर.जा.सा.इ. कॉलेज, प्रटर, नोएडा I)
11. डॉ० ममता देवी, (सहा. प्रो. बी.आई.एम.टी. कॉलेज कमालपुर गढ़ रोड़, मेरठ)

शारीरिक शिक्षा विभाग:

1. डॉ० राजेन्द्र प्रसाद गर्ग, एसोसिएट प्रोफेसर शारीरिक शिक्षा विभाग, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक
2. डॉ० सरिता चौधरी, सहायक प्रोफेसर, शारीरिक शिक्षा विभाग, आर्य गर्ल्स कॉलेज, अम्बाला कैंट, हरियाणा
3. डॉ० वरुण मलिक, सहायक प्रोफेसर, म.द.वि., रोहतक
4. डॉ० सुनील डबास, (पद्मश्री व द्रोणाचार्य अवार्ड) HOD in physical education "DGC Gurugram
5. डॉ० हरेन्द्र सांगवान, सहायक प्रोफेसर, शारीरिक शिक्षा विभाग, गोस्वामी गणेशदत्त स्नातन धर्म महाविद्यालय, पलपल

समाज शास्त्र विभाग:

1. प्रवीण कुमार (समाजशास्त्र विभाग, शम्भुदयाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गाजियाबाद)
2. डॉ० कमलेश भारद्वाज, समाज शास्त्र विभाग, एस.डी. कॉलेज, गाजियाबाद
3. डॉ० (श्रीमती) रश्मि त्रिवेदी, अध्यक्ष, रानी भाग्यवती महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिजनौर एवं संयोजक रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

मनोविज्ञान विभाग:

1. डॉ० चन्द्रशेखर, सहायक प्रोफेसर साईक्लोजी विभाग, जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू
2. डॉ. रश्मि रावत, (मनोविज्ञान विभाग, डी.ए.वी. कॉलेज, देहरादून)
3. अनिल कुमार लाल (प्रवक्ता, मनोविज्ञान विभाग, शम्भुदयाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गाजियाबाद)

अर्थशास्त्र विभाग:

1. डॉ० जसवीर सिंह (पूर्व रीडर अर्थशास्त्र विभाग, किसान स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मवाना)
2. डॉ० रेणु सिंह राना (रीडर, अर्थशास्त्र विभाग, गिन्नी देवी मोदी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मोदीनगर)
3. डॉ० सुशील कुमार (एस.डी. कॉलेज, गाजियाबाद, उ०प्र०)
4. डॉ० अखिलेश मिश्रा (प्राध्यापक, अर्थशास्त्र-विभाग, एस.डी. पी.जी. कॉलेज, गाजियाबाद)
5. डॉ० सत्यवीर सिंह सैनी, एसो०प्रो० (अर्थ०वि०, गो०ग० स्नातन धर्म पी०जी० कॉलेज, पलवल)
6. डॉ० सारिका चौधरी, अध्यक्ष अर्थशास्त्र विभाग, दयाल सिंह

3. डॉ० जसवन्त सैनी, (सहायक प्रोफेसर, विधि-विभाग महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक)
4. डॉ० वेदपाल देशवाल, (सहायक प्रोफेसर, विधि-विभाग महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक)
5. डॉ. अशोक कुमार शर्मा, एसो. प्रोफेसर, विधि विभाग, जे.वी. जैन कॉलेज, सहारनपुर
6. डॉ. राजेश हुड्डा, सहायक प्रो०, विधि विभाग, बी.पी.एस. महिला विश्वविद्यालय, खानपुर कलां, सोनीपत
7. डॉ० सत्यपाल सिंह, (सहायक प्रोफेसर, विधि-विभाग महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक)
8. डॉ० सोनू, (सहायक प्रोफेसर, विधि-विभाग महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक)
9. डॉ० अर्चना वशिष्ठ, (सहायक प्रोफेसर, के०आर० मंगलम विश्वविद्यालय, सोहना रोड, गुरुग्राम)
10. डॉ० आनन्द सिंह देशवाल, (सहायक प्रोफेसर, सी०आर० कॉलेज ऑफ लॉ रोहतक)
11. अनसुईया यादव, (सहायक प्रोफेसर, विधि विभाग, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक, हरियाणा)

गणित विभाग:

1. डॉ० संजीव कुमार सिंह (रीडर गणित विभाग, ए.आर.ई.सी. कॉलेज, खुरजा)
2. डॉ० विनोद कुमार, रीडर एवं अध्यक्ष गणित विभाग, जे.वी. जैन कॉलेज, सहारनपुर
3. डॉ० मीनाक्षी गौड, रीडर एवं अध्यक्ष गणित विभाग, नानकचन्द ऐंग्लो, संस्कृत कॉलेज, मेरठ
4. डॉ० विरेश शर्मा, लेक्चरर गणित विभाग, एन.ए.एस. कॉलेज, मेरठ

कम्प्यूटर विभाग:

1. डॉ० रेखा चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर, कम्प्यूटर विभाग, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, भरतपुर, राजस्थान
2. प्रो० एस.एस. भाटिया (अध्यक्ष, स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स एण्ड कम्प्यूटर एप्लीकेशन, थापर विवि, पटियाला)
3. सर्वजीत सिंह भाटिया (प्रवक्ता, कम्प्यूटर साईंस, खालसा कॉलेज, पटियाला)
4. डॉ० बालकिशन सिंहल, सहायक प्रोफेसर, कम्प्यूटर विभाग, म०द०विश्वविद्यालय, रोहतक

संस्कृत विभाग:

1. डॉ० रामकरण भारद्वाज (रीडर एवं अध्यक्ष, संस्कृत विभाग, लाजपत राय कॉलेज, साहिबाबाद (गाजियाबाद))
2. डॉ० सुनीता सैनी, प्रवक्ता, संस्कृत विभाग, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक

रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन विभाग:

1. डॉ० आर०एस० सिवाच, प्रो० एवं अध्यक्ष, रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन विभाग, म०द०वि०, रोहतक

दृश्यकला विभाग:

1. डॉ० सुषमा सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, दृश्यकला विभाग, म०द० विश्वविद्यालय, रोहतक

पंजाबी विभाग:

1. डॉ० सिमरजीत कौर, सहायक प्रो० (पंजाबी), ईश्वरजोत डिग्री कालेज, पेहवा (कुरुक्षेत्र)

संगीत विभाग:

1. डॉ० संघ्या रानी, अध्यक्षा, संगीत विभाग, यूआरएलए, राजकीय पीजी कॉलेज, बरेली
2. डॉ० हुकमचन्द, एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष तथा डीन, संगीत विभाग महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक, हरियाणा
3. डॉ. अनीता शर्मा, (संगीत-गायन प्राध्यापिका, जयराम महिला महाविद्यालय लोहारमाजरा (कुरुक्षेत्र))

पत्रकारिता एवं जन संचार विभाग:

1. डॉ० सरोजनी नंदल, प्रोफेसर (पत्रकारिता एवं जन संचार विभाग) महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक

उर्दू विभाग:

1. डॉ० मो. नूरुल हक, (एसोसिएट प्रोफेसर, विभागाध्यक्ष, उर्दू, बरेली कॉलेज, बरेली)

The UGC List of Journals is a dynamic list which is revised periodically. Initially the list contained only journals included in Scopus, Web of Science and Indian Citation Index. The list was expanded to include recommendations from the academic community. The UGC portal was opened twice in 2017 to universities to upload their recommendations based on filtering criteria available at <https://www.ugc.ac.in/journallist/methodology.pdf>. The UGC approved list of Journals is considered for recruitment, promotion and career advancement not only in universities and colleges but also other institutions of higher education in India. As such, it is the responsibility of UGC to curate its list of approved journals and to ensure that it contains only high-quality journals.

To this end, the Standing Committee on Notification on Journals removed many poor quality/predatory/questionable journals from the list between 25th May 2017 and 19th September 2017. This is an ongoing process and since then the Committee has screened all the journals recommended by universities and also those listed in the ICI, which were re-evaluated and re-scored on filtering criteria defined by the Standing Committee. Based on careful scrutiny and analysis, 4,305 journals were removed from the current UGC-Approved List of Journals on 2nd May, 2018 because of poor quality/incorrect or insufficient information/false claims.

The Standing Committee reiterates that removal/non-inclusion of a journal does not necessarily indicate that it is of poor quality, but it may also be due to non-availability of information such as details of editorial board, indexing information, year of its commencement, frequency and regularity of its publication schedule, etc. It may be noted that a dedicated web site for journals is one of the primary criteria for inclusion of journals. The websites should provide full postal addresses, e-mail addresses of chief editor and editors, and at least some of these addresses ought to be verifiable official addresses. Some of the established journals recommended by universities that did not have dedicated websites, or websites that have not been updated, might have been dropped from the approved list as of now. However, they may be considered for re-inclusion once they fulfil these basic criteria and are re-recommended by universities.

The UGC's Standing Committee on Notification on Journals has also decided that the recommendation portal will be opened once every year for universities to recommend journals. However, from this year onwards, every recommendation submitted by the universities will be reviewed under the supervision of Standing Committee on Notification of Journals to ascertain that only good-quality journals, with correct publication details, are included in the UGC approved List.

The UGC would also like to clarify that 4,305 journals which have been removed on 2nd May, 2018 were UGC-approved journals till that date and, as such, articles published/accepted in them prior to 2nd May 2018 by applicants for recruitment/promotion may be considered and given points accordingly by universities.

The academic community will appreciate that in its endeavour to curate its list of approved journals, UGC will enrich it with high-quality peer-reviewed journals. Such a dynamic list is to the benefit of all.

यूजीसी ने जर्नल अथवा पत्रिकाओं की एप्रूवल को आप्शनल कर दिया है ज्यादातर शोधार्थियों व प्राध्यापकों के अंदर अभी भ्रम की स्थिति की बनी हुई है कि ये पत्रिका में आलेख छपवाने से एपीआई में मान्य होगा या नहीं और ये जर्नल अथवा पत्रिका यूजीसी की लिस्ट में है या नहीं।

आपको जानकारी के लिए बता दूं कि यूजीसी ने अपने 18 जुलाई 2018 को जारी ऑर्डिनेंस में साफ कर दिया है कि जर्नल अथवा पत्रिका यूजीसी एप्रूड अथवा **Peer Reviewed** (पूर्व समीक्षित) हो।

यानि जर्नल यूजीसी एप्रूड नहीं भी है और **Peer Reviewed** (पूर्व समीक्षित) है तो उसमें छापे आपके आलेख एपीआई में मान्य होंगे। जर्नल के मुख्य पेज पर ही लिखा जाता है कि कौन सी पत्रिका यूजीसी एप्रूड है और **Peer Reviewed** (पूर्व समीक्षित) है।

1. **Dr. Praveen Kumar Verma**
Associate Professor, Hindi Department, GGD Sanatan Dharam Post Graduate College, Palwal.
2. **Smt. Veena Pandey (Shukla)**
Hindi Teacher, Jawahar Navodya Vidyalaya, Dhoom Dadri, Distt. Gautambudhnagar - 203207 (U.P.)
3. **Dr. Kiran Sharma**
Asso.Professor, English Department, Govt. P.G. College (Women), Rohtak (Haryana)
4. **Dr. Narayan Singh Negi**
H.No. 15, Umracoat, langasu-246446, Distt. Chamoli, Uttrakhand.
5. **Dr. Sarika Choudhary**
Head Department of Economics, Dyal Singh College, Karnal (Haryana)
6. **Dr. Suman**
H.No. 1001, Radha Swami Colony, Rohtak Road, Bhiwani (Haryana)
7. **Dr. Reshma Singh**
Assistant Professor, English Department, J.V. Jain College, Saharanpur (U.P.)
8. **Dr. Savita Budhwar**
Assistant Professor, K.V.M. Narsing College, Rohtak.
H.No. 196/29, Gali No. 9, Ram Gopal Colony, Rohtak.
Mob. 9996363764
9. **Principal**
Sat Jinda Kalyana College, Kalanaur (Rohtak, Haryana) 124113
10. **Dr. Renu Rana**
Assistant Professor Department of (Political Science) Pt. Nekiram Sharma Govt. College Rohtak-
124001 H.No. 1355, Sect-2, Rohtak
11. **Dr. Mamta Devi**
Assistant Professor Department of Polt. Science Hindu Girls College, Sonapat (Haryana)
H. No. 2066, Sect. 2 (P), Rohtak 124001
12. **Dr. Subhash Chand Saini** (Hindi Department, Dyal Singh College, Karnal, Haryana)
13. **Dr. Sarita Dahiya** (Department of Education, Maharshi Dayanand University, Rohtak
8222811312
14. **Dr. Vimla Devi**, Associat Professor (History), Swami Vivekanand Govt. (PG) College, Lohaghat,
Champawat (Uttrakhand)
15. **Princepal**, Associat Professor (Hindi), Aggarwal College, Ballabgharh (Haryana)

धर्म का समाज में अधिक महत्त्व रहा है। धर्म अनुशासन से जुड़ा हुआ है और अनुशासन में धर्म को इस रूप में कहा गया है 'अहिंसा परमो धर्मः' अर्थात् अहिंसा श्रेष्ठ धर्म है। अहिंसा का स्वरूप बहुत विराट है। अहिंसा में ही प्रेम की भावना निहित होती है, जिससे समाज में परिवर्तन लाया जा सकता है। इसी प्रेम पथ पर चलकर जीवन को सुधारा जा सकता है। अहिंसा देखने में छोटा सा शब्द लगता है लेकिन इसके अर्थ व भाव को समझा जाए और अपने जीवन में उतारा जाए तो यह मानव जीवन को सुधार देता है।

अहिंसा हिंसा का विरोधी शब्द है, हिंसा का अर्थ केवल किसी का गला काट देने से नहीं होता बल्कि किसी को किसी भी प्रकार का दुःख व कष्ट पहुंचाना भी होता है। अपने कर्तव्य व धर्म का उचित ढंग से निर्वाह न करना भी है, चाहे वह किसी भी रूप में क्यों न हो, जबकि अहिंसा एक ऐसी अवस्था है जिसकी प्राप्ति के लिए मनुष्य को अग्रसर रहना चाहिए। इस तत्परता व अग्रसरता से मनुष्य जीवन ही नहीं वरन् सम्पूर्ण राष्ट्र बेहद सुन्दर बन सकता है।

हिंसक मनुष्य किसी के साथ हिंसा करता है तो उसका प्रत्युत्तर हिंसा ही नहीं होना चाहिए बल्कि वह अहिंसा सत्य व प्रेम भी हो सकता है। यदि अहिंसा से सामने वाले को समझाते हैं तो विनाश से बचाया जा सकता है। यदि हिंसा का प्रत्युत्तर हिंसा से ही देते हैं तो विद्रोह की ज्वाला ज्यादा फैल जाती है इससे विद्रोही भावनाओं का शमन नहीं होता बल्कि ये ज्वाला की तरह ज्यादा फैल जाते हैं। इससे मनुष्य के प्रेम व सौन्दर्य का विनाश हो जाता है।

देख सकते हैं। आदि युग से इसको हम देख सकते हैं, यदि इसके परिणाम से हम परिचित हो जाए तो यह हिंसा कभी नहीं होती जैसा महाभारत में यदि युधिष्ठिर को पता होता कि युद्ध से सर्वनष्ट हो सकता है और उसे अन्त में केवल पछताना ही पड़ेगा तो वह कभी भी हिंसा का प्रत्युत्तर हिंसा में नहीं करता। इसी तरह से रामायण में भी यह विनाश नहीं हो पाता। अतः इस हिंसा के परिणाम से मनुष्य को रूबरू होना चाहिए, जिससे वह हिंसा जैसे भयानक रूप से बच सके और मानव जीवन सुरक्षित हो सके। ऐसी स्थिति में हमारे वर्तमान के विद्यार्थियों के लिए जरूरी है कि हिंसा व अहिंसा के परिणाम से परिचित करवाया जाए और अपने आने वाले भविष्य के सुधार सके। उनका आगामी जीवन किसी हिंसक कार्य में न पड़कर अहिंसा के मार्ग को अपनाते हुए अपना व अपने राष्ट्र का उत्थान कर सके, क्योंकि अहिंसा ही परम धर्म है। इसी से जीवन व जगत् सुधर सकता है जो इस पत्रिका के माध्यम से मनुष्य के नैतिक मूल्यों को सुधारा जा सकता है जिसमें विभिन्न विषयों पर पत्र लेखन छपे होते हैं, जिससे यह पाठक पर अपनी छाप छोड़ देती है और मनुष्य का विकास करने में सहायक सिद्ध होता है।

डॉ० सुमन राठी

सहायक प्रोफेसर

बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय,

अस्थल बोहर, रोहतक

Career Objective :

To obtain a responsible career position wherein I can fully utilized my educational experience & want to take much more success in life.



Educational Qualification :

- ☆ 10th from Board of School Education, Haryana, Bhiwani with 50.65%.
- ☆ 12th from Board of School Education, Haryana, Bhiwani with 53.80%.
- ☆ Graduation in Arts from M.D. University, Rohtak with 58.08%.
- ☆ Passed P.G. (M.A. in Hindi) from M.D. University, Rohtak with 62.00%
- ☆ Passed M.Phil (Hindi) from Kurukshetra University, Rohtak with 55.80%.

Professional Qualification :

- ☆ Passed B.Ed from M.D University, Rohtak with 64.00%.
- ☆ Passed M.Ed from M.D. University, Rohtak with 60.00%
- ☆ Passed Prabhakar (Hindi) from M.D. University Rohtak with 58.00%
- ☆ Passed Ph.D. (Hindi) from M.D. University, Rohtak.
- ☆ Passed HTET (Hindi) 2008, 2016.

Participation and paper presented in conference / seminar / workshop etc.

- ☆ International Seminar : 10
- ☆ National Seminar : 13
- ☆ Workshop : 2

Research & Academic Standards :

- ☆ Research Paper Publication in Journals : 7

Experiace :

- ☆ Teaching Experiace One Year
- ☆ Baba Mastnath University in Present time

Dr. Suman Rathee

1. राजेश जोशी का कावितो	12 - 19	26. डॉ० सत्यधर शुक्ल : व्यक्तित्व एवं कृतित्व	89 - 91
डॉ० सुमन रानी		डॉ० दीपा पाण्डेय	
2. महिला सशक्तिकरण: बदलती तस्वीर वर्तमान परिपेक्ष्य में	16 - 19	27. स्वतन्त्रोत्तर काल में भारत में आर्थिक विकास की स्थिति	92 - 96
मीना		डॉ० सुधीर कुमार	
डॉ० गीता सिंह		28. आधुनिक परिवेश में परिचारिका की भूमिका	97 - 99
3. पं. नाथूराम शर्मा 'शंकर' के काव्य की मूल्य मीमांसा	20 - 22	डॉ० आरती जैन	
स्नेह मिश्रा		29. MULK RAJ ANAND'S NOVELS : A BLEND OF.....	100 - 101
4. रामपुर जनपद में जनसंख्या वृद्धि का षि क्षेत्र पर प्रभाव	23 - 27	DR. SHWETA RANI	
राजेन्द्र कुमार सिंह		30. RUSKIN BOND'S PORTRAYAL OF ECOLOGICAL.....	102 - 104
5. कुमाऊँनीलोक संगीत की सामाजिक प्रासंगिकता	28 - 29	DR. SWATI RANI	
डॉ० गोविन्द सिंह बोरा		31. BHARATI MUKHERJEE' S JASMINE : A STUDY.....	105 - 108
6. अन्वेषण - एक तुलनात्मक अध्ययन	30 - 31	DR. SHWETA RANI	
ममता कुमारी		32. LOVE, MARRIAGE AND DEATH IN BELLOW'S.....	109 - 110
7. रामपुर जनपद में षि विकास-समस्यार्ये एवं समाधान	32 - 35	DR. PRIYANKA ARORA	
राजेन्द्र कुमार सिंह		33. REPRODUCTIVE TOXICITY IN THIRAM INDUCED.....	111 - 112
8. महापंडित राहुल सांकृत्यायन के उपन्यासों का.....	36 - 39	P. S. YADAV	
राजेन्द्र कुमार सिंह		34. SYMBOLISM AND THE POETRY OF WILLIAM.....	113 - 114
9. कसप उपन्यास उत्तर आधुनिकता के सन्दर्भ में	40 - 41	DR. SWATI RANI	
डॉ. अंजु देशवाल		35. INFLUENCE OF SOCIO-ECONOMIS STATUS ON....	115 - 117
10. प्रामाण्यवाद	42 - 43	DR. DINESH MOHAN SHARMA DR. NIRANJANA SHARMA	
सुमन		36. MOLESTATION IN INDIA	118 - 119
11. भारतेंदुकालीन राष्ट्रवाद का स्वर	44 - 46	DR. VINEET BALA	
डॉ० सोनिया गुप्ता		37. WOMB OUTSOURCING IN INDIA: LEGAL AND.....	120 - 125
12. भक्ति आंदोलन : स्वरूप एवं महत्व	47 - 50	ANURAG BHARDWAJ	
डॉ० ऊषा रानी		38. PERSONALITY IS A KEY FOR JOB SATISFACTION	126 - 129
13. पाकज प्रक्रिया	51 - 53	DR. UMENDER MALIK NIDHI MADAN	
सुमन		39. HUMANISTIC PERSPECTIVES IN MULK RAJ...	130 - 131
14. महात्मा गांधी की अहिंसा की अवधारणा	54 - 58	MANISHA	
रीता रानी रिहालिया		40. A STUDY OF RELATIONSHIP BETWEEN.....	132 - 134
15. स्वाध्यायान्मा प्रमद:	59	DR. DINESH MOHAN SHARMA DR. NIRANJANA SHARMA	
डॉ० अनिल कुमार शर्मा		41. A STUDY OF CYBERCRIME AWARENESS AMONG...	135 - 137
16. सप्तपदार्थवाद (वैशेषिक दर्शन के परिप्रेक्ष्य में)	60 - 61	DR. UMENDER MALIK KAVITA	
सुमन		42. DEMOCRATIC DECENTRALIZATION AND PRIS	138 - 143
17. समाज को सीख देती मधुकांत की कहानियाँ	62 - 63	DR. Y.R. SHARMA	
डॉ० पुष्पा		43. SEXUAL HARRASSMENT IN INDIA	144 - 145
18. भारतीय साहित्य में वर्णित व्यक्तित्व -त्रिगुण प्रकृति: सत्त्व.....	64 - 69	DR. VINEET BALA	
नीतू जैन		44. CURRENT SCENARIO OF INDIAN RETAIL MARKET	146 - 147
19. वेदान्त दर्शन में अज्ञान का स्वरूप विवेचन	70	BHAWNA SANDUJA	
डॉ० शेरपाल		45. A STUDY OF CYBERCRIME AWARENESS AMONG...	148 - 149
20. मधुकांत जी की व्यंग्य प्रधान कहानियों में जीवन का कटु सत्य	71 - 73	DR. UMENDER MALIK KAVITA	
डॉ. पुष्पा		46. बिजनौर जनपद में भू-जल दोहन एवं कृषि विकास में.....	150 - 153
21. स्त्री-विमर्श की आवश्यकता	74 - 75	प्रो० एल०बी० रावल जितेन्द्र सिंह	
डॉ० प्रकाश कुमार अग्रवाल		47. जनपद रामपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा उपयोग, संकट.....	154 - 157
22. मीरा काव्य: नारी समाज की प्रासंगिकता	76 - 77	डॉ० एल०बी० रावल जितेन्द्र सिंह	
प्रोमिला कुमारी		48. पस्तक समीक्षा	158 - 159
23. जनपद रामपुर मे दुग्ध व्यवसाय - एक भौगोलिक विश्लेषण	78 - 81		
डॉ० एन०यू० खान ओमेन्द्र कुमार			
24. आर्थिक विकास की अवधारणा माप एवं निर्धारक	82 - 85		

सारांश – समकालीन कविता के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर राजेश जोशी का जन्म 18 जुलाई 1946 को मध्यप्रदेश के नरसिंहगढ़ में हुआ था। उन्होंने जीव विज्ञान में एम.एस.सी और समाज शास्त्र में एम.ए. की उपाधि हासिल की और पत्रकारिता और लेखन को अपना कैरियर बनाया। उनकी कविताओं के अनुवाद कई भारतीय भाषाओं के साथ-साथ अंग्रेजी, रूसी और जर्मन में भी प्रकाशित हुए हैं। 'दो पंक्तियों के बीच' कविता संग्रह के लिए उन्हें साल 2002 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके अलावा इन्हें मुक्तिबोध पुरस्कार, श्रीकांत वर्मा स्मृति सम्मान, शमशेर सम्मान, पहल सम्मान, मध्यप्रदेश सरकार का शिखर सम्मान और माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। कवि के अब तक चार प्रमुख कविता संग्रह के अतिरिक्त कहानी व नाटक भी प्रकाशित हुए हैं।

'एक दिन बालेंगे पेड़' 1989 में प्रकाशित कवि का पहला कविता संग्रह है। इस संग्रह में समकालीन परिवेश की यथार्थ स्थिति का चित्रण करते हुए कवि ने व्यवस्था के प्रति रोष व्यक्त किया है। 'मदन सोनी के शब्दों में' – "राजेश जोशी का यहीं अपराध है कि वे मजदूरों पर लिखते हैं। श्रमिक वर्ग आया नहीं कि संदेश और प्रयोजन के अंदेशे से कुलीनवादी दुबले पड़ जाते हैं। उत्तेजना में संतुलन नहीं रहता।"¹

मिट्टी का चेहरा 1989 में प्रकाशित कवि का दूसरा काव्य संग्रह है। समकालीन परिवेश की विसंगति एवम् विद्रूपताओं का यथार्थ चित्रण संग्रह की विशेषता है। कवि ने व्यवस्था के प्रति असंतोष व्यक्त करते हुए गरीब, मजदूर के प्रति संवेदना व्यक्त की है। जो हर क्षण व्यवस्था द्वारा प्रताड़ित होते हुए शोषण की चक्की में पिस रहा है। आज की व्यवस्था से तंग आ चुका यह आदमी निरंतर उभरने की कोशिश में उदासी की यातना भुगत रहा है। इस यातना में भी कवि उसके जीव अंकुर को नष्ट नहीं होने देता।

'नेपथ्य में हंसी 1994 में प्रकाशित कवि का तीसरा काव्य संग्रह है। युगीन परिवेश की तमाम सामाजिक विद्रूपताओं, समस्याओं की अभिव्यक्ति काव्य की विशेषता है। निराशा, उदासी और उन्माद के बीच जीवन की संपूर्णता की उम्मीद आशा का संचार करती है।

'दो पंक्तियों के बीच' सन् 2000 में प्रकाशित कवि का चौथा काव्य संग्रह है। सामाजिक विसंगतियों के बीच कवि के पात्र सुंदर, सुखद जीवन का सपना संजोते हैं यह भाव निराशा में आशा का संचार करता है। अंधश्रद्धा, अविश्वास तथा टूटते हुए संयुक्त

कवि में दिखाई देती है।

राजेश जोशी का कवि मेहनतकश जनता और मौजूदा व्यवस्था के बीच निरंतर तीव्र होते अन्तर्विरोध को बड़ी गहराई से महसूस करता व आम लोगों के साथ बेहद सहानुभूति व्यक्त करता है। यही कारण है कि कहीं संवाद के लहजें में तो कहीं डॉट-फटकार के लहजें में वह आम जनता को सचेत करता है। वह उसके अन्दर की नैसर्गिक ताकत को झकझोरने की कोशिश करता है और इस प्रक्रिया में वह प्राकृतिक प्रतीकों के द्वारा संकेत देता है। 'एक दिन बोलेंगे पेड़' की 'बिजली सुधारने वाले' कविता में जनता की कर्तव्यनिष्ठा उजागर हुई है तो 'उसकी परछाई' कविता में चिड़िया की मुक्ति की एषणा में आम जनता की मुक्ति-एषणा को जागृत करने का प्रयास है –

हजारों मील दूर/एक चिड़िया
पिंजरे के खिलाफ/हवा के लिए लड़ रही है
एक काली चिड़िया
एक चिड़िया/सात समुन्दर पार
उजाले और आकाश/के लिए लड़ रही है²

'लेबर कॉलोनी के बच्चे' कविता में कवि ने मजदूर परिवार के बच्चों को हुल्लड़बाजी करते, मस्ती और बेपरवाही में धींगामस्ती करते, एक स्वच्छंद, सरल व चुनौतिपूर्ण जीवन जीते बच्चों के बिम्ब के द्वारा संतप्त जनता को व्यवस्था के दुश्चक्रों के बीच भी प्रसन्न रहने का अमूल्य सूत्र दिया है। कवि उस व्यवस्था के खतरों से भी हमें सावधान करता है, जो किसी भी रूप में, कभी भी और किसी को भी गिरतार कर सकती है –

देख चिड़िया/आजू-बाजू देख
ऊपर-नीचे देख/बाजार से आते
उस हाथ को देख/जो पिंजरा लाता है।
देख उस हाथ को गौर से
जो चावल के उजले दानों के नीचे/जाल बिछाता

है।³

कवि शोषण के सिद्धान्त पर चलने वाली इस व्यवस्था के विरुद्ध आम व्यक्ति को सचेत करता है किन्तु दुश्चक्र में फँस गए लोगों को उससे निकलने के नायाब सूत्र भी बताता है –

काँच काटने के/लोहे के चाकू पर
हीरे की कनी होना जरूरी है/और
हीरा काटने के लिए/खटमल का खून चाहिए
और मधु/उस चाकू के चाकू के लिए

मजबूती से खड़ी कर दी हैं, कि लंगोटिए यार भी एक-दूसरे के घर में जाकर अलग रखे गए बर्तनों में खाना खाते, चाय पीते हैं। 'सलीम और मैं और उनसठ का साल' कविता में कवि ने साम्प्रदायिक दहशत, असुरक्षा के माहौल का सजीव वर्णन किया है और साथ ही यह भी संकेत दिया है कि उस प्रकार के साम्प्रदायिक दंगों में केवल आम लोग ही प्रभावित होते हैं जबकि तिजारियों, सेठों, धनकुबेरों व बड़े-बड़े हुक्कामों का कुछ नहीं बिगड़ता। ऐसे साम्प्रदायिक दंगे निम्न-मध्यवर्ग में ही फूट डालते हैं –

हम दोनों ने छुपाया था अपना डर अपनी घृणा
अपने-अपने अंधेरों के पेड़/एक दूसरे से
लेकिन दंगाग्रस्त शहर की कटी-पिटी हवाओं
और जली-अधजली गलियों से निकलते हुए
हम दो लंगोटिए यार
शहर के दो विपरीत ध्रुवों की ओर चले गए
दो विपरीत अंधेरों की ओर^८

ऐसे भयानक समय में कवि प्रकृति को अपनी प्रेरक शक्ति मानता है। 'पत्थर' कविता में बेजान व बेजुबान पत्थर के अन्दर छुपी संवेदना से संवाद करता हुआ कवि महसूस करता है कि बेशक ये बेजुबान पत्थर कुछ न बोल पाते हों, किन्तु ये उस मजदूर के एहसानमन्द हैं जिसने इन्हें काट, सँवारकर, तराशकर घर में एक सुन्दर-सी जगह दी। वे एहसान फरामोश नहीं हैं इसलिए उस मनुष्य की लड़ाई में उसके पक्ष में नुकीले हथियार बनकर अपना फर्ज अदा करते हैं।

आज समय इतना खतरनाक हो गया है कि हमारे अपने अधिकार भी सुरक्षित नहीं रहे हैं। कवि रोटी को हिरण में बदलता हुआ देखकर उसका शिकार करने के लिए निशाना तानता है कि उससे पहले की कोई जंगली चीता हिरण का शिकार कर डालता है। इसलिए कवि घबराकर इस दुनिया को बचाने की अपील करता हुआ लिखता है –

दुःख रही है धरती की बूढ़ी पसलियाँ
फटा जा रहा है आसमान का माथा
उड़ाओ, गिद्ध को उड़ाओ
बचाओ, हो सके तो बचाओ/इस दुनिया को
समय की खल्वाट खोपड़ी में पल रहा है
एक भयानक विचार।^९

समाज के इस विद्रूप यथार्थ से कवि इतना आतंकित हो जाता है कि अब सुखी जीवन के लिए इस सृष्टि के अंत का इंतजार करता है और नयी सृष्टि का नया ड्राट तैयार करने बैठ जाता है। समाज के ज्वलंत गणर्ष के देखाकर भी कवि ने एक नया समाज की

को किसी दूसरी दुनिया का पात्र मानते हैं तथा 'समूचे दृश्य के बाद' कविता में इस यथार्थ का अन्त सृष्टि के अन्त से ही मानते हैं। वहीं राजेश जोशी भी कहते हैं –

बदलो! बदलो! / इस संसार को!!
मैंने खटखटाए तमाम सितारों के दरवाजे
और हुक्म दिया उन्हें / कि कल आना
हाजिर होना कल / हमारे दरबार में
कल लिखाऊँगा मैं तुम्हें
नयी दुनिया की संरचना का / नया ड्राट^{१०}

राजेश जोशी के कविता-संग्रह 'मिट्टी का चेहरा' में आर्थिक तंगहाली में जीते व्यक्ति की तसवीर तथा 1984 में भोपाल में हुई गैस रिसाव घटना के मार्मिक चित्र भी देखे जा सकते हैं। आज, जब आधुनिक समय में धनकुबेरों के पास धन का इतना संचय हो गया कि वे पैसों से खेलते नजर आते हैं तो आम व्यक्ति के लिए रोटी, कपड़ा और मकान जैसी बुनियादी चीजें ही जीवन का सत्य है। आजादी के सुख एवं अधिकार सुख से वंचित बंजारा समाज की व्यथा को 'जन्म' कविता में अभिव्यक्त किया है। बंजारा समाज प्रत्येक क्षण मृत्यु से टकराते हुए अपनी जीवन यातना को भुगत रहा है। 'जन्म' कविता में कवि कहता है –

"बंजारों ने अभी डेरा डाला है
मेरे घर के ऐन सामने
किसी फल की फाँक की
तरह आसमान पर लटका है
कार्तिक की सप्तमी का चांद
सड़क के एक किनारे
पान की गुमटियों के पीछे
एक छोटे से टाट की आड़ और
लालटने की मद्धिम रोषनी में
बंजारन बहु ने जन्म दिया है
अभी-अभी एक बच्चे को"^{११}

1984 में भोपाल में मिथायल आइसो सायनेट गैस के रिसाव से मानवता को जो हानि हुई और उसके बाद वहां की प्रकृति तथा लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों का चित्रण कवि ने बड़ी मार्मिकता से किया है। इस घटना पर राजेश जोशी व उदय प्रकाश, दोनों ही कवियों की नजर गयी है क्योंकि ये दोनों मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। राजेश जोशी ने 'कोई नहीं रोता' कविता में इस घटना का मार्मिक बिम्ब कुछ इस तरह उभारा है –

अब यहां कोई नहीं रोता
शहर के एक दरवाजे के गपरे पेड़

औरतें कुछ भी याद करने की कोशिश न करती हुई
दिन भर लिफाफे बनाती हैं⁹

राजेश जोशी का कवि 'दो पंक्तियों के बीच' कविता-संग्रह में स्वयं तथा अपने अनुभूत संसार को दो पंक्तियों के बीच की उस खाली जगह की तरह मानता है, जिसमें कई अनजान ध्वनियाँ, भटकते हुए अर्थ, एक निर्विकार चुप्पी और अनजान-अज्ञात दुनिया है, जिसे कोई नहीं जानता अर्थात् एक ऐसा संसार जो कि शापित, शोषित व अपमानिक है। इस संग्रह की अधिकतर कविताओं में 'नॉस्टेलजिक टच' का आरोप लगाया जाता है किन्तु वास्तव में यह पुराने जीवन मूल्यों के प्रति कवि का विश्वास है जो कि उसे बार-बार पीछे की ओर खींच कर ले जाता है। कवि जब भी स्वयं को इस यथार्थ में प्रताड़ित, उपेक्षित व अपमानिक पाता है तो वह महसूस करता है -

कोई नयी पंक्ति आने-जाने को होती है

कि तेजी से उसे धकियाती हुई आ जाती है कोई बिसरी हुई अधूरी कविता

वे चरागाह पर खो गई गाँ हैं जो रास्ता तलाशती हुई एक दिन आ जाती हैं वापस और बंद दरवाजों से बाहर रंभाती हैं
वे बेजान आत्माएँ हैं भटकती हुई हमारे आसपास¹⁰

कवि को वे चीजें बार-बार याद आती हैं, जो बचपन के धुंधलके में कहीं खो गयी हैं और अब मात्र आभस ही दिलाती हैं -

वहां बरसों से खोई हुई चीजें इकट्ठी थीं

और एक भूत उनकी रखवाली करता था¹¹

राजेश जोशी की कविताओं का संसार हाशिये का संसार है। वे लोग हैं, जो हमेशा ही इत्यादि की श्रेणी में रखे जाते रहे। यद्यपि ये लोग लोकतंत्र की ताकत कहलाते हैं, हर गोष्ठी, हर भाषण में उपस्थित होते हैं, किन्तु उनका जिक्र नहीं होता केवल सिरफिरे कवियों की कविताओं को छोड़कर -

इत्यादि यूँ हर जोखिम से डरते थे

लेकिन कभी-कभी जब वे डरना छोड़ देते थे

तो बाकी सब उनसे डरने लगते थे

इत्यादि हर जगह शामिल थे पर उनके नाम कहीं भी

शामिल नहीं हो पाते थे

अक्सर दिख जाते थे¹²

'उनका भरोसा' कविता में नियति के कारण भिखमंगे बने बच्चों की इस इच्छा का उद्घाटन है कि उन्हें भरोसा है कि कभी-न-कभी उनके भी दिन अवश्य ही फिरंगे। 'रुको बच्चों' में कवि आज के हमारे ऑफिसर, न्यायाधीश, पुलिस-तंत्र तथा मन्त्री की लेटलतीपी व सैर निरोपदायी एवं कृत्याय बांग्ला कृत्याय है। ये सभी मन्त्रा के

रुको बच्चों रुको

साइरन बजाती इस गाड़ी के पीछे-पीछे

बहुत तेज गति से आ रही होगी

किसी मन्त्री की कार

नहीं-नहीं उसे कहीं पहुंचने की

कोई जल्दी नहीं

उसे तो अपनी तोंद के साथ कुर्सी से

उठने में लग जाते हैं कई मिनिट

उसकी गाड़ी तो एक भय में

भागी जाती है इतनी तेज

सुरक्षा को एक अंधी रतार की

दरकार है/रुको बच्चों

इन्हें गुजर जाने दो/इन्हें जल्दी जाना है।

क्योंकि इन्हें कहीं नहीं पहुंचाना है।¹³

अभावों और पीड़ाओं के बढ़ते जाने के बावजूद देश की आम जनता जागरूक व संगठित होकर शोषण पर आधारित मौजूदा व्यवस्था को कोई कारगर चुनौती नहीं दे पा रही और इससे कवि काफी चिन्तित है। इसी चिन्ता के कारण जनता की सामान्य चेतना और संवेदना की उन कमजोरियों और सीमाओं की ओर वह विशेष रूप से ध्यान देना चाहता है जिनके कारण जनता व्यवस्था के असली चेहरे को पहचान नहीं पाती है। 'मिट्टी का चेहरा' कविता-संग्रह में कवि की यह चिन्ता विशेष रूप से उभरकर सामने आई है। कवि समाज के निम्न-मध्यवर्ग की बौद्धिक काहिली, अटूट मानसिक तन्द्रा, किंकर्तव्यविमूढ़ता और डरपोक चरित्र पर झल्लाकर 'मैं उड़ जाऊँगा' कविता में कुछ इस प्रकार प्रतिक्रिया व्यक्त करता है -

मैं सारे स्वप्नों को गूँथ-गूँथ कर

एक खूब लम्बी नसैनी बनाऊँगा

और सारे भले लोगों को ऊपर चढ़ाकर

हटा लूँगा नसैनी

ऊपर किसी गृह पर बैठकर

ठेंगा दिखाऊँगा मैं सारे दुष्टों को

कर डालो, कर डालो जैसे करना हो नष्ट

इस दुनिया को¹⁴

राजेश जोशी की कविता वर्तमान शिक्षा प्रणाली को नंगा करती है। भ्रष्टाचार का शिकार हुआ शिक्षक कवि की कविता को बेचैन कर देता है। शिक्षक की दयनीय दशा के लिए कवि वर्तमान प्रणाली गुल्म शिक्षा प्रणाली को दोष मानता है। नष्ट करने की अर्थिपत्तें लेना शिक्षा प्रणाली के लक्ष्य का नष्ट कर देना है। शिक्षक

लड़खड़ाता आता है
प्राइमरी स्कूल का एक मास्टर
फटेहाल/धम्म से बैठ जाता है
मेरी बगल में/और बड़बड़ाता है
यहाँ जंगल में फेंक दिया है मुझे
घर से ढाई सौ मील दूर
दस बरस में लगाई है
मैंने सैकड़ों अर्जियाँ

लगाए है पचासों चक्कर/ शिक्षा विभाग के।¹⁵

भ्रष्टाचार युक्त शिक्षा व्यवस्था आज सम्पूर्ण देश के समक्ष सबसे बड़ी समस्या बनकर खड़ी है। आज शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया है केवल मात्र धन कमाना शिक्षा केन्द्रों का उद्देश्य रह गया है जिसके कारण शिक्षा का स्तर नीचे गिर रहा है। कवि कहता है –

शताब्दियों बासी खदबदाति
शिक्षा की फफूंद में
बज-बजा रहे थे देश के सारे केन्द्र
विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय।¹⁶

निष्कर्ष : राजेश जोशी की कविताएँ गहरे सामाजिक अभिप्राय वाली होती हैं। वे जीवन के संकट में भी गहरी आस्था को उभारती हैं। उनकी कविताओं में स्थानीय बोली, बानी, मिजाज और मौसम सभी कुछ व्याप्त हैं। उनके काव्य लोक में आत्मीयता और लयात्मकता है तथा मनुष्यता को बचाए रखने का एक निरंतर संघर्ष भी दुनियाँ के नष्ट होने का खतरा राजेश जोशी को जितना प्रबल दिखाई देता है उतना ही वे जीवन की संभावनाओं की खोज के लिए बेचैन दिखाई देते हैं।

संदर्भ –

1. वर्तमान साहित्य, संपा. राजेश जोशी, कविता विशेषांक-अप्रैल-मई, 1992, पृ० 8
2. राजेश जोशी, एक दिन बोलेंगे पेड़, पृ० 22
3. वही, पृ० 24
4. राजेश जोशी, एक दिन बोलेंगे पेड़, पृ० 28
5. वही, पृ० 59
6. राजेश जोशी, मिट्टी का चेहरा, पृ० 14
7. वही, पृ० 72
8. राजेश जोशी, नेपथ्य में हंसी, पृ० 91
9. राजेश जोशी, मिट्टी का चेहरा, पृ० 76
10. राजेश जोशी, दो पंक्तियों के बीच, पृ० 11
11. वही, पृ० 10

15. राजेश जोशी, दो पंक्तियों के बीच, पृ० 62
16. राजेश जोशी, मिट्टी का चेहरा, पृ० 174

डॉ० सुमन रानी (सहायक प्रवक्ता)
श्री लालनाथ हिन्दू कॉलेज, रोहतक (हरियाणा)

सारांश:-

आज के समय में लगभग हर जगह चाहे वह गांव हो या शहर हर जगह महिला सशक्तिकरण पर चर्चा हो रही है। लेकिन महिला सशक्तिकरण के वास्तविक मायने क्या है ये बहुत कम लोग जानते हैं। यह कहना बहुत ही मुशकिल है; हमारे समाज में इसकी कितनी मान्यता मिल रही है, यह अनुसंधान करना भी बेहद कठिन है। हांलकि हमारे भारतीय समाज में महिलाओं की अवस्था में काफी सुधार हुआ है। लेकिन जिस तरह से सुधार हुआ है वह कल्पना से परे है। महिला सशक्तिकरण की बात हर जगह की जाती है। लेकिन वर्तमान समय में यदि हम यह कहे कि महिला सशक्तिकरण ऊंट के मुंह में जीरे के समान है तो कोई गलत नहीं होगा क्योंकि सशक्तिकरण से पहले समानता पर बात करनी चाहिए जब समाज महिला को भी समानता का अधिकार देगा तो सशक्तिकरण स्वयं ही हो जायेगा। देश की आधी आबादी यानि की महिलाएं अपने अधिकारों से अब भी वंचित हैं। आज भी हमारे सामने पीडित महिलाओं के उदाहरणों की कमी नहीं है। समाचार पत्र, समाचार चैनल, बेब चैनल, रेप, दहेज के लिए हत्या, भ्रूण हत्या की घटनाओं से भरे पडे मिलते हैं, इन आंकड़ों में दिन व दिनभर बढ़ोतरी हो रही है। महिलाओं से होने वाली हिंसा और शोषण की घटनाएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। आज हर क्षेत्र में पुरुष के साथ ही महिलाएं भी तमाम चुनौतियों से लड़ रही हैं, सामना कर रही हैं, कई क्षेत्रों में महिलाएं पुरुषों से भी आगे हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि कुछ पुरुष प्रधान मानसिकता वाले तत्व यह मानने को तैयार नहीं हैं कि महिलाएं उनकी बराबरी करें, ऐसे लोग महिलाओं की खुले विचारों वाली कार्यशैली को बर्दाशत नहीं कर पाते हैं, शायद इसलिए कभी तसलीमा नसनीन जी चर्चित हुईं तो कभी दीपा मेहता आज भी हमारे समाज में महिला केंद्रित आलेख और सिनेमा आसानी से स्वीकार नहीं किए जाते हैं, कहीं न कहीं उनका विरोध शुरू हो जाता है। क्या महिलाओं को अधिकार नहीं है कि वे अपने विचार समाज के सामने रख सकें।

सवाल पुरुषों और महिलाओं के अलग होने का नहीं है, न ही महिलाओं को कमतर आंकने का, सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर देश की आधी आबादी को यूं ही अनदेखा किया जायेगा तो ऐसे में उनके बिना देश व समाज का विकास कैसे संभव है। जबकि महिला और पुरुष दोनों ही समाज की धुरी हैं। एक को

की आधी आबादी सशक्त नहीं होगी, हम विकास की कल्पना भी नहीं कर सकते। समय की मांग है और समाज की जरूरत थी कि महिलाओं को भी पुरुषों के समान अधिकार मिले, उनके साथ कदम मिलाकर चलें।

प्रस्तावना:- महिला सशक्तिकरण क्या है, उस पर विचार करने और एक स्वस्थ व वेहद चर्चा करने की जरूरत है। लेकिन चर्चा से पहले चिंतन करना होगा कि महिला सशक्तिकरण का सही अर्थ क्या है? सशक्तिकरण के साथ यह भी जानकारी होनी चाहिए कि हम कहीं सशक्तिकरण के नाम पर अराजकता तो नहीं फैला रहे। कहीं हम समाज में प्रचलित रीति रिवाजों और प्रथाओं का उल्लंघन तो नहीं कर रहे। हम नारी स्वतन्त्रता का गलत फायदा तो नहीं उठा रहे। कहीं हमें यह गलत फहमी तो नहीं है कि सशक्त होने का मतलब ही मन मर्जी से जीना और सामाजिक रीतियों को तोड़कर अपनी अच्छी बुरी हर तरह की ख्वाहिशों को पुरा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब समय आ गया है हम इसकी वास्तविकता को समझे, महिला सशक्तिकरण की सही परिभाषा को समझे और सशक्त बनें। सरल शब्दों में कहें तो हम यह कह सकते हैं कि महिलाओं को अपनी जिन्दगी के हर छोटे-बड़े हर काम खुद निर्णय लेने की क्षमता होना ही सशक्तिकरण है। जिस प्रकार हमारे पुरुष प्रधान समाज में पुरुष ही छोटे-बड़े सभी निर्णय लेता है महिलाएं तो केवल उनके सभी फैसलों में हामी भरनी होती हैं। तो इसी तरह महिलाओं को भी अपने निर्णय खुद लेने का हक मिल जायेगा तो महिला सशक्त हो जायेगी और समाज सशक्त बनेगा।

आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक और स्वास्थ्यात्मक सशक्तिकरण के आधार:- पिछले कुछ वर्षों में भारतीय महिलाओं की स्थिति आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक और स्वास्थ्य सुचकों के रूप में पहले से बेहतर हुई है जून 2018 में आई सैम्पल रेजिस्ट्रेशन सर्वे के अनुसार 2013 में भारत में मातृ मृत्यु दर में करीब 22 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। महिलाओं को प्रसव के दौरान मिलने वाली मैटरनिटी लिव को भी बढ़ाकर 6 महीने कर दिया है और सरकारी अस्पतालों में सुरक्षित प्रसव कराने पर जोर दिया जा रहा है। इसके इलावा कन्या भ्रूण हत्या और महिला अपराधों में भी काफी कमी आई है। 2012 में हुए निर्भया काण्ड के बाद रेप, हिंसा और उत्पीड़न के वारंटों को और ज़्यादा त्वरित बनाया जा रहा है। नेशनल कार्डम रिकार्ड ब्यूरो के अनुसार महिलाओं के साथ होने

जा रही है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैण्ड अप इंडिया, स्टार्ट अप इण्डिया और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका के तहत स्वयं सहायता समूह योजना भी महिलाओं को वित्तीय रूप से सुरक्षित और स्वतंत्र बनाने में सहयोग कर रही है। लड़कियों और महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सुकन्या समृद्धि और जन-धन योजना जैसे कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। जहां जन-धन योजना के तहत आधे से ज्यादा बैंक अकाउंट महिलाओं के द्वारा खोले जा रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा के हिसाब से कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ कानून, ऑनलाईन शिकायत प्रणाली, महिला हैल्पलाइन और दैनिक बटन जैसे प्रयोग किए गए हैं। इसके अलावा महिला सशक्तिकरण के हिसाब से सबसे ज्यादा जरूरी तीन तलाक प्रथा को भी खत्म करने की कोशिश चल रही है। शिक्षा के स्तर पर बेटों बचाओ बेटों पढ़ाओ कार्यक्रम के जरीये स्कूलों में लड़कियों और लड़कों का बराबरी पर दाखिला हुआ है, राजनीतिक स्तर पर भी महिलाओं को पंचायती राज में 33 प्रतिशत तक के आरक्षण का प्रावधान है जबकि कुछ राज्यों में आरक्षण 50 प्रतिशत तक भी है। इसके अलावा महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने के लिए महिला आरक्षण बिल को पारित कराने की करीब दो दशक से तैयारी चल रही है इस विधेयक को साल 1996 में महिलाओं सशक्तिकरण के लिए पेश किया गया था। महिला आरक्षण विधेयक को 6 मई 2008 में राज्यसभा में प्रस्तुत किए जाने के 2 साल बाद 9 मार्च 2010 को इसको राज्यसभा से पारित करा लिया गया। लेकिन लोकसभा में पर्याप्त सदस्यों की संख्या न होने के कारण इस विधेयक पर कोई कानून नहीं बनाया जा सका है। संसद के निचले सदन लोकसभा में सिर्फ 12 प्रतिशत महिला सांसद हैं जबकि राज्यसभा भी यह संख्या महज 12.8 प्रतिशत ही है जोकि वैश्विक औसत 22 प्रतिशत से कुछ कम है। भारत की जनसंख्या में 48 प्रतिशत हिस्सेदारी रखने वाली महिलाओं की काम में हिस्सेदारी 26 प्रतिशत ही है। जबकि भारत इसमें ब्राजील, श्रीलंका, इंडोनेशिया जैसे देशों से भी पिछड़ा हुआ है। इसके साथ ही महिला स्वास्थ्य के लिहाज से भारत में मातृ मृत्यु दर नेपाल और श्रीलंका जैसे कम विकसित देशों से भी अधिक है जोकि महिला सशक्तिकरण के लिए एक गंभीर चुनौती हैं।

सामाजिक सशक्तिकरण वर्तमान परिपेक्ष्य में:- इन सब बातों को देखते हुए हम यह कहना चाहेंगे की महिला

हमें समानता पर ध्यान देना चाहिए यदि केवल हम सशक्तिकरण की बात करते हैं तो यह लगता है कि महिलाएं जीवन के तमाम क्षेत्रों में अपनी मर्जी से पिछड़ी हुई हैं उनको किसी ने ऊपर उठाना है सशक्त करना है। हालांकि यदि हम देखें तो आजादी के आन्दोलनों में महिलाओं की बढ चढकर भाग लिया लेकिन आजादी के बाद जो सशक्तिकरण होना चाहिए था। वो नहीं हुआ क्योंकि हमने लोकतन्त्र में पदार्पण किया था एक दम हम वर्ण व्यवस्था से निकले थे। उसमें जो महिलाएं थी वो पितृसत्ता और वर्ण व्यवस्था की शिकार थी तो उनके लिए जिस तरह से कार्यक्रमों को करना चाहिए था उस तरह से नहीं हुआ बल्कि डॉ० बाबा साहेब अम्बेडकर जो हिन्दू सैक्शन एक्ट को जिन्होंने पुरी समानता के तहत विजुअलाईज भी किया और आगे लाने की कोशिश हुई देखने में ये आया कि उन्हें ही इस्तीफा देना पड़ा। वो कहां आजादी के बाद प्रयास हुए।

यदि वर्तमान में हम देखें तो आज भी स्थिति पहले की तरह है वैसे ही दहेज मृत्यु, भ्रूण हत्याएं हो रही हैं स्थिति केवल ये है कि पहले स्टोप फटता था या तेल छिड़ककर जलाया जाता था। बस तरीके बदल गए हैं लेकिन दहेज मृत्यु कम नहीं हुई। महिला अपराध जैसे रेप में भी कोई कमी नहीं आई है लोगों में कानून के प्रति किसी तरह का डर नहीं है। यदि छोटे कस्बे या गांव में कोई छेड़छाड़ विरोधी मामले में केस दर्ज कराया जाए तो कई बार तो थाने वाले को ही उन कानूनों का ज्ञान नहीं होता कि कानूनों में क्या बदलाव हुए हैं, जो भी कानून है उन्हें केवल आर्थिक रूप से मजबूत महिलाएं ही प्रयोग कर रही हैं आम नागरिक महिला को उसका कोई लाभ नहीं।

स्वास्थ्यवात्मक सशक्तिकरण वर्तमान परिपेक्ष्य में:- यदि स्वास्थ्य के लिए देखें तो सरकार ने मैटरनीटी लिव बढा दी और बहुत सारी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं लेकिन स्थिति यहां भी बहुत गंभीर है यदि वहां स्वास्थ्य केन्द्रों की हालात देखी जाए तो वहां डॉ० नहीं है, डॉ० है तो दवाएं नहीं हैं, दवाएं हैं तो उपकरण नहीं हैं जिससे जांच हो सके तो इस तरह स्वास्थ्य सुविधाओं की जो बात की जा रही है उससे भी बहुत ज्यादा लाभ नहीं हुआ है। बहुत सारी महिलाएं खून की कमी से ग्रस्त रहती हैं। और कहाँ ये जाता है कि जागरूकता नहीं है लेकिन ये सब जागरूकता के लिए नहीं बल्कि सारी जो नीतियां हैं योजनाएं हैं या सरकारी कार्यप्रणाली, महंगाई के कारण उन्हें पर्याप्त मात्रा में

रेट बढ़ा है। लेकिन उसका जो मेजर बजट है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का वो असल में सारा प्रचार प्रसार पे ही लग रहा है वहां जो बैनिफिशियरी को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है उदाहरण राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित एक लड़की जोकि मैरिटियस है उसका गैंग रेप हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो सुविधाएं शिक्षा के लिए बालिकाओं को या महिलाओं को चाहिए वो उनके आवास से काफी दूर है। जिससे आए दिन अपराधों में बढ़ोतरी हो रही है, सरकार को चाहिए की महिलाओ के लिए साधन उनके आस पास उपलब्ध कराएं ताकि दुर्घटनाओ से बचा जा सके और सरकारी कोचिंग सेंटर भी ग्रामीण इलाको के आस-पास हो जिससे बालिकाओ को दूर दराज प्राइवेट कोचिंग के लिए न जाना पड़े। स्थिति में परिवर्तन तो आ रहा है महिला लिटरेसी रेट 1951 में 9 प्रतिशत थी जो 2011 में 65 प्रतिशत दर्ज की गई है। अगर बात करे स्कूलों के बारे में तो यदि प्राइवेट था अच्छे का कान्वेंट स्कूलों में भेजेगें तो लड़के को भेजेगें, लड़की को सरकारी स्कूल में माता पिता द्वारा भेजा जाता है। और कहीं-2 अपवाद हो सकते है क्योंकि अपवाद तो हर जगह होते है। लड़कियों व लड़को की तुलना आगे उच्च शिक्षा दिलवाने मे भी होने लगती है। अच्छे प्रोफेशनल कोर्स भी लड़के को दिलवाए जाते है लड़की के लिए तो यही बोल दिया जाता है कि ये कही मुँह काला न करवा दे घर पर ही ठीक है तो यदि महिलाओं को सशक्त करना है शिक्षण संस्थान, कोचिंग सेंटर ग्रामीण इलाको के आस पास होने चाहिए।

आर्थिक सशक्तिकरण का वर्तमान संदर्भ:- आर्थिक मोर्चे की यदि बात की जाए तो सरकार ये दावा करती है कि जो ये स्टैण्ड अप इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका योजना स्वयं सहायता समूह योजना में 7.88 करोड़ यानि करीब 8 करोड़ महिला उधमियों को करीब 2.25 लाख करोड का लोन उपलब्ध कराया गया है। तो इससे कितनी महिलाएं आर्थिक रूप से सक्षम हो रही है। इसमें जो शिक्षित व ज्ञानवान महिलाएं है या वो क्रिमीलयेर महिलाएं ही इन योजनाओ का फायदा उठा रही है लाखों कमा रही है लेकिन जो आम महिलाएं है उन्हें योजनाओ का पता ही नहीं है। वे बहुत ज्यादा मेहनत करती है लेकिन उन्हे मेहनताना नहीं मिल पाता। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो सरकारी नौकरी कर रही है उन महिलाओं के लिए ही मैटरनीटी लिव का प्रावधान है। लेकिन केवल नौकरी करने वाली महिलाओ

राजनैतिक सशक्तिकरण का वर्तमान संदर्भ:- अब यदि हम राजनीतिक क्षेत्र की बात करे तो कहा जा रहा है कि महिलाओं को पंचायती राज में 33 प्रतिशत आरक्षण है। महिला और बाल विकास मन्त्री मेनका गांधी अपने लेख में कहती है कि राजनीतिक क्षेत्र में आंकडे पहले से ज्यादा उत्साहजनक रहे है। पंचायतो में निर्वाचित महिलाओं की संख्या 46 प्रतिशत हो गई है और ग्रामीण स्तर पर 2 लाख से भी ज्यादा महिलाओ के सता में होने के कारण देश में जमीनी स्तर पर बदलाव हो रहा है। यदि हम बात करे ग्रामीण क्षेत्र विशेष पंजाब, हरियाणा व राजस्थान की तो 33 प्रतिशत आरक्षण से महिलाएं डिसिजन मेकर तो बन गई है लेकिन उस पे भी कंडीशन लगी हुई है कि 10वीं पास हो, बिजली का बिल, पानी का बिल, टायलेट इत्यादि होना चाहिए तो 83 प्रतिशत दलित या कमजोर, गरीब तबके की महिलाएं ये सब चुनाव कन्टेस्ट नहीं कर सकती आज पंचायत का। अब ये 46 प्रतिशत हुई है जो कहीं-2 पर संख्या है लेकिन जो अपर लेयर है यदि महिलाएं अनपढ़ है तो ये महिलाओं की कमी न होकर सिस्टम की कमजोरी है। 66 प्रतिशत आवरआल जो महिलाएं है वो पंचायत का, मुन्शिपल कमेटी का चुनाव कन्टेस्ट नहीं कर सकती है और आदमी भी नहीं कर सकते। पंचायतों मे तो हिस्सेदारी 46 प्रतिशत हो गई है लेकिन विधानसभाओं में नहीं है उसके लिए ये लड़ाई चल रही है। ग्राम पंचायतों का जब चुनाव होता है कोई महिला आरक्षण के द्वारा सरपंच बनती है तो उसका पति ही पुरे पांच साल अग्रणी रहता है। लेकिन दलित तबके मे तो स्थिति और ज्यादा खराब है जहां आरक्षण में से आरक्षण लिए यदि महिला सरपंच बनी है तो उसका पति भी दलित हुआ तो कोई अपर कास्ट का व्यक्ति ही उसके पद पर काम कर जाता है लेकिन अपवाद हर जगह है रोहतक के एक गांव का उदाहरण है जहां महिला सरपंच बनी वहां लड़कियां कबड्डी खेलती थी और काफी हुडदगं बाजी होती थी तो लड़कियां महिला सरपंच के पास गई व अपनी परेशानी बताई तो 15 दिन महिला सरपंच उन लड़कियों के पास बैठी। कोई किसी तरह की हुडदगंबाजी ना हुई। हरियाणा राज्य में महिलाओं का पंचायती राज आरक्षण से काफी सशक्तिकरण हुआ है, महिलाएं पर्दे से बाहर आई है और पंजाब के मुजफरनगर की यदि बात करे तो वहां स्थिति बहुत खराब है। लेकिन आवरआल

महिला सशक्तिकरण हुआ है।

निष्कर्ष :- प्रस्तुत शोध पत्र में हमने महिला सशक्तिकरण

इस बात से कोई मुहं नही मोड़ सकता लेकिन जितने कानून और प्रावधान है उस तरह से सशक्तिकरण नही हुआ यह कम दर से हुआ है। महिलाओं को सशक्तिकरण के साथ-2 समानता की जरूरत है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची:-

- 1) आहुजा, राम (2000), "आधुनिक भारत की सामाजिक समस्याएं" मीनाक्षी प्रकाशन, मेरठ
- 2) सिद्दकी फातिका (2001) "बुमेन एण्ड हयुमन राईटस", कनिष्क पब्लिशर्स, नई दिल्ली
- 3) वही
- 4) स्वयं द्वारा संकलित विचार
- 5) धावन, हरिमोहन (2002) "महिला सशक्तिकरण विविध आयाम", मध्य प्रदेश दलित साहित्य अकादमी प्रकाशन उज्जैन
- 6) सिंह, मीनाक्षी निशान्त, (2008) "महिला सशक्तिकरण का सच" आयोग पब्लिकेशन, नई दिल्ली
- 7) गौड़, संजय (2008), आधुनिक महिलाएं और समाज 3 वीडिन, अत्याचार एवं अधिकार", बुक ऐनक्लेव जयपुर
- 8) शेण्डे, रामजी हरिदास (2006), "नारी सशक्तिकरण", ग्रन्थ पब्लिकेशन हाऊस, जयपुर
- 9) सास्वत, स्वाप्लिन, (2007), "महिला विकास एक परिदृश्य" नई दिल्ली
- 10) करात वृन्दा, (2008), "भारतीय नारी संघर्ष और मुक्ति" ग्रन्थ शिल्पी पब्लिकेशन, नई दिल्ली
- 11) वही
- 12) भारत में महिलाओं की स्थिति (2001), "राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली
- 13) एश के चटर्जी (1995) द शिडयूलड कास्ट वुमैन इन इंडिया ज्ञान पब्लिकेशन हाऊस, नई दिल्ली
- 14) के0 के0 गौड (1997) " भारत में ग्रामीण नेतृत्व" पानक पब्लिकेशन नई दिल्ली
- 15) वाजपेयी, आशोक (1999) पंचायती राज एंड रूरल डकैलपमेंट, साहित्य प्रकाशन, नई दिल्ली
- 16) महिला सशक्तिकरण नीति (2001), राष्ट्रीय महिला आयोग
- 17) महिला सशक्तिकरण नीति (2016)
- 18) स्वयं द्वारा संकलित

21) वही

डॉ० गीता सिंह

प्रोफेसर (इतिहास)
मानविकी एवं समाज विज्ञान विभाग
ज्योति विद्यापीठ महिला
विश्वविद्यालय
जयपुर (भारत)
ई0 मेल—
pkumar78947@gmail.com

मीना

शोध छात्रा (पी.एच.डी)
प्रबन्धन एवं मानविकी
संकाय ज्योति विद्यापीठ
महिला विश्वविद्यालय
जयपुर (भारत)
ई0 मेल—
geet.raj-mudit@gmail.com
फोन न— 9468225239

मीना पत्नी श्री पवन कुमार
गांव पपोसा तह0 बवानी खेड़ा
जिला भिवानी (हरियाणा)
पिन कोड— 127035
फोन न— 9468225239

सारांश :- विधाता की सृष्टि की सर्वोत्तम रचना मनुष्य है। जिन भावों से मनुष्य की पहचान हो, मानवता का उत्कर्ष हो उसे मानव मूल्य की संज्ञा दी जाती है। मानवतावादी चिंतन मनुष्य के वैयक्तिक, राष्ट्रीय और वैश्विक स्वरूप को आदर्श और कल्याणकारी बनाता है। इससे मनुष्य के जीवन में उत्तम भावों का विकास होता है और सन्मार्ग— गामी होने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति का अवसर मिलता है। मानवीयता मनुष्य के जीवन का ऐसा परम आधार है, जिसे अपनाकर सतत गतिशील रह कर सरलता से वह लक्ष्य प्राप्त कर सकता है।

आदर्श समाज में मानव मूल्यों का मुख्य आधार धर्म और सहज आचरण रहा है। मानव मूल्य मनुष्य का आदर्श स्वरूप और आधार है, जो उसे लक्ष्य तक पहुँचाता है। इसके आधार पर मनुष्य की गति और कार्य का मूल्यांकन किया जाता है। जब मनुष्य कार्य संपादन के लिए मन बनाता है, तो मानवमूल्य उसकी दिशा और स्वरूप निर्धारित करता है। वास्तव में मानव मूल्य पर ही व्यक्ति, समाज ही नहीं राष्ट्र के राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक आदि सभी पक्ष भी आधारित होते हैं। नैतिकता मानव मूल्य का आधार है। मनुष्य नैतिक पथ अपनाकर मस्तिष्क के विकास—विस्तार की प्रक्रिया में मानव मूल्य को स्वीकार कर लेता है। मनुष्य का जीवन पूर्णरूपेण सत्यं शिवं सुंदरम् पर आधारित हो जाता है।

मानव के अंतस्तल के दया, ममता, सहिष्णुता, सहानुभूति, सहयोग, उदारता, दयालुता और संवेदना आदि भाव मानवीयता के आधार हैं। नैतिक चिंतन के आधार पर मनुष्य जब ऐसे भावों से प्रेरित होकर सन्मार्ग पर आगे बढ़ता है, तो मानव मूल्य का अनुप्रेरक परिवेश बनता है। यह भी सुनिश्चित है कि ऐसे परिवेश में मानवतावाद का प्रेरक रूप सामने आ जाता है।

भारतीय संस्कृति के उपासक पं० नाथूराम शर्मा 'शंकर' के काव्य में मानव मूल्यों का आद्योपांत चित्रांकन मिलता है। वे नीति—पथ के प्रबल समर्थक थे, जो करणीय—अकरणीय, उचित—अनुचित, ग्राह्य—अग्राह्य का बोध करता है। मानव मूल्यों को दिशा देने वाली नीति को परिभाषित करते हुए हिंदी साहित्य कोश में स्पष्ट किया गया है —

“समाज को स्वस्थ एवं संतुलित पथ पर अग्रसर करने एवं व्यक्ति को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की उचित रीति से प्राप्ति करने के लिए जिन विधि—निषेध मूलक सामाजिक, व्यावहारिक, आचारित, धार्मिक तथा राजनीतिक आदि नियमों का विधान देशकाल और पात्र के संदर्भ में किया जाता है, उसे नीति शब्द से अभिहित करते हैं।”

सहयोग कवि शंकर के काव्य में शब्द भक्ति उदात्तता और

“माता—पिता, सुकवि, गुरु, राजा कर सबका सम्मान।
रुग्ण, अनाथ, पतित दीनों को दे जल भोजन दान।”²

कवि की स्पष्ट मान्यता है कि मनुष्य को अपने में मानवीयता और आनंदानुभूति में वृद्धि करने के लिए दूसरों का सहयोग कर उनके जीवन में गतिशीलता और सुखद स्थिति लाने का प्रयास करना चाहिए। यह भी सच है कि दान देने से स्वयं को आनंदानुभूति होती है और विवश, निरीह और अभावग्रस्त व्यक्ति को जीने का अवसर मिलता है। कवि ने ऐसे ही भावों के द्वारा मानव मूल्य की सुंदर चर्चा की है —

“सुख भोगें दानी—धनी, उन्नति का मुख चूम,
धर जाते हैं और को जोड़—जोड़ धन सूम।”³

मानव मूल्यों के पथ के पथिक नैतिकता का अनुसरण करते हुए, स्वयं आत्मसम्मान से जीते हुए जीवन—पथ पर गतिशील रहते हैं। इसके साथ उन्हें समाज में आदर और सम्मान मिलता है। नीति काव्य के रूप में कवि ने सज्जन को चंदन की तरह शीर्ष स्थान पर रहकर सम्मानित होने की बात कही है —

“सज्जन को आदर मिले, पिटे कुचाली कूर।
चंदन मस्तक पर चढ़े, जारे जात बबूर।”⁴

मन की सात्विकता और एकाग्रता मनुष्य को सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा और शक्ति प्रदान करती है। मानसिक दृढता निष्चय ही मनुष्य को सफलता का वरण करती है, इसके विपरीत जीवन—पथ का कंटककीर्ण होना संभावित होता है। कवि स्वस्थ चिंतन के सुंदर और सुखद परिणाम को प्रकट कर जनमानस को प्रेरित कर रहा है —

“सुमति बिना संपति कहाँ, संपति बिना न चैन।
चैन बिना जीना वृथा, दुःख भोगे दिन रैन।”⁵

सहयोग और सहानुभूति मनुष्य का परम धर्म है, मानवता के विकास के आधार हैं। यह भी सुनिश्चित तथ्य है कि सहयोग से असहायों को सहारा मिलता है, उनकी शुभकामनाएँ परोपकारी के जीवन को दिशा देने का आधार बन जाती हैं। मानवमूल्य के उत्कर्ष के साथ अनुकूल परिवेश बनाने का मुख्य आधार है—सहयोग, सहानुभूति और परोपकार। तुलसीदास ने परम धर्म की चर्चा करते हुए कहा है —

“परहित सरिस धर्म नहीं भाई।

पर पीड़ा सम नहीं अधमाई।।” — रामचरितमानस

शंकर ने परोपकारी की गरिमा का चित्रांकन करते हुए ‘शंकर सर्वस्व’ में लिखा है कि सहयोगी और परोपकारी को

सहयोगी और परोपकारी के लिए शंकर मित जाएंगे धवल धाम आराम

के साथ दूसरे की भी उन्नति में सहयोग करता रहे। कई बार विडंबनात्मक स्थिति ऐसी आती है कि मूल्यविहीन व्यक्ति ऐसा कार्य करता है जिसमें न अपना हित होता है, न दूसरे का। विषम चिंतन की देन है जब वह सोच लेता है कि सामनेवाले का अहित होना ही चाहिए, चाहे अपना भी अहित हो जाए। कवि उत्तम चिंतन के साथ ही कार्य करने की प्रेरणा देता है। उसका उद्बोधन दिग्दर्शक है—

“तेरी अथवा और कौं जामें लाभ न होय,
ता थोथी करतूति में दुर्लभ आयु न खोय।।”⁷

कवि शंकर ने नैतिक उद्बोधन कर जनसामान्य को प्रेरित करने की हृदयग्राही काव्य की रचना की है। समाज में मानवमूल्य के स्थापन और वसुधैवकुटुंबकम् के भाव विस्तार हेतु सरल, सुबोध भाषा—शैली में प्रेरक भाव प्रस्तुत किया है —

“शंकर जासों लोक में बढ़े सदा सुख—पीति,
नीति जान ता रीति को, है विपरीत अनीति।”⁸

मानव मूल्यों के आधार पर व्यक्ति से समष्टि तक को गतिशील रहने का अवसर मिलता है। नैतिकता लोकमंगल की भावना को अनुप्राणित कर सुखद परिवेश का निर्माण करती है। सर्वजन हिताय और सर्वजनसुखाय का धर्म उन्हें ग्राह्य रहा है। वे समस्त मानव को सुख—शांति प्रदान करने वाले आधार को सर्वश्रेष्ठ धर्म के रूप में स्वीकार करते हैं। वे सनातन धर्म को सर्वश्रेष्ठ धर्म और मानवतावादी चिंतन का आधार मानते हैं —

“अपने को नीके लगे, औरत के जो कर्म,
सोच शुभाशुभ सो करो, यही सनातन धर्म।”⁹

मानवतावादी कवि शंकर एक ओर नैतिक पथ पर चलकर मानवमूल्यों के संरक्षण और विकास की बात करते हैं, तो दूसरी ओर समाज की विषमताओं और अनैतिकताओं के परिणाम को रेखांकित करते हुए उसे बचने का उद्घोष करते हैं। मै भी भाव जीवन की गति और दिशा में अनुकूलन कर सफलता सुनिश्चित करता है, किंतु यदि कपटी मनवाले व्यक्ति से मित्रता हो जाए, तो शांति और सफलता संदिग्ध हो जाती है, संकट मंडराने लगता है। कवि शंकर का कहना है कि ऐसी मैत्री उचित नहीं है, क्योंकि उसे बदल पाना असंभव होता है और स्वयं को संकट में डालना पड़ता है।

“रहें एक ही ठौर पर कपटी करें न मेल,
जैसे भाजन में भरे मिले न पानी तेल।”¹⁰

नैतिक पथ पर चलकर कवि जीवन को संतुलित रखने का संकेत करता है। उसका कहना है विषम प्रवृत्ति का मनुष्य अपना स्वभाव तो बदलता ही नहीं वरन् उसके दुस्प्रभाव से बचना

“ऊंचन की मिल नीच सों होत प्रतिशठा भंग,
गंगा चल खारा भयो पाय सिंधु को संग।”

स्वतंत्रता आंदोलन का प्रहरी कवि शंकर देशवासियों में मानवमूल्य विकसित कर स्वाभिमान जगाना चाहता है। उनका विश्वास है कि जब भारतवासियों में नैतिक विकास के साथ मानव मूल्यों का प्रभावी रूप सामने आएगा, तो मन में उत्साह और शक्ति का संचार होगा, सफलता को वरण करने का सुअवसर अवश्य मिलेगा। कवि को विश्वास कि नैतिक पथ सफलता की ओर ले जाता है—

“यों ही उपदेश फटकारो उपदेशक जी,
देश पै स्वदेशी का सुरंग चढ़ जाएगा।
आदर मिलेगा महापुण्य के पहाड़ पर,
आपकी उदारता का झंडा गढ़ जाएगा।
उद्यम की नाक में नकेल पड़ जाएगी तो,
उन्नति की ऊँची—ऊँटनी पै चढ़ जाएगा।
पाय करनी का फल जेल में गये तो भट्ट,
तोल घट जाएगी वै मोल बढ़ जाएगा।”¹¹

भारतीय संस्कृति और आदर्श के उपासक, मानव मूल्यों के उपासक कवि शंकर भारतीय परिवेश में दृढ़ता, एकता, गतिशीलता के लिए मानवमूल्य विकसित करने की प्रेरणा देते हैं —

“सामाजिक बल से स्वतंत्रता करेंगे सिद्ध,
दोश परतंत्रता के माथे मढ़ जाएंगे।
भारतीय भव्य भावना का बल पाय सब,
गौरव के गिरि पै समोद चढ़ जाएंगे।”¹²

पं. नाथूराम शर्मा ‘शंकर’ आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद के समर्पित शिष्य थे। उन्होंने आर्य समाज के सुधार आंदोलन से समाज में मानवता का आदर्श भाव जगाने का सबल प्रयास किया है।

बालकृष्ण शर्मा ‘नवीन’ ने ‘शंकर’ द्वारा आर्य समाज के सुधार आंदोलन से विकसित मानव मूल्य के विषय में अपना विचार इस प्रकार व्यक्त किया है—

“शंकर जी ने उस वक्त लिखना शुरु किया जबकि हम में से बहुतेरे साहित्य —सेवी ककहरे का अभ्यास कर रहे थे। उस समय में एक नव विधान की प्रणोदना देश की आत्मा को अनुप्राणित कर रही थी। महर्षि स्वामी दयानंद की सागर गंभीर वाणी ने कौम के एक बड़े तबके को विचलित और आंदोलित कर दिया था।

सामाजिक मन एक नवीन भावना से कंपित हो रहा था। देश के उस नैत्रोन्मीलन के युग ने, प्रभात की पेली में, प्रथम—रश्मि—सनात

चारों ओर मानव मूल्य का परिवेश बना सकूँ—

“जो जगदीश बना दे मुझको अनथक थानेदार,
तो छल छोड़ धर्म—सागर में गहरी चूबक मार—
अकड़ के अंग निखारुंगाए किसी से कभी न हारुंगा।”¹⁴

आचार्य हजारी प्रसाद दिववेदी ने महाकवि शंकर के काव्य के मूल्य संवर्धन से सामाजिक उन्नयन के संदर्भ को रेखांकित करते हुए कहा है —

“शंकर जी युग—धर्म और समाज—धर्म की हित साधना से अनुप्रेरित होकर जरा—जर्जरित और अवांछनीय तत्त्वों की उन्होंने कठोर भर्त्सना और प्रखर प्रताड़ना की थी। युगबोध को उन्होंने सर्वांश में अंतरंग किया था। अपने युग और समाज को अपने काव्य की पृष्ठभूमि बनाया था। इस प्रकार अपनी काव्य रचनाओं द्वारा उन्होंने एक ऐसे प्रगति द्वार का उद्घाटन किया, जिसमें से गुजरकर जन सामान्य का जुलूस साहित्य—भवन में प्रवेश कर गया। कविता की इस महान परंपरा के प्रवर्तन के साथ उनका नाम सदा जुड़ा रहेगा”¹⁵

निष्कर्ष : प्रस्तुत विवेचन से स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि महान सुधारक सहृदय कवि शंकर के काव्य में नैतिक चिंतन के आधार पर मानव मूल्यों के चित्रांकन का अनुप्रेरक प्रयास किया गया है। उन्होंने वैयक्तिक उत्कर्ष और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की सफलता में मानव मूल्यों को परम आधार रूप में स्वीकार किया है। यह सुस्पष्ट है कि मानवमूल्य के आदर्श आधार से व्यक्तिगत, सामाजिक और राष्ट्रीय उत्कर्ष ही नहीं वैश्विक प्रगति का राजमार्ग प्रशस्त होगा ।

संदर्भ

1. हिंदी साहित्य कोश, भाग—1, पृ. 457
2. संपा. डॉ. हरिशंकर शर्मा, शंकर सर्वस्व, पृ. 174
3. —वही—, पृ. 411
4. संपा. डॉ. हरिशंकर शर्मा, शंकर सर्वस्व, पृ. 402
5. —वही—, पृ. 412
6. —वही—, पृ. 403
7. संपा. डॉ. हरिशंकर शर्मा, शंकर सर्वस्व, पृ. 408
8. —वही—, पृ. 406
9. —वही—, पृ. 406
10. संपा. डॉ. हरिशंकर शर्मा, शंकर सर्वस्व, पृ. 402
11. संपा. डॉ. हरिशंकर शर्मा, शंकर सर्वस्व, पृ. 227
12. वही, पृ. 344
13. संपा. देशराज सिंह, महाकवि शंकर स्मृति ग्रंथ (बालकृष्ण शर्मा नवीन), पृ. 12

स्नेह मिश्रा

असिस्टेंट प्रोफेसर, हिंदी विभाग
वैश्व महाविद्यालय, रोहतक

जनसंख्या में वृद्धि होती रही तो मनुष्य के लिए कृषि योग्य भूमि नाम मात्रा की ही रह जोयगी उसे अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा जैसे— खाद्यान्न पदार्थों में महगाई बढ़ेगी, जलस्तर नीचे गिरेगा। जनसंख्या वृद्धि के कारण प्राकृतिक वनस्पति का ह्रास हुआ है परिणाम स्वरूप तापमान, वर्षा, आर्द्रता में अन्तर उत्पन्न हो गया है।

जनसंख्या वृद्धि के फलस्वरूप कृषक भूमिखण्ड पर अधिक फसलें उगाता है जिससे उसकी उर्वरक शक्ति क्षीण हो गयी है और वह अच्छी फसल उत्पन्न नहीं हो सकेंगी। जनसंख्या में वृद्धि होगी तो उसके रहन-सहन के लिए आवास की आवश्यकता में वृद्धि हुई, जिसके लिए वह कृषि योग्य भूमि का प्रयोग कर रहा है। जिसके कारण कृषि योग्य भूमि निरन्तर कम होती चली जा रही है अन्ततः कृषि योग्य भूमि शून्य हो जायेंगी। जनसंख्या वृद्धि के कारण कृषि क्षेत्र का अस्तित्व खतरे में नजर आ रहा है। कृषि क्षेत्र को इस खतरे से बचाना है कि जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपाय करने चाहिए जिससे जनसंख्या वृद्धि का कृषि क्षेत्र पर दुष्प्रभाव न पड़े।

भारत सदृश कृषि प्रधान देश में, जो जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है तथा जहाँ की कार्यशील जनसंख्या का लगभग 60 प्रतिशत भाग कृषि सम्बन्धी क्रिया-कलापों से अपना जीवोपार्जन करता है, कृषि एवं जनसंख्या भूगोल का अध्ययन ओर भी अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि कृषि प्रधान क्षेत्रों में जनसंख्या एवं कृषि संसाधनों में घनिष्ठ अन्तर्सम्बन्ध होता है। अधिकांश जनसंख्या के कृषि कार्य में संलग्न रहने से उस क्षेत्र में उपलब्ध कृषि-संसाधनों पर जनसंख्या का दबाव निरन्तर बढ़ता है। जो भविष्य की एक भयावह समस्या का सूचक होता है। अस्तु इस समस्या के समाधान के लिए क्षेत्रीय स्तर पर जनसंख्या एवं कृषि संसाधनों के अनुपात का गवेषणात्मक एवम् समालोचनात्मक भौगोलिक विश्लेषण अपेक्षित होता है ताकि क्षेत्र विशेष के कृषि संसाधनों पर जनसंख्या के वास्तविक दबाव, कृषि संसाधनों की भार वहनीयता का मूल्यांकन करके उन पर जनसंख्या का दबाव कम करने के लिए उचित सुझाव प्रस्तुत किये जा सकें।

जनपद रामपुर का क्षेत्र शुष्क पंजाब मैदान तथा आर्द्र मध्य गंगा मैदान के मध्य स्थित उपार्द्र ऊपरी गंगा मैदान, जिसमें वृहद गंगा मैदान की मानसूनी जलवायु तथा दो संक्रमण जलवायु प्रदेशों की विशेषताएँ पायी जाती हैं, के अन्तर्गत सम्मिलित है। स्पष्टतः क्षेत्र की जलवायु मानसूनी जिसकी मुख्य विशेषताएँ उष्ण तथा गर्म लू वाला ग्रीष्म काल, सामान्य ठण्ड युक्त शीतकाल वर्षा की सामान्य मात्रा युक्त वर्षा आदि है। उत्तर में स्थित हिमालय पर्वत,

समस्त भौतिक तत्वों में जलवायु सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। भौतिक एवं सांस्कृतिक भूदृश्यों की विविधता का बहुत कुछ कारण जलवायविक तत्व ही है। वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास के बावजूद जलवायविक आपदाओं के समक्ष मानव को घुटने टेकने के लिए बाध्य होना पड़ता है। इसलिए मानवीय क्रिया कलापों के नियन्त्रकों में जलवायु सर्वप्रथम है। अक्षांशीय स्थिति, समुद्र तट से दूरी, समुद्र तल से ऊँचाई और उच्चावचीय स्वरूप आदि जलवायु नियन्त्रक तत्व हैं। ऊपरी गांगेय मैदान के उत्तरी भाग में स्थित रामपुर जनपद की समुद्र तल से औसत ऊँचाई 190 मीटर और समुद्र तट से दूरी 1200 कि०मी० से अधिक है। सम्पूर्ण जनपद उच्चावच रहित समतल मैदान है और उत्तरी भाग तराई क्षेत्र के समीप है। उष्ण एवं शुष्क ग्रीष्म ऋतु तथा स्फूर्तिदायक शीत ऋतु जनपद की जलवायु की विशेषता है। हवाओं की दिशा में ऋत्तिक उत्क्रमण यहाँ की जलवायु की अन्य विशेषता है। वर्ष के एक भाग में (मई से सितम्बर तक) हवा पूरब से पश्चिम को, जबकि दूसरे भाग में (अक्टूबर से अप्रैल तक) पश्चिम से पूरब को बहती है। पूर्वी हवाओं की उत्पत्ति सामुहिक हवाओं से होती है और यह स्तर मानसून या ग्रीष्मकालीन मानसून कहलाती है, जबकि पछुआ हवायें महाद्विपीय या स्थलीय भाग से आने के कारण शुष्क मानसून या शिशिर मानसून कहलाती है। जो क्रमशः खरीफ और रवि फसलों से सम्बन्धित है। संक्षेप में यहाँ की जलवायु मृदु मानसूनी है। जनपद रामपुर में होने वाली वार्षिक वर्षा का औसत 85 सेन्टी मीटर के आस-पास रहता है जिसमें सामयिक तथा स्थानीय दृष्टि कोण से परिवर्तन होता रहता है। जहाँ एक ओर विभिन्न वर्षा में वार्षिक वर्षा का औसत भिन्न-भिन्न रहता है वही दूसरी ओर वर्ष पर्यन्त प्राप्त वर्षा की मात्रा भी असमान रहती है क्योंकि वर्ष की कुल वर्षा का लगभग 85 प्रतिशत भाग जून से नवम्बर तक की अवधि में प्राप्त होता है। केवल जुलाई तथा अगस्त माह में वर्ष की 60 से 65 प्रतिशत तक वर्षा हो जाती है। इसके विपरीत अप्रैल तथा मई के महीनों में वर्ष भर की मात्रा 2 से 3 प्रतिशत तक वर्षा ही होती है। वर्षा के स्थानीय वितरण को देखने से स्पष्ट है कि रामपुर स्थान की वर्षा को अपवाद स्वरूप छोड़कर पश्चिम से पूरब को चलने पर वर्षा की मात्रा अधिक होती जाती है। जनपद की स्वार तथा बिलासपुर तहसीलों में वार्षिक वर्षा का औसत क्रमशः 84.5 तथा 108 सेन्टीमीटर रहता है। जबकि रामपुर सदर, जो जनपद की मुख्य तहसील है में वार्षिक वर्षा का औसत मात्रा 80 सेमी रहता है। शाहबाद तहसील की वार्षिक वर्षा का औसत 79 सेमी है तथा मिनक जो जनपद के पूर्वी भाग में विस्तृत है, तहसील में वार्षिक वर्षा का मात्रा 79.5

तत्वों में जलवायु सर्वाधिक प्रभावीक करती है। क्षेत्र विशेष की जलवायु वहाँ की आर्थिक क्रियाओं का निर्धारण करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

जनपद रामपुर के क्षेत्र की जलवायु की अनुकूलता में इसे न केवल कृषि प्रधान क्षेत्र का स्वरूप प्रदान किया है अपितु वर्ष पर्यन्त विभिन्न ऋतुओं में उगाई जाने वाली फसलों के प्रारूप फसल चक्र तथा कृषि पद्धति को भी निर्धारित किया है। जहाँ तक मानव की प्राथमिक क्रियाओं पर जलवायु के विभिन्न तत्वों के सापेक्षिक महत्व का सम्बन्ध है, तापमान किसी क्षेत्र के कृषि व्यवसाय पर अपेक्षाकृत कम बाधा डालता है। अर्थव्यवस्था की असमानता आर्द्रता और वर्षा और इसके असमान क्षेत्रीय और सामयिक वितरण से उत्पन्न होती है। यद्यपि क्षेत्र की वर्षा की औसत वार्षिक मात्रा कृषि व्यवसाय के अनुकूल है परन्तु इसका असमान सामयिक एवं स्थानीय वितरण कृषि को पूर्ण रूप से लाभान्वित करने में न केवल असमर्थ रहता है अपितु हानिकारक भी सिद्ध होता है। कुल वार्षिक वर्षा का लगभग 85 प्रतिशत भाग वर्षा ऋतु में प्राप्त होता है जिसका 60 प्रतिशत से भी अधिक भाग अतिरिक्त जल के रूप में नदियों में बहकर व्यर्थ चला जाता है। यही नहीं कभी-कभी इस ऋतु में वर्षा की अधिकता बाढ़ का रूप धारण कर खरीफ की फसल को चौपट करके कुछ क्षेत्रों में मिट्टी अपरदन की विभीषिका भी उत्पन्न करती है। जबकि कभी-कभी इस ऋतु में वर्षा के लम्बे अन्तराल के कारण क्षेत्र को भयंकर सूखा का सामना करना पड़ता है। कभी वर्षा देर से शुरू होने के कारण बहुत-सा कृषि क्षेत्र बिना बोया भी रह जाता है। रबी की फसल को कुल वार्षिक वर्षा का केवल 10 प्रतिशत भाग ही प्राप्त होता है यह भी कभी-कभी ओलो की बौछार के साथ होती है जो क्षेत्र में खड़ी सम्पूर्ण रबी फसल को नष्ट कर देती है। कभी-कभी तो आक्समिक वर्षा खलिहानों में रखे हुए खाद्यान्नों को अंकुरित करके नष्ट कर देती है। इस प्रकार वर्षा के असमान, सामयिक एवं स्थानिक वितरण ने फसल उत्पादन को अनिश्चित सा कर दिया है और “भारतीय बजट मानसून का जुआ है” की कहावत इस क्षेत्र में पूर्णतया: चरितार्थ होती है।

भौगोलिक दृष्टि से जनपद रामपुर सिन्धु गंगा के मैदान का एक अंग है। इसकी भूगर्भिक संरचना में विभिन्न स्तर की बालू, सिल्ट, चीका मिट्टी और कंकड़ों की प्रधानता है। रामपुर जनपद ही नहीं गंगा का समस्त उत्तरी मदान खनिजों की दृष्टि से महत्वहीन है। इस क्षेत्र में न तो धात्विक खनिज मिलते हैं और न ही शक्ति खनिज संसाधन पाए जाते हैं। खनिजों के रूप में रह, कंकड़ और चीका मिट्टी ही जनपद रामपुर में उपलब्ध है। जनपद

चीका मिट्टी का प्रयोग ईंट, मिट्टी के खिलौनें, गमले और बर्तन बनाने में किया जाता है। किन्तु चीका मिट्टी रामपुर नगर के समीप इसकी विशेषकर बहुलता है।

“मृदा-मिट्टी, एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है क्योंकि यह मनुष्य के लिए वांछित सभी प्रकार का आधार प्रदान करती है। साथ ही साथ यह किसी न किसी रूप में सभी प्रकार के स्थलीय एवं जलीय पौधों का वनस्पतियों के जीवन के लिए आधार प्रस्तुत करती है।” जनपद रामपुर की मिट्टियाँ सामान्यतः महीन कणों वाली एवं उपजाऊ है। पतनगर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा इस क्षेत्र की मिट्टियों का वैज्ञानिक अध्ययन किया गया है। पस्तु अभी तक उनका रासायनिक एवं भौतिक परीक्षण अपूर्ण है। इस क्षेत्र की मिट्टियों का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसाद के निक्षेपण से हुआ है। मिट्टियों की परतों की गहराई 12से 35से0मी0 तक है। जनपद की प्रमुख नदियों, रामगंगा, कोसी, पीलाखार, सैजनी और गागन द्वारा यहाँ विस्तृत क्षेत्रों पर जलोढ़ मिट्टी का निक्षेप किया गया है। जनपद का घरातल लगभग समतल है तथा मिट्टियों में संरचना की दृष्टि से समानता मिलती है।

जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने में प्राकृतिक कारकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। सामान्यतः सघन जनसंख्या उन्हीं क्षेत्रों में निवास करती है जहाँ समतल घरातल, सम जलवायु उपजाऊ मिट्टी, प्रचुर मात्रा ने खनिज तथा जल प्राप्ति आदि की सुविधायें होती हैं। घरातीय स्वरूप का जनसंख्या के वितरण पर प्रभाव मानव के उद्भव के समय से ही परिलक्षित होता आ रहा है। विषम उच्चावच वाले प्रदेश में अत्यन्त कृषि योग्य भूमि, सीमित कृषि क्षेत्र में रख रखाव में आने वाली कठिनाइयाँ, खचीले कृषि सम्बन्धी क्रिया-कलाप, परिवहन की असुविधा आदि कारणों के परिणाम स्वरूप मानव बसाव अत्यन्त कम होता है। इसके विपरीत समतल उच्चावचन वाले क्षेत्रों में विस्तृत भूमि तथा परिहवन के साधनों की सुलभता आदि के परिणाम स्वरूप अधिक जन सकेन्द्रण होता है।

जलवायु सम्बन्धी तथ्य तो संक्रेन्द्रण की प्रक्रिया को सर्वाधिक प्रभावित करते हैं। मानव पर प्रभाव डालने वाले तत्वों में जलवायु सबसे महत्वपूर्ण घटक है। इसका प्रथम स्थान इसीलिए नहीं कि यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण है बल्कि इसीलिए है कि यह सबसे अधिक मौलिक है। सभ्यता के प्रारम्भ और उद्भव में जहाँ तक आर्थिक विकास का सम्बन्ध रहता है, जलवायु एक बड़ी शक्तिशाली

कार्य की सुविधा, परिवहन साधनों का विस्तार आदि कारकों के परिणाम स्वरूप जन्मदर में वृद्धि तथा मृत्यु दर में कमी के कारण जनसंख्या में परिवर्तन हुआ। जनपद में जनसंख्या का विवरण समान नहीं है कृषि की दृष्टि से कम उपजाऊ भूखण्डों तथा बाढ़ की आशंका वाले खादर क्षेत्रों में जनसंख्या का संकेन्द्रण कम है। परन्तु उपजाऊ और समतल मैदानी भागों में जनसंख्या का संकेन्द्रण अधिक पाया जाता है। जनपद की 50 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या मध्यवर्ती समतल क्षेत्रों में निवास करती है। इस भाग में कृषित व सिंचित क्षेत्र की अधिकता तथा नगरीकरण एवं औद्योगीकरण आदि तत्वों का जनसंख्या संकेन्द्रण पर विशेष प्रभाव पड़ा है। उत्तरी तराई क्षेत्रों में वनों की प्रचुरता, दलदली भूमि तथा अस्वास्थ्यकर जलवायु दशाओं के कारण जनसंख्या का सामान्य संकेन्द्रण परिलक्षित होता है। खेतों का छोटे-छोटे खण्डों के रूप में विभिन्न दिशाओं एवं कई स्थानों पर स्थित होना कृषि-विन्यास का एक प्रमुख लक्षण है। सम्भवतया ग्राम्य बसाव की प्राथमिक अवस्था में सभी कृषकों द्वारा अधिवास के पास स्थित विभिन्न प्रकार के स्वभाव वाली कृषि भूमि को प्राप्त करने की भावना ने ही खेतों के बिखरे हुए स्वरूप को जन्म दिया होगा और कालान्तर में जनसंख्या वृद्धि तथा विभाजित उत्तराधिकार के परिणाम स्वरूप खेतों के विभाग एवं उपविभाग होते चले गये परन्तु विगत कुछ समय से खेतों के विखराव एवं उपखण्डन को भारतीय कृषि के विकास का एक प्रबल बाधक माना गया है। यह एक कटू सत्य है कि कृषक की जोत का छोटे-छोटे रूपों में बिखरा होना उसके धन, समय एवं कार्य शक्ति को नष्ट करता है। खेतों के विखराव के कारण प्रत्येक खेत के लिए मार्ग के अभाव में कृषि कार्य का सफलता पूर्वक न होना, खेतों पर स्थायी सुधार में बाधा, देखभाल करने में असुविधा आदि उनके कठिनाइयों का सामना कृषकों को करना पड़ता है। खेतों के छोटे आकार के लिए जनपद की बढ़ती हुई जनसंख्या, विभाजित उत्तराधिकार का नियम, कृषकों की निर्धनता एवं ऋण ग्रस्तता के कारण अपनी कृषि भूमि का कुछ भाग बेचने की प्रवृत्ति आदि अनेक कारण उत्तरदायी है। जिनके परिणाम स्वरूप कृषि जोतों के उपविभाजन एवं उपखण्डन के कारण खेतों का आकार निरन्तर छोटा होता जा रहा है। जिससे निम्नलिखित समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं।

1. छोटे खेतों के कारण कृषि अपेक्षाकृत कम लाभकारी व्यवसाय बन गया है क्योंकि उन पर किसी प्रकार का स्थायी सुधार करना, उन्नत कृषि यन्त्रों एवं कृषि पद्धति का प्रयोग करना सर्वथा असम्भव हो जाता है।

चुकाने के कारण उन्हें अपने खेत का सम्पूर्ण या आंशिक भाग बेचना पड़ जाता है।

3. छोटे-छोटे खेतों के कारण किसानों के कृषि उत्पादन व्यय में वृद्धि हो जाती है। क्योंकि छोटे-छोटे खेतों पर, जो गाँव के भिन्न-भिन्न भागों में स्थित होते हैं, कृषक का बहुत सा समय धन एवं श्रम व्यर्थ में नष्ट हो जाता है। इससे कृषि उपज की प्रति इकाई स्थिर एवं अस्थिर लागतें बढ़ जाती हैं।

4. छोटे-छोटे खेतों के होने से बहुत सी भूमि मेड़ों एवं चकरोड़ों के रूप में पर्याप्त कृषि कार्य के लिए अनुपयुक्त हो जाती है। अनुमान है कि छोटे-छोटे के होने से 10 से 15 प्रतिशत तक कृषि भूमि रास्तों एवं खेतों के चारों ओर मेड़ें बनाने में प्रयुक्त हो जाती है।

5. छोटे-छोटे आकार के खेतों पर कृषि की वैज्ञानिक पद्धति (मशीनों, ट्रैक्टरों, उन्नत कोटि के बीज एवं उर्वरकों के प्रयोग) से कृषि सम्भव नहीं हो पाती। दूर-दूर बिखरे होने के कारण कृषक खेतों पर अपने सीमित साधनों को अलग-अलग प्रयुक्त नहीं कर पाता जिससे उन पर संघन खेती की सम्भावनायें अत्यन्त कम हो जाती हैं।

6. खेतों के छोटे होने के कारण ही कृषकों ने मेड़ एवं रास्तों को लेकर प्रतिदिन आपसी मन-मुटाव एवं झगड़े होते रहते हैं और फौजदारी तथा ठियाबन्दी आदि के मुकदमों चलते रहते हैं— जिसमें कृषकों का समय, श्रम और धन व्यर्थ में नष्ट होता है। एक अनुमान के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में चलने वाले मुकदमों में 20 प्रतिशत से भी अधिक मुकदमों के मूल में खेतों की मेड़ एवं रास्तों को लेकर उत्पन्न हुआ पारस्परिक विवाद होता है।

कृषि संसाधनों पर जनसंख्या का दबाव कम करने के लिये यह आवश्यक है कि जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगायी जाये। इसके साथ ही कृषि संसाधनों का विकास करने के साथ-साथ जनपद रामपुर में विभिन्न प्रकार के उद्योगों का विकास किया जाये जिसमें कृषि एवं उद्योगों के विकास में सन्तुलन बना रहे। यद्यपि कृषि एवं उद्योगों दोनों की ही अपनी-अपनी सीमायें निश्चित हैं परन्तु फिर भी एक के बिना दूसरे का विकास प्रायः अधूरा रहता है, कृषि व्यवसाय को अपनाने में कृषकों को अनेक समस्याओं व बाधाओं का सामना करना पड़ता है परन्तु अन्य व्यवसायों के अभाव में अथवा दूसरे शब्दों में कृष्येतर उद्योगों की अनुपस्थिति में कृषकों के पूरे परिवार के सदस्यों को कृषि कार्यों में ही संलग्न रहना पड़ता है जिसके परिणाम स्वरूप कृषि संसाधनों पर जनसंख्या का दबाव निरन्तर बढ़ता जाता है। इस समस्या से मुक्ति पाने के लिये यह आवश्यक है कि जनपद में वृहद औद्योगिक इकाइयों की प्रति

महत्वपूर्ण कारकों का हाथ होता है। प्रथम्, किसी उद्योग विशेष के लिए या तो उस क्षेत्र में आवश्यक कच्चे माल की आपूर्ति होती है अथवा द्वितीय, उस उद्योग में निर्मित माल की खपत उस क्षेत्र में हो सके। अतः जनपद रामपुर में कच्चे माल की आपूर्ति तथा निर्मित माल की खपत, दोनों को ही दृष्टिगत रखते हुये विभिन्न प्रकार के उद्योगों की स्थापना एवं उनके विकास की सम्भावनाओं पर विचार करना अपेक्षित होगा।

निष्कर्ष : भारत जैसे विकासशील देश के लिए जनसंख्या वृद्धि सबसे बड़ी चुनौती है। आज हमारी अन्य सब समस्यायें इस समस्या के इर्द-गिर्द घूम रहीं हैं देश में व्याप्त गरीबी भुखमरी खाद्य पदार्थों की निरन्तर कमी, बेरोजगारी बढ़ते मूल्य और आर्थिक विकास की निम्नतर जनसंख्या वृद्धि के परिणाम हैं। दीर्घकालीन नियोजित विकास के वावजूद समृद्धि के प्रयासों में निरन्तर असफलता का कारण हमारी बढ़ती जनसंख्या ही है किसी भी योजना में निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति नहीं हो पाती क्योंकि बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती आवश्यकताओं और पूंजी निर्माण की कमी के कारण अभावों की स्थिति बनी रहती है। साधनों की सीमितता तथा जनसंख्या वृद्धि की तीव्रगति से उत्पन्न समस्याओं को देखते हुए जनसंख्या नियंत्रण हमारा सर्वोपरि लक्ष्य बना हुआ है। जब तक हम बढ़ती हुई जनसंख्या की दरों में पर्याप्त कटौती नहीं कर लेते इस समय तक आर्थिक विकास में सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। वर्तमान परिवेश में राष्ट्र के लिये आवश्यक है कि नियंत्रित जनसंख्या द्वारा अर्थिक विकास की ओर कदम उठाये जाये।

BIBLIOGRAPHY

- ☆ Agrawala, A.N. : Indian Agriculture, 2000
- ☆ Agrawala, S.N. : India's Population Problems (Delhi), 1995
- ☆ Aperyon Vladimir : Population, Economics & Politics (Moscow) 1987.
- ☆ Alam, M. : Survey of Research in Geography, 1995
- ☆ Ayyar, N.P. & Dube,
- ☆ R.S.
- ☆ : Some Aspects of Rural Population of M.P. (Geographical
- ☆ Out look, Vol. V, 1986
- ☆ Banerjee, B. : Essays on Agricultural Geography, 1975
- ☆ Bunting, T. Bria : The Geography of soils, 1989
- ☆ Burrad S.G. : Geological Survey of India.
- ☆ Burgmount : Agrarian Reform in India, 1995.
- ☆ Beaujeu Garniar, J. : Population Geography.
- ☆ Clarke, C. : The condition of Economic Progress (London) 1995.

- ☆ Land (Agra) 1996.
- ☆ Chandra, R.C. : A Geography of Population (Delhi), 1992.
- ☆ Day, A.K. : Geology of India (Delhi).
- ☆ Eater, Boserup : Population & Agriculture Productivity.
- ☆ Gersimove, I.P. : Theoretical and Practical Significance of the new General
- ☆ Soil Map of The Soviet Union.
- ☆ Gersimove, I.P. : Gangetic Types of soil on the Tertiary of India.
- ☆ xks;y] ,lñdsñ % eqjknkckn tuin esa vf/kokl rU= % ,d HkkSxksfyd fo'ys"k.k& 2002
- ☆ Huntington, E. : Civilization and Climate.
- ☆ Hussain, H. : Crop Combination in India.
- ☆ Hussain, M. : Land Utilization in Upper Ganga-Yamuna Doab.
- ☆ Joshi. Y.G. : Narmada Basin Ka Krishi Bhogol (Bhopal)
- ☆ Krishnan, M.S. : Introduction to the Geology of India (Madras).
- ☆ Kaushic, S.D. : Types of Human Settlements in Jaunsar Himalaya,
- ☆ Geographical Review of India, Vol XXI, No. 2.
- ☆ Kendel, M.G. : The Geographical Distribution of Crop Productivity in England.

राजेन्द्र कुमार सिंह

के०जी०के० स्ना०महाविद्यालय
मुरादाबाद



सारांश— लोक विरासत को समझने से पूर्व हमें 'लोक' शब्द का अर्थ समझ लेना होगा। लोक शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के लोक-दर्शने धातु में धन प्रत्यय लगाने से हुई है। धातु का अर्थ है देखना। लट् लकार अन्य पुरुष एक बचन में 'लोकते रूप' बनता है जिसका अर्थ है देखने वाला अतः समस्त दर्शक जन समुदाय लोक है। आर्यों के समय यह शब्द

वेदेतर अथवा शास्त्रेतर के लिए होने लगा था। अपने वर्ग-विशेष की स्वार्थ-रक्षा के लिए आगे चलकर वेद के तुल्य ही यह शब्द स्वतंत्र अस्तित्व रखने लगा। लोक से जुड़ी विभिन्न कलाओं को लोक कला कहा जाता है। इनका सामाजिक दायरे में ही जन्म होता है। अन्य कलाओं की तरहसमाज में यह कला भी फलती फूलती है।

परिकल्पना — प्रस्तुत शोध पत्र दो धारणाओं पर आधारित है

1. लोक संगीत की सामाजिक विचारधारा।
2. लोक संगीत पर लोक भाशा रहन सहन परम्परा आदि का प्रभाव।

उद्देश्य—

1. लोक संगीत की व्यापकता
2. कुमाऊँनी लोक संगीत के क्षेत्रपरक वर्गीकरण का महत्व।
3. कुमाऊँनी लोक जीवन का लोक संगीत से सम्बन्ध

प्रस्तावना— लोक संगीत "लोक" तथा "संगीत" इन दो शब्दों के संयोग से बना है। "लोक" का अर्थ है जन साधारण और संगीत गायन, वादन तथा नृत्य का मिश्रित रूप है अर्थात् जो संगीत जनसाधारण के द्वारा गाया जाये वह "लोक संगीत" कहलाता है लोक संगीत एक व्यापक परिवार है जिसकी शाखाएं सम्पूर्ण संसार में विभिन्न देशों की ग्रामीण जातियों की वाणी में व्याप्त है। शास्त्रीय संगीत और कलात्मक सौन्दर्य से अपरिचित होने पर भी ग्रामवासियों के सुख-दुख, संयोग-वियोग, पीड़ा, उल्लास के स्वर, संगीत की विभिन्न धुनों में मुखरित हो उठते हैं। जैसे — गाथा गीत, जागर गीत ऋतु गीत आदि।

मानव मन के आत्म एवं अनात्म भावों की लयात्मक अभिव्यक्ति ही गीत कहलाती है इसी गीत परम्परा की एक धारा जब अपनी देशज बोलियों में लोक वाणी को प्रवाहित करने लगी तो उसे लोकगीत के नाम से ज्ञापित किया गया। भारत एक अत्यंत ही

अलग-अलग राज्य अलग-अलग प्रांत है और उन राज्यों के उन प्रांतों अलग-अलग तीज और त्यौहार है। जो सदैव जनमानस को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। भारत के ही उत्तर में बसा उत्तराखण्ड जो अपनी लोकसंस्कृति के लिए प्रसिद्ध है यहाँ के लोकपर्व और लोकउत्सव अत्यंत रूचिकर है।

उत्तराखण्ड के कुमाऊँ के क्षेत्र की अपनी ही बोली और संस्कृति है। यहाँ के लोक गीतों का विस्तृत स्वरूप मुक्तकों के रूप में मिलता है। लोकगीतकार जिस समाज में श्वास लेता है उसकी परम्पराएं घटनाएं स्थिति परिवेश तथा परिवर्तन उसके मन मस्तिष्क, चिन्तन मनन पर प्रभाव डालते हैं और इसी से रचना प्रभावित होती है जैसे गोपाल दास गोस्वामी जी द्वारा रचित गीत में घुधुती से प्रियतम को संदेश देने के लिए कहा जाता है।

जैसे— घुधुति ना बासा

आमे की डाई मा घुधुति ना बासा

उडी जा ओ घुधुति न्हे जा लदाका

हाल म्यर बतेदिये म्यर स्वामी पासा

घुधुति ना बासा।

किन्तु आधुनिक युग में लोक गायक पक्षी न कहकर फोन की बात करेगा। जैसे — बबली तेरो मोबाइल वा रे तेरी स्टाइल समाज की अनुभूति ही लोक गीतों की अभिव्यक्ति होती है उसमें कल्पना का मिश्रण होता है किन्तु वह सदैव वायवी या आधारहीन नहीं होती। समाज के आधार पर ही गीतों का निर्माण होता है अर्थात् समाज ही लोक गीतों का आधार है समाज के उत्थान पतन का साक्षी भी लोक गीत है। इस प्रकार सामाजिक ऐतिहासिक आदि परम्परा सभी लोक गीतों को प्रभावित करते हैं। विभिन्न विद्वानों ने क्षेत्र विशेष के लोक गीतों के आधार पर गीतों का वर्गीकरण किया है। कुमाऊँनी लोक संगीत का आधार समाज है, यह जानने के लिए कुमाऊँनी लोक गीतों के वर्गीकरण को देखा जा सकता है

उत्तरी कुमाऊँ

छीरा गीत

तिमली गीत

दुरण गीत

दुस्का गीत

बाजू गीत

चित्रिका

गजल

पेमपरख गीत

मध्य कुमाऊँ

पाण्डव सम्बन्धित कथा

धार्मिक गीत

बैर

भगनौल

रमौल

मैतुरा देश

मासी का लुलू रद

डेल्टा

उत्तर मध्य कुमाऊँ दक्षिणी कुमाऊँ

चाँचरी

भणों

हुडकिया बोल

मालुसाही

बारह मासा

न्योली

चाफु नी

रसौता

गोरखनाथ की जागर

जोहार बीरा गाथा

होली

फाग

चाँचरी

रमौल

चाफु नी

लीला

मिलता है लोक गीतों में हम उस देशकाल समय एवं परम्परा का प्रभाव देखते हैं गीतों में लोकका प्रयोग लोक जीवन यानि समाज के लिए हुआ है। 'लोक संग्रह' और लोकोत्कथ्य द्वारा क्रमशः त्रिलोक "जन साधारण अथवा जन समुह का बोध कराया है अशोक के शिलालेख में भी सर्वसामान्य प्रजा वर्ग के लिए ही प्रयोग हुआ है।

डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत है कि लोक शब्द का अर्थ जनपद या ग्राम नहीं है बल्कि नगरो और गांवों में फैली हुई समूची जनता है जिसके व्यवहारिक ज्ञान का आधार पोथिया नहीं है लोक कलाएं हैं।

डॉ० वासुदेव सरण अग्रवाल ने इस समुचे जनता के स्वरूप का परिचय देते हुए स्पष्ट किया है कि लोक कला हमारे जीवन का महा समुद्र है, उसमें भूत भविष्य और वर्तमान सभी कुछ संचित रहा है।

लोक जनसाधारण जन समाज है जिसमें भू भाग पर फैले हुए समुचित मानव सम्मिलित हैं यह शब्द वर्ग भेद रहित व्यापक एवं प्राचीन परम्पराओं की श्रेष्ठ राशि सहित अर्वाचीन सभ्यता संस्कृति के कल्याण में विवेचन का द्योतक है भारतीय समाज में नागरिक एवं ग्रामीण दो भिन्न संस्कृतियों का प्रायः उल्लेख किया गया है किन्तु 'लोक' दोनों संस्कृतियों में विद्यमान है और वही समाज का सर्वाधिक गतिशील अंग है। लोक संगीत समाज का वह अंग है जो अभिजात्य संस्कार शास्त्रीयता और पांडित्य की चेतना अथवा अहंकार से शून्य है और एक परम्परा के प्रवाह में जीवित रहता है। ऐसे लोक्य अभिव्यक्ति में जो तत्व मिलते हैं वे लोक संगीत कहलाते हैं।

सम्पूर्ण संसार के लोकगीतों की आत्मा सामने है मूल तत्वों के सामने होने के कारण ही विभिन्न देशों, प्रान्तों के लोक गीत सहज में ही लोक हृदय को छू लेते हैं तथा मानव शब्दों की भाषा से अपरिचित होने पर भी संगीत के माध्यम से मूल अर्थ और भाव को समझने की चेष्टा करता है। जीवन का कोई ऐसा अंग नहीं है जिस पर लोक गायक की दृष्टि न गई हो। डॉ० कृष्णदेव उपाध्याय ने लोक साहित्य के महत्व को ऐतिहासिक, भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक तथा कलात्मक इन छः भागों में विभक्त किया है।

निष्कर्ष : लोक गीतों में तत्कालीन घटित सामाजिक परिवर्तित परिस्थितियों प्रेरणा रूप में विद्यमान रहती है इन्ही परिस्थितियों के प्रभाव स्वरूप मानव के अन्तर्गमन में विविध भावनाएं अभिव्यक्त होकर लोक गीतों का रूप लेती है इस प्रकार स्पष्ट है कि लोक गीत समाज व सामाजिक परिस्थिति रीति रिवाज एवं

हैजो आज हम सबको मालूम नहीं हैं। आज समाज में ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो समाज में व्याप्त संवादहीनता और बिखराव को रोक सकें। समाज और परिवार का लगभग प्रत्येक सदस्य इस बिखराव से त्रस्त हो चुका है और मुक्ति भी चाहने लगा है। हमारी लोक संस्कृति में समाहित लोकगीत और लोकनृत्य में आम लोगों की सक्रिय भागीदारी द्वारा प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से संवाद की स्थिति के बनते ही हम सभी भावना के धरातल पर स्वतः ही जुड़ने लगते हैं, क्योंकि संगीत का सम्बन्ध संस्कृति से है और संस्कृति देश का दर्पण है। यही वह भाव है जो हमें न केवल परस्पर बाँधे रखेगा बल्कि इससे हमारी सक्रिय भागीदारी भी सुनिश्चित हो पावेगी।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. तिवारी, डॉ० ज्योति, कुमाऊँनी लोक संगीत तथा संगीत शास्त्रीय परिवेश, कनिष्का पब्लिशर्स, नई दिल्ली।
2. पाण्डे, बद्रीदत्त, कुमाऊँ का इतिहास ।
3. फातमा, डॉ० निसाद, घौसी लोक गीत समाज, संस्कृति और साहित्य ।
4. श्रीवास्तव, डॉ० वाणी, बुन्देलखण्डी गीतों में सांगीतिक तत्व ।
5. श्रीवास्तव, डॉ० वाणी, लोक स्वरूपगत विश्लेषण ।
6. मिश्र, डॉ० लाल मणि, लोक गीतों का क्रमिक विकास—संगीत निबन्ध संग्रह
7. शुक्ल, डॉ० सुषमा, विखरता समाज और लोक संस्कृति ।

डॉ० गोविन्द सिंह बोरा

विभागाध्यक्ष संगीत

एम०बी० राजकीय स्नातकोत्तर

महाविद्यालय हल्द्वानी, नैनीताल,

सारांश :- मधु कांकरिया साहित्य जगत में एक सशक्त हस्ताक्षर हैं। उनकी लेखनी समाज की कुरीतियों पर प्रहार करती है। धर्म को लेकर उनकी दृष्टि तीक्ष्ण और पैनी है। वे न केवल धर्म की बारीकियों को समझती हैं वरन् विसंगतियों को शिद्दत से महसूस भी करती हैं। धर्म और उसके कठोर वातावरण और अमानवीय धर्माचरण को बड़ी चतुराई से उजागर करती हैं। अपनी रचना 'भरी दोपहरी के अंधेरे' और 'सेज पर संस्कृत' के अध्याय 'अन्वेषण' में उन्होंने न केवल धर्म के कठोर विधान और अमानवीय चरित्र को रेखांकित किया, वरन् उसकी अर्थहीनता और अनुपादेयता भी साबित की है। 'भरी दोपहरी के अंधेरे' के अध्याय 'अन्वेषण' में ईसाई धर्म के कठोर विधान और निरर्थक अनुशासन पर करारा प्रहार किया है और उसकी उपादेयता पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया है। मैथ्यू पादरी की वर्षों की अनुशासित जीवन और अप्राकृतिक जीवनचर्या को झटके में ही चकनाचूर कर दिया। गुंजन के प्रेम प्रस्ताजव ने उनकी पूरी तरह से बदल दिया।

मैथ्यू महानगर की एक नामी-गिरामी मिशनरी स्कूल में वाइस प्रिंसिपल थे। करीब 12 वर्ष से लगातार वे सुबह की 6:00 से 7:00 बजे तक की एकांत प्रार्थना हर दिन आस्था पूर्वक, अखंडित एवं एकाग्रमन से की थी। उनके इस सुदीर्घ तप के निशान उनकी देह, आत्मा और व्यक्तित्व के रेशे-रेशे पर अंकित था। ऐसे तपस्वी और कठोर जीवन जीने वाले मैथ्यू को जब गुंजन ने कहा कि, "याद रखो तुम्हारे यीशु ने कभी नहीं कहा था कि सुख भोगना पाप है। — — — — हर जीवन सूर्योदय की तरह पवित्र और सुंदर होता है। तुमने कभी साहस करके यह 'कैसाक' पहना था। स्वयं को मानवता के नाम पर समर्पित कर दिया था। तो आज साहस पूर्वक उसी मानवता के नाम पर मेरा प्रेम भी स्वीकार करो। प्रेम ईश्वर की मानव को सबसे अमूल्य भेंट है।" गुंजन कहती है, "क्या यह तुम्हें पथभ्रष्ट कर सकता है? जानते हो जब तुम धूप का अनुभव करते हो, तो धूप का नहीं सूर्य का अनुभव करते हो; ठीक वैसे ही जब प्रेम का अनुभव करते हो तो तुम प्रेम का नहीं साक्षात् भगवान् का अनुभव करते हो।"²

गुंजन के इस निवेदन में मैथ्यू को हिला कर रख दिया। उनका सुख-चैन सब लुट गया। वह पसोपेश में पड़ गए कि सत्य क्या है? क्या प्रेम सत्य है या नारी प्रेम सत्य है? उनकी आंतरिक सत्ता हिलकर रह गई। वह परेशान और बेचैन हो उठे। अब उनका मन प्रार्थना, मेडिटेशन में नहीं लगता। चर्च की धरती अब उन्हें प्रेरणा, शांति, सुकून और स्फूर्ति नहीं देते। अब धर्म उन्हें वीतरागी और बैरागी बनने में सहायता नहीं देता। कॉल मंगलम

सोचो, तुमने कौन सा जीवन चुना है? हमारे पादरी जीवन में इस प्रकार की भावनाओं का कोई स्थान नहीं है। प्रेम की इस लहरों को मानव सेवा के विशाल समुद्र में डुबो दो। अपनी चेतना और यातना को जन-जन से जोड़ दो। यही मुक्ति दिलाएगी तुम्हें।"³

लेकिन मैथ्यू का बेचैन मन शांत नहीं होता है। वे सत्य की खोज में रहते हैं — "हर दिन की दो-दो, तीन-तीन, अढाई-अढाई, तीन-तीन घंटे की प्रार्थना क्या दर्शाती है? क्या इसी प्रकार की प्रार्थना और मेडिटेशन का एंटीबायोटिक देकर सेहत को नहीं संभाला जा रहा है? मन को भटकने से नहीं रोका जा रहा है? काम को जबरन नहीं दबाया जा रहा है?"⁴ वे जितना सोचते उसमें उलझने जाते — सच क्या है, प्रेम क्या है, मानव प्रेम क्या है, नारी प्रेम क्या है? क्या नारी मानव के पतन का कारण है? पॉल मंगलम उन्हें डराते हुए कहते हैं, "जहां शैतान सीधा आक्रमण करने से बचता है, वहां वह औरत का सहारा लेकर पुरुष को मिट्टी में मिला देता है।"⁵

लेकिन इन वचनों से उनका मन शांत नहीं होता है। उनके दिल में प्रेम का प्रस्फुटन हो चुका है। वे नारी प्रेम को सत्य और नैसर्गिक मानने लगते हैं। अब गुंजन की बात उन्हें सत्यर लगती है, "तुमने कहा था तुम सौंदर्य का साक्षात्कार करना चाहते हो। पर बिना प्रेम से गुजरे इस परम सौंदर्य का अन्वेषण करना क्या संभव है?"⁶ वे सौंदर्य के अन्वेषण करने का मन बना चुके हैं। वे कहते हैं, "कोई भी सत्य सर्वकालिक नहीं होता। जो कल मेरे लिए सत्य था वह आज नहीं है। आज मैं संसार में लौटना चाहता हूं तो इसलिए कि आज संसार मेरे लिए सत्य है क्योंकि मैं मानता हूं कि जिंदगी का हल खुद जिंदगी है और प्यार का जवाब खुद प्यार है।"⁷

इस कहानी के माध्यम से मधु कांकरिया ईसाई धर्म के पाखंड को उजागर करती हैं, "जहां शैतान सीधा आक्रमण करने से बचता है, वहां वह औरत का सहारा लेकर पुरुष को मिट्टी में मिला देता है।"⁸ इस कथन पर करारा चोट करते हुए मधु कांकरिया ने प्रेम के माध्यम से नारी जाति का सम्मान बढ़ाया है। धर्म ने हमेशा से नारी जाति का अपमान किया है। उसे भोग और अपरित्यक्त। बनाया है लेकिन प्रेम के प्रस्फुटन से नारी की उपादेयता और उसकी सार्थकता साबित की है।

इसी तरह मधु कांकरिया ने अपने उपन्यास 'सेज पर संस्कृत' में जैन धर्म के कठोर आचरण, नारी से दूरी, अप्राकृतिक धर्माचरण आदि पर करारी चोट की है। मानवीय संवेदना और प्रेम से वंचित जैन धर्म की पाखंडता पर चोट की है। उनका अध्याय 'अन्वेषण' में वे जैन धर्माचरण को झटके में ही सतह पर

लगाया है। वर्षों की तपस्या और नारी प्रेम से परहेज की दीक्षा की एंटीबायोटिक भी नारी प्रेम का हल्का प्रहार भी झेल नहीं पाती है।

विजयेंद्र मुनि और दिव्यप्रभा की क्षण भर की मुलाकात में ही साधु संस्कार और आचार संहिता का सारा चूना पपड़ी की तरह उड़ा दिया था। उनका प्राकृतिक मन आगे बढ़ चुका था। तपःपूत संस्कारित मन पीछे छूट चुका था। प्रेम, सौन्दर्य और यौवन की तिकड़ी ने मिलकर वह इन्द्रधनुषा रचा कि उनकी बदरंग जिंदगी का बदरंग उड़ गया। नए रोमानी रंग चढ़ गए। चारों ओर गुलाब ही गुलाब खिल गए। दिव्य प्रभा का जैन संस्कार मन पूछता है, "क्या यह पाप है, फिसलन है?"⁹ विजयेंद्र मुनि कहते हैं, " नहीं देवी, जिंदगी में पहली बार हमने कामनाओं की चांद और उसकी पसरती चांदनी को संपूर्णता में महसूस और निरखा है। यह चांद, यह चांदनी, जीने की अदम्यं खाहिश, एक दूसरे पर मर-मिटने की तीव्र भावना यह पाप कैसे हो सकती है।"¹⁰

विजयेंद्र मुनि कहते हैं, "सोचो प्रेम की इस कौंध में हम लोगों ने जो महसूस किया है, उसे इतने सुदीर्घ और सन्यासी जीवन में क्या क्षण भर भी महसूस कर पाए हम? विश्वास करो देवी, आज से पूर्व मैंने जाना ही नहीं था – जन्म और मृत्यु के बीच जीवन जैसा भी है कुछ। नहीं जानता देवी की मोक्ष सत्य है या नहीं। पर तुम सत्य हो, तुम्हारा सुंदर, उद्यम का यह आवेग, कामनाओं के ये फूल, यह परस्परता, उर्जस्वित करता यह मिलन – – – यही सत्य है, जिसने एक झटके में सन्यासी और इंद्रिय निग्रह के झूठे सम्राज्या को ढाह दिया है।"¹¹ वे कहते हैं, "तुमने तो सिर्फ मुझे आईना दिखाया है। तुमने तो सिर्फ यह सिद्ध किया कि मैं स्त्री को जीया नहीं वरन् परे सरका दिया था और इसलिए स्त्री के प्रथम संसर्ग ने ही मेरी आंतरिक सत्तान को हिला कर धर दिया। सच कहूं तो तुमने सिर्फ मेरे पशु का उन्नयन किया है। तुमने सिर्फ मेरे अस्तित्व को नया और गहरा अर्थ महसूस कराया है। आज जान सका हूं कि तो बिना स्त्री को जाने जीवन को संपूर्णता में नहीं जाना जा सकता है।"¹²

विजयेंद्र मुनि के माध्यम से मधु कांकरिया ने जैन धर्म की अप्राकृतिक जीवनचर्या को कठघरे में खड़ा किया है। वे कहती हैं कि "जैन धर्म में मुनि शीर्षासन करते हैं, खुद की कामनाओं को मारते, तपाते, जलाते हैं। किस लिए सिर्फ नारी को दूर धकेलने के लिए। लेकिन इससे क्या हासिल होता है? सारी ऊर्जा का उपयोग वासना का दमन करने में लगा दी जाती है और नारी को एक रहस्य बना दिया जाता है।"¹³

विजयेंद्र मुनि संघ प्रमुख जीवसिद्धि जी को पत्र लिखते हैं,

पूर्णत अस्वीकृत।"¹⁴ मधु कांकरिया ने अन्वेषण अध्याय में जैन धर्म के पाखंड पर चोट करते हुए लिखा कि धर्म इसलिए पराजित है क्योंकि उसने अनन्त समाजिकता को नकार कर अपने को अपने 'आत्मो' तक सीमित की डाला है। अपने व्यक्तित्व, समाज और व्यवस्था के अर्निस हित संबंधों को नकार कर सिर्फ के अन्तिकरण के क्षेत्र को ही मुक्ति और निर्वाण के लिए चुना। जबकि जीवन संयुक्तस है, एक दूसरे को ऊर्जस्वित करने का नाम जीवन है।

संदर्भ

1. भरी दोपहरी के अँधेरे – मधु कांकरिया, पृ. 30, रेमाधव पब्लिकेशन्स लिमिटेड
2. भरी दोपहरी के अँधेरे – मधु कांकरिया, पृ. 33, रेमाधव पब्लिकेशन्स लिमिटेड
3. भरी दोपहरी के अँधेरे – मधु कांकरिया, पृ. 40, रेमाधव पब्लिकेशन्स लिमिटेड
4. भरी दोपहरी के अँधेरे – मधु कांकरिया, पृ. 46, रेमाधव पब्लिकेशन्स लिमिटेड
5. भरी दोपहरी के अँधेरे – मधु कांकरिया, पृ. 46, रेमाधव पब्लिकेशन्स लिमिटेड
6. भरी दोपहरी के अँधेरे – मधु कांकरिया, पृ. 45, रेमाधव पब्लिकेशन्स लिमिटेड
7. भरी दोपहरी के अँधेरे – मधु कांकरिया, पृ. 47, रेमाधव पब्लिकेशन्स लिमिटेड
8. भरी दोपहरी के अँधेरे – मधु कांकरिया, पृ. 46, रेमाधव पब्लिकेशन्स लिमिटेड
9. सेज पर संस्कृत-मधु कांकरिया, पृ. 184, राजकमल पेपरबैक्स
10. सेज पर संस्कृत-मधु कांकरिया, पृ. 184, राजकमल पेपरबैक्स
11. सेज पर संस्कृत-मधु कांकरिया, पृ. 184, राजकमल पेपरबैक्स
12. सेज पर संस्कृत-मधु कांकरिया, पृ. 184, राजकमल पेपरबैक्स
13. सेज पर संस्कृत-मधु कांकरिया, पृ. 187, राजकमल पेपरबैक्स
14. सेज पर संस्कृत-मधु कांकरिया, पृ. 191, राजकमल पेपरबैक्स

ममता कुमारी

सहायक प्रोफेसर (हिन्दी)

डीएवी शताब्दी महाविद्यालय, फरीदाबाद

मोबाइल- 9818747616

सारांश : स्वतन्त्रता से पूर्व कृषि की दशा अत्यन्त निकृष्ट थी, कृषि क्षेत्र लघु एवं प्रकीर्ण थे तथा कृषकों को मात्र वर्षा पर ही अश्रित रहना पड़ता था। उनको नवीन कृषि उपकरणों, उत्तम बीजों, नूतन तकनीकों तथा रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को न तो पर्याप्त ज्ञान था और न ही ये उपलब्ध थे। कृष्योत्पादन से सम्बन्धित लोगों को दयनीय जीवन यापन करना पड़ता था। यद्यपि 70 प्रतिशत जनसंख्या कृषि व्यवसाय से सम्बद्ध थी, किन्तु कृषि की भू-उत्पादिकता एवं श्रम उत्पादिकता न्यूनतम थी। कृषि प्रधान देश कहलाकर भी प्रति हेक्टर तथा प्रति व्यक्ति दोनों स्तरों पर उत्पादन कम था, जिससे गरीबी अधिक और क्रय शक्ति कम थी। इस गरीबी के कुचक्र से मुक्ति के संग्राम में अधिक पूँजी विनियोग तथा बचत की जो अपेक्षा थी, वह नहीं हो पाती थी, कच्चे माल तथा समुचित क्रय शक्ति वाले बाजार के अभाव में उद्योगों की प्रगति नहीं हो पायी, जिसके बदले कृषि क्षेत्र में भी उर्वरक, विद्युत, मशीनों तथा कीटनाशक रसायनों की सम्पूर्ति नहीं हो पाती थी।

सहस्राब्दियों से भारत कृषि पर आधारित अर्थतन्त्र के लिए विख्यात रहा है। और उद्योगों का विकास पूरक उद्यम एवं कला के रूप में किया गया भारत ही नहीं, अपितु एशिया के अधिकांश देशों में औद्योगिक विकास की कहानी बहुत नवीन है। रामपुर जनपद में उत्तर प्रदेश का 0.8 प्रतिशत क्षेत्र तथा 1.06 प्रतिशत जनसंख्या समाविष्ट है, किन्तु राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के वृहदस्थ औद्योगिक क्षेत्र में इसका लगभग नगण्य स्थान है और भारत के औद्योगिक मानचित्र पर यह काम उल्लेखनीय क्षेत्र हैं। विभिन्न ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और प्रशासनिक समस्यायें, क्षेत्र की औद्योगिक उन्नति में अवरोधक हैं। प्रादेशिक विकास परिषद मात्र एक सलाहकार समिति के रूप में दिखाई पड़ती है। यह क्षेत्र की समस्याओं तथा आर्थिक विकास सम्बन्धी कोई वास्तविक प्रतिविम्ब प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं है। अधिकरण, कारणों, आलोचनात्मक अध्ययन, विविध उद्योगों में संसाधनों की क्षमता एवं मांग औद्योगिक संगठन, औद्योगिक संभाष्यता तथा नीति का निर्धारण आदि इसके प्रादेशिक विकास के नियोजन में आवश्यक कारक है।

औद्योगिक अवस्थित का विश्लेषण औद्योगिक क्रियाकलाप के स्थानिक प्रबन्ध के विश्लेषण के अन्तर्निहित हैं। उद्योग का स्थानीकरण अनेक कारणों का सम्मिश्रण होता है। कच्चा माल, बाजार, श्रम, शक्ति, पूँजी और यातायात आदि औद्योगिक अवस्थिति हेतु प्राथमिक घटक हैं। इनके अतिरिक्त जलवायु, जलापूर्ति, व्यवसायिक, संगठन और प्रशासकीय नीति भी उद्योग के

कच्चा माल, यातायात के साधन, बाजार, शक्ति, श्रम और पूँजी उद्योगों के स्थानीकरण को प्रभावित करने वाले निर्णायक तत्व हैं। प्रायः कच्चे माल की प्राप्ति उद्योग के स्थानीयकरण का प्रमुख आधारभूत कारक है। यह उद्योग की महत्वपूर्ण प्रारम्भिक अवस्थाओं में से एक है गन्ना, गेहूँ, धान, दाल और मेंथा प्रमुख कच्चा माल है, जिनके आधार पर अध्ययन क्षेत्र में उद्योग स्थापित किये गये हैं। औद्योगिक केन्द्रों का विकास सड़क मार्गों के किनारे अधिक हुआ है, जो कि यातायात के महत्व को इंगित करते हैं। जनपद रामपुर में सड़क मार्गों का घना जाल बिछा हुआ है। तहसील मुख्यालय एवं कस्बे प्रमुख सड़क मार्गों से तथा न्याय पंचायत सम्पर्क मार्गों द्वारा प्रमुख सड़क मार्गों से संलग्न है। राष्ट्रीय मार्ग संख्या 24 जनपद के बीच से गुजरता है और रेलवे की भी सुविधा है। बाजार एक आवश्यक कारक है, क्योंकि यह औद्योगिक उत्पादों का उपभोग करने के साथ-साथ इसको वितरित भी करता है। ग्रामीण मार्गों के लिए बाजार एक आकर्षक केन्द्र है। औद्योगिक उत्पादों की आपूर्ति बाजार द्वारा ही होता है। विस्तृत बाजार अथवा माँग करने वाले क्षेत्रों में औद्योगिक विकास अधिक होता है।¹ अनुकूल दशाओं के कारण एक छोटा बाजार औद्योगिक नगर बन जाता है।

जनपद रामपुर एक कृषि प्रधान क्षेत्र है परन्तु यहां के कृषक समाज में शिक्षा की कमी, अज्ञानता एवं आधुनिक कृषि पद्धति के प्रति उदासीनता आदि मानवीय पक्ष की निर्बलताओं के परिणाम स्वरूप कृषि क्षेत्र में विकास की गति अत्यन्त धीमी अथवा जिसे नगण्य वृद्धि की संज्ञा दी जा सकती है, हुई हैं। रामपुर जनपद जैसा कि विदित ही हैं, पश्चिमी रूहेलखण्ड के एक विकसित कृषि प्रधानों में एक है। जनपद का अधिकांश भाग उपजाऊ तथा संघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। कृषि में नवीनतम तकनीकों एक रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों, उत्तम बीजों, सिंचाई के साधनों द्वारा सिंचित क्षेत्र में वृद्धि से जहाँ एक और कृषि संघनता में वृद्धि हुई है, वही प्रति हेक्टेअर उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। प्रति हेक्टेअर उत्पादन वृद्धि से क्षेत्र में जहाँ कृषक वर्ग में खुशहाली आयी है वहीं क्षेत्र के कृषि पर्यावरण में अमूल-चूल परिवर्तन भी हुआ है। क्षेत्र में फसल विशेषीकरण के फलस्वरूप कृषि में व्यापारिक फसलों का प्रभुत्व है। क्षेत्र के कृषि आंकड़े इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रति हेक्टेअर उत्पादन वृद्धि एवं व्यापारिक फसलों के बढ़ते प्रयोग से क्षेत्र में कृषि विकास के साथ-साथ छोटे एवं बड़े उद्योग जो कि विशेषतः स्थानीय कच्चे माल पर आधारित हैं, विकसित हुए हैं। भारत सदृश कृषि प्रधान देश में कृष्यौद्योगिक विकास के तलना में सर्वथा निम्न है। यहाँ पर कृष्यौद्योगिक विकास है

अर्थतंत्र का पूर्ण नमूना है। कृषि व्यावसायिकरण में स्थानिक आयामों और कृषि व्यावसायिकरण की प्रक्रिया को एक दूसरे सह-सम्बन्धों के आधार पर अध्ययन किया जाता है। कृषि व्यावसायिकरण एक और औद्योगिकरण और दूसरी और नगरीकरण से सम्बन्धित हैं। स्थानीय कच्चे माल पर आधारित औद्योगिकरण संरचनात्मक रूपान्तरण की ओर ले जाता है, जो अन्ततः नगरीकरण को ही बढ़ावा देता है। नगरीकरण एवं औद्योगिकरण परस्पर सह-सम्बन्धित है। एक स्थिति यह आती है कि नगरीकरण व्यावसायिकरण को व्यावसायिकरण फसलों के विशेषीकरण की ओर अग्रसर होता है। जोकि क्षेत्र में कृषि भूमि की कमी को दर्शाता है। रामपुर जनपद सदृश कृषि प्रधान क्षेत्र में जहाँ कृषि उत्पादकता वृद्धि से व्यावसायिकरण को बढ़ावा मिला है तथा कृषि क्षेत्र में निरन्तर कमी हो रही है। अवस्थापनात्मक तत्वों की भरपूर मात्रा के साथ-साथ जनसंख्या भी तीव्र से बढ़ी है। कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्यों (द्वितीयक क्रियाओं) में जनसंख्या का बहुत ही कम भाग रोजगार पाता है। इसे दूर करने हेतु कृष्यौद्योगिक विकास की प्रक्रिया को सृदृढ़ बनाना होगा। रामपुर जनपद के कृषि उत्पादकता स्तर एवं कृषि आधारित उद्योगों के विकास एवं सम्भाव्यता के गहन अध्ययनोंपरान्त यह बात स्पष्टतः सामने आती है कि क्षेत्र में कृष्यौद्योगिक विकास हेतु सूक्ष्म स्तर पर कोई योजना प्रस्तुत की जाये जिससे क्षेत्र का विकास हो। स्थानीय संसाधनों जिसमें कृषि के साथ-साथ बढ़ती हुई जनसंख्या एक महत्वपूर्ण कारक हैं का तीव्र गति से विकास किया जाये। इस हेतु डॉ. ब्रजभूषण सिंह आदि ने 1984 में मेरठ क्षेत्र के लिए एक आदर्श मॉडल प्रस्तुत किया जो कि उत्पादन प्रक्रिया के चयन और स्थान विशेष की प्राथमिकताओं को दृष्टिगत रखकर प्रस्तुत किया गया। उपर्युक्त मॉडल मेरठ से मिलती-जुलती कृष्यार्थिक सुविधाओं के कारण रामपुर जनपद के लिए भी उपयुक्त जान पड़ता है। इस मॉडल को 6 चरणों में बाँटा गया है। इस हेतु अवस्थापनात्मक तत्वों का अधिकाधिक उपयोग क्षेत्र में कृषि उत्पादन बढ़ाने और आर्थिक विकास हेतु प्रथम कार्य है। इसके पश्चात द्वितीय चरण में कृषि उत्पादकता बढ़ाना, तृतीय चरण में विपणन सुविधाओं को बढ़ाना तथा चतुर्थ चरण में वस्तुओं और कृषि उत्पाद वस्तुओं के वितरण से है। रामपुर जनपद के कृषि उत्पादकता स्तर एवं कृषि आधारित उद्योगों के विकास एवं सम्भाव्यता के गहन अध्ययनोंपरान्त यह बात स्पष्टतः सामने आती है कि क्षेत्र में कृष्यौद्योगिक विकास हेतु सूक्ष्म स्तर पर कोई योजना प्रस्तुत की जाये जिससे क्षेत्र का विकास हो। स्थानीय संसाधनों जिसमें कृषि के साथ-साथ बढ़ती हुई जनसंख्या एक महत्वपूर्ण कारक हैं का तीव्र गति से विकास

कृष्यार्थिक सुविधाओं के कारण रामपुर जनपद के लिए भी उपयुक्त जान पड़ता है। इस मॉडल को 6 चरणों में बाँटा गया है। इस हेतु अवस्थापनात्मक तत्वों का अधिकाधिक उपयोग क्षेत्र में कृषि उत्पादन बढ़ाने और आर्थिक विकास हेतु प्रथम कार्य है। इसके पश्चात द्वितीय चरण में कृषि उत्पादकता बढ़ाना, तृतीय चरण में विपणन सुविधाओं को बढ़ाना तथा चतुर्थ चरण में वस्तुओं और कृषि उत्पाद वस्तुओं के वितरण से है।

भारतीय कृषि मानसून का जुआ है। मानसून के अच्छे होने या कम वर्षा होने का प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से भारतीय कृषि पर पड़ता है। उपर्युक्त प्रभाव से जनपद भी अछूता नहीं है। क्योंकि गन्ना, चावल और गेहूँ जनपद की प्रमुख कृषि फसलें हैं जिन्हें जल की अधिक एवं निरन्तर आवश्यकता है। मानसून की अनियमित एवं अनिश्चितता का सामना क्षेत्रीय किसान सिंचाई के साधनों विकास कर सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि करता है जिससे फसलों का उत्पादन बढ़ाया जा सके।

असामयिक, अनिश्चित, अपर्याप्त एवं अनियमित वर्षा के कारण फसलों को नष्ट होने से बचाने के लिए कृत्रिम ढंग से खेतों में पानी पहुँचाने की क्रिया सिंचाई कहलाती है। क्षेत्र में जैसा कि पूर्व में कहा गया है कृषि प्राचीन काल से ही एक प्रमुख व्यवसाय है। अतः फसलोत्पादेन बढ़ाने हेतु सिंचाई की आवश्यकता है। प्राचीन काल में सिंचाई के साधन पारम्परिक रहे हैं तथा वर्तमान में इनका प्रारूप बदला है। नहर और नलकूप जनपद में सिंचाई के प्रमुख साधन हैं। नहरों और नलकूपों के निर्माण के अतिरिक्त पक्के कुएँ, कूपों की वोरिंग नहर पम्प सेट और निजी नलकूपों के निर्माण एवं मरम्मत हेतु सरकार कृषकों को ऋण तथा वित्तीय सहायता भी देती है। जनपद में आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में पक्के कुओं का निर्माण, नहर, पम्प सेट तथा निजी नलकूपों की प्रतिस्थापना का लक्ष्य था। नहर प्रतिस्थापित पक्के कुयें पम्पसेट तथा नलकूप स्वार, सैदनगर और चमरूवा विकासखण्ड में प्रति स्थापित किये गये हैं।

रामपुर जनपद सदृश्य कृषि प्रधान क्षेत्र में जहाँ कृषि उत्पादकता वृद्धि से व्यावसायिकरण को बढ़ावा मिला है तथा कृषि क्षेत्र में निरन्तर कमी हो रही है। अवस्थानात्मक तत्वों की भरपूर मात्रा के साथ-साथ जनसंख्या भी तीव्र गति से बढ़ी है। कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्यों (द्वितीयक क्रियाओं) में जनसंख्या का बहुत ही कम भाग रोजगार पाता है। इसे दूर करने हेतु कृषि व्यवसाय विकास की प्रक्रिया को सृदृढ़ बनाना होगा।

रामपुर जनपद के कृषि उत्पादकता स्तर एवं कृषि आधारित व्यवसाय के विकास एवं सम्भाव्यता के गहन अध्ययनोंपरान्त यह

निजी क्षेत्र में व्यवसाय आर्थिक लाभ के व्यक्तिगत दृष्टिकोण से प्रभावित है। कृषि व्यवसाय के अन्तर्गत जनपद में मैथा व्यवसाय, राइस मैथा डिस्टिलेशन, फर्नीचर, आरा मशीन, दाल व्यवसाय, आटा मिल, खादय तेल, कोल्ड स्टोरेज, बैकरी आदि व्यवसाय स्थापित है।

भारत सदृश्य कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में पशुओं का स्थान महत्वपूर्ण होता है। कृषि अर्थव्यवस्था में शक्ति के साधन, भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए खाद, स्रोत दुग्ध, मांस, चमड़ा, ऊन आदि का मुख्य स्थान होने के कारण कृषि में पशुओं का स्थान सर्वव्यापी है। रामपुर जैसे कृषि प्रधान क्षेत्र में भी स्वालम्बी कृषि क्रिया के साथ पशुपालन का घनिष्ठ संयोजन यहां की आर्थिक संरचना का प्रमुख लक्षण है। इसका अर्थ पशुपालन कृषि कार्य में सहायक होने के साथ-साथ दुग्ध एवं निर्मित पदार्थ, मांस, अण्डा आदि के रूप में पौष्टिक आहार देकर तथा खाल, हड्डी एवं सींग जैसी औद्योगिक वस्तुओं को प्रदान कर कृषकों एवं पशुपालकों की आय वृद्धि करने के प्रमुख स्रोत हैं। इस प्रकार जहां पशुपालन की गुणवत्ता एवं संख्या कृषकों के आर्थिक सामाजिक स्तर को निर्धारित करती हैं। वहीं कृषकों को सुदुर्लभ आर्थिक आधार प्रदान करती हैं। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात विकास की आवश्यकता ही नहीं, अपितु बाध्यता भी। अतएव कृषि की तकनीक और प्रतिरूप में परिवर्तन तथा सुधार किया गया और विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में कृषिय विकास और और विस्तारण को प्राथमिकता प्रदान की गई। योजना आयोग ने स्वीकार किया कि खाद्य प्रदार्थों तथा औद्योगिक संस्थान हेतु कच्चे माल के उत्पादन में संवृद्धि किये बिना औद्योगिक विकास सम्भव नहीं है। अतः आयोग ने कृषि तथा सामुदायिक विकास एवं सिंचन सुविधाओं के विकास को वरीयता प्रदान की। गैंहूँ और जौ की संशोधित कृषि विधि और चावल की कृषि को जापानी पद्धति को कृषकों के मध्य प्रचारित एवं प्रसारित किया गया। इन पद्धतियों में भली-भांति गहन कर्षण, पर्याप्त एवं समयानुसार उर्वरकों का उपयोग, मिट्टी को प्राकृतिक नेत्रजन प्रदान करने हेतु हरी खाद वाली फसलों का वपन, अधिक उत्पाद समुन्नत्र एवं संशोधित किस्म की खाद्यान्न फसलों का वपन, समयानुकूल पर्याप्त सिंचाई तथा फसल को क्षति पहुंचाने वाले कीड़ों-मकोंड़ों तथा रोगों से सुरक्षित रखना इत्यादि अन्तर्विष्ट हैं। बंजर भूमि का उद्धार करके, अर्द्धशुष्क भूमि पर सिंचाई साधनों का विस्तारण करके तथा नीची बाढ़ वाली भूमि को जल निकास प्रणाली द्वारा कृषि के उपयुक्त किया गया है। भूमि को बहुफसली बनाने के लिए उत्कृष्ट कृषि यन्त्रों, उर्वरकों, कीटनाशक दवाओं, पम्पसेट तथा नलकूपों के साथ-साथ फसलों को समुचित गोदाम

आधार अधिकांश भूमि जागीरदारों और जमींदारों के हाथ में थी, जिनका भूमि पर स्वामित्व तो था, किन्तु भूमि को अधिक उर्वर बनाने तथा सिंचाई के साधन उत्पन्न करने में उनकी रुचि नहीं के बराबर थी, जिससे सदियों तक भूमि की उत्पादकता का ह्रास होता रहा। स्वतन्त्र भारत में जमींदारी प्रथा उन्मूलित कर खेती करने वाले कृषकों को भू-स्वामित्व प्रदान करने के साथ-साथ चकबन्दी द्वारा छोटे-छोटे प्रकोण खेतों को एक-चक के अन्तर्गत सन्निहित किया गया तथा उच्चतम भू-अधिग्रहण सीमा भी निश्चित की गई। इन सबका समुच्चमिक प्रभाव कृष्योत्पादन पर पड़ा। भूमिहीनों को अतिरिक्त भूमि प्रदान करके उनमें कृषि करने की चेतना एवं जागृति उत्पन्न की गयी। फलस्वरूप कृष्योत्पादन में सतत वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त सरकार, कृषि प्रदर्शनी के माध्यम से सरकारी फार्मों के द्वारा नयी तकनीक का प्रदर्शन भी कर रही है। वित्तीय समस्या-समाधान हेतु सरकार ने ग्राम्यांचलों में सहकारी तथा ग्रामीण बैंकों की स्थापना करके कृषकों को अनुदान एवं ऋण सुविधायें उपलब्ध कराई हैं। सरकारी अभिकरण कृषि उत्पादों को सरकारी मूल्य पर क्रय करते हैं। इसके अतिरिक्त विकासखण्डों एवं न्याय पंचायतों में सहकारी गोदाम भी स्थापित किये गये हैं, जहां कृषकों को अपनी उपज रखने की सुविधा उपलब्ध हैं। सीमांकित कृषकों तथा पिछड़े लोगों के जीवन स्तर सुधारने के लिए विकासखण्डों में अनेक योजनायें संचालित हैं, उदाहरणार्थ मुत बीज एवं उर्वरक की व्यवस्था आदि। इन समग्र योजनाओं के समिश्रित प्रभाव से लोगों में नवचेतना एवं जागृति विकसित हुई है और वे कृष्योत्पादन की संवृद्धि पर विशेष बल दे रहे हैं। ग्रामीण विद्युतीकरण तथा फसल बीमा का कार्यक्रम आधुनिक कृषि को त्वरण प्रदान करने का एक सफल कदम है।

निष्कर्ष : कृषि के मशीनीकरण द्वारा मिट्टी के संभाव्य उत्पादन का पूर्णवः उपयोग किया जा सकता है, जोकि न केवल मिट्टी के गुण और गहराई, उर्वरक उपयोग के विस्तार और सिंचाई की सघनता आदि पर भी निर्भर है। अपितु जुताई के न्यूनतम अवधि से भी सम्बन्धित हैं, जो कि केवल शक्तिशाली यन्त्रिक सहायता से सम्भव हो सकती हैं। मिट्टी की संभाव्य उपज का सम्पूर्ण लाभ लेने के लिए उनकी उपलब्धता अनिवार्य है।¹ मशीनीकरण के द्वारा मिट्टी की नमी के उचित संरक्षण के फलस्वरूप उपज में वृद्धि होती है। इसके लिए एक दक्ष कर्षण उपकरण की आवश्यकता है। मजदूरों और उनके बैलों तथा भैसों के स्थान पर ट्रैक्टर न तो थकते हैं और न पसीना बहाते हैं। ट्रैक्टर की अतिरिक्त शक्ति, गति और अध्यावसाय कृषि कार्य को तीव्रता से निष्पादित करते हैं। इस प्रकार मशीनीकरण का प्रयोग पशु चर उत्पादन देशों को

1. डिस्ट्रिक्ट गाजेटियर रामपुर 1974, पृ0 133.
2. स्मिथ, डी0एम0 – इण्डस्ट्रियल लोकेशन एण्ड इकोनोमिक ज्योग्राफिकल, एनालिसिस, जनविले, न्यूयार्क 1971 पृ0 5.
3. मिलर, ई0 डब्लू0– ए0 ज्योग्राफी आफ मैन्यूफैक्चरिंग प्रिन्टस हाल, लन्दन 1962, पृ0 3.
4. मिलर, ई0 डब्लू0– ए0 ज्योग्राफी आफ मैन्यूफैक्चरिंग प्रिन्टस हाल, लन्दन 1962, पृ0 62,
5. मिलर, ई0 डब्लू0– ए0 ज्योग्राफी आफ मैन्यूफैक्चरिंग प्रिन्टस हाल, लन्दन 1962, पृ0 63,
6. मिलर, ई0 डब्लू0– ए0 ज्योग्राफी आफ मैन्यूफैक्चरिंग प्रिन्टस हाल, लन्दन 1962, पृ0 63, 64
7. सिंह, आर0आर0– जपनद रामपुर में जल संसाधनों की उपलब्धता उपयोगिता और प्रादेशिक विभाग बरेली, पृ0 129.
8. शर्मा– आर सी0 रीजनल प्लानिंग फार सोशल डेवलमेंट कन्सेप्ट एप्रोचज एण्डदएप्लीकेशनइकाइटेरियन पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 1989, पृ0– 119.
9. सिंह, जे0जे0 “साइंस सोसायटी एण्ड दि पब्लिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन – दि– हिन्दुस्तान टाइम डेली इंग्लिश न्यूज पेपर, न्यू दिल्ली.
10. हल्दीपर, आर.एम “एडीमनिस्ट्रेटिव कोडीनेशन एवं डिजाइन मेंकिंग इन रीकिंगस ऑन लेविल प्लानिंग एवं रूटल ग्रीथ, एल0के सेन, एवं आई0डी0 हैदराबाद पृष्ठ 111.
11. गोटवोल्ड ए0 – वान श्यूनेन इन रेट्रों स्पेक्ट इकोनामिक ज्योग्राफी, 1959.
12. वेवर, ए. – इण्डस्ट्रियल लोकेशन. 1986
13. वेवर, ए. – इण्डस्ट्रियल लोकेशन. 1986
14. चौहान–डी0एरा0 स्टैडी इन यूटीलाईजेशन ऑफ एग्रीकल्चर लैण्ड आगरा–पेज–166.
15. अली, जे.–इन्टीग्रेटिड एरिया डेवलपमेन्ट आफ वायर एरिया–पृष्ठ–114
16. ए0सी0आई0–टेक्नो इकोनोमिक एर्वे ऑफ उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली ए0 आर0 1996–पृष्ठ–49.
17. मौहम्मद नूर (1984) “द डियूजन आफ एन एग्रीकल्चरल इनोवेशन इन इंडिया” “द ज्योग्राफर, वा0 21, सं–1, पृष्ठ–11–32.
18. कायस्था, एस0 एल0 एडं मिश्र, एस0 एन. (1975)–“एग्रीकरचरल इन्नावेशनर्स अमंग फार्मस महासू

- ऑफ इण्डिया, सं0–2, पृ0–147–51,
20. कुरुक्षेत्र (2008) पत्रिका–डी 53/100, छोटी, गैबी, लक्सा रोड़ वाराणसी उ0 प्र0
21. हुसैन माजिद, कृषि भूगोल, पृष्ठ–97
22. डिस्ट्रिक्ट गजेटियर रामपुर 1974 में परिकलित।
23. वोहरा, वी0वी0–मेनेजिक इण्डिया वाटर रिमोरस, मेन स्ट्रीम वोल्यूम ग्टए छव.51, दिल्ली
24. वोहरा, वी0वी0–आईविड पेज–13

राजेन्द्र कुमार सिंह
के0जी0के0 स्ना0महाविद्यालय
मुरादाबाद

सारांश :- “बड़े-बड़े ज्ञानी विद्वान् ऋषि महात्मा सिद्ध पुरुष और योगियों द्वारा कहे गये वचनों और उपदेशों के संग्रहों में निर्दिष्ट वे सिद्धान्त जिन पर चलकर जीवन को सुगमता से व्यतीत करते हुए आनन्द की प्राप्ति की जा सकती है। जीवनदृष्टि की संज्ञा से अभिहित किये जाते हैं।”¹ प्रत्येक साहित्यकार का कुछ न कुछ उद्देश्य होता है जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उसकी कृतियों में निहित रहता है। साहित्यकार जीवन का पर्यवेक्षक ही नहीं वह दार्शनिक भी होता है। जीवन के प्रति उसका दृष्टिकोण उसकी कृतियों के माध्यम से संसार के सामने आता है। “लेखक का उद्देश्य कलाकृति में वृक्ष में हरियाली की भांति सर्वत्र व्याप्त रहता है”² तथा जीवन के प्रति उसका विशिष्ट दृष्टिकोण ही उपन्यासकार का जीवन दर्शन कहलाता है। उपन्यास पढ़ते समय पाठक उसमें निहित जीवन दृष्टि से प्रेरणा प्राप्त करते हैं तथा पाठक उसमें निहित जीवन के बहुमूल्य तत्वों से परिचित होता है।³ आज का प्रबुद्ध पाठक उपन्यास केवल मनोरंजन के लिये ही नहीं पढ़ता वह तो उससे प्रखर एवं स्पष्ट जीवन दर्शन की अपेक्षा रखता है।⁴ उपन्यासकार के रूप में राहुल सांकृत्यायन कला के उपयोगितावादी सिद्धान्त के पक्ष धर है। वे आस्था धारणा या चिरस्थायी विश्वास के अच्छे बुरे होने की कसौटी बहुजन हिताय और बहुजन अनहित को मानते हैं तथा साहित्य में वे सुन्दरतम की अपेक्षा शिवं तत्व को अधिक महत्व देते हैं।⁵ राहुल के उपन्यासों में स्वस्थ जीवन दर्शन का निदर्शन हुआ है। वे निश्चित रूप से प्रशंसनीय हैं। इसी कारण मैंने अपने शोध पत्र का विषयाधार इनके उपन्यासों में सन्निहित जीवन दृष्टि को बनाया। राहुल जी के मौलिक एवं अनुदित लगभग उन्नीस उपन्यास हैं जो निम्नांकित हैं -

मौलिक उपन्यास - दिवोदास, जययौधेय, सिंहसेनापति, विस्मृत यात्री, मधुर स्वप्न, जीने के लिये, बाईसवीं सदी, भागो नहीं दुनिया को बदलो, राजस्थानी रनिवास।

अनुदित उपन्यास - दा: खुदा, अनाथ, अदीना, जो दास थे, सदखौर की मौत, शादी निराले हीरे की खोज, सोने की ढाल, जादू का मुल्क और विस्मृति के गर्भ में आदि।

राहुल के उपन्यासों की जीवन दृष्टि निम्न वर्णित है - राहुल का जीवन दर्शन कालमार्क्स के साम्यवादी विचारों से प्रभावित है। राहुल जी की ऐतिहासिक एवं सामाजिक राजनीतिक कृतियों में उनके इतिहास प्रेम का कारण उनका मार्क्सवादी दर्शन है।⁶ इनके ऐतिहासिक उपन्यासों में प्राचीन काल से सम्बद्ध कथाओं में मार्क्सवाद की आधुनिक विचारधारा का सन्निवेश हुआ है।

समाज के लिए अनुकरणीय बनाकर इन्होंने प्रस्तुत किया।

अतीत की वर्तमान में उपयोगिता प्रस्तुत करना : इन्होंने भारतीय इतिहास के विविध कालखण्डों यथा-ऋग्वेदकाल, बौद्धकाल, गुप्तकाल से अपने उपन्यासों की कथा-ग्रहण की। इसके पीछे उनका एक मात्र उद्देश्य अतीत के समाज से उपयोगिताओं तत्वों को खोजकर, वर्तमान जीवन में उसकी उपायदेयता का प्रस्तुतीकरण करना था।

भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों से प्रभावित विचारधारा : राहुल जी भारतीय संस्कृति के प्रबल समर्थक हैं। संस्कृति मानव जीवन का आधार होता है क्योंकि “मनुष्य जगत और जीवन को वैसे ही स्वीकार नहीं कर लेता जैसा प्रकृति ने इन्हें बनाया है। वह इसमें अपनी शक्ति साधन और योग्यता के अनुरूप परिष्कार करता है उसकी इसी क्रिया को संस्कृति कहते हैं”⁶ राहुल के उपन्यासों में भारतीय संस्कृति प्रबलतम रूप में मुखरित हुई है। भारतीय संस्कृति विश्व बन्धुत्व की भावना मानवतावाद आध्यात्मिक विकास, अतिथि प्रेम, समानता भाव नारी की महिमा, कर्मवाद अनेकता में एकता आदि अनेक तत्वों को अपने में समाहित किये हुए हैं। राहुल के ‘बाईसवीं सदी’ उपन्यास में विश्व बन्धुत्व की भावना पर विशेष रूप से बल दिया गया है। विश्व बन्धु का कथन है। “राष्ट्रीय है सिर्फ बाग क्या है? यह घर कुर्सी पलंग लड़के स्त्री पुरुष सब राष्ट्र के हैं।”⁷ राहुल जी पूरे भूमण्डल को एक राष्ट्र के रूप में देखते हैं। इनकी भावना थी कि एक दूसरे की मदद करने से बन्धुत्व की भावना का विकास होता है। दिवोदास में इन्होंने लिखा है, “झोपड़ी एक हाथ से उठती चाहे वह हाथ कितना ही मजबूत हो लेकिन सौ हाथों के लगने से बड़ी झोपड़ी भी हल्के तृण सी लगती है।”⁸ इसी भांति ‘जययौधेय’ उपन्यास में हर एक यौधेय अपने किसी बन्धु के आहार विहार में अपना नैसर्गिक अधिकार समझता था। ‘जीन के लिए’ उपन्यास में राहुल जी ने देवराज व पुस्तकालयाध्यक्ष मोहन लाल खन्ना की भ्रातृत्व भावना को आत्मीय ढंग से प्रस्तुत किया है। देवराज व मोहन खन्ना का आपसी प्रेम व निस्वार्थ भाव उन्हें देवतुल्य बना देता है इसी भांति ‘अदीना’ उपन्यास में शाह मिर्जा एवं अदीना में भ्रातृत्व एवं बन्धुत्व भावना दृष्टव्य है। शाह मिर्जा परदेश में ‘अदीना’ के लिए भगवान बनकर आता है तथा बुझे चिराग जैसे अदीना को जीवन ज्योति प्रदान करता है।

अतिथि प्रेम : भारतीय संस्कृति में अतिथि को भगवान का रूप माना जाता है। राहुल के उपन्यासों में अतिथि प्रेम व सत्कार का भाव उच्चरित होता है। दिवोदास उपन्यास में आर्यों को अतिथि सम्मान देखते ही बनता है। अतिथियों के लिए आर्यो ने

कर्मवाद : भारतीय संस्कृति में कर्म को महत्वपूर्ण माना गया है। राहुल ने माना कि समाज में व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों के आधार पर होनी चाहिए तथा अकर्मण्यता एवं पलायनवादी प्रवृत्ति को छोड़ देना ही इन्होंने हितकर माना। ये लिखते हैं “कर्मपथ पर चलकर प्रणों की बलि देख क्षेयस्कर है क्योंकि बिल्ली के सामने कबूतर की भांति आंख मूंदकर बैठे रहना उन्हें पसन्द नहीं।”¹⁰

राहुल की मान्यता थी कि केवल मेहनत एवं परिश्रम के बल पर ही मनुष्य जीवन का आनन्द ले सकता है तथा ‘इससे विरत दास-दासियों के श्रम पर पला मनुष्य अपने को जीवन रस के उपभोग का अधिकारी नहीं रहने देता।’¹¹ इसी कारण राहुल जी ने लगभग अपने सभी उपन्यासों में शारीरिक श्रम एवं कर्म के महत्व पर प्रकाश डाला है। राहुल जी की मान्यता थी कि मेहनत करने से शारीरिक सौष्ठव एवं सौन्दर्य दोनों में वृद्धि होती है। दिवोदास उपन्यास में सप्तसिन्धु के आर्य बड़े मेहनती व परिश्रमी हैं तो सिंह सेनापति में लिच्छवी गण संघ के जन मेहनतवश यौद्धा है। ‘जययौधेय’ में यौधेय प्रदेश के वासी श्रम के महत्व को समझते हैं। ‘इसी कारण जय की पूरी टोली खेतों में जाकर दोपहर तक कठोर श्रम करती है।’¹² जीने के लिए उपन्यास का देवराज मेहनत एवं लगन की प्रतिमूर्ति है। राहुल के ताजिक भाषा से अनुदित उपन्यासों के पात्र सश्रम जीवन यापन करते हैं। मेहनत से जीवन यापन करने की सीख देने के साथ-साथ राहुल जी ने बाईसवीं सदी उपन्यास में यह भी संदेश दिया है कि शिक्षा प्राप्त करके प्रत्येक व्यक्ति को धनी बनने तथा मेहनत की कमाई किसी ओर के ऊपर व्यर्थ में ही नहीं गवां देनी चाहिए।¹³ इसी कारण मेहनत करके जीवन यापन का संदेश राहुल ने अपने उपन्यासों में दिया है।

नारी की महिमा : राहुल ने अपने उपन्यासों में नारी को महिमा मड़ित किया है। उन्होंने युगों-युगों की कारा में बंद नारी को अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया। पुरुष ने सदियों ने नारी को गुलाम बनाकर रखा है। इसी कारण राहुल ने उसके स्वावलम्बी एवं शिक्षित बनने पर बल दिया। ‘जीने के लिए’ उपन्यास में जेनी एक पूर्ण शिक्षित महिला के रूप में चित्रित है जो अपने अधिकारों – घर-परिवार तथा समाज के प्रति अपने कर्तव्यों के पूर्णतया सजग है। साथ ही राहुल ने नारी के चहुंमुखी विकास के लिए स्त्री-पुरुष समानता पर भी बल दिया है। राहुल जी लिखते हैं कि “औरत तब तक बराबर नहीं हो सकती जब तक कि कमाने में मां-बाप की जायदाद में उसका कोई बराबर का हक नहीं होता।”¹⁴ जब तक समाज में उसे समानता नहीं मिलेगी व दीन-हीन बनी रहेगी। इसी कारण राहुल जी ने नारी की स्वच्छता

‘दिवोदास’ उपन्यास में आर्यों की आपसी फूट व वैमनस्य चरम पर था परन्तु ऋषि भारद्वाज के पुनीत प्रयासों से आर्य एक जुट हुए तथा किलातों पर विजयश्री हासिल की। ‘जय यौधेय’ में यौधेयों की एकता व संगठन शक्ति के कारण ही चन्द्र गुप्त को यौधेयों से युद्ध जीतने के लिए काफी लम्बा संघर्ष करना पड़ा। सिंह सेनापति के लिच्छवी गण संघ के जन भी अनेकता में एकता की भावना का परिचय देते हुए मगधराज बिम्बसार व अजातशत्रु का एकजुट होकर सामना करते हैं। ‘जय यौधेय’ उपन्यास में न केवल पुरुष अपितु जनसंघ की समस्त नारियां एकता के सूत्र में आबद्ध हैं। उनकी एकता व अखण्डता के सामने शत्रु का नतमस्तक होना पड़ता है। ‘जीने के लिए’ में नायक देवराज विक्षुंखलित जनता को फिर से संगठित करने का प्रयत्न करता है। देश को स्वाधीन करने के लिए सभी भारतीयों को एकजुट होने की आवश्यकता थी। इसी कारण अब ‘देवराज की शकल गांव-गांव में घूमने लगी तो मालूम होने लगा कि स्वराज्य फिर जगा है।’¹⁵ राहुल के ताजिक भाषा से अनुदित उपन्यासों में तजाकिस्तानी अमीरों द्वारा ताजिक कमकरों का शोषण किया जाता है। परन्तु ताजिक कमकर हिम्मत नहीं हारते और एकजुट होकर अमीरों का तख्ता पलट कर देते हैं। राहुल जी का जीवन के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट होता है कि मनुष्य संगठित होकर ही इसी कार्य में सफलता अर्जित कर सकता है तथा अकेला मनुष्य एक तृण के समान है जिसका अस्तित्व कुछ भी नहीं।

आदर्श प्रेम : राहुल के उपन्यासों में आदर्श प्रेम की अभिव्यंजना हुई है। इस प्रेम में प्रतिदान की आवश्यकता नहीं रह जाती। यह समर्पण करना सीखाता है। ‘जीने के लिए’ उपन्यास के देवराज व जेनी इसके जीवन्त उदाहरण हैं। जेनी घायल देवराज को बचाने के लिए आग्रह पूर्वक अपना खून तक दे देती है तथा दवाइयों से भी अधिक जेनी की सहानुभूति ने देवराज को स्वस्थ होने में मदद की।¹⁶ ‘जय यौधेय’ उपन्यास में उपासिका का जय के प्रति प्रेम आदर्श प्रेम का उत्कृष्ट उदाहरण है। ‘सिंह सेनापति’ उपन्यास में सिंह व रोहिणी का आदर्श प्रेम चित्रित है। प्रेम उत्सर्ग सिखाता है और रोहिणी उस कसौटी पर खरी उतरती है। ‘वह युद्ध क्षेत्र में भी अपने प्रेमी की प्रतिछाया बन जाती है तथा उसकी प्राण रक्षा करती है।’¹⁷ इसी भांति ‘अनाथ’ उपन्यास के ‘मुराद व सारा’ तथा ‘अदीना’ उपन्यास के गुलबीबी व अदीना आदर्श प्रेमी व प्रेमिका हैं। अदीना से बिछड़कर गुलबीबी एक पल भी खुश नहीं रह पाती तथा उसकी याद में ‘तिल-तिल कर मर जाती है।’ राहुल के उपन्यासों में आदर्श प्रेम के साथ-साथ स्पर्शान्वित सात्विक प्रेम का निदर्शन भी हुआ है। राहुल ने समाज में फैली सैक्स सम्बन्धी

वातावरण स्वच्छन्द है। वहां पर 'प्रेम विवाह' व प्रेम मुक्त प्रेम उनके जीवन का अधिकार है। कोई भी स्त्री व पुरुष स्वेच्छा पूर्वक किसी से भी प्रेम विवाह करने के लिए स्वतन्त्र है।¹⁸ 'जय यौधेय' का जय प्रेम के सीधे सरल व संयमी रूप को पसंद करता है। इस प्रकार राहुल ने प्रेम को केवल साधन माना है, साध्य नहीं। प्रेम के प्रति इनके उपन्यासों में उतना ही आकर्षण है जितना एक स्वस्थ मनुष्य का भोजन के प्रति।

साम्यवादी प्रगतिशील विचारधारा : राहुल के उपन्यासों में कार्लमार्क्स की साम्यवादी विचारधारा का दर्शन होता है। मार्क्स ने समाज में सभी तरह के दुःखों व बुराइयों का कारण आर्थिक विषमता को माना है। साम्यवादी भावना से ओत-प्रोत साहित्यकार सुखी संसार का स्वप्न संजोता है। वह सोचता है "अब दुनिया शोषण दमन, उत्पीड़न, युद्ध आदि से मुक्त एक नयी मानवीय और खूबसूरत दुनिया होगा।"¹⁹ राहुल ने सुखद मानवता का स्वप्न देखा तथा अपने उपन्यासों में प्राचीन सामाजिक जीवन से साम्यवादी तत्वों को खोज निकाल कर यह प्रमाणित किया कि जब कभी समाज में वर्ण, सम्पत्ति के आधार पर विषमता का समावेश हुआ है तब मानव जीवन ह्रासोन्मुख एवं पतनशील हुआ है। इनके लगभग सभी उपन्यासों के पात्र सामाजिक समरसता पर बल देने वाले हैं। 'विस्मृत यात्री' उपन्यास के नायक नरेन्द्र पशु का मत है कि 'समाज में दुःखों का कारण सामाजिक विषमता है। धनी गरीब का भेद मिटाकर ही संसार में मनुष्य जाति को दुख सागर से उबारा जा सकता है।'²⁰ सप्तसिन्धुकाल में कोई आर्य पशु और गबाश्व धन से हीन क्यों हो जबकि उसके भाईयों के पास धन है। हजारों धन वाले यदि एक-एक पशु दे दें तो दस गरीब भी सौ-सौ धन वाले हो जायेंगे।²¹ अपने अनुदित उपन्यासों में भी राहुल ने इसी सामाजिक विषमता के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल बजाया है। राहुल की मान्यता है कि दाने-दाने के लिए मोहताज करके आदमी को पशु से भी नीचे गिराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हवा-पानी की तरह धरती व धन भी सबका साझे का होना चाहिए। राहुल जी ने अपनी साम्यवादी विचारधारा को बल प्रदान करने के लिए युगों से चले आ रहे सामाजिक नियमों व कानूनों को भी बदलने पर बल दिया तथा नवीनतावादी दृष्टिकोण की नींव रखी। ईश्वर का विचार राहुल के लिए मनुष्य की अज्ञानता और असमर्थता का प्रतीक हैं। इनका कहना था कि यदि कहीं भगवान है तो दुनिया में अन्याय व अत्याचार क्यों हो रहा है। राहुल धर्म को केवल साधन मानते हैं साध्य नहीं वे धर्म को उस बेड़े के समान मानते हैं जो मनुष्य को भव से पार लगाने में सहायक है। धर्म को जबरदस्ती थोपना उन्हें पसन्द नहीं। राहुल प्रगतिशील विचारधारा से युक्त

इसमें सभी धर्मों व जाति के लोगों को एक समान माना गया है। मानव के दुःख व दुःखों के कारण खोजना बौद्ध धर्म का उद्देश्य है जो कि राहुल की मानवतावादी दृष्टि से मेल खाता है। 'विस्मृतयात्री' उपन्यास का बात नरेन्द्र यश बौद्ध धर्म में दीक्षित होकर मानव मात्र की भलाई के लिये अपना सम्पूर्ण जीवन समर्पित कर देता है। इसी भांति, 'जय यौधेय का जय सिंह सेनापति' का सिंह व जीने के लिए उपन्यास का पात्र देवराज मानव मात्र के हित साधन में ही स्वर्गिक आनन्द का अनुभव करते हैं। 'बौध धर्म में अनित्यवाद, अनात्मवाद एवं निर्वाण आदि की विस्तृत एवं विशद विवेचना मिलती है।²² सभी वस्तुएं क्षणिक हैं। दुनिया में कोई चीज नित्य नहीं है। इसी कारण राहुल ने दुःख के कारणों को भी अनित्य माना है तथा इन कारणों को समूल उखाड़ फेंकना अपना उद्देश्य निर्धारित किया है।

जन जागृति का प्रयत्न : राहुल ने अपने उपन्यासों के माध्यम से जन जागरूकता की भावना को विकसित करने का प्रयास किया है। इन्होंने समाज में दीन-हीन निर्धन वर्ग को जागरूक करके उन्हें अपने अधिकारों व कर्तव्यों के लिए लड़ना सिखाया है। क्योंकि दो बाहु और एक मस्तक वाला आदमी निन्नानवे मस्तक और निन्नानवे जोड़े हाथों वाले अपार जन समूह को धोखे में डालकर सदा लूटते नहीं रह सकता।²³ राहुल जी के मत में पराये श्रम को लूटने वाला चोर के समान है क्योंकि दुनिया का ऐसा कोई भगवान नहीं है जो उनके घर को दीनारों से भर दे। राहुल लिखते हैं कि किस के आंगन में सोने का पेड़ नहीं है कि हिला दिया और आंगन भर गया। फिर हम कैसे मान ले कि जो यह भोग विलास करोड़-करोड़ रुपये का पानी फेरना हो रहा है। वह भाग और भगवान की ओर से आता है।²⁴ राहुल सांकृत्यायन समाज में सारी बुराइयों की जड़ इन पूंजीपतियों को मानते हैं। वे गरीबों का खून चूस-चूसकर मोटे जोंक के समान हो जाते हैं तथा जिस दिन इन जोंकों को निकाल फेंका उसी दिन दुनिया नरक से स्वर्ग हो जायेगी।

वर्गहीन आदर्श समाज की स्थापना पर बल : राहुल सा. एक ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते थे जहां न कोई उच्च हो और न कोई निम्न। उत्पादन व इसके साधनों पर सबका समान अधिकार हो सभी सुखी व सम्पन्न हो। साम्यवाद का ध्येय है सारे देश या विश्व को एक सम्मिलित परिवार बना देना और देश की सारी सम्पत्ति को उस परिवार की सम्पत्ति बना देना। 'सिंह सेनापति' में लक्षशिला वैशाली तथा 'उत्तरकुरु' अंक में मिल जुलकर खेतों में कार्य करना चित्रित है तो 'जय यौधेय' में मानवता के बाल्यजीवन अंक में गांधार प्रदेश में यही साम्यवादी विचारधारा

समान है तथा धन-दौलत की जहां किसी को कोई लालसा नहीं। न कोई धनी है न कोई निर्धन जो भोजन वस्त्र ओर गृह सामग्री एक के पास है वहीं दूसरे के पास भी उपलब्ध है। 'बच्चों को तीन वर्ष तक निःशुल्क राजकुमारों की तरह पाले जाने की व्यवस्था है। उसके बाद बीस वर्ष तक उत्तम शिक्षा का प्रबन्ध राष्ट्र की ओर से है तथा शिक्षा समाप्ति के बाद भी योग्य विदुषी कन्या से इच्छानुसार विवाह बिना जेवर दहेज आदि के झगड़ों के हो जाता है। तब रूपये से क्या मतलब, माल मिलिकयत किसी की है ही नहीं सभी राष्ट्रीय सम्पत्ति है।²⁵ इस प्रकार राहुल ने मार्क्स के साम्यवादी समाज का सपना अपने उपन्यासों में साकार किया है। वे न तो पलायनवादी रहे हैं और न ही वर्तमान में प्रति मोहासक्त। इन्होंने समाज में व्याप्त बुराइयों को जड़ से उखाड़ फेंकने तथा साम्यवादी समाज की स्थापना पर बल दिया। अन्ततः कहा जा सकता है कि राहुल जी के उपन्यासों का उद्देश्य इतिहास दर्शन के साथ-साथ समाजवादी सिद्धान्तों के प्रसार द्वारा एक आदर्श समाज की स्थापना को प्रोत्साहन देना है।

संदर्भ सूची

1. प्रेमचन्द में जीवन दर्शन के विधायक तत्व — डॉ. कृष्ण चन्द्र पाण्डेय, रचना प्रकाशन प्रथम सं. 1970 पृ० सं. 17
2. उपन्यासकार वृन्दावन लाल वर्मा — डॉ. शशि भूषण सिंघल पं. सं. 269
3. हिन्दी के ऐतिहासिक उपन्यासों में इतिहास प्रयोग — डॉ. गोविन्द जी, पृ. सं. 64
4. महापंडित रा.सा. का सर्जनात्मक साहित्य — डॉ. खेलचन्द आनन्द पृ. सं. 264
5. हिन्दी उपन्यास : समाज शास्त्रीय अध्ययन — डॉ. चण्डी प्रसाद जोशी, पृ. सं. 398
6. भारतीय धर्म एवं संस्कृति — बुद्ध प्रकाश (प्राक्कथन) मीनाक्षी प्रकाशन, मेरठ
7. बाईसवीं सदी — रा.सा. पृ.सं. 9
8. दिवोदास — रा.सां. पृ.सं. 116
9. वही पृ. सं. 110
10. जययौधेय — रा.सां., पृ.सं. 234
11. प्रगतिवाद और हिन्दी उपन्यास — रा.सां. पृ.सं. 304
12. जय यौधेय — रा.सा. पृ.सं. 155
13. बाईसवीं सदी — रा.सां. पृ.सं. 106
14. भागों वहीं दुविधा को बदलो, पृ.सं. 179
15. जीने के लिए रा.सां. पृ.सं. 200
16. वहीं पृ.सं. 109

20. विस्मृत यात्री — रा.सां. पृ.सं. 271
21. दिवोदास — रा.सां. पृ. 116
22. मधुरस्वप्न — रा.सां. पृ. 290
23. विस्मृत यात्री — रा.सां.
24. भागो नहीं दुनिया को बदलो — रा.सां. पृ. 29
25. बाईसवीं सदी — रा.सां.

डॉ. अनिता धर्मपत्नी अमित चौधरी
165, मानसी विहार, सै. 23,
संजय नगर, गाजियाबाद (उ.प्र.)

सारांश : 'कसप' मनोहर श्याम जोशी का 1982 में प्रकाशित दूसरा उपन्यास है। लेखक ने कुमाऊं की भाषा और पात्रों के सजीव चित्रण से इस पहाड़ी क्षेत्र को उपन्यास में प्रस्तुत किया है। फोटोग्राफिक शैली में रचित इस उपन्यास में नायक है। डी.डी. अर्थात् देवदत्त तिवारी और नायिका है मैत्रेयी। कविता, कहानी लिखने वाले फिल्मों से जुड़े निम्न मध्यवर्गीय युवक डी.डी. की यह प्रेम कहानी उत्तर आधुनिकता के सन्दर्भ में चित्रित की गई है।

मनोहर श्याम जोशी स्वयं स्वीकार करते हैं कि 'कसप' की कहानी में कोई नयापन या मौलिकता नहीं है। वे कहते हैं कि "किसी के रचे पर मैं जो रच रहा हूँ, यह एडवर्ड युगीन बंगलों के इस शान्त, सुन्दर पहाड़ी कस्बे बिनसर में, वह प्रेम कहानी है।"¹

उपन्यास की विषय वस्तु में मौलिकता का वर्णन न करना ही इसे उत्तर आधुनिक बनाता है। "ब्रोद्रीला इसी सन्दर्भ में आज के अतिथार्थवादी युग में किसी नई रचना की संभावना को निरस्त करता है। रोला बार्थ द्वारा लेखक की मृत्यु की घोषणा भी इसी सन्दर्भ में सही है क्योंकि लेखक के पास नितान्त मौलिक लिखने के लिए कुछ भी शेष नहीं बचा है।"²

आज विश्व में सूचना क्रान्ति का जोर है जिसके कारण स्थानीयता व अन्तर्राष्ट्रीयता का अन्तर समाप्त हो गया है। उत्तर आधुनिकता का यह सन्दर्भ भी इस उपन्यास में भली भांति उजागर हुआ है। 'कसप' में कुमाऊं की भाषा, जीत, रहन-सहन, खेल, उत्सव, रीति-रिवाज, परम्पराओं का सजीव चित्रण है, दूसरी ओर उपन्यास लंदन, अमेरिका, फ्रांस को अपनी कहानी में उभारता है। इस उपन्यास की खासियत यह है कि नायक इन दोनों परिवेशों को जोड़ने का माध्यम है। इस प्रकार यह उपन्यास स्थानीय लघुता के साथ-साथ सार्वदेशिक सर्वव्यापकता को एक साथ चित्रित करता है।

कसप उपन्यास की आंचलिकता उत्तर आधुनिक है। इसमें क्षेत्र मुख्य न होकर पृष्ठभूमि में है, भूगोल मात्र है और प्रमुख पात्र आजीविका की खोज में इसे छोड़ चुके हैं। वे इस क्षेत्र में पर्यटक बनकर आराम के लिए आते हैं। आंचल या क्षेत्र विशेष जब इनके महत्व को स्वीकार नहीं करता तो वे इसे गाली देने या घृण करने से नहीं कतराते। 'कसप' का नायक डी.डी. सोचता है— "यह शहर मुझे तभी स्वीकार करेगा जब मैं सरकारी नौकरी पर लगूँ, तरक्की पाता रहूँ और अवकाश प्राप्त करके पुश्तैनी घर में लौट आऊँ।"³ स्थानीयता सदा आकर्षक और आनन्द देने वाली नहीं होती। नायक अपने नगर को धिक्कारता हुआ अपने आप को उससे अलग करता हुआ कहता है— "मैं लानत भेजता हूँ इस नगर पर।

कामुदी, रेनबो रीडर पर, मोनियर विलियम्स के कोष, ऐटकिशन के गजेटियर पर, मैं लानत भेजता हूँ। अतीत के क्षय पर, भविष्य के भय पर, सीखचों के पीछे से चीखते उन्माद पर, खांसी के साथ होते रक्तपात पर, मैं लानत भेजता हूँ।"⁴

उत्तर आधुनिकतावाद में बुद्धिवाद ने मानव के मन की सभी धारणाओं व भावनाओं को उधेड़ डाला तो प्रेम कैसे बचता। पूर्व और पश्चिम के प्रेम सम्बन्धों को दर्शाने के लिए मनोहर जी ने मैत्रेयी और गुलनार को चुना। "मनोहर श्याम जोशी, मैत्रेयी मिश्रा और गुलनार के प्रेम और विवाह सम्बन्धी अनुभवों को एक-दूसरे के सामने रखकर 'जथ्सटोपोज' करके आंकने का प्रयास करता है। मैत्रेयी का प्रेम के प्रति दृष्टिकोण सहज भावुकतापूर्ण है जबकि गुलनार का बौद्धिकतावादी है, तार्किक है। गुलनार और मैत्रेयी दोनों डी.डी. से सम्बद्ध हैं। मैत्रेयी तब उसके सम्पर्क में आई जब वह बेबी थी और डी.डी. एकदम लाटा, लेकिन बेबी ने उसे अन्तर्मन से चाहा और अपनाया था। उसने अपने पिता और बड़े भाई से विद्रोह किया था। डी.डी. अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति को अधिक महत्व देता है और अपने पिता और प्रिया बेबी का परामर्श नहीं मानता। उसने प्रेम में भावना की जगह तर्क को, स्वार्थ को अधिक महत्व दिया। आज मैत्रेयी डी.डी. के छोड़ने के बावजूद समृद्ध है, सुखी है।"⁵

उत्तर आधुनिकता में विचारधाराओं को मानव स्वतंत्रता में बाधक माना गया है और उनकी मृत्यु की घोषणा की गई है। पूंजीवाद और समाजवाद ने आधुनिक युग में मनुष्य जीवन को सबसे अधिक प्रभावित किया है। इस उपन्यास में भी लेखक मैत्रेयी के माध्यम से समाजवाद का विरोध करते हुए कहता है— जी हाँ, मैं शास्त्रियों की बेटा हूँ। यह मेरे लिए विशेष गर्व का विषय नहीं है। मैं इसे अपने लिए शर्म की बात मानने को तैयार नहीं। सुनते हैं इन्सान बंदर की औलाद है। क्या मेरे आलोचक यह चाहेंगे कि सारी इन्सानियत मारे शर्म के खुदकुशी कर ले? मुझमें इतना विवके है कि उत्तराधिकार में पूर्वजों का विद्या प्रेम ही लूँ, जातिगत अहंकार नहीं।"⁶

आधुनिक साहित्य में भेदस को अप्रस्तुति योग्य माना गया है। यह साहित्य मानता है कि भेदस जीवन का बड़ा हिस्सा है तो उसे साहित्य की परिधि से बाहर कैसे रखा जा सकता है। उपन्यास में लेखक नायक-नायिका का प्रथम मिलन अस्थाई शौचालय के पास कराता है। इसी प्रकार होटल के कमरे में नायक-नायिका के शरीरिक मिलन, सम्भोग का चित्रण भी भेदस

उपन्यास की भाषा में विविधता देखने को मिलती है।

डबल कोडिंग के रूप में भी प्रयुक्त हुई है। उपन्यास में अंग्रेजी, संस्कृत, कुमाऊंनी और लोक प्रचलित सन्दर्भों से सामग्री ली गई है जिससे उपन्यास में अन्तर्पाठीयता का गुण आ गया है।

निष्कर्ष : उत्तर-आधुनिक विशेषताओं को आत्मसात करता हुआ यह उपन्यास प्रेम विषयक आधुनिकतावादी अवधारणा का पूरी तरह खण्डन करता है। इस उपन्यास में सबसे प्रमुख है- बहुमुखता, जिसके कारण कुमाऊं के गाँव से लेकर अमेरिका का भूगोल, वेदों के समय से अभी तक का काल, फिल्मी जीवन से लेकर सरकारी नौकरी और संस्कृति की दुनिया तक के सारे सन्दर्भ उपन्यास में चले आये हैं।

सन्दर्भ सूची

1. 'शकसप' मनोहर श्याम जोशी, पृ. 9.
2. उत्तर आधुनिकता और समकालीन हिन्दी उपन्यास, चमनलाल गुप्त, पृ. 167.
3. 'शकसप' मनोहर श्याम जोशी, पृ. 130.
4. वही., पृ. 131.
5. उत्तर आधुनिकता और समकालीन हिन्दी उपन्यास, चमनलाल गुप्त, पृ. 170.
6. 'शकसप' मनोहर श्याम जोशी, पृ. 267.

डॉ. अंजु देशवाल
हिन्दी विभाग,
श्री लालनाथ हिंदू कॉलेज
रोहतक।

सारांश : भारतीय दर्शन में 'प्रामाण्यवाद' एक बहुत महत्वपूर्ण विषय रहा है। सभी सम्प्रदायों ने इसके ऊपर यथा स्थल विचार किया है। परन्तु मीमांसा तथा न्याय-वैशेषिक शास्त्र में इसके ऊपर सर्वाधिक विचार किया गया है। यहाँ प्रस्तुत पत्र में हम संक्षेप में मीमांसक मत का निरास करते हुए न्याय-वैशेषिक मत का प्रतिपादन करेंगे।¹

तर्कभाषाकार केशवमिश्र ने प्रामाण्य के सम्बन्ध में केवल महामीमांसक कुमारिलभट्ट के मन्तव्य की ही मुख्यरूप से आलोचना की है। प्रमा के करण को 'प्रमाण' कहते हैं।² प्रमा का अर्थ है 'यथार्थ अनुभव'।³ प्रमा के करण अर्थ में 'प्रमाण' शब्द का प्रयोग होता है, जैसे ही 'प्रमा' के अर्थ में भी 'प्रमाण' शब्द का प्रयोग होता है। 'प्रामाण्यवाद' में प्रामाण्य का अर्थ है 'प्रमाण का भाव'। यहाँ 'भाव' अर्थ में 'ष्यञ्' प्रत्यय किया गया है। 'भाव' अर्थ में 'त्व' प्रत्यय भी होता है, तब 'प्रमाणत्व' बनता है। 'प्रमाणत्व' या 'प्रामाण्य' दोनों का अर्थ एक ही है। प्रामाण्य या प्रमाणत्व का अर्थ हुआ 'ज्ञान की यथार्थता'। अतएव तर्कभाषाकार ने कहा है कि 'ज्ञान की यथार्थता' ही ज्ञान का प्रामाण्य है।⁴ 'प्रामाण्यसम्बन्धी वादः - प्रामाण्यवादः' अर्थात् 'ज्ञान' के प्रामाण्य का विचार। अब अमुक ज्ञान यथार्थ है या अयथार्थ, इसका निर्णय कैसे किया जाता है ? इसे शास्त्रीय भाषा में इस प्रकार कहा जायेगा 'ज्ञान का प्रामाण्य कैसे गृहीत है' ? इस विषय पर दार्शनिकों ने बहुत ही गम्भीर विचार किया है। यह प्रामाण्य विचार सर्वप्रथम 'वेद' के लिये ही उदित हुआ क्योंकि उस स्थिति में वैदिक कर्मानुष्ठान, वेद प्रामाण्य के बिना होना सम्भव ही नहीं था। अतएव मीमांसकों ने प्रामाण्य के बिना होना सम्भव ही नहीं था। अतएव मीमांसकों ने अपना सर्वस्व ही उसके प्रामाण्य की सिद्धि में लगा दिया। 'स्वतः प्रमाणं परतः प्रमाणं कीरांगना यत्र गिरन्ति'—यह अद्भुत वातावरण पैदा हो गया था।⁵ उसके फलस्वरूप 'वेद' के प्रामाण्य की सिद्धि में यथोरूप दुग्ध का पान सर्वप्रथम मीमांसकों ने ही किया है। तदनन्तर उसी न्याय से सामान्यतः सभी ज्ञानों को लेकर प्रामाण्य का विचार करते हुए व्यवहार को शुद्ध किया गया है। लोकव्यवहार में देखते हैं कि प्रत्येक आदमी की प्रवृत्ति, किसी प्रयोजन से ही हुआ करती है। तात्पर्य यह है कि प्रत्येक मनुष्य की प्रवृत्ति का कारण उसकी 'हान-उपादान-उपेक्षाबुद्धि' ही है अर्थात् उसकी प्रवृत्ति में निमित्त उसका 'ज्ञान' ही है।

व्यवहार में हम देखते हैं कि किसी भी वस्तु के 'यथार्थज्ञान' से तथा 'संशयात्मकज्ञान' से भी मनुष्य की प्रवृत्ति होती है। किसी आदमी के घर के समीप ही एक जल सरोवर है, वहाँ से प्रतिदिन

उससे पूछता है कि यहाँ कहीं जल है? तब प्रामाणिक ज्ञान के अनुसार वह जल लाने के लिए प्रवृत्त हुए आदमी से जल लाने के लिए कहता है। यह अभ्यासदशापन्न प्रामाणिक ज्ञान है। कभी-2 हम यह भी देखते हैं कि मरुभूमि में प्रखर धूप से तृषित हुआ व्यक्ति जल की खोज में भटकत- 2 उसे कहीं जल का संदेह हो जाता है तथा संदेह मात्र से ही वह अपनी तृष्णाशान्ति के लिए प्रवृत्त होता है और सौभाग्य से उसे जल की प्राप्ति भी हो जाती है, तब वह कह उठता है कि मेरी प्रवृत्ति सफल हुई। इसी को 'समर्थ-प्रवृत्ति' यानी ज्ञान के अनुकूल प्रवृत्ति कहते हैं। इसी के बल पर 'सन्दिग्धजलज्ञान' का प्रामाण्य समझता हैं। यह अनभ्यासदशापन्न प्रामाणिक ज्ञान है। इस द्विविध प्रवृत्ति को देखकर मन में संदेह उठता है कि 'ज्ञान के प्रामाण्य' का निश्चय, क्या प्रवृत्ति से पहले होता है या बाद में।⁶

ज्ञान-ग्राहक-सामग्री :-

जब चक्षु से घट का संयोग होता है तो 'अयं घटः' इस प्रकार के ज्ञान की उत्पत्ति होती है। परन्तु सभी ज्ञान हमारी आत्मा के द्वारा गृहीत नहीं हो पाते हैं। यही कारण है कि अनेक पदार्थों के साथ इन्द्रियों का संयोग होने पर भी उन पदार्थों का ज्ञान हम नहीं कर पाते हैं। अतः ज्ञान को आत्मा के द्वारा गृहीत करने वाला साधन ही 'ज्ञान-ग्राहक-सामग्री' शब्द से अभिहित किया गया है।⁷ यह 'ज्ञान-ग्राहक-सामग्री' क्या है ? इस विषय में निम्नलिखित मत हैं -

न्याय-वैशेषिक-मत :-

उस मत के अनुसार, 'अयं घटः' शब्द से होने वाला ज्ञान 'व्यवसाय' कहलाता है और उसको आत्मा को गृहीत कराने वाला साधन, 'व्यवसाय' के पश्चात् होने के कारण 'अनुव्यवसाय' कहलाता है, जिसका स्वरूप होता है—'घटमहं जानामि' अथवा 'घट-विषयक-ज्ञानवानहम्' इस प्रकार इनके अनुसार ज्ञान ग्राहक सामग्री 'अनुव्यवसाय' है।⁸

भाट्ट-मीमांसक-मत :-

कुमारिल भट्ट का मानना है कि 'अयं घटः' इस ज्ञान की उत्पत्ति के पश्चात् 'ज्ञातो घटः' इस प्रकार की प्रतीति होती है। यह प्रतीति घट में 'ज्ञातता' की सिद्धि करती है, क्योंकि जिस प्रकार घट वही होता है जो घटत्व से युक्त हो, उसी प्रकार ज्ञात वही पदार्थ होगा जो ज्ञातता से युक्त हो। तात्पर्य यह है कि ज्ञात पदार्थ में वर्तमान धर्म ही ज्ञातता है। इसीलिए 'अयं घटः' इस ज्ञान के द्वारा घट में ही 'ज्ञातता' उत्पन्न होती है, पटादि में नहीं।⁹

जानामि' इस प्रतीति से ही सिद्ध है। अतः इनके अनुसार ज्ञान—ग्राहक—सामग्री स्वयं ज्ञान ही है।¹⁰

मुरारि—मिश्र—मत :-

मुरारि मिश्र के अनुसार, 'अयं घटः' इस ज्ञान का ग्रहण 'घटमहं जानामि' इस अनुव्यवसाय से ही होता है।¹¹

मीमांसकों का स्वतः प्रामाण्यवाद :-

प्रामाण्य प्रकरण में 'स्व' का अर्थ 'ज्ञान—ग्राहक—सामग्री' तथा 'पर' का अर्थ 'ज्ञान—ग्राहक—सामग्री' से भिन्न पदार्थ। मीमांसकों के अनुसार वेद अपौरुषेय है इसलिए उन्होंने स्वतः प्रामाण्य माना तथा केवल ज्ञान मात्र में माना। उनके अनुसार सभी ज्ञान प्रामाण्य के साथ उत्पन्न होते हैं। अतः ज्ञान स्वरूपतः अप्रमाण नहीं होता। प्राभाकरों ने तो भ्रम ज्ञान—'इदं रजतम्'—में भी अख्याति ही मानी है। उनका तर्क है कि शुक्ति के साथ चक्षु के सन्निकर्ष होने से 'इदम्' इस ज्ञान की उत्पत्ति होती है जो यथार्थ है। 'इदं रजतम्' इत्यादि भ्रम स्थल में दो ज्ञान हैं — 'इदम्' (अनुभव) तथा 'रजतम्' (स्मृति)। दोनों ही ज्ञान स्वरूपतः यथार्थ है परन्तु दोषवशात् इनमें जो भेद है उसका ग्रहण नहीं पाता है जिसके परिणामस्वरूप दोनों ज्ञानों को एक समझने लगते हैं। अनुभव तथा स्मृति में भेद का अग्रहण¹² ही ज्ञान में भ्रमत्व है। वस्तुतः ज्ञान यथार्थ ही होता है। इसी को अख्याति कहते हैं। अप्रामाण्य तो इन्द्रिय दोष आदि के कारण विवेकाग्रहण प्रयुक्त है, अतः 'परतः' है।

कुमारिल भट्ट भ्रम स्थल में अन्यथा ख्याति को मानकर मानते हैं कि ज्ञान प्रथमतः यथार्थ ही होता है परन्तु बाद में रज्जु में सर्प की उपपत्ति होने पर भय कम्पनादि के कारण यथार्थत्व नहीं रहता। अतः प्रामाण्य स्वतः है। अप्रामाण्य तो अन्यान्य कारण वश प्रसिद्ध होने से परतः है। मुरारि मिश्र का मत है कि अनुव्यवसाय घट, घटत्व तथा इन दोनों के सम्बन्ध को भी विषय बनाता है। अतः घटत्व विशिष्ट में घटत्व—वैशिष्ट्य—विषयकत्व—स्वरूप प्रामाण्य अनुव्यवसाय से ही गृहीत हो जाता है।¹³

स्वतः प्रामाण्यवाद का खण्डन :-

नैयायिक—वैशेषिकों ने उपर्युक्त तीनों मीमांसकों के स्वतः प्रामाण्यवाद का खण्डन किया है। इनके अनुसार ज्ञान दो प्रकार का होता है — अभ्यासदशापन्न तथा अनभ्यासदशापन्न। जब ज्ञान के ग्रहण के बाद ज्ञाता की प्रवृत्ति हो जाती है तब वह ज्ञान अभ्यासदशापन्न और प्रवृत्ति से पहले वह ज्ञान अनभ्यासदशापन्न कहलाता है। अभ्यासदशापन्न ज्ञान में प्रवृत्ति की सफलता या विफलता के निश्चित हो जाने से प्रामाण्य सन्देह नहीं होता है परन्तु अनभ्यासदशापन्न ज्ञान में संशय — इदं ज्ञानं प्रमा अप्रमा वा?— अवश्य ही होता है — ऐसा सभी का अनुभव है। अतः

इस सम्प्रदाय के अनुसार, ज्ञान के अनुव्यवसाय होने पर सन्देह से ही ज्ञाता की प्रवृत्ति होती है। तदनन्तर यदि प्रवृत्ति में उसे सफलता मिल जाती है तो वह अनुमान करता है — "मदीयं ज्ञानं प्रमाणम्, सफल—प्रवृत्ति—जनकत्वात्, यन्न प्रमाणं तन्न सफल—प्रवृत्ति—जनकम्, यथा शुक्तौ रजत—ज्ञानम्" । यदि प्रवृत्ति में विफलता होती है तो अप्रामाण्य का अनुमान करता है — " मदीयं ज्ञानम्— प्रमाणम्, विफल—प्रवृत्ति—जनकत्वात्, यन्न अप्रमाणं तन्न विफल — प्रवृत्ति — जनकम्, यथा प्रमात्मकं घटादि ज्ञानम्" । अभ्यासदशापन्न ज्ञान में प्रामाण्य अथवा अप्रामाण्य व्यतिरेक—व्याप्ति के आधार पर सम्पन्न अनुमान से गृहीत होता है, ज्ञान — ग्राहक — सामग्री — अनुव्यवसाय से नहीं। अतः परतः प्रामाण्य तथा परतः अप्रामाण्य उपपन्न है।¹⁵

सन्दर्भग्रन्थसूची

1. वैशेषिक दर्शन एक अध्ययन, लेखक — डॉ० श्रीनारायण मिश्र, प्रकाशक — चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी, पृ० 198
2. 'प्रमाकरणं प्रमाणम्' । तर्कभाषा — केशवमिश्र, व्याख्याकार — डॉ० गजानन शास्त्री मुसलगाँवकर, चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी, पृ० 11
3. यथार्थानुभवः प्रमा। तत्रैव, पृ० 12
4. ज्ञानस्य याथार्थ्यलक्षणम्प्रमाणम्।
5. तर्कभाषा — केशवमिश्र, व्याख्याकार — डॉ० गजानन शास्त्री मुसलगाँवकर, चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी, पृ० 230
6. तत्रैव, पृ० 230
7. वैशेषिक दर्शन एक अध्ययन, लेखक — डॉ० श्रीनारायण मिश्र, प्रकाशक — चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी, पृ० 198
8. तत्रैव, पृ० 198
9. तत्रैव, पृ० 199—200
10. तत्रैव, पृ० 200
11. गुरु—मते स्व—प्रकाशाऽऽदिना, मुरारि मते अनुव्यवसादिना, भट्टनये.....त० चि० आ०, पृ० 6012 विवेकाग्रह — निबन्धनो भ्रमः। वैशेषिक दर्शन एक अध्ययन, लेखक — डॉ० श्रीनारायण मिश्र, प्रकाशक — चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी, पृ० 220
13. प्राभाकरेण प्रपञ्च — ज्ञाने अन्यथाख्यातित्व — मात्रस्याप्यस्वीकारात्.....तत्रैव, पृ० 203
14. वैशेषिक दर्शन एक अध्ययन, लेखक — डॉ० श्रीनारायण मिश्र, प्रकाशक — चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी, पृ० 203
15. तत्रैव, पृ० 204

सारांश : देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। भारत में शासन की भाषा अंग्रेजी स्वीकार की जा चुकी थी। अंग्रेजी हुकूमत में पद लोलुपता की भावना प्रबल थी। बड़े ओहदों के लिए लालायित भारतीय, अंग्रेजी और विदेशी सभ्यता अपनाकर खुद गौरवान्वित महसूस करने लगे थे। भारतीयों में जो खुद को सभ्य और सुशिक्षित समझते थे, वे हिन्दी को हेय दृष्टि से देखने लगे थे। अंग्रेजी की नीति से हमारे साहित्य पर बुरा असर पढ़ रहा था। हमारी संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था ऐसे समय में जब हिन्दी को एक दृढ़ आत्मविश्वासी कुशल नेतृत्व की आवश्यकता थी, जिसमें युग परिवर्तन की क्षमता, राष्ट्रीयता की रक्षा कर सकता हो अथवा मात्र भाषा की रक्षा के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर सकता हो। ऐसे वातावरण में हरिश्चंद्र बाबू अवतरित हुए। इनका जन्म कशी नगरी के प्रसिद्ध सेठ अमीचंद के वंश में 9 सितम्बर, 1850 को हुआ। इनके पिता का नाम बाबू गोपाल चन्द्र था। ये भी ब्रज भाषा से सम्पन्न कवि थे। इनके घराने में वैभव और प्रतिष्ठा थी। जब इनकी उम्र 5 वर्ष की थी तो माता जी चल बसी और 10 वर्ष की आयु में पिताजी चल बसे। इनका विवाह 13 वर्ष की आयु में हो गया था। इनका निधन भी अल्पायु में ही 6 जनवरी, 1885 को हो गया। घर के साहित्यिक वातावरण का प्रभाव भारतेन्दु पर पड़ा। उन्होंने 5 वर्ष की अवस्था से ही दोहों की रचना करनी शुरू कर दी थी।

वे विलक्षण प्रतिभा के व्यक्ति थे। उन्होंने सर्वप्रथम समाज और देश की दशा पर विचार किया और फिर अपनी लेखनी के माध्यम से विदेशी हुकूमत का पर्दाफाश किया। जहां भारत के गौरवशाली अतीत से उनका मन प्रफुल्लित था, वहीं विदेशी दासता के कारण उनके कवि हृदय से टीस उठती रहती थी। वे विदेशी भाषा की अपेक्षा स्वदेशी भाषा के प्रबल पक्षधर थे। राजनीतिक दासता से तो हमने मुक्ति पा ली लेकिन भाषायी दासता से पूर्ण मुक्त होना अभी शेष है। राजभाषा के रूप में हिन्दी को प्रोत्साहित करने वाले भारतेन्दु हरिश्चंद्र पहले व्यक्ति थे। भाषा, धर्म, राजनीति, अध्यात्म, राष्ट्रीयता तथा सभी क्षेत्रों में भारतेन्दु जी ने लिखा।

इन्होंने अपनी परिस्थितियों से गंभीर प्रेरणा ली। इनके मित्र मण्डली में बड़े-बड़े लेखक, कवि एवं विचारक थे, जिनकी बातों से प्रभावित थे। इनके पास विपुल धनराशि थी, जिसे इन्होंने साहित्य की सहायता हेतु मुक्त हस्त से दान किया।

अपने जीवनकाल में लेखन के अलावा और कोई कार्य नहीं किया। तभी तो 35 वर्ष की अल्पायु में 72 ग्रंथों की रचना करना संभव हो सकता था। इनकी विद्वयता से प्रभावित होकर 27

विभूषित किया जाए। समस्त हिन्दी संसार ने तब इन प्रस्ताव का हृदय से स्वागत किया था और बाबू हरिश्चंद्र सदा के लिए हिन्दी भाषा जनता के 'भारतेन्दु' बन गए थे। इस उपाधि का मूल्य तब आज के नोबेल पुरस्कार से भी बढ़कर था। यह जनता की दी हुई उपाधि थी, जो तब भी सरकार और उसके समर्थकों के लिए चुनौती के रूप में थी, क्योंकि तभी सरकार ने राजा शिवप्रसाद को 'सितारेहिंद' बनाया था। भारतेन्दु जनता के बनाए अपने भारतेन्दु थे।

यद्यपि भारतेन्दु जी विविध भाषाओं में रचना करते थे, किन्तु ब्रजभाषा पर इनका असाधारण अधिकार था। इस भाषा में इन्होंने अद्भुत श्रीगारिकता का परिचय दिया है। इनका साहित्य प्रेममय था क्योंकि प्रेम को लेकर इन्होंने सप्त संग्रह प्रकाशित किए हैं। 'प्रेम माधुरी' इनकी सर्वात्कृष्ट रचना है —

“मारग प्रेम की समुझे
हरिश्चंद्र यथारथ होता यथा है।
लाभ कुछ न पुकारने में,
बदनाम ही होने की सारी कथा है।
बाबरे हैं ब्रज के सिंगरे
मोहि नाहक पूछता कौन विथा है।”

'बादशाह दर्पण' इनका इतिहास की जानकारी प्रदान करने वाला ग्रन्थ है। इनके प्रमुख नाटक वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति — 1873, भारत दुर्दशा—1875, अंधेर नगरी—1881, कृष्ण चरित्र 1881 इत्यादि।

उनमें अपने देश के प्रति बहुत बड़ी निष्ठा थी। इन्होंने सामाजिक समस्या उन्मूलन की बात की। अपने समकालीन शासकों के अत्याचारों के विरुद्ध जनता को जगाने के परम्परा इस देश में बहुत पुरानी है। अतीत में अकबर के दरबारी कवि पृथ्वीराज तथा गोरा—बादल के रचनाकार जयमल, सूदन, जोध—राज चंद्र शेखर एवं भाषण आदि ऐसे कई रचनाकार हो चुके हैं, जिन्होंने अपनी लेखनी के द्वारा समकालीन शासकों के अत्याचार के विरुद्ध जनता को समय—समय पर जगाया था परन्तु सम्पूर्ण भारतीय जनता को संगठित कर ऐसे आततायी शासकों के विरुद्ध संघर्ष करने की प्रेरणा का अभ्युदय हिन्दी में भारतेन्दु हरिश्चंद्र के लेखन से ही प्रारम्भ होता है भारतेन्दु एवं उनके सहयोगी रचनाकार राष्ट्रीय यथार्थ के प्रत्येक पहलु पर अपना दृष्टि गडाए हुए थे तथा परिणाम पर पहुंच चुके थे कि जब तब भारतीय अपने देश के गौरवमय अतीत को यद् नहीं करेंगे तब तक उनमें से दौबरल्य एवं हीनभावना का विकसन संभव नहीं होगा। इसी पूर्ण भावना का आधार भूत

अवस्था को पहुंच चुका है। भारतेंदु को यह दशा बड़ी ही कष्टकर लगती है।

“अब सबके पीछे—सोहु परत लरबाई। हा भारत दुर्दशा न देखि जाई।” जैसी पंक्तियों लिखकर अन्यत्र भी उन्होंने अपने अंतःस्थल के बड़वानल को उड़ेल कर रख दिया है। “रिहा करता नहीं सैय्यद हमको मौसिमे गुल से कफस में, दम जो घबरात है सर दे—दे पटकते हैं” जैसे शेर लिखकर बंद पिंजड़े में कैद पक्षी की भांति फड़फड़ा कर रह जाने की विवशता उनके समक्ष है, क्योंकि उनके आंखों के सामने की सीधी सादी भारतीय जनता पर ब्रिटिश सरकार द्वारा दिन—रात जुल्म ढाए जा रहा है। वह निर्दोष है पर उसमें उस पौरुष तथा नैतिक साहस का नितांत आभाव है, जो किसी विवेक शून्य आतयायी को अपनी बात मनवाने को बाध्य कर सके। जनता तो जनता है, यहां के राजे—महाराजे तक असंगठित एवं अकर्मण्य बनकर विदेशी शासकों के चरण रज अपने सिर पर धारण करने का बेचैन रहते हैं। अपनी हरिश्चंद्र चन्द्रिका पत्रिका मई—सितम्बर अंक 1875 में बड़े साफ शब्दों में भारतेन्दु ने भारतीय रियासतों की इस दुर्बलता की ओर संकेत किया है।

“राज—भेट सबही करौं

हो अमीर नवाब।

हाजिर हवै झुकि—झुकि करौ

स्वै सलाम—अदब।।”

भारतेन्दु संकुचित दायरों के कायल नहीं थे। उनके जेहन में यह बात बिलकुल घर कर गई थी जनता की एकता में इतना सामर्थ्य होता है, जो बड़े—बड़े आतयायी की कठोर से कठोर दंड शलाका को भी झुका दे। ऐसी ऐक्य तथा संघ शक्ति को ध्यान में रखकर उन्होंने हिन्दू राष्ट्र को बड़ा ही व्यापक रूप प्रदान किया ताकि अनेकता में भी एकता लेकर अत्याचारी शासकों के विरुद्ध संघर्ष तेज किया जा सके। उनका तो स्पष्ट उद्घोष था कि इस महामंत्र का जप करो। जो हिन्दुस्तान में रहे चाहे वह किसी रंग या जाति का क्यों न हो वह हिन्दू है। हिन्दू की सहायता करो। बंगाली, मराठी, पंजाबी, मद्रासी, वैदिक, जैन, बौद्ध तथा मुसलमान सब का एक हाथ एक पकड़ो। देश के सम्बन्ध में इसी उदान्त भावना की अगली कड़ी के रूप में भगवान भक्त भारतीय मुसलमानों की एक लम्बी नामावली बनाकर उत्तरार्द्ध भक्त माल में उन्होंने शामिल करा दिया जिसका सिद्धांत वाक्या था, इन मुसलमान हरिजन पै कोटिन हिन्दू वारिये।”

जुलाई सन् 1874 में अपने द्वारा प्रकाशित केवि वचन सुधा पत्रिका के संपादकिय लेख में भारतेन्दु ने अत्यंत पीड़ापूर्वक लिखा था, बीस करोड़ भारतवासियों पर पचास हजार की संख्या वाले

सर्वप्रथम उन्हीं की मस्तिष्क की उपज थी। इससे भारत की स्वतंत्रता लाभ कर सकता है, यह उन्हीं का कथन था। स्मरण रहे कि जिन दिनों अंग्रेज शासक भारतीय जनता को बार—बार एक स्वस्थ तथा न्यायपूर्ण शासन देने का दंभ भर रहे थे, उन दिनों भी इस अस्त्रपूजक अंग्रेज शासकों के काले कारनामों का भंडाफोड़ कर रहे थे।

“तुम्हें गैरों से कब फुर्सत

हम अने गम से कब खाली।

चलों बस हो चूका मिलना न

हम खाली न तुम खाली।।”

उन्नीसवीं सदी के प्रारम्भ तक भारत में मुसलमान शासकों के समय से चली आ रही फारसी सरकारी कार्यालयों एवं कचहरियों भी भाषा थी, जबकि भारतीय जन सामान्य की यह भाषा नहीं थी। इससे जानत को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। दूर करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सन् 1836 में एक कानून पास किया, जिनके अनुसार सरकारी कार्यों के लिए हिंदी के शब्द प्रयुक्त होने थे। जिसकी लिपि अरबी—फारसी के ही रहे। कइने इस कानून से जनता का कोई हिट न हुआ उल्टे देश में जहां—जहां आन्दोलन शुरू हो गए तथा हिन्दू—मुसलमान दोनों के बीच भेदभाव बढ़ते चले गए। भारतेन्दु एवं उनके मंडल के सहयोगी इस बात पर दृढ़ थे कि जब इस देश कि एक अपनी भाषा नहीं होगी विदेशियों से चलने वाला हमारा संघर्ष दुमदार न होगा। अतः इन लोगों ने मिल—जुल कर जून 1877 में भारतेंदु हरिश्चंद्र के सभापतित्व में एक ‘हिन्दी वर्द्धनी सभा’ नाम कि संस्था स्थापित की। इस अवसर पर भारतेन्दु ने हिंदी भाषा सम्बन्धी एक बड़ा ही सारगर्भित व्याख्यान दिया जिसमें अंग्रेजी तथा संस्कृत से लेकर अरबी—फारसी आदि समस्त भाषाओं से हिंदी को सरल, सुबोध एवं सहज ग्राह्य बताकर हिंदी के पक्ष में वकालत की गई। इस व्याख्यान के अंतर्गत कुल 98 दोहे हैं और इसका 5वां दोहा सार्वकालिक एवं सनातन है, जिससे राजभाषा के सन्दर्भ में सर्वाधिक ख्याति मिल चुकी है।

“निजभाषा उन्नति अहै

सब उन्नति को मूल।

बिन निज भाषा ज्ञान के

मिटत न हिय को शूल।।”

यह बात बेहिचक कहि जा सकती है कि स्वदेशी भवन के सृजन से लेकर राजभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार की लम्बी यात्रा की ओर भारतीय जनता को ले जाने का श्रेय सर्तप्रथम भारतेन्दु को ही है।

को मिल रही है जो भारतेन्दु के समय थी।" वस्तुतः आज की स्थिति में राष्ट्र हितों से विमुख तथा अपने ही व्यक्तिगत स्वार्थों के पीछे पागल बनी हुई वर्तमान पीढ़ी के लिए भारतेन्दु जैसे राष्ट्रप्रेमी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व से प्रेरणा एवं प्रोत्साहन लेने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष : इन्होंने अपने कार्यों से हिंदी साहित्य के क्षेत्र में सदा के लिए स्थायी रूप से स्थान बनाया है। अपनी विशिष्ट सेवाओं के कारण ही ये आधुनिक हिंदी साहित्य के आधुनिक कल के प्रवर्तक कहे जाते हैं। भारतेन्दु का यश दिवंगत व्यापी था। अतः उसकी प्रगति को समेट पाना शब्द-सामर्थ्य के बाहर की बात है।

संदर्भ सूची

1. भारतेन्दु कालीन हिन्दी काव्य – कला – प्रो. राममोहन पाठक, पृ.सं. 235
2. आधुनिक कल में गद्य स्वर – डॉ. जयशंर प्रसाद, पृ.सं. 40
3. 19वीं शती में राष्ट्रीयता – आचार्य महावीर प्रसाद द्वेदी, पृ.सं. 73
4. भारतेन्दु कालीन काव्य में देश भक्ति – डॉ. परमानन्द पांचाल, पृ.सं. 70

डॉ. सोनिया गुप्ता

महाराजा अग्रसैन महिला महाविद्यालय,
झज्जर

सारांश : भक्ति आन्दोलन मध्यकालीन भारत का सामाजिक और सांस्कृतिक आन्दोलन है। इस आन्दोलन में सामान्य लोगों के सुख-दुःख, प्रेम-विषाद, इच्छा से आकांक्षा सब एक दूसरे में रल गए हैं। भक्ति आन्दोलन का स्वरूप व्यापक है और चिंतन पक्ष से लेकर काव्य तक उसका प्रसार है। इसलिए इस आन्दोलन का अपना ऐतिहासिक महत्त्व है। इस आन्दोलन से उत्पन्न साहित्य जनता का साहित्य है। अनुभव की ताप ने इसे इस तरह पकाया है कि यह साहित्य अपने आगे और पीछे के साहित्य को निकष प्रदान करता है। साहित्य की कसौटी मनुष्य है और भक्ति आन्दोलन का साहित्य मनुष्य की आकांक्षा का उद्घोष है। भक्ति आन्दोलन के कवियों ने जनता के दिल की बात कही थी इसलिए यह साहित्य आज भी इतना प्रिय और अनिवार्य है। इतिहास के भीतर से कवि मनुष्य सत्त्व को गह लेता है और वह काम भक्त कवियों ने पूरी ईमानदारी व लग्न से किया था। परिवर्तन के लिए प्रेम अनिवार्य है प्रेम पुराने ढांचे को तोड़े बगैर संभव नहीं है। भक्त कवियों ने अपने प्रिय से प्रेम किया और समाज का ढांचा बदल गया। संबंध की परिभाषा बदल गई। आदमी की पहचान की शर्तें बदल गईं। भक्ति आन्दोलन के पहले का साहित्य ऐसा नहीं था। साहित्य व सत्ता के बीच गहरे और मधुर सम्बन्ध थे। वे एक निश्चित ढांचे में ढले लोग थे। कोई बात उन्हें चुभती नहीं थी न ही वे किसी को चुभने वाली बात बोलते थे। वे प्रिय बोलते थे। भक्त कवियों ने सत्ता से बड़ी (ईश्वरीय) सत्ता निर्मित कर ली थी। मानवीय परम्परा के समूचे निचोड़ को ईश्वरीय सत्ता में आरोपित कर दिया था। उनके समय की राजसत्ता में करुणा, दया, प्रेम की जगह नहीं थी। इसलिए इन कवियों का सत्ता से कोई सरोकार नहीं था। इन कवियों ने अपने आराध्य को सुन्दर, दयावान, प्रेमी और न्यायप्रिय बनाया। इसलिए इनके नायक जननायक बन गए और उस नायक ने दर्शन, धर्म और राजसत्ता तीनों को चुनौती दी। हिन्दी साहित्य का कोई भी आन्दोलन इतना व्यापक नहीं रहा जितना कि भक्ति आन्दोलन रहा। इसका मुख्य कारण इस आन्दोलन के सरोकार हैं।

भक्ति-भावना के स्रोतों की खोज के लिए विद्वान वैदिक-युग तक जाते हैं, पर उसकी यात्रा कुछ प्रमुख चरणों में हुई है। इस भारतीय संस्कृति के विकास और आत्मसंघर्ष के रूप में भी देखा जाना चाहिए कि वह किस प्रकार स्थितियों से टकराती, स्वयं को अग्रसर करती है। आरंभिक वैदिक युग में प्रकृति प्रमुख स्थान पर है और इंद्र सर्वोपरि देव है। उपनिषदों में भक्ति-दर्शन उभरा है और जब विष्णु आए तब वैष्णव धर्म को विकास मिला। प्रायः महाभारत के शांतिपर्व के नारायणीय उपाख्यान में श्वेत द्वीप का उल्लेख किया जाता है। जहाँ वैष्णव भक्ति का विवेचन है। विष्णु-नारायण-वासुदेव का मिलन वैष्णव धर्म को नई गति देता है जिसे भागवत धर्म भी कहा गया है।

और भक्ति आंदोलन उपस्थित हैं, यह सर्वस्वीकृत है। विद्वानों ने इस संदर्भ में कई प्रश्न उठाए और उनका तार्किक समाधान पाने का प्रयत्न किया। भक्ति का प्रस्थान भागवत है, जिसे प्रस्थानत्रयी-ब्रह्मसूत्र, उपनिषद, गीता के क्रम में चतुर्थ प्रस्थान कहा गया जिसके मौखिक रूप ने छठी-नौवीं शताब्दी के बीच निश्चित आकार लिया और यही समय आलवार संतों का है, जिन्हें भी भक्ति का आरंभ कहा गया। सर्वपल्ली राधाकृष्णन् के शिष्य सिद्धेश्वर भट्टाचार्य ने दो खंडों के अपने ग्रन्थ 'द फिलॉसफी ऑफ द श्रीमद्भागवत' में इसे महापुराण रूप स्वीकारते हुए लिखा है, "इसमें तमिल संतों का योगदान भी है।" राधाकुमुद मुखर्जी का कथन है, "गुप्त सम्राटों ने स्वयं को परम भागवत कहा और उनके समय में वैष्णव धर्म को विकास मिला।"²

भक्तिचिंतन की लंबी परंपरा है जिसे भागवत को प्रस्थान मानकर आगामी विकास के रूप में देखना चाहिए। इस्लामी शासन के समय राष्ट्रकूट, पाल-गुर्जर-प्रतिहार आदि राजवंश थे और पल्लव, चालुक्य, पांड्य, चोल आदि भी, जिन्होंने भक्तिभावना को प्रश्रय दिया। हिंदी भक्तिकाव्य का मुख्य वृत्त प्रायः चौदहवीं-सत्रहवीं शताब्दी के मध्य स्वीकार किया गया है, जो राजनीतिक दृष्टि से खिलजी काल (अल्लाउद्दीन खलजी, मृत्यु 1316) से आरंभ होकर शाहजहाँ (1627-1658) तक जाता है। पर भक्तिचिंतन का आरंभ पहले से हो चुका था, यह सर्वस्वीकृत है। विचारणीय यह है कि भक्ति को लेकर एक ओर शास्त्र-चिंतन चल रहा था, दूसरी ओर पांडित्य की सीमाओं को तोड़कर उसे सामान्यजन तक लाने के प्रयत्न भी हो रहे थे। देवमंदिर भी इसी क्रम में देखे जाने चाहिए। जिसे दक्षिण का आलवार युग तथा बाद का आचार्य युग कहा जाता है, वह समय पल्लव नरेशों का है (नरसिंहवर्मन प्रथम, 642-68) और बाद में चोल राज्यों का (ग्यारहवीं-बारहवीं शती)। दोनों राजवंश श्रेष्ठ मंदिर-निर्माता थे, जिन्होंने भक्तिभावना को प्रश्रय दिया।

आलवार छठी-नवीं शताब्दी के मध्य सक्रिय थे और भक्तिप्रवाह में उनका प्रदेय यह कि संस्कृत भाषा का वर्चस्व तोड़ते हुए, उन्होंने तमिल भाषा में सामान्यजन को सीधे ही संबोधित किया। वहाँ पांडित्य-शास्त्र के स्थान पर अनुभूति का आग्रह है और भक्त-ईश्वर के बीच सीधा संवाद है। आलवार प्रायः सामान्य वर्ग से आए थे और अपनी भावमयता से उनके पद वर्षों तक मौखिक परंपरा में जनता में प्रचलित रहे। सभी वर्णों के साथ अत्यंत तथा महिला आण्डाल तक इनमें थीं और समाज पर इनका व्यापक प्रभाव रहा है।

आलवार संतों का प्रभाव इतना व्यापक था कि उसे सामान्यजन के साथ पंडित वर्ग की भी स्वीकृति मिली। आचार्यों में प्रस्थानत्रयी ब्रह्मसूत्र उपनिषद और गीता पर भाष्य की परंपरा थी और इस पांडित्य का प्रतिमान भी माना जाता था। आगे चलकर

कहा गया और इसतामल वेद का सम्मान मिला। आचार्यश्री ने श्रीरंगम् मंदिर में इनके भजन-गायन की व्यवस्था की और इस प्रकार आलवार-पदों का व्यापक प्रसार हुआ।

आलवार संत और आचार्य-युगों के बीच भारतीय मनीषा का एक ऐसा विराट व्यक्तित्व उपस्थित है, जिसे विवेकानन्द (1863-1902) की तरह अल्प आयु मिली, पर जिसने अपनी तेजस्विता से चिंतन का नया इतिहास रचा। आदि शंकराचार्य (788-820) ने केवल बत्तीस वर्ष की आयु पाई, पर अपनी अद्वैत वेदांती व्याख्या से उन्होंने वैचारिक क्रांति का सूत्रपात किया। ब्रह्मसूत्र का भाष्य करते हुए कहा, "ब्रह्म सत्य है, जगत् मिथ्या है।"³ उन्होंने सत्य और भ्रम को सर्प-रज्जु दृष्टांत से समझाने का प्रयत्न किया। आदि शंकराचार्य की तार्किक-मेधा ऐसी अकाट्य कि उन्हें 'प्रच्छन्न बौद्ध' तक कहा गया। ब्रह्म निगुण, निर्विशेष, परम सत्य है और माया अविद्या है, जिसके पाश में जीव बँध जाता है। सर्वोपल्ली राधाकृष्णन् ने समकालीन स्थिति पर प्रकाश डालते हुए लिखा है, "आलवार, अदियार, ईश्वर-भक्ति के मार्ग का प्रचार कर रहे थे। मंदिरों में पूजन, त्यौहार, पौराणिक हिंदू धर्म प्रतिष्ठा पा रहे थे। ऐसे में शंकर की सम्मति में परस्पर विरोधी संप्रदायों के अंदर अद्वैत दर्शन ही एकमात्र निहित सत्य है।"⁴ उनके शब्द हैं, "शंकर के जीवन में विरोधी भावों का संग्रह मिलता है। वे दार्शनिक भी हैं, और कवि भी, ज्ञानी पंडित भी हैं और संत भी, वैरागी भी हैं और धार्मिक सुधारक भी।"⁵ आनंद लहरी, सौंदर्य लहरी में उनकी काव्य-प्रतिभा व्यक्त हुई है, उनकी बौद्धिक क्षमताएँ तो भाष्यों में स्पष्ट हैं ही। धार्मिक सुधारक और संगठनकर्ता का परिचय देते हुए उन्होंने देश के चारों कोनों में मठ स्थापित किए, श्रृंगेरी, द्वारका, पुरी और बदरीनाथ। शंकराचार्य की असाधारण बौद्धिक व्याख्या पूर्णतया स्वीकार कर ली जाए तो साकारोपासना के लिए अवसर ही कहाँ रह जाएगा? यद्यपि शंकर ने स्वयं मठ स्थापित किए, जहाँ देव-स्थान बने। शंकराचार्य ने वैष्णवचार्यों को प्रस्थानयत्री पर नई व्याख्याएँ प्रस्तुत करने के लिए उत्तेजित किया। इस प्रकार वैष्णव-चिंतन को गति देने में उनकी प्रकारांतर भूमिका है, प्रतिक्रिया रूप ही सही। शंकराचार्य बौद्धिक उन्मेष के अद्वितीय आचार्य हैं जो भारतीय चिंतन को तार्किकता देते हैं। रामानुजाचार्य ने मध्यकालीन भक्ति को सामाजिक प्रस्थान दिया और उत्तर-दक्षिण को जोड़ने का सांस्कृतिक कार्य किया, "भक्ति द्राविड़ ऊपजी, लाए रामानन्द।"⁶

वैष्णवचार्यों में मध्व ने विष्णु को महत्त्व दिया, जिससे भक्ति भावना को गति मिली। दर्शन में वे द्वैतवादी हैं और भगवान-भक्त दोनों को स्वीकारते हुए उन्होंने प्रकृति दर्शन की स्थापना की और जगत् को असत्य मानने से इन्कार किया। यहाँ वैराग्य कोई अनिवार्यता नहीं है और कहा गया है कि निष्काम कर्म करते हुए भक्ति-मार्ग अपनाया जा सकता है। उन्होंने 'अणुभाष्य' में ईश्वर

हुए, सगुण परमात्मन को पारकल्पना करते हैं जो सर्वगुण सम्पन्न है। भक्ति को अग्रसर करते हुए, वे जीव के लक्ष्य रूप में भगवत्-प्राप्ति को निरूपित करते हैं। भक्ति के द्वार सबके लिए उन्मुक्त हैं और जाति-व्यवस्था को यहाँ कोई स्वीकृति नहीं है।

रामानन्द मध्यकालीन उदार चिंतन के प्रतीक हैं, जिन्होंने भक्तिकाव्य को नई दिशाओं में अग्रसर किया। रामानुज ने जिस 'प्रपत्ति' को ईश्वर-प्राप्ति का साधन माना, उसे रामानन्द ने नया अर्थ-विस्तार दिया।

भक्तिकाव्य में रामानन्द के साथ वल्लाभाचार्य का नाम लिया जाता है जिनका महत्त्व कृष्णकाव्य के संदर्भ में है। वल्लभ की जीवनी 'वल्लभ दिग्विजय' से ज्ञात होता है कि वे तैलंग ब्राह्मण थे, पर उनका संबंध काशी नगरी से अधिक था। विष्णुस्वामी की परंपरा में उन्होंने शुद्धाद्वैत तथा पुष्टिमार्ग की प्रतिष्ठा की, जिसके अनुसार सगुण होकर भी ब्रह्म शुद्ध और अद्वैत है।

वल्लभाचार्य के चिंतन में श्रीकृष्ण परब्रह्म हैं, सर्वोत्तम गुणों से विभूषित, मनुष्यों में श्रेष्ठतम। इस प्रकार वे निंबार्क की कृष्ण-भावना को स्वीकारते हैं। वल्लभ ने कृष्ण को परम आनंद का स्वरूप माना, जिनके प्रति संपूर्ण भाव से समर्पित होना, जीवन के चरम लक्ष्य को पा जाना है। यहाँ भक्ति ही मोक्ष है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। सूर की गोपिकाएँ इसका सर्वोत्तम उदाहरण हैं और रत्नाकार के 'उद्धवशतक' में वे कहती हैं : 'मुक्ति-मुक्ता को मोल-माल ही कहा है जब, मोहन लला पै मन-मानिक ही बारि चुकीं।' प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना वल्लभ का आशय है और इसके केंद्र में कृष्ण को रखकर उन्होंने कृष्ण के लीला-संसार को नया विकास दिया। मध्यकालीन भक्तिकाव्य को पीठिका में सिद्ध-नाथ साहित्य विद्यमान है, जिसके महत्त्व को राहुल सांकृत्यायन जैसे प्रतिबद्ध विद्वानों ने स्वीकारा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का आदिकाल, नाथ संप्रदाय, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर आदि ग्रंथों में इस साहित्य का विवेचन किया है। सुविधा के लिए इसे संत साहित्य कहा गया और कई बार 'निर्गुणियाँ' रूप की प्रमुखता मानी गई। कुछ विद्वान सिद्ध-नाथ भक्ति काव्य में एक क्रम देखते हैं, जो सही है, पर भक्तिकाव्य के विवेचन में साकार-निराकर, सगुण-निर्गुण तथा अन्य मत-मतांतर के विभाजन के औचित्य में संदेह हो सकता है। संभव है किसी प्रवृत्ति विशेष की प्रमुखता के कारण नामकरण किए गए हों, पर वास्तविकता यह है कि महान् रचनाओं का एक समवेत स्वर उभरता है।

भक्तिकाव्य का मूलवृत्त लंबी रचनायात्रा तय करता है, चौदहवीं से सत्रहवीं शती तक। तुलसी ने कहा है, "सगुनहि अगुनहि नहिं कछु भेदा, गावाहिं मुनि पुरान बुध वेदा।"⁷

समाजशास्त्र और समाजदर्शन के संदर्भ में भक्तिकाव्य का नैतिक-नियंत्रण है। न मदेव रामानन्द की तरह सगुण सामाजिक चेतना से परिचालित है, पर उनका मुख्य माध्यम काव्य है। अपन

रामदास तक 'पंथ मराठी संत' कहा गया। पंच मराठी संतों में संत तुकाराम (1608-1650), समर्थ रामदास (1608-1682) अंतिम कड़ी के रूप में आते हैं जो छत्रपति शिवाजी (1627-1680) के आदरणीय थे। तुकाराम अपने अभंगों के लिए प्रसिद्ध हैं और उनके कीर्तन भाव ने लोगों को प्रभावित किया। एक ओर उनका आग्रह आत्मशुद्धि पर है तो दूसरी ओर उनके काव्य का सामाजिक पक्ष है, जहाँ नीति, प्रेम-भाव का आग्रह है। तुकाराम गृहस्थ थे और इसी के भीतर वे भक्तिभाव की कल्पना करते हैं। उनका कथन है कि कर्तव्य का पालन करते हुए हरि-भक्ति प्राप्त की जा सकती है। भक्तिकाव्य के समाजदर्शन के संदर्भ में मराठी संतों की चर्चा इस दृष्टि से प्रासंगिक है कि उनका हिंदी भक्ति रचना पर प्रभाव है और कबीर ने प्रभावित किया है। इस प्रकार हिंदी-मराठी भक्ति में एक सांस्कृतिक संवाद देखा जाता है। हिंदी भक्तिकाल के मूल में हिंदी समाज की जातीय चेतना की भूमिका है, पर सांस्कृतिक आदान-प्रदान के माध्यम से उसमें अन्य प्रदेशों की चेतना भी आई है। भक्ति के प्रस्थानग्रंथ भागवत की नवधा भक्ति प्रायः सबमें विवेचित है और उसकी सामाजिकता सर्वस्वीकृत है।

भक्तिकाव्य के विवेचन में इसे स्वीकारना होगा कि भक्ति आंदोलन के मूल में लोकजागरण उपस्थित है, जिसे भक्त कवियों ने वाणी दी। इसका रूप समन्वित है जिसमें परंपरा की स्वीकृति है, एक बिंदु, पर दूसरे बिंदु पर उससे असहमति भी है। डॉ० रामविलास शर्मा ने संत-भक्त साहित्य की क्रांतिधर्मिता का उल्लेख करते हुए कहा है, "संत लोकधर्म के संस्थापक हैं। हिंदू धर्म, इस्लाम, इनके कर्मकांड, धर्मशास्त्र, कष्टर आचार-विचार, पुजारियों और मौलवियों की रीति-नीति के विरुद्ध ये संत मूलतः प्रेम के आधार पर मुक्ति, ईश्वर-प्राप्ति आदि के पक्ष में थे।"⁸

सिद्ध-नाथ-संत की परंपरा में सबसे जुझारू रचनाशीलता कबीर (1398-1518) की मानी जाती है, जिनका पूरा व्यक्तित्व ही विद्वानों में विवाद उपजाता रहा है। उनकी जीवन-रेखाएँ भी कम विवादास्पद नहीं और उसे लेकर कई प्रकार की कथा-किंवदंती हैं। जुलाहा जाति में जन्में कबीर किसी पांडित्य का दावा नहीं कर सकते, पर सामान्यजन ने उन्हें स्वीकारा और श्री गुरुग्रंथ साहब में उन्हें स्थान प्राप्त है। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल कबीर को रामानन्द की परंपरा में रखते हुए, उन पर सूफ़ी भावना का प्रभाव भी देखते हैं, "उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफ़ियों के ब्रह्मात्मक रहस्यवाद, हठयोगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद का मेल खड़ा करके अपना पंथ खड़ा किया।"⁹ कबीर कठिनाई उपस्थित करते हैं कि उनमें हठयोग है, जिसे डॉ० रामकुमार वर्मा आदि ने रहस्यवाद कहा, पर इससे कवि की सामाजिक चेतना धूमिल हुई। अकारण नहीं कि कबीर जैसे विद्रोही-क्रांतिकारी कवि-विचारक के नाम पर मठ स्थापित हो गए और मठाधीशत्व प्रधान हो गया।

आज जिनका प्रभाव व्यापक है। सूफ़ी उदार इस्लामी पंथ के प्रतिाने हैं और आरंभ में उन्हें कष्ट भी सहने पड़े, पर क्रमशः उनके उदार पंथ को स्वीकृति मिली और वे हिंदू-मुसलमान दोनों में, अपने 'सादा जीवन, उच्च विचार' के कारण आदरणीय हुए। लौकिक से अलौकिक की साधना उनका प्रेमपंथ है, जिसकी अभिव्यक्ति के लिए उन्होंने हिंदू कहानियाँ लीं। दर्शन तथा काव्य की मैत्री से सूफ़ी कवियों ने अपने रचना-जगत् का निर्माण किया और उनका एक संपूर्ण प्रतीक-संसार है, आध्यात्मिक संकेत करता। लोकभाषा अवधी को अपनाते हुए, उन्होंने लोकप्रियता पाई और जातीय सौमनस्य के प्रतीक बने। कबीर और सूफ़ियों का प्रेमभाव एक ही दिशा की ओर अग्रसर है- जीव-ब्रह्म ऐक्य, पर कबीर का स्वर जुझारू है और सूफ़ियों का शांत-संयत, यद्यपि उनमें भावावेग के क्षण भी हैं। सूफ़ियों को प्रेमाख्यानक काव्य से संबद्ध किया जाता है, जिसकी परंपरा ईरान-भारत दोनों में है। अमीर-खुसरो (1253-1325) की कृतियों में इसे देखा जा सकता है, जिन्होंने कई प्रकार की रचनाएँ प्रस्तुत कीं।

मलिक मुहम्मद जायसी का समय 1464-1542 स्वीकार किया जाता है और उन्होंने स्वयं शेरशाह सूरी (शासन : 1540-45) का उल्लेख शाहेवक्त के रूप में किया है, "सेरसाहि देहली सुलतानू।"¹⁰ जायसी की रचनाएँ- पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, मसलनामा, कहरनामा हैं। हाल ही में प्रकाशित 'कान्हावत' काव्य अब भी विवाद के घेरे में है। पर उनकी कीर्ति का मुख्य आधार पद्मावत है, जिसमें चित्तौड़गढ़ के राजा रत्नसेन और सिंहलद्वीप की राजकुमारी पद्मावती की कथा है। रत्नसेन हीरामन सुग्गे से पद्मावती का सौंदर्य वर्णन सुनकर उसे पाना चाहता है। यह सौंदर्य अद्वितीय है, "का सिंगार ओहि बरनौ राजा, ओहिक सिंगार ओही पै छाजा।"¹¹ उसे पाने की प्रक्रिया भी सरल नहीं और एक कठिन साधना मार्ग से गुजरना है, तप करना है, "तजा राज, राजा भा जोगी, औ किंगरी कर गहेउ वियोगी।"¹² पद्मावती को प्राप्त करने की अनंतर संघर्ष-कथा है जिसमें दिल्ली-शासक अलाउद्दीन चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करता है। पर जिस पद्मावती को वह प्राप्त करता चाहता है, वह सखियों के साथ सती हो जाती है, "लागी कंठ आगि देइ होरी, छार भई जरि, अंग न मोरी"¹³ इतिहास कल्पना के संयोजन से अपनी कृति का निर्माण करते हुए जायसी प्रेम-दर्शन की प्रतिष्ठा करते हैं, जिसे पूरे काव्य में देखा जा सकता है, "प्रेम-घाव-दुख जान न कोई, जेहि लागै जानै तै सोई।"¹⁴

अवतारवाद में कृष्ण-राम सर्वोपरि देवता रहें हैं और इन्हें केन्द्र में रखकर, भक्तिकाव्य विकसित हुआ। विष्णु के ये दो प्रमुख अवतार वैष्णव परंपरा को रचना में नई गति देते हैं। जहाँ तक भक्तिकाव्य का संबंध है, कृष्ण कुछ पहले आ गए और सोलह कला अवतार वाले अपने बहुरंगी व्यक्तित्व से लोकप्रिय भी हुए।

राम नेत्र गुरु से जुड़कर भाषा-रचना में थोड़ी देर से आए और चारित्र्य की मर्यादाओं ने उनकी सीमा बना दी। भागवत और

संधा महायोगी भाव का प्रतीक है। प्रायः कहा जाता है कि कृष्ण काव्य में लोकरंजक रूप अधिक है, जिसका एक कारण भागवत की प्रेरणा भी है, जहाँ लीला-संसार प्रधान है। महाभारत के कृष्ण यहाँ प्रमुखता नहीं प्राप्त करते। भागवत के अंतिम अंश के माहात्म्य-समापन में 'प्रेमानन्द फलप्रदम' शब्द का प्रयोग किया गया है जिससे इसकी रस-दृष्टि स्पष्ट है। हिंदी कृष्णभक्ति काव्य सूरदास में अपनी पूर्णता पर पहुँचता है, वे उसके रचना-शिखर हैं, सर्वोत्तम प्रतिभा-पुरुष।

मीरा कृष्ण भक्तिकाव्य में विशिष्ट हैं-मध्यकाल में नारी जागरण का स्वर बनकर उनकी जीवनी से संघर्ष का अनुमान भी किया जा सकता है, जो कि भावात्मक स्तर का है-लोक और अध्यात्म के बीच। जब वे कहती हैं, "मीरा गिरधर हाथ बिकाणी, लोग कह्यां बिगड़ी।"¹⁵ तब वे इस मानसिक संघर्ष का संकेत करती हैं, पर अपने भक्ति भाव में अड़िग हैं। मीरा के परम आराध्य कृष्ण हैं, आध्यात्मिक देवता, "मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई"¹⁶ और इसका स्वरूप है, "जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई।"¹⁷ यह आध्यात्मिक संबंध सूफियों का स्मरण भी कराता है, पर एक अंतर के साथ। मीरा सीधा संवाद स्थापित करती हैं, अपने आराध्य के साथ, जबकि सूफियों में लौकिक (इश्क मिजाजी) के माध्यम से अलौकिक (इश्क हकीकी) की व्यंजना है। मीरा के पद गीत-सृष्टि हैं और राग-रागिनियों में भी बद्ध किए गए पर उनकी सहजता लोकउपादानों के साथ उन्हें सामान्य जन से जोड़ती हैं।

रसखान (1533-1618), रहीम (1556-1627) लगभग समकालीन हैं। रसखान ने भी रहीम की तरह कई राजवंश देखे थे, हुमायूँ से जहाँगीर तक, पर वे सामंत (जागीरदार) होकर भी, उससे दूर थे और मुसलमान होकर भी कृष्णभक्तों में परिगणित हुए। भक्तिकाव्य में तुलसीदास को समन्वय का कवि कहा गया है, इसे समझने की आवश्यकता है।

भक्तिकाव्य ने लंबी यात्रा की, लगभग चार शताब्दियों की और सामंतवादी समाज के कई दृश्य आए-गए। प्रश्न यह है कि इन स्थितियों में भक्तिकाव्य का कौन सा समाजशास्त्र आया और समाजदर्शन की क्या रूपरेखाएँ उभरीं। कवियों की अपनी बनावट है जो उनकी रचनाशीलता को रूपायित करती है, पर यह कहना भूल है कि निराकारी-निर्गुण की तुलना में साकारी-सगुण कम प्रगतिशील है। अथवा कृष्णकाव्य, रामकाव्य की तुलना में अधिक सेक्युलर, पंथ-निरपेक्ष है। दृष्टि का अंतर हो सकता है और कथन-भंगिमा का भी, पर भक्तिकाव्य की लंबी यात्रा का कारण देवत्व नहीं है, इसके विपरित उसकी मानवीय चिंता है, जो उसे आज भी किसी बिंदु पर प्रासंगिकता देती है, और उसे खारिज कर पाना उनके लिए भी कठिन, जो स्वयं को भक्तिमार्गी कहने से बचना चाहते हैं। भक्तिकाव्य का समाजशास्त्र है, समय-समाज से उसकी टकराहट, जो कभी कबीर की तरह जुझारू दिखाई देती

जिस अभिव्यक्ति-काशिल का आश्रय लिया, वह स्वतंत्र चर्चा का विषय है। पर रचना की प्रामाणिकता के लिए इन सजग कवियों ने पूरा मुहावरा लोकजीवन से ही प्राप्त किया-भाषा छन्द आदि। भक्तिकाव्य में मध्यकालीन लोकजीवन की उपस्थिति और एक वैकल्पिक मूल्य-संसार की तलाश उसकी सामर्थ्य का प्रमाण है। भक्तिकाव्य में समाजदर्शन और भक्तिदर्शन मिलकर अपने रचना-संसार को ऐसी दीप्ति देते हैं कि उसे कालजयी काव्य कहा जाता है। उसका वैशिष्ट्य यह है कि वह अपने समय से संघर्ष करता हुआ, उसे पार करने की क्षमता का प्रमाण देता है और लोक को सीधे ही संबोधित करता है, पूरे आत्मविश्वास के साथ। उसका वैकल्पिक भाव-विचार-लोक उसका 'काव्य-सत्य' है, जिसे व्यापक स्वीकृति मिली।

निष्कर्ष : भक्ति आन्दोलन ने जिन मुद्दों को उठाया था वे मुद्दे आज भी हमारे समक्ष खड़े हैं। जब तक असमानता, अन्याय और दुख समाज से मिटता नहीं है, भक्ति साहित्य बहस के केन्द्र में बना रहेगा।

सन्दर्भ सूची

1. प्रेम शंकर, भक्तिकाव्य का समाजदर्शन, पृ० 15
2. वही, पृ० 17
3. द फिलॉसफी ऑफ द श्रीमद्भागवत, पृ० 115
4. वही, 120
5. भारतीय दर्शन, खंड 2, पृ० 444
6. वही, पृ० 450
7. मानस. बालकांड, पृ० 235
8. इन्लुएंस ऑफ इस्लाम ऑन इंडियन कल्चर, पृ० 102
9. वही, पृ० 105
10. पद्मावत : स्तुति खंड, पृ० 243
11. वही, पृ० 245
12. वही, पृ० 251
13. पद्मावती-नागमती-सती खंड, पृ० 265
14. पद्मावत : प्रेम-खंड, पृ० 335
15. प्रेमशंकर : भक्तिकाव्य का समाजशास्त्र, पृ० 121
16. प्रेमशंकर : भक्तिकाव्य की भूमिका, पृ० 125
17. वही, पृ० 127

डॉ० रुषा रानी

(सहायक आचार्य)

हिन्दी विभाग (इकडोल)

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय

समर हिल शिमला-5

सारांश : मनुष्य एक चिन्तनशील प्राणी है। चिन्तन ही उसका विशिष्ट गुण है, उसके कारण ही वह सभी जन्तुओं से भिन्न है। अरस्तु महोदय भी इसी प्रकार विचार करते हैं। बुद्धि की प्रधानता के कारण ही वह विश्व की सभी वस्तुओं के स्वरूप पर विचार करता है।¹ हमारा अन्तर्जगत् भी उतना ही रहस्यपूर्ण है जितना बाह्य जगत् विचित्र है। जीवन में ऐसे क्षण भी आते हैं जब हम इस रहस्य के प्रति जागरूक होंगे। इस जागरूकता का विश्लेषण ही 'दर्शन' है।² ब्रह्माण्ड के मूल में जितने भी तत्त्व हैं, सभी दार्शनिक उन्हें भिन्न – 2 रूप में स्वीकार करते हैं। वेद के प्रामाण्य के आधार पर भारतीय दार्शनिक सम्प्रदाय दो भागों में विभाजित है – आस्तिक सम्प्रदाय और नास्तिक सम्प्रदाय। आस्तिक षड्दर्शनों में वैशेषिक दर्शन अन्यतम है। वैशेषिक दर्शन को भी दो भागों में विभाजित कर सकते हैं – प्राच्य और नव्य। प्राचीन वैशेषिक दर्शन

छः पदार्थों के द्वारा जगद् की व्याख्या करते हैं³ और नव्य सप्त पदार्थों के द्वारा।⁴ वैशेषिक दर्शन का प्रतिपादक महर्षि कणाद को माना गया है। इस महर्षि के अन्य भी नाम हैं जैसे – कणाद, काश्यप और उलूक।⁵ 'कणाद' इस शब्द की व्युत्पत्ति व्योमवती टीका में इस प्रकार की है – 'कणान् अत्तीति कणादः'।⁶ इसी प्रकार कन्दलीकार ने भी 'कणाद' इस शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार की है –

"कणादमिति तस्य कापोती वृत्तिमनुतिष्ठतो रथ्यानिपतितांस्तण्डुल कणानादाय प्रत्यहं कृताहारनिमित्तेयं संज्ञा"।⁷

कुछ विद्वान् मानते हैं कि 'कणाद', 'उलूक' ऋषि के पुत्र हैं।⁸ न्यायलीलावती की भूमिका में "उलूक के रूप में ईश्वर ने स्वयं आकर कणाद को ज्ञान दिया" ऐसा प्रतिपादित किया गया है।⁹ इस दर्शन को विविध नामों से जाना जाता है जैसे – "औलूक्य, वैशेषिक, पैलव, काश्यप और कणाद"। विशेष¹⁰ पदार्थ को स्वीकारने के कारण इसका नाम 'वैशेषिक' है। अन्य विद्वानों का मानना है कि "शास्त्ररूपार्थे वैशेषिकशब्दव्युत्पत्तिः विशेषपदार्थमधिकृत्य कृतो ग्रन्थः" इति।¹¹ अन्य ग्रन्थों में 'विशेष' नामक पदार्थ के स्थान पर 'विभाग' ऐसा निर्देश प्राप्त होता है जैसे – "इदमेव सामान्योद्दिष्टानां विशेषसंज्ञाभिधानं तत्रान्तरे विभाग इति निर्देश इति च कथ्यते"।¹² सर्वदर्शनसंग्रह में इसका महत्त्व इस प्रकार से प्रतिपादित किया गया है –

द्वित्वे च पाकजोत्पत्तौ विभागे च विभागजे।

यस्य न स्वलिता बुद्धिस्तं वै वैशेषिकं विदुः।।¹³

वैशेषिक दर्शन में पाक प्रक्रिया का अत्यधिक महत्त्व है।

के होते हैं। जब अग्नि के संयोग से उत्पन्न होते हैं तब अनित्य अन्यथा स्वाभाविक अर्थात् नित्य होते हैं।¹⁴ पृथिवी में ये गुण पाक से उत्पन्न होते हैं तथा अन्य तीन द्रव्यों में जल, तेज, वायु में ये गुण अपाकज और नित्य और अनित्य होते हैं। नित्य परमाणुओं में ये गुण नित्य माने गए हैं किन्तु उनमें उद्भुद्कार्य द्रव्यों में अनित्य होते हैं।¹⁵ प्रश्न यह है कि अवयवी द्रव्य के गुण उन अवयवों से उत्पन्न है अथवा नहीं? वैशेषिक दर्शन की मान्यता है कि कार्य के गुण सदा ही कारण के गुणों से उत्पन्न होते हैं।¹⁶ इस मान्यता के विषय में तो न्याय वैशेषिक परम्परा में पूर्ण सहमति है, किन्तु पार्थिव कार्य से उत्पन्न गुणों के पाक सम्बन्धित विषयों में विप्रतिपत्ति है, जिसका विवेचन यहाँ सर्वथा प्रासंगिक है।

पाक का लक्षण :-

अन्नम्भट्ट के अनुसार तेज के संयोग मात्र से ही पाक होता है।¹⁷ न्यायबोधिनीकार – 'विजातीय संयोगः एव पाकः' स्वीकारते हैं।¹⁸ क्योंकि सुवर्ण आदिधातु तजे स् ही है उसी कारण उनका संयोग भी सजातीय ही होगा, अतः उनका रूप आदि परिवर्तित नहीं होगा ऐसा भाव है।¹⁹ पाक प्रक्रिया के विषय में प्रायः यही दृष्टान्त दिया जाता है कि कुम्भकार जब घट निर्माण करती है वह घट श्यामवर्ण का होता है परन्तु तेज संयोग के पश्चात् उसका वर्ण रक्त हो जाता है।²⁰ घट रूप परिवर्तन की यह प्रक्रिया न्याय – वैशेषिक परम्परा में 'पाक' कही गयी है। यहाँ उल्लेखनीय है कि 'घट' सभी पार्थिव कार्यों को लक्षित करता है, प्राणी का शरीर इस घटना का ही एक दृष्टान्त है क्योंकि उनका भी अग्नि संयोग से केवल रूप परिवर्तन होता है। ऐसा ध्यातव्य है कि अग्नि संयोग से केवल रूप परिवर्तन का ही वर्णन है किन्तु वस्तुतः पाक से न केवल पार्थिव कार्यों में रूप परिवर्तन होता है अपितु रस-गन्ध और स्पर्श ये सभी गुण भी परिवर्तित होते हैं। उदाहरण के रूप में पहले आम्र का रूप हरा होता है, रस अम्ल, गन्ध असुरभि और स्पर्श कठिन किन्तु जब वह ही आम सूर्य के तेज संयोग से प्राप्त होता है उसका रूप पीला, रस मधुर, गन्ध सुरभि और स्पर्श शिथिल होता है। अतः पाक से पार्थिव कार्यों में रूप, रस, गन्ध और स्पर्श ये सभी गुण परिवर्तित होते हैं ऐसा सिद्धान्त है। अतः न्याय-वैशेषिक दर्शनों के मध्य पूर्ण सहमति है किन्तु विवाद का विषय यह है कि उक्त उदाहरण में जब तेज के संयोग से घट का रूप परिवर्तित होता है, तो क्या वह परिवर्तन घट के परमाणुओं में होता है अथवा संघातरूप में समग्र अवयवी घट में ही होता है? इसमें प्रथम वैशेषिक दर्शन का मत है जिसको 'पिटरपाकवाद' कहते हैं।²¹ यहाँ

इसका विवेचन निम्नलिखित है –

पीलपाकवाद :-

में रखा जाता है, तब वैशेषिक मतानुसार अग्नि के तीव्र तथा उष्ण अभिघात से अवयवी घट केपरमाणुरूप अवयवों के मध्य परस्पर आरम्भक संयोग का विनाश हो जाता है जिससे कि द्वयणुकों का विघटन तथा उस अवयवीद्रव्य 'घट' का भी विनाश हो जाता है, इस प्रकार घट का संघातरूप सर्वथा विघटित हो जाता है, तब पुनः तृतीय अग्नि संयोग से ही उस घट के परमाणुओं का पाक एवं रूपादि परिवर्तन हो जाता है तथा तदनन्तर भोगी जीवों के विशेष अदृष्टवश उन विघटित तथा पक्व परमाणुओं में पुनः विपरीत क्रिया उत्पन्न होती है तथा संयोगवश द्वयणुकादि की उत्पत्ति क्रम से घटादि स्थूल द्रव्य की उत्पत्ति हो जाती है। फिर इस कार्य-द्रव्य में स्वाभाविक कारण-गुण के क्रम से रक्त रूपादि गुणों की उत्पत्ति होती है।²³ घट के विघटन एवं संघटन की यह जटिल प्रक्रिया वैशेषिक दर्शन ने इसलिए नहीं स्वीकार की है कि उसके मतानुसार घट के सभी परमाणुओं में पाकजन्य परिवर्तन की व्यवस्था के लिए यही प्रक्रिया समर्थ है, चूंकि यदि अवयवी घट समग्र रूप से स्थित रहेगा तो अग्नि उसके सूक्ष्म कणों में प्रवेश नहीं कर पायेगी तथा उसका आभ्यन्तर भाग न पक सकेगा। यदि यहाँ ऐसी शंका हो कि फिर हमें इस प्रक्रिया का प्रत्यक्ष क्यों नहीं होता, तो सिद्धान्ती का उत्तर है कि यह प्रक्रिया अत्यन्त शीघ्रता से होती है, अतः द्रश्य नहीं है।²⁴

पिठरपाकवादः—

यह नैयायिकों का मत है जिसके अनुसार पाक परमाणुओं का नहीं, अपितु कार्यकारण समुदाय का होता है।²⁵ न्याय-दर्शन के अनुसार प्रथम घट का विनाश होकर पाकानन्तर नवीन घट की उत्पत्ति होती है, तो 'यह यही घट है' ऐसी प्रत्यभिज्ञा कैसे होगी? फिर यह भी प्रत्यक्षसिद्ध तथ्य है कि उस घट का आकार, परिमाण, यहाँ तक कि उस पर बनी लकीरें तक वैसी की वैसी रहती है। यदि पाक-प्रक्रिया में उस घट विशेष के ऊपर अन्य घट रख दिये जाये तो नीचे वाले घट का नाश हो जाने से ऊपर रखे हुए सभी घट गिर जाने चाहिए, किन्तु ऐसा भी नहीं होता। अतः घट का विघटन होता है, यह मत मान्य नहीं।²⁶ इन सभी आक्षेपों का युक्तिपूर्ण समाधान वैशेषिक दर्शन में दिया गया है। इसी प्रसंग में एक प्रतिप्रश्न भी किया गया है कि सुई के अग्रभाग से घट के किसी पार्श्व भाग में छिद्र कर देने पर उसके तीन चार त्रसरेणुओं का नाशहो जाता है, तथापि उसकी प्रत्यभिज्ञा में कोई अन्तर नहीं आता। इसलिए पीलुपाक ही उचित है, यह वैशेषिक दर्शन की निश्चित मान्यता है।²⁷ इस प्रकार, सामान्य व्यक्ति के लिए घट के रूप में परिवर्तन एक सामान्य परिवर्तन प्रक्रिया है, किन्तु वैशेषिक दर्शन के अनुसार वह एक दीर्घ, रासायनिक, भौतिक प्रक्रियाओं

पर भी उबलने लगता है। इसी प्रकार घट के परमाणुओं का पाक करने में समर्थ होती है।²⁸

यद्यपि आपाततः नैयायिक मत अधिक संगत एवं सरल प्रतीत होता है, किन्तु सूक्ष्म अन्वीक्षण करने पर अधिक स्पष्ट होता है कि वैशेषिक सिद्धान्त तार्किक दृष्टि से अधिक निर्दोष है। न्याय-वैशेषिक दर्शन के अनुसार 'कार्य के गुण कारण के गुण से जन्य होते हैं' — यह सिद्धान्त आरम्भ में ही स्थिर किया गया है। किन्तु, पाक-सम्बन्धी वैशेषिक सिद्धान्त तो अन्त तक इस मूल स्थापना का निर्वाह करता है, जबकि नैयायिकों का 'पिठरपाकवाद' इस स्थल विशेष पर उक्त सिद्धान्त का उल्लंघन करता है। वैशेषिक दर्शन के अनुसार यदि एक भी प्रसंग में कार्य के गुणों को कारण के गुणों से स्वतन्त्रतः जन्य मान लिया जाये, तो फिर एक दुर्निवार अनवस्था की श्रृंखला प्रारम्भ हो जाएगी और हम इस प्रश्न का भी उत्तर न दे सकेंगे कि जब कारण के गुणों से कार्य के गुणों का नियत सम्बन्ध ही नहीं है तो फिर नील तंतुओं से श्वेत पट क्यों उत्पन्न नहीं हो सकता ? अतः इस प्रकार की सम्भावित विसंगतियों से बचने के लिए पीलुपाकवाद ही संगत सिद्धान्त है, यही सिद्ध होता है।

निष्कर्ष : पीलुपाक एवं पिठरपाक सम्बन्धी यह विवाद तार्किक सूक्ष्मता से आगे बढ़ाया गया है, किन्तु दोनों ही नैयायिकों एवं वैशेषिकों के मध्य उनकी वास्तविक निष्ठा का परिचायक सिद्धान्त बन गया है।²⁹ अतः सारांश रूप में न्यायकन्दलीकार के शब्दों में, सिद्धान्तपक्ष की ओर से यही कहा जा सकता है कि हमने 'यथोपदेश' एवं 'यथाप्रज्ञ' व्याख्या की है, शेष में विद्वान् ही प्रमाण हैं। इस प्रकार रूप, रस, गन्ध एवं स्पर्श चारों विशेष गुणों अथवा भूत द्रव्यों के गुणों का वैशेषिकाभिमत स्वरूप एवं उनके पाक की प्रक्रिया का निरूपण स्पष्ट है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. सिन्हा, प्रो० हरेन्द्र प्रसाद, भारतीय दर्शन की रूपरेखा, प्रकाशन — मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली — 2002, पृ० 1
2. मिश्र, डॉ० जगदीशचन्द्र, भारतीयदर्शन (प्राचीन एवं अर्वाचीन भारतीय दर्शन), पृ० 3
3. धर्म विशेष प्रसूता द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवायानां पदार्थानां साधर्म्य-वैधर्म्याभ्यां तत्त्व ज्ञानान्नि श्रेयसम्। वैशेषिक सूत्रोपस्कार, शंकरमिश्र, सम्पादक — दुण्डिराजशास्त्री, चौखम्बा प्रकाशन, वाराणसी, पृ०16
4. अभावस्तु स्वरूपवानापि पृथक् नोद्विष्टः प्रति योगिनिरूपणाधीनत्वात् न तु तच्छत्वात्। क्रिणावली, उदयन, शिपिचन्द्रसावर्भाम, द एशियाटिक सोसायटी, कलकत्ता —

- न्यायकन्दली, प्रशस्तपादभाष्यसहित, श्रीधर, हि० व्या० दुर्गाधरझा शर्मा, सम्पूर्णानन्द-संस्कृत-विश्वविद्यालय, वाराणसी, पृ० 4
8. वाचस्पत्यम्, तारानाथतर्कवाचस्पति, राष्ट्रिय-संस्कृत-संस्थान, दिल्ली, पृ० 1927
9. मुनये कणादाय स्वयमीश्वरः उलूकरूपधारीप्रत्यक्षीभूय..... पदार्थ षट्कमुपदिदेशः। न्यायलीलावती, व्या० राजेन्द्रप्रसाद शर्मा, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, पृ० 2
10. विशिष्यते सर्वतो व्यच्छिद्यते येन स विशेषः। हिन्दी वैशेषिक दर्शन, ढुण्डिराजशास्त्री, चौखम्बा प्रकाशन, वाराणसी, प्र० पा० भा०, पृ० 11
11. न्यायकोश, भीमाचार्य झलकीकर, सं० वासुदेवशास्त्री अभ्यंकर, चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी, पृ० 812
12. न्या० क०, प्र० पा० भा०, पृ० 64
13. सर्वदर्शनसंग्रह, माधवाचार्य, उमाशंकरशर्मा, प्रकाशन - चौखम्बा - विद्याभवन, वाराणसी, पृ० 360
14. वैशेषिक दर्शन में पदार्थ निरूपण, डॉ० शशि प्रभा कुमार, प्रकाशन - दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली - 1992, पृ० 288
15. तर्कसंग्रह, अन्नम्भट्ट, न्या० बो०, व्या०-नवीन कुमार झा अञ्जना, अभिषेक प्रकाशन, दिल्ली, पृ० 53
16. कारणगुणपूर्वकः कार्यगुणो दृष्टः। वै० सू० - 2.1.24
17. 'पाकस्तेजः संयोगः'। - त० दी०, पृ० 92
18. पाको नाम विजातीयः तेजः संयोगः। न्या० बो०, पृ० 53
19. वैशेषिक दर्शन में पदार्थ निरूपण, डॉ० शशि प्रभा कुमार, प्रकाशन - दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली -1992, पृ० 29020 'तत्र पाकेनाग्निसंयोगेनावयविष्वपि रूपादिकं जन्यत इति नैयायिकाः।..... अपाकनिक्षिप्तानां घटादिनां पूर्व रूपादिविजातीय रूपाद्यनुभूयते।' - कणादरहस्य, शंकरमिश्र, पृ०51
21. वैशेषिक दर्शन में पदार्थ निरूपण, डॉ० शशि प्रभा कुमार, प्रकाशन - दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली -1992, पृ० 290
22. 'पीलुपाकवादो वैशेषिकाणाम्। पाकः परमाणुष्वेव जायते, नावयविनि मानाभावात्'। - वैशेषिक दर्शन में पदार्थ निरूपण, डॉ० शशि प्रभा कुमार, प्रकाशन - दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली -1992, पृ० 290
23. प्र० पा० भा०, पृ० 62, न्या० सि० मु०, पृ० 397
24. वैशेषिक दर्शन में पदार्थ निरूपण, डॉ० शशि प्रभा कुमार, प्रकाशन - दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली -1992, पृ० 291

- पृ० 291 तथा -,'तत्र कार्य कारण समुदाय एव पच्यते इति पीठरपाकवादिनः।-उप०,पृ० 371
26. तत्रैव, पृ० 372-73
27. वैशेषिक दर्शन में पदार्थ निरूपण, डॉ० शशि प्रभा कुमार, प्रकाशन - दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली -1992, पृ० 291
28. तत्रैव, पृ० 292
29. न्याय वैशेषिक सम्प्रदायों में प्रायः सभी दार्शनिक विषयों पर मतभेद है, जिनका उल्लेख किसी विद्वान् ने इस श्लोक में किया है -द्वित्वे च पाकजोत्पत्तौ विभागे च विभागजे। यस्य न स्वलिता बुद्धिस्तं वै वैशेषिकं विदुः।।
30. वैशेषिक दर्शन में पदार्थ निरूपण, डॉ० शशि प्रभा कुमार, प्रकाशन - दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली -1992, पृ० 292

सुमन

शोधछात्रा (पी०एच०डी०)

श्री ला०ब०शा०रा०सं०विद्यापीठ

नई दिल्ली - 110016

सारांश : महात्मा गांधी ने जीवन में अहिंसा को अधिक बल दिया। अहिंसा और सत्य को जीवन का ध्येय माना। उन्हें सत्य का पुजारी भी कहा जाता है। यह अवधारणा जीवन के विभिन्न पक्षों को उदघाटित करते हुए सिद्धांत रूप में उनके अध्यात्मिक जीवन को प्रस्तुत करती है। गांधी का सम्पूर्ण जीवन मानवीय मूल्यों को उजागर करता है। इस अवधारणा में गांधी ने अहिंसा के विविध पक्षों को निरूपित किया है। आत्मिक आदर्शवाद में ईश्वर, सत्य, नैतिकता, साधन की श्रेष्ठता धर्म और अहिंसा का विशिष्ट स्थान है। गांधी ने राजनीति के लिए भी इन आत्मिक पक्षों को अक्षुण्ण नहीं होने दिया।

अहिंसा का अर्थ है – जिसमें हिंसा न की जाए। राजपाल हिन्दी शब्दकोष में अहिंसा का अर्थ है, “किसी प्राणी या जीव को न मारना, मन वचन कर्म से किसी को दुःख न देना, किसी जीव या प्राणी को पीड़ित न करने वाली नीति, किसी को दुःख न पहुँचाने का सिद्धान्त।”¹ अतः कहा जा सकता है कि मन, वचन और कर्म से किसी जीव को कष्ट न देना अहिंसा कहलाती है। अहिंसा सभ्यता एवं संस्कृति का उच्चतम विकास बिन्दु भी है। महात्मा गांधी अहिंसा के सामूहिक प्रयोग के क्षेत्र में मील के पत्थर बने। इसके मूल में गांधी का उद्देश्य समानता सहयोग न्याय और स्वतन्त्रता जैसे मूल्यों को स्वीकार करना था। साथ अहिंसा और सत्याग्रह में तीन गांधी जी के अमोघ अस्त्र थे। इनका प्रयोग उन्होंने देश को शान्तिमय तरीके से स्वराज्य तक पहुँचाने में किया।

सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कोई भी क्षेत्र इन साधनों के स्पर्श से बन न सका। अहिंसा के विषय में महात्मा गांधी लिखते हैं, “अहिंसा का अर्थ आदमी के लिए यथाशक्य अधिक से अधिक आत्म शुद्धि है। आदमी-आदमी के बीच मुकाबला करें तो देखेंगे कि किसी अहिंसक व्यक्ति में हिंसा करने की जितनी अधिक क्षमता होगी, उसकी अहिंसा की परख उतनी ही अधिक होगी।”² स्पष्ट है कि अहिंसा आत्मशुद्धि दूसरा नाम है।

अहिंसा शब्द के अर्थ के पश्चात् विभिन्न विद्वानों द्वारा अहिंसा की परिभाषाओं का विश्लेषण अति आवश्यक माना जाता है। यह अहिंसा की अवधारणा आधुनिक काल तक जिन परिस्थितियों से होकर आज भी विद्यमान है अथवा नहीं इसका विवेचन करना आवश्यक हो जाता है।

वैदिक युग में भी अहिंसा को मानव धर्म के लिए आवश्यक माना गया था। नन्द किशोर आचार्य अहिंसा के विषय में लिखते हैं, “पौराणिक अहिंसा हिन्दू धर्म के ग्रन्थ हैं, ये विभिन्न देवी-देवताओं

जिसमें विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण आदि हैं।”³ स्पष्ट है कि अहिंसा का प्रयोग विभिन्न पौराणिक ग्रन्थों में भी मिलता है। यह एक परंपरा का भाग था।

छान्दोपनिषद् में अहिंसा का पहली बार प्रयोग हुआ है, “यज्ञ, हवन आदि में भी अहिंसा को महत्व दिया जाना चाहिए।”⁴ कहा जा सकता है कि अहिंसा के बिना हमारा अस्तित्व टिक ही नहीं सकता है। अहिंसा के मार्ग पर चलकर संतों ने अपना जीवन लाभ व्यतीत किया है। परन्तु हिंसा मृत्यु है, अहिंसा जीवन है।

पतंजलि योग सूत्र में अहिंसा को न केवल समुचित महत्व दिया गया है बल्कि पंचायत में अहिंसा को स्थान देते हुए इस बात पर जोर दिया गया है कि उसी से मनुष्य का आध्यात्मिक विकास सम्भव है। इसके विषय में प्रभात कुमार भट्टाचार्य लिखते हैं, “योग सूत्र में भी यह भावना प्रतिपादित की गई है कि अहिंसा कोई शारीरिक स्थिति नहीं बल्कि मानसिक स्थिति है।”⁵ अतः अहिंसा दृढ़ता से अपनाई जाती है। यह मानसिकता एवं विचारों को संजोए रखती है।

बौद्धकालीन युग में अहिंसा का जो मुख्य सिद्धांत चला वह सम्पूर्ण संसार में ख्याति प्राप्त कर गया। बुद्ध ने ‘अहिंसा परमोधर्म’ के सिद्धान्त पर उपदेश दिए, “बुद्ध के उपदेशों में अहिंसा को अत्यन्त महत्व देकर किसी भी परिस्थिति अथवा उद्देश्य के लिए हिंसा की अनुमति नहीं दी गई।”⁶ अतः कहा जा सकता है कि बौद्ध धर्म को अहिंसा केंद्रित अथवा करुणायम धर्म बताया गया है। इसलिए बौद्ध धर्म को अहिंसा भी कहा जाता है।

जैन धर्म भी अहिंसा पर बल देता है। इसके विषय में अलका जैन लिखती हैं, “महावीर और बुद्ध अहिंसा के महान् चिंतक और व्यवहारकर्ता होने के बावजूद अपने समय की सामाजिक व राजनीतिक परिस्थितियों से बंधे थे। वे अहिंसा के आचरण को त्रैमासिक स्तर पर लागू कर पाए। सामूहिक रूप से अहिंसा का प्रयोग केवल श्रमणों तक ही सीमित रहा।”⁷ अतः यह सच है कि अहिंसा के उपदेश में जीवों को समान भाव को मान लिया गया है। परन्तु इस का अविर्भाव करुणा है।

न्यू इन्साइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका में अहिंसा को इस प्रकार परिभाषित किया है, “अहिंसा वह सिद्धांत है, जिसके द्वारा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बल के स्थान पर केवल नैतिक सिद्धान्तों का उपयोग किया जा सकता है।”⁸ इसमें अहिंसा को नैतिकता के पक्ष में माना है। अहिंसा का नैतिक परिणाम होता है। अतः अहिंसा तभी सफल होती है जब हमारा नैतिक जीवन दूसरों के प्रति दया,

संतोषिता पर विश्वास करे। यदि जिनके प्रति ईश्वर ने जैन धर्म विश्वास का मार्ग खोजा है।

के अहिंसा विषय में लिखते हैं, "गांधी की अहिंसा में कायरता के लिए कोई स्थान नहीं है। वे कायरता की अपेक्षा तो हिंसा का समर्थन करना अधिक पसंद करते हैं। दमनकारी ताकतों के आगे घुटने टेकने का नाम अहिंसा नहीं है। बुराई को देखकर आँख बंद कर लेने का नाम भी अहिंसा नहीं है। अहिंसा उदासीनता में काम नहीं करती, सत्त, क्रियाशील रहती है।"⁹ महात्मा गांधी ने अहिंसा के विषय में कहा है, "अहिंसा में पराजय नाम की कोई चीज ही नहीं है। किन्तु हिंसा में तो अन्त में पराजय होती है।"¹⁰ अतः गांधी हिंसा की पराजय को स्वीकारते हैं। सत्य के प्रयोग पुस्तक में गांधी जी कहते हैं, "आत्म शुद्धि के बिना अहिंसा-धर्म का पालन सर्वथा असम्भव है।"¹¹ अतः स्पष्ट है कि जब तक हमारी आत्मशुद्धि नहीं हो जाती तब तक इन विषयों को नहीं अपना सकते। अहिंसा के बिना धर्म का पालन नहीं कर सकते। प्रत्येक मनुष्य में हिंसा एवं अहिंसा के दोनों बीज हैं। जब आतंक, अन्याय दमन का सामना करना पड़ता है, तब व्यक्ति हिंसा को उचित मानने लगता है। जबकि अहिंसा के प्रति न्यूनतम प्रतिबद्धता होते ही हिंसा त्याज्य है। अतः यदि हमें अहिंसा को समझना है तो कुछ सीमा तक हिंसा के स्वरूप को भी जानना होगा।

प्रताप सिंह मानते हैं, "दुःखी दुनिया के उद्धार के लिए अहिंसा के मार्ग के अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है।"¹² अहिंसा ही उद्धार का प्रमुख रास्ता है। "पतंजलि योग हिंसा को अज्ञान व दुःख प्रदान करने को विचार मानते हैं।"¹³ अतः वह ऐसी अहिंसा के पक्षधर हैं जो पूरी दृढ़ता से अपनाई जाएं यहाँ तक कि अहिंसा के साधक के सम्पर्क में आने वाले प्रत्येक प्राणी तक अहिंसा जाए। पतंजलि के अनुसार, "हिंसा के कई भेद हैं यहाँ तक कि बलपूर्वक किसी से अपनी बात प्रशंसा करवाना भी हिंसा है।"¹⁴ गांधी जी हिंसा के विरोधी व अहिंसा के पक्षधर थे। पैगम्बर और अबूवक एक गुफा में फंस गए थे। एक मकड़ी ने जिसने उस गुफा के प्रवेश-द्वार पर ही अपना जाला बुन रखा था उन्हें आत्ताइयों से बचा लिया था।¹⁵ अतः कहा जा सकता है कि संसार में जितने भी धर्म-संस्थापक हुए हैं उन्होंने अपना कार्य शून्य से आरम्भ किया है।

अहिंसा कोई बाह्य चिन्तन का विषय नहीं है। डॉ० वीरेन्द्र शर्मा के अनुसार, "अहिंसा तो मानव की प्रकृति का अंग है। जब मनुष्य शैतान की पूजा करता है तो वह अपने स्वभाव के प्रतिकूल कार्य करता है। मनुष्य का यदि कोई कर्तव्य है तो वह अहिंसा में ही निहित है। अहिंसा में प्रेम और करुणा की भावना निहित रहती है। यह हमारे अन्तस्थल की भावना है।"¹⁶ अतः किसी से जबरदस्ती उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई काम करवाना भी इस प्रकार से हिंसक कार्य है। अर्थात् अपनी इच्छाओं को दूसरों पर थोपना भी

पीछे छोड़ी गई इस परंपरा को हमें समृद्ध करना है। ईश्वर अहिंसा में दया की भावना जागृत रहनी चाहिए, जहां दया नहीं, वहां अहिंसा नहीं।"¹⁷ अतः कहा जा सकता है कि जिसमें जितनी दया हो उसमें उतनी ही अहिंसा है।

उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि अहिंसा जीवन के प्रति सम्मान और जीवन मूल्यों का सार तत्व है। अहिंसा हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है। आज के युग में अहिंसा एक प्रबल सिद्धांत बन गया है। अणु अस्त्रों की खोज के पश्चात् इसमें देशों में माना है कि अहिंसा का मार्ग अपना आवश्यक हो गया है। इस प्रकार गांधी के नेतृत्व अहिंसा के विचार और व्यवहार को बल दिया। आज के संदर्भ में गांधी जी द्वारा राजनीति के क्षेत्र में यह सिद्धांत अधिक उपयोगी सिद्ध होता है। अहिंसा का यह समकालीन चिंतन और आचरण आधुनिक विश्व की विचारधारा में आशापूर्ण तेजस्विता और मौलिकता प्राप्त करता हुआ लगता है।

गांधी जी के अनुसार, "अहिंसा प्रचण्ड शस्त्र है। उसमें परम पुरुषार्थ है। वह भीरु से दूर ही रहती है। वह वीर पुरुष की शोभा है। उसका सर्वस्व है। यह कोई शुष्क नीरस जड़ पदार्थ नहीं है। यह एक चेतना शक्ति है। यह आत्मा का विशेष गुण है।"¹⁸ स्पष्ट है कि अहिंसा को प्रचण्ड शस्त्र के रूप माना गया है।

शर्मा एवं सक्सेना कहते हैं कि "अहिंसावाद के मार्ग में सदा सफलता मिलती है। इसकी कभी भी पराजय नहीं हो सकती। केवल हिंसा पराजित होती है। यदि हिंसा के बल पर कोई व्यक्ति दूसरे को नष्ट कर देता है तो इस विजय में वास्तविक पराजय है। दूसरी ओर अहिंसावाद अपने भावों तथा आक्रोश को संयम में रखता है।" इस प्रकार यदि उनकी संसार की नजर में हार भी हो जाती है तो भी आत्मसंयमी आध्यात्मिक रूप से जीत हासिल करता है। अहिंसा की कभी पराजय नहीं हो सकती। जो जोश में आकर आक्रमण करता है उसको मुँह की खानी पड़ती है। आवेश में आना क्रोध आक्रमण की प्रतिक्रियाएं केवल हताश व हारे हुए व्यक्ति में ही हो सकती है।¹⁹ अतः सम्पूर्ण अहिंसावादी व्यक्ति को हिंसा से कोसों दूर रहना चाहिए ताकि वह संयमवादी जीवन का निर्वाह कर सके।

गांधी जी के अनुसार, "जब कोई मनुष्य कहता है कि मैं अहिंसा परायण हूँ तब उससे यह आशा की जाती है कि जब उसे कोई हानि पहुँचाएगा तब वह उस पर क्रोध नहीं करेगा, वह उसका नुकसान न चाहेगा बल्कि उसकी भलाई ही चाहेगा। वह न तो उसे गाली गतौच देगा और न उसके बदले किसी को तरह की वोट पहुँचाएगा।"²⁰ अतः अगर कोई आप पर क्रोध करता है तो

स्वयं भी जीवित रहता है। इसलिए वह दूसरों को भी जीवित रहने दे। गांधी जी के लिए अहिंसावाद एक सिद्धान्त है और जीवन का मार्ग है। अहिंसा व्यक्ति का एक मौलिक व नैतिक कर्तव्य है।²¹ स्पष्ट है कि व्यक्ति अहिंसा मनुष्य का मौलिक व नैतिक कर्तव्य तथा अहिंसक किसी भी व्यक्ति या प्राणी को दुःखी न करें।

जैनेन्द्र कुमार कहते हैं कि सिद्धि के लिए सत्याग्रह असिद्ध बनता है। साधक के लिए सत्याग्रह ही मार्ग है। लेखक मानते हैं कि उन्होंने अहिंसा को सत्याग्रह के बिना निष्क्रिय माना है। वह बुद्धि से ज्यादा सत्य को महत्व देते थे। सत्य मूर्त नहीं होता, इसी से बुद्धि नहीं बल्कि श्रद्धा में से सत्याग्रह की उद्भावना होती है। उन्होंने अधिकार और कर्तव्य के रूप में सामाजिक जीवन में इसको प्रविष्ट किया। गांधी जी के अनुसार, “लेखक मानता है कि सत्याग्रह, मनुष्य के पास वह आयुध है जो ईश्वरीय है। उसका समर्थन दुनिया में से किसी तरह भी नहीं आ सकता है। दुनिया की ओर का कोई औचित्य सत्याग्रह को उचित नहीं दिखा सकता।²² एक अन्य स्थान पर “सत्याग्रह आन्तरिक विवशता में से फूटता है। मेरी अहिंसा किसी ऐसे तन्दुरुस्त आदमी को मुफ्त खाना देने का विचार बरदाशत नहीं करेगी जिसने उसके लिए ईमानदारी से कुछ न कुछ न किया हो।²³ अतः कहा जा सकता है कि सभी व्यक्ति ईमानदार तथा मेहनती होने चाहिए किसी को भी मुफ्त खाना नहीं देना चाहिए।

राजेश यादव मानते हैं, अहिंसा का आधार सब कुछ भगवान का रूप है और मैं भी भगवान का रूप हूँ तो मैं किसी से कैसे द्वेष कर सकता हूँ। अहिंसा से पूर्ण रूप से मुक्ति अज्ञान पर आधारित दुर्भावना, क्रोध, घृणा से छुटकारा और सब के प्रति विवके पूर्ण प्रेम का बाहुबल है लेकिन इस प्रकार की अहिंसा पूर्णता की स्थिति है और वह तभी प्राप्त हो सकती है जब मन वचन कर्म में पूर्ण समन्वय हो। गांधी जी कहते थे कि मुनष्य अहिंसा से तब तक छुटकारा नहीं पा सकता जब तक वह सामाजिक प्राणी है।²⁴ अतः यदि मनुष्य को सच्चे अहिंसावादी बने रहना है तो अनिवार्य रूप से अहिंसा को अपना पड़ेगा यह स्वाभाविक है।

गांधी जी मानते हैं कि, “अहिंसा सत्याग्रह के लिए परम आवश्यक है। अहिंसा का धर्म सिर्फ संत महात्माओं के लिए ही नहीं बल्कि मनुष्य के लिए भी है। अहिंसा मानव जाति का नियम है और यह पशुबल से कहीं ज्यादा महान् तथा उच्च है। अहिंसा ऐसी शक्ति है जिसे सब साध सकते हैं। स्त्री पुरुष बच्चे युवा या प्रौढ़ व्यक्ति शर्त यही है कि उन्हें प्रेम के ईश्वर में जीवित आस्था हो और वे सम्पूर्ण जाति के बराबर प्रेम करते हों।²⁵ स्पष्ट है कि अहिंसा उच्चतम कोटि का सक्रिय बल है। यह हमारे अंदर बैठे

सूर्य को टोकरे के नीचे छिपाया जा सकता हो तो शिक्षा में निहित हुई अहिंसा-दृष्टि भी छिपाई जा सकती है। प्रताप सिंह ने गांधी के धर्म से सम्बन्धित विचारों के संदर्भ में लिखा है कि, “सत्य और अहिंसा की मूर्ति गांधी ने धर्म की सृजनात्मक शक्ति को स्वीकार किया। धर्म उनके लिए संसार की नैतिक अनुशासन की व्यवस्था थी। उन्होंने समाज में व्याप्त धर्म के विकृत रूप को देखा। स्पष्ट है कि उन्होंने अहिंसा का पाठ विश्व के सभी धार्मिक ग्रन्थों से सीखा है।

गांधी जी के अनुसार, “सत्याग्रही को हैसियत से अपने कर्तव्य का ख्याल होता है तब मैं असमंजस में पड़ जाता हूँ क्योंकि सत्याग्रही के नाते हम आत्मा को अमर समझते हैं और शरीर तो आत्मा के अधीन है।²⁶ अतः यह स्पष्ट है कि प्रत्येक सत्याग्रही को अपने कर्तव्य का ध्यान रखना चाहिए।

गांधी के अनुसार, “जिस व्यक्ति के मन में अहिंसा का पालन करने का उत्साह है उसे चाहिए कि वह अपने हृदय में झांके और अपने पड़ोसी की ओर देखें।” गांधी जी कहते हैं कि प्रेम और अहिंसा की चाल अदभुत है। इसे किसी भी बाह्य आडम्बरों की आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने समाज सुधार के कार्य को कठिन बताते हुए लिखा है कि प्रेम अथवा अहिंसा की गति न्यायी है। इसे धांधली आडम्बर या ढोल-नगाड़ों की जरूरत नहीं होती। केवल आत्मविश्वास की जरूरत होती है और आत्म-विश्वास पैदा करने के लिए आत्मशुद्धि होनी चाहिए।”

अतः गांधी जी प्रेम और अहिंसा की शक्ति को महत्वपूर्ण मानते हुए आत्मविश्वास की बात करते हैं। आत्मविश्वास के लिए हमारी आत्मा का शुद्ध होना जरूरी है। आत्मविश्वास से बड़ी से बड़ी बाधा को भी पार किया जा सकता है।

गांधी जी कहते हैं, “जो समाज अहिंसा पर आधारित है उसमें किसी आदमी को धीरज खोकर दूसरे का नाश नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर हम बुराई करने वाला अपने तरीके नहीं सुधारेगा तो वह अपना विनाश स्वयं करेगा। बुराई अपने पैरों पर कभी खड़ी नहीं रह सकती। इसलिए कांग्रेस की नीति हमेशा देशी रियासतों को नष्ट करने की नहीं बल्कि उनके शासन को सुधारने और नरेशों को यह समझाने की रही है कि वे अपनी प्रजा के वास्तव में ट्रस्टी और सेवक बन जायें।²⁷ संक्षेप में कहा जा सकता है कि अहिंसा बुराई पर अच्छाई की जीत है। विषम परिस्थितियों में भी इंसान को हिंसा मार्ग नहीं अपनाना चाहिए अहिंसक व्यक्ति सभी के दिलों पर राज करता है। कांग्रेस ने हमेशा अहिंसक नीति अपनाई है।

जैनेन्द्र कुमार राजेश यादव के अनुसार, “पूर्ण सत्य और पूर्ण

ब्रह्मदत्त शर्मा समझते हैं, "कि अहिंसा तथा सत्य को गांधी ने एक ही सिक्के के दो पहलू माना है। वे इसे बिना छाप या धातु का ऐसा सिक्का मानते हैं जिसमें यह पता लगाना कठिन होता है कि उल्टा हिस्सा कौन सा है तथा सीधा कौन सा। अहिंसा साधन है और सत्य साध्य। साधन साध्य व्यक्ति की पहुंच में रहना चाहिये और इस तरह अहिंसा एक सर्वोच्च कर्तव्य के रूप में है। यदि साधन की चिन्ता रखी जाए तो साध्य को किसी न किसी दिन प्राप्त किया जा सकता है। सत्य की खोज निरन्तर होनी चाहिए।"²⁹ अतः सत्य और अहिंसा का मार्ग कठिन है।

सत्याग्रह और अहिंसा को सम्पूर्ण राष्ट्र के आचरण की वस्तु बनाने के संदर्भ में गांधी जी लिखते हैं, "हमें सत्य और अहिंसा को व्यक्तिगत आचरण ही नहीं बल्कि समूहों, समुदायों और राष्ट्रों के आचरण की वस्तु बनाना होगा। कम से कम मेरा स्वप्न तो यही है, और मैं इसकी प्राप्ति का प्रयास करते हुए जीऊँगा और मरूँगा।"³⁰ कहा जा सकता है कि गांधी का स्वप्न था कि सत्य और अहिंसा के रास्ते पर निरन्तर प्रयास करते रहें।

गांधी जी की सत्य और अहिंसा में गहरी आस्था थी। आजीवन इसका अनुसरण करते रहे। एक स्थान पर वे लिखते हैं, "सत्य और अहिंसा में मेरी आस्था बराबर बढ़ती जाती है और जैसे-जैसे मैं अपने जीवन में इनका अनुसरण करने का प्रयास करता हूँ, मेरा विकास होता जाता है। मेरे सामने उनके नये-नये निहितार्थ आते जाते हैं। मैं प्रतिदिन उन्हें नये-नये आलोक में देखता हूँ और उनमें नये अर्थ पाता हूँ।"³¹ अतः कह सकते हैं कि गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे तथा उनका मानना था कि इससे उनका विकास होता है तथा प्रतिदिन उन्हें इसमें नए आयाम दिखते हैं।

इस प्रकार गांधी जी का मानना है कि जीवन में हिंसा अत्यन्त बुरी बात है। क्योंकि, विनाश मानव का धर्म नहीं है। जीव हिंसा घृणित कार्य है क्योंकि, वह मानव धर्म के विरुद्ध है। उनका ऐसा विचार था कि जो किसी को जीवन नहीं दे सकता, वह उसे मृत्यु देने का अधिकार भी नहीं रखता है। जिस प्रकार मनुष्य एक-दूसरे का उपयोग करते हैं परन्तु एक-दूसरे को खाते नहीं, उसी प्रकार पशु-पक्षी भी उपयोग के लिए हैं, खाने के लिए नहीं। वे कहते हैं कि जिस चीज की दुनिया को जरूरत है उस पर कब्जा रखना भी हिंसा है। हिंसा चाहे व्यावहारिक हो या मानसिक, वह सभी प्रकार से त्याज्य है। परन्तु लोक कल्याण की दृष्टि से कभी-कभी हिंसा का सहारा लेना पड़ता है।

निष्कर्ष — गांधी जी का ऐसा विचार था कि हिंसा मनुष्य का स्वभाव नहीं है। हिंसा करने में मनुष्य को आनन्द भी नहीं

कुछ-कुछ नए मूल्य स्थिर करने होंगे। उन्हीं मूल्यों के आधार पर लोक शिक्षण की व्यवस्था करनी होगी, परन्तु गांधीजी ने इसे नया रूप देकर सरल बना दिया।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. हरदेव बाहरी, राजपाल हिन्दी शब्दकोश (दिल्ली : राज्यपाल एण्ड सन्ज, 2013), पृ० 73
2. सम्पूर्ण गांधी, वाडमय, 100 खंड, 44 खंड, पृ० 22
3. नन्द किशोर आचार्य, अहिंसा-विश्वकोश (जयपुर : प्राकृत भारती अकादमी, 2017), पृ० 23
4. डॉ० प्रभात कुमार, भट्टाचार्य गांधी दर्शन (जयपुर : कॉलेज बुक डिपो, 1972-73), पृ० 37
5. वही, पृ० 37
6. नन्द किशोर आचार्य, अहिंसा-विश्वकोश (जयपुर : प्राकृत भारती अकादमी, 2017), पृ० 476
7. डॉ० अलका जैन, अहिंसा प्रशिक्षण (नई दिल्ली : रीगल पब्लिकेशनस, 2009), पृ० 1
8. न्यू इन्साइक्लापीडिया ब्रिटिनिका, खण्ड 30, पृ० 383
9. भवानी शंकर ब्यास 'विनोद', गांधी आधुनिक परिप्रेक्ष्य (बीकानेर : कल्पना प्रकाश, 1969), पृ० 42
10. सम्पूर्ण गांधी, वाडमय, 100 खंड, 62 खंड, पृ० 30
11. मोहनदास कर्मचन्द गांधी, मेरे सत्य के प्रयोग की कहानी (दिल्ली : कलरफुल बुक इंटरनेशनल, 2009), पृ० 489
12. प्रताप सिंह, गांधी दर्शन (जयपुर : रिसर्च पब्लिकेशन, 2007), पृ० 76
13. अहिंसा प्रतिष्ठाया तन्सन्निधौ बैरत्याग सूत्र 31 देखें। जगदीश शास्त्री (सं०), पतंजलि योग (दिल्ली : ईस्टन बुक, 2008), पृ० 138
14. वही, सूत्र 34, पृ० 137
15. वही, पृ० 403
16. डॉ० वीरेन्द्र शर्मा, भारत के पुननिर्माण में गांधी का योगदान (नई दिल्ली) श्री पब्लिशिंग हाऊस, 1984), पृ० 62
17. सम्पूर्ण गांधी, वाडमय, 100 खंड, 74 खंड, पृ० 463
18. मोहनदास कर्मचन्द गांधी, महात्मा गांधी अहिंसा (दिल्ली : गुरुकुल विद्यापीठ प्रकाशन, 2009), पृ० 177
19. सम्पूर्ण गांधी, वाडमय, 100 खंड, 42 खंड, पृ० 460
20. शर्मा एवं सक्सेना, मूल्य पर्यावरण और मानव अधिकार की शिक्षा (मेरठ : आर लाल बुक डिपो, 2014), पृ० 29
21. सम्पूर्ण गांधी, वाडमय, 100 खंड, 12 खंड, पृ० 176
22. शर्मा एवं सक्सेना, मूल्य पर्यावरण और मानव अधिकार

- : डायमंड बुक्स, 2009), पृ0 58
25. राजेश यादव, वर्तमान में महात्मा गांधी की प्रासंगिकता (दिल्ली : पब्लिकेशन, 2010), पृ0 54
 26. मनोज कुमार सिंह, महात्मा गांधी एक अवलोकन (नई दिल्ली : के0 के0 पब्लिकेशनस, 2007), पृ0 21
 27. प्रताप सिंह, गांधी जी का दर्शन (जयपुर : रिसर्च पब्लिकेशनस, 1997), पृ0 37
 28. डॉ0 श्रीमति राजेश यादव, वर्तमान में महात्मा गांधी की प्रासंगिकता (प्रकाशक : श्वेता मल्टीमिडिया, 2010), पृ0 51
 29. लाल बहादुर सिंह चौहान, महामानव राष्ट्रपिता महात्मा गांधी (दिल्ली : आत्माराम एण्ड संस प्रकाशन 2000), पृ0 42-43
 30. मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी अहिंसा का बल (दिल्ली : गुरुकुल विद्यापीठ प्रकाशन, 2010), पृ0 40
 31. वही, पृ0 140

शोधार्थी

रीता रानी रिहालिया

पीएच0डी0 राजनीति विज्ञान विभाग

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय

शिमला-5

मो0 न0 8894498217

सारांश : शिक्षा मानव जीवन की अमूल्य निधि है शिक्षा से शुद्ध सात्विक विचारों का प्राकटय होता है। हृदय शुद्ध होता है उचित, अनुचित के निर्णय का ज्ञान एवं अधिकार तथा कर्तव्य का बोध होता है। विवेक शक्ति को समृद्ध करने के लिये स्वाध्याय आवश्यक है।

तैत्तिरीयोपनिषद को शिक्षा वल्ली में विद्या विषयक संहिता के एकादश अनुवाक् में वेदादि का भली भांति अध्ययन पूर्ण कराकर आचार्य अपने आश्रम या गुरुकुल में रहने वाले अन्तेवासी अर्थात् ब्रह्मचारी विद्यार्थी को दीक्षान्त भाषण में उपदेश देते हैं।

सत्यंवद्, धर्मचर, स्वाध्यायान्मा प्रमदः॥

(तैत्तिरीयोपनिषद)

स्वाध्याय शब्द की उत्पत्ति स्व और अध्याय के योग से है जिसका अर्थ है स्वयं का अध्ययन, जिसका शाब्दिक अर्थ है स्वयं द्वारा अपने स्वरूप का अनुशीलन। अर्थात् सहग्रन्थों सदसाहित्य का अध्ययन, मनन, चिन्तन तथा उनकी शिक्षाओं को आत्मसात कर अपने व्यवहार में उतारना। क्योंकि ज्ञान के समान पवित्र करने वाला अन्य कुछ नहीं है।

“न हि ज्ञानेन् सदृषं पवित्रमिह विद्यते”

अतः ज्ञान से अपने को जानो

आत्म व अरे आत्मानं विद्धि ज्ञानेन् अरे दृष्टव्यः मन्तव्यः निधिध्यासितव्यः च। (याज्ञवल्क्य स्मृति)

ज्ञान द्वारा लोक व्यवहार उत्तम होता है जिससे समाज में सम्मान एवं समृद्धि प्राप्त होती है। इसे पाकर जीव अहंकार से युक्त हो जाता है। अतः आचार्य का उपदेश है कि स्वाध्याय करते रहो इसमें आलस न करो, स्वाध्याय से परमात्मा का साक्षात्कार होता संभव है।

स्वाध्याययोग सम्पत्या परमात्मा प्रकाशते।

स्वाध्याय से मनुष्य में दिव्य तेजस्विता आ जाती है। विलक्षण आभा का निर्माण होता है। ज्ञान गरिमा से परिपूर्ण विद्वान सभी जगह सम्मान पाता है राजा की तुलना में स्वाध्यायी जन अधिक गरिमापूर्ण होता है।

“स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते”

स्वामी विवेकानन्द के अनुसार हमारी अन्तरात्मा में निहित देवत्व का प्रकटीकरण स्वाध्याय से सम्भव है यही जीवन एवं शिक्षा का मूल है। इतिशतम्।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची स्वाध्यायान्मां प्रमदः

1. तैत्तिरीयोपनिषद— गीता प्रेस गोरखपुर

2. याज्ञवल्क्य स्मृति— गीता प्रेस गोरखपुर

4. नीतिशतक—

गीता प्रेस गोरखपुर

डॉ० अनिल कुमार शर्मा

ग्राम—कन्धरापुर

डाक—खुदागंज (मझिला)

जिला—शाहजहांपुर(उ०प्र०)

पिन—242305

मो०—9793724809

9889532470

सारांश : वैशेषिक दर्शन इस व्यवहारिक जगत् की सत्ता में विश्वास करता है। अतः जगत् में अनुभव होने वाली प्रत्येक वस्तु सत् है, यही उसकी आधारभूत स्थापना है। इस स्थापना के अनन्तर वह समग्र संसार को सात वर्गों में विभक्त करता है तथा उनको 'पदार्थ' संज्ञा देता है। ये सात वर्ग ही वैशेषिक के सात 'पदार्थ' हैं।¹

'वैशेषिक' का यह पदार्थ सिद्धान्त दर्शन के इतिहास में अत्यन्त महत्वपूर्ण है, चूंकि इसमें जगत् के सभी अभिधेय तत्त्वों का समावेश हो गया है। ये न्याय के षोडश पदार्थों की भांति तार्किक या मानसिक नहीं अपितु सर्वथा वास्तविक हैं।² कहा भी गया है कि कणाद का वैशेषिक दर्शन और पाणिनी का व्याकरण अन्य सभी शास्त्रों के अध्ययन में सहायक है।³ पाणिनि का व्याकरण पद ज्ञान का साधन है और वैशेषिक मूलतः पदार्थ विद्या है जिसके अनुसार ज्ञान की सभी वर्ण्य वस्तुएँ 'पदार्थ' कहलाती हैं।⁴ साधारण मान्यतानुसार पद तो शब्द का पर्याय ही है तथा 'अर्थ' की व्युत्पत्ति होगी —

'ऋच्छन्तीन्द्रियाणि यं सोऽर्थः'

अर्थात् कोई भी विषय इन्द्रियग्राह्य है, 'अर्थ' है। कोश ग्रन्थों में 'पदार्थ' का यही तात्पर्य दिया है⁵ तथा मैक्समूलर,⁶ पॉटर⁷ आदि विद्वानों ने भी इसे इसी प्रकार स्पष्ट किया है। 'दशपदार्थी' नामक वैशेषिक ग्रन्थ के चीनी व्याख्याता क्वेही ची ने पदार्थ की व्युत्पत्ति में यह दृष्टान्त दिया है कि — 'पद' का अर्थ 'चरण' होता है। अतः जिस प्रकार मनुष्य गज के पद चिन्हों को देखकर गज का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार हम 'पद' (शब्द) से अर्थ का ज्ञान प्राप्त करते हैं चूंकि 'पद' ही अर्थ का वाचक चिन्ह है।⁸ इस प्रकार 'पदार्थ' का व्युत्पत्ति-लभ्य अर्थ उसके अभिधेय पक्ष पर ही बल देता है।

स्पष्टतः वैशेषिकाभिमत पदार्थ परिकल्पना इन सबसे भिन्न है। सूत्रकार 'कणाद' ने पदार्थ का कोई लक्षण नहीं दिया। वैशेषिक सूत्रों में यह पद केवल एक बार प्रयुक्त हुआ है⁹ और उस सूत्र को भी अनेक आधुनिक विद्वान् जैसे — राधाकृष्णन्, बोडास, नारायण¹⁰ प्रक्षिप्त मानते हैं। यद्यपि सूत्रकार ने द्रव्य, गुण एवं कर्म — तीनों को अर्थ पद से अभिहित किया है¹¹ तथा उन्हीं तीनों के साधर्म्य प्रशस्तपाद ने इस प्रकार बताये हैं — सत्त्व, अनित्यत्व, द्रव्यत्व, कारणत्व और सामान्यविशेषत्व।¹²

प्रशस्तपाद के अनुसार पदार्थ सामान्य के तीन साधर्म्य हैं — अस्तित्व, अभिधेयत्व, ज्ञेयत्व।¹³ अतः इन तीनों पर पृथक्-2 विचार करना अनिवार्य है — अस्तित्व :- प्रत्येक पदार्थ का अपना एक

करता है। अन्य शब्दों में, सभी पदार्थों की भिन्न — 2 सत्ता है।¹⁴ श्रीधराचार्य ने इसे इस प्रकार स्पष्ट किया है कि किसी वस्तु का जो स्वरूप है, वही उसका अस्तित्व है।¹⁵

अभिधेयत्व :- जो वस्तु सत् है, जिसका अपना अस्तित्व है, उसे हम शब्दों के द्वारा अभिव्यक्त भी कर सकते हैं, कोई अभिधान भी दे सकते हैं। उदयनाचार्य एवं सर्वदेव सूरि ने पदार्थ के इसी लक्षण पर बल दिया है¹⁶ तथा अन्नम्भट्ट ने भी अभिधेयत्व को ही पदार्थों का सामान्य लक्षण कहा है।¹⁷

ज्ञेयत्व :- इसका अर्थ है — ज्ञानयोग्यता। विश्व की सभी वस्तुएँ — घट, पट आदि जिनका अस्तित्व है, उन्हें जाना भी जा सकता है और शब्दों के द्वारा प्रकट भी किया जा सकता है।

इस प्रकार, यह तो निश्चितरूपेण सिद्ध हो जाता है कि सभी सत्, ज्ञेय तथा अभिधेय¹⁸ वस्तुओं को वैशेषिक पदार्थ — विभाजन में निविष्ट किया गया है किन्तु, विवादास्पद विषय यह है कि आरम्भिक वैशेषिक दर्शन में पदार्थ तीन माने गये थे, छः या सात? यद्यपि कणाद ने स्पष्टतः छः पदार्थों का तो निर्देश किया ही है¹⁹, किन्तु कुछ विद्वानों को वह भी मान्य नहीं है। उनके अनुसार कणाद ने द्रव्य, गुण और कर्म तीन को ही 'अर्थ' संज्ञा से अभिहित किया है, अतः उन्हें तीन ही पदार्थों की वस्तुगत सत्ता अभीष्ट थी।²⁰ इन विद्वानों के मत से पहली बार प्रशस्तपाद ने छः पदार्थों²¹ का निर्देश किया है। पदार्थों के विकास क्रम की यह प्रक्रिया मतिचन्द्र की दशपदार्थी में सर्वथा सुस्पष्ट होती है चूंकि वहाँ शक्ति, अशक्ति, सामान्य — विशेष तथा 'अभाव' नाम के चार अन्य पदार्थ भी स्वीकार किये गये हैं। इनमें प्रथम तीन का तो सिद्धान्तमत में प्रचार न हो सका, किन्तु 'अभाव' के पदार्थत्व की चर्चा मतिचन्द्र के काल से आरम्भ होकर दसवीं शताब्दी तक चलती ही रही, जब तक कि वैशेषिक दर्शन में उसे सप्तम पदार्थ के रूप में स्वीकार नहीं कर लिया गया। श्रीधराचार्य²² एवं उदयनाचार्य²³ आदि लेखकों का भी मानना है कि स्वयं कणाद को भी 'अभाव' की पृथक् सत्ता मान्य थी किन्तु उन्होंने इसका उल्लेख इसलिए नहीं किया क्योंकि यह भाव के परतन्त्र ही है।

समानतन्त्र न्याय दर्शन में भी महर्षि गौतम ने इन षोडश पदार्थों का निर्देश किया — प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टान्त, सिद्धान्त, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितण्डा, हेत्वाभास, छल, जाति और निग्रहस्थान।²⁴ किन्तु सूक्ष्म अन्वीक्षण से स्पष्ट हो जाता है कि ये सोलह तत्त्वतः 'पदार्थ' नहीं हैं अपितु वाद — विद्या पर अधिकार पाने के लिए जिन विषयों का अध्ययन अनिवार्य है, उन्हीं सूक्ष्म मात्र हैं। उनेक वैशेषिक ज्ञानियों ने इनका अन्वय भी वैशेषिक के सात पदार्थों में ही हो सकता है।²⁵ भादू मीमांसक

‘समवाय’ को भी एक पृथक् पदार्थ नहीं माना जा सकता, उसका प्रयोजन स्वरूप सम्बन्ध से ही सिद्ध हो जाता है।²⁸ प्राभाकर मीमांसक आठ पदार्थ मानते हैं –द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, समवाय, शक्ति, सादृश्य एवं संख्या। इनमें से शक्ति एवं सादृश्य के विषय में गहन मतभेद एवं विवाद है, अतः यहाँ उसकी चर्चा प्रासंगिक न होगी।²⁹

निष्कर्ष : इस प्रकार से सप्त अतिरिक्त सभी पदार्थों का खण्डन करते हुए वैशेषिक दर्शन ने इन सात पदार्थों के द्वारा ही जगत् की व्याख्या की है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. वैशेषिक दर्शन में पदार्थ निरूपण, डॉ० शशि प्रभा कुमार, प्रकाशन – दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली – 1992, पृ० 172 तत्रैव।
3. काणादं पाणिनीयं च सर्वशास्त्रोपकारम्।
4. पदस्य अर्थः इति पदार्थः।
5. क) शब्दाभिधेये द्रव्यादौ – वाच०, पञ्चमो भागः, पृ० 4225 ख) पदानां घटपटादीनाम् अर्थोऽभिधेयः। तत्पर्यायः – भावः, धर्मः, तत्त्वं, सत्त्वं, वस्तु इति जटाधरः। – श० क० द्रु०, तृतीय भागः, पृ० 40
ग) ‘मानक हिन्दी कोश’ में ‘पदार्थ’ शब्द के पाँच अभिप्राय दिये गये हैं जिनमें से सर्वप्रथम यही है – ‘वाक्यों आदि में आने वाले शब्द या पद का अर्थ।’ – मा० हि० को०, तृतीय खण्ड, पृ० 386
6. Bedeutung, Ziel oder Gegenstand (artha) eines wortes (pada). – Maxmuller, ZDMG, v1, 1852, p.11
7. ‘Category’ is the usual translation of Sanskrit Padartha, Literally, Padartha means the things of a word’ or that to which a word refers. - Potter, Intro. To PTN, P.4
8. ‘वैशेषिक दर्शन में पदार्थ निरूपण, डॉ० शशि प्रभा कुमार, प्रकाशन – दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली – 1992, पृ० 18
9. वै० सू० 1.1.4
10. ‘वैशेषिक दर्शन में पदार्थ निरूपण, डॉ० शशि प्रभा कुमार, प्रकाशन – दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली – 1992, पृ० 20
11. वै० सू० 8.2.3
12. प्र० पा० भा०, पृ० 7–813 ‘षण्णामपि पदार्थानामस्तित्वाभिधेयत्वज्ञेयत्वानि।’ – वहीं, पृ० 6
14. यह ‘अस्तित्व’ सत्ता नामक ‘पर सामान्य’ से पृथक् है, चूँकि सत्ता या पर सामान्य वस्तुओं के समूह रूप का निर्देश करती है जबकि ‘अस्तित्व’ उसके व्यक्तिगत स्वरूप पर बल

17. ‘अभिधेयत्वं पदार्थसामान्यलक्षणम्’। – त० स०, पृ० 2
18. ‘अभिधेयत्वमपि वस्तुनः स्वरूपम् एव। भावस्वरूपम् एवावस्थभेदेन ज्ञेयत्वमभिधेयत्वञ्चोच्यते। न्या० क०, पृ० 41
19. वै० सू० 1.1.4
20. ‘वैशेषिक दर्शन में पदार्थ निरूपण, डॉ० शशि प्रभा कुमार, प्रकाशन – दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली – 1992, पृ० 24
21. धर्मविशेषप्रसूताद्द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायानां पदार्थानां साधर्म्य – वैधर्म्याभ्यां तत्त्वज्ञानान्निश्रेयसम्। – वैशेषिक सूत्रोपस्कारः, शंकरमिश्र, व्याख्याकार – दुण्डिराजशास्त्री, चौखम्बा प्रकाशन, वाराणसी, द्वि० सं० वि० सं० 2051, पृ० 16
22. न्या० क०, पृ० 18
23. अभावस्तु स्वरूपवानपि पृथक् नोद्दिष्टः प्रतियोगिनिरूपणाधीनत्वात् न तु तुच्छत्वात्। पृ० 38
24. न्यायसूत्र – 1.1.1
25. वैशेषिक दर्शन में पदार्थ निरूपण, डॉ० शशि प्रभा कुमार, प्रकाशन – दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली – 1992, पृ० 26
26. ‘वयं तावत् प्रमेयं तु द्रव्यजातिगुणक्रियाः।अभावश्चेति पञ्चेतान् पदार्थानाद्रियामहे’ ।। मा० मेयो०, पृ० 150
27. श्लोकवार्तिक, आकृतिवाद, श्लो० 9–11, पृ० 387–87
28. अभेदात् समवायोऽस्तु स्वरूपं धर्मधर्मिणोः। – तत्रैव, प्रत्यक्षसूत्रम्, श्लो० 149, पृ० 130
29. वैशेषिक दर्शन में पदार्थ निरूपण, डॉ० शशि प्रभा कुमार, प्रकाशन – दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली – 1992, पृ० 27

सुमन

शोधछात्रा (पी०एच०डी०)

श्री ला०ब०शा०रा०सं०विद्यापीठ

नई दिल्ली – 110016

सारांश : प्रत्येक मनुष्य में संवेदनाएं उठती हैं। वह प्रकृति से प्यार करता है, परिवार से प्यार करता है, प्रेमिका के सपने संजोता है, देश पर कुर्बान होना चाहता है। अपनी रचनाओं के माध्यम से वह सब करता है। कभी-कभी उसे क्रोध, कुंठा, सन्त्रास, पीड़ा होती है तो उसे भी व्यक्त करता है या यूँ कहिए कि वह एक प्रकार से अपने मन की भड़ास निकालता है और सब करते-करते एक दिन उसे लगता है कि उसका दर्द, उसकी कुंठा बहुत छोटी है। समाज का दर्द उससे बड़ा है फिर वह समाज के, देश के और मानवता के दर्द को पहचानने लगता है और आम आदमी का कवि बन जाता है।

प्रत्येक लेखक की अपनी नजर व निजी भावभूमि है जो परिवेश एवं परिस्थितियों के फरस्वरूप उसे लेखक की सृजनशीलता का केन्द्र बिन्दू बनते हैं। मधुकांत जी का भी अपना भावालोक है जिसमें वो प्रकट व प्रछन्न रूप से विखंडित होते परिवेश की रक्षा हेतु गरिमा तथा मूल्यों के उत्सव को भी टटोलते हैं। शिक्षक जीवन की टेढ़ी-मेढ़ी पगडंडी पर अपने समय के रंगों की बहुविध छटा इन कहानियों में देखने को मिलती है। शिक्षक वर्ग पर व्यापक कहानियां लिखने या अपने रचित साहित्य में शिक्षा क्षेत्र को अपने लेखन का केन्द्र बनाने के पीछे निश्चित तौर पर उनका शिक्षक होना तो है ही, साथ उनका कथन है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में गुरु का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। माता-पिता अगर उंगली थाम कर उसे चलना और बोलना सीखाते हैं तो गुरु उसे पथ का ज्ञान और शब्दों का अर्थ समझाता है। प्राचीन गुरु प्रणाली में समर्पित, एक निष्ठ अध्यापक होते थे, परन्तु हमारे समाज के मूल्य प्रतिदिन बदल रहे हैं। समय के साथ गुरु को भी समाज ने बदल जाने पर मजबूर कर दिया है। लेखक के अपने शब्दों में "आज का अध्यापक फल-फूल खाकर नहीं जीता। वह भी उसी अनाज की रोटियां खाता है, जो यहां की जमीन पैदा करती है। नेता बेईमान हो सकता है, व्यापारी भ्रष्टाचारी हो सकता है, अधिकारी शराब की पार्टियां ले सकता है, क्लर्क रिश्वत खा सकता है, तो फिर अध्यापक कौन-सी मिट्टी का बना है, इस प्राणी से इतनी अपेक्षा क्यों? यह पूर्णतया तर्क संगत बात लगती है। अध्यापक भी समाज का ही अंग है। तिरस्कार व अनेक तरह के दबावों के चलते उसके आदर्श भी चरमरा जाते हैं। यदि एक शिक्षक को भगवान बना देना है तो भगवान जैसी श्रद्धा और विश्वास उस पर रखना होगा।

आज प्रायः यह देखने में आता है माता-पिता स्वयं अपने बच्चों के इम्तहान में नकल देने के लिए जाते हैं और वे माता-पिता बखूबी अपनी जिम्मेदारी भी निभाते हैं। अपने बच्चों को पास कराने के लिए शाम, दाम, दण्ड भेद वाले सभी तरीके आजमाते हैं। मगर मधुकांत जी ने अपनी कहानियों में बच्चों के अभिभावकों को बिल्कुल विपरीत दर्शाने की कोशिश की है। उसका एक उदाहरण यह देखिए

करने की आदत बन गई, तो सदा के लिए अपंग बन जाएगा।'

मधुकांत जी समाज की बारीकियों को बहुत ही नजदीक से प्रस्तुत करने की एक कोशिश की है। समाज के सामने एक समस्या यह है कि हम आए बाजार में बिकने वाले सामान को घर के थैले की बजाए पॉलिथीन में खरीद कर लाते हैं और को निकाल लेने के पश्चात् बची पॉलिथीन को यूँ ही कूड़े-कचरे में डाल देते हैं जो कि ना तो गलती है और ना पशुओं के खाने पर उनके पेट में पचती है। आज हम हर जगह पर पॉलिथीन का प्रयोग करते हैं देखिए 'एक हाथ फूलों के गुलस्ते को उठाकर वे बोले, 'यह पॉलिथीन में लिपटा गुलदस्ता विशेषकर मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए मंगवाया है। आप देखिए, इस पॉलिथीन में बंद होने के कारण ये फूल कितने उदास हैं। यदि ये खुली ताजा हवा में होते तो कितने सुन्दर होते हैं। जिस प्रकार इस पॉलिथीन की थैली ने फूलों को उदास कर दिया है, उसी प्रकार से पॉलिथीन की थैलियां हमारे जीवन में विष घोल रही हैं। हमारे देश में शिक्षा का भी अत्यधिक व्यावसायीकरण उस विषरूपी प्रदूषण के समान है, जो छात्रों की नैसर्गिक प्रतिभा का पंगु बना रहा है - इससे हमें बचना है।'²

आज प्रायः देखने में यह आता है कि हम सभी निटल्ले होते जा रहे हैं। पानी का गिलास की लेना हो तो दूसरे का मूंह ताकते हैं। ज्यादा काम हमें पसंद नहीं है। हमारे सपने तो ऐसे होते हैं कि हमारे पास काफी पैसा हो और मेहनत एक पैसे की भी ना करनी पड़े। इसका एक उदाहरण बच्चों के माध्यम से देने की बड़े ही सुन्दर ढंग से कोशिश की है। देखिए - देखो ललित और तो मुझे कोई समस्या नहीं है। ये होमवर्क मेरी जान खाता है। कभी-कभी तो मम्मी-पापा के लाभ लगने पर भी पूरा नहीं होता। यदि मुझे कहीं जिन्न मिल जाए, तो मैं उसको प्रतिदिन होमवर्क करने में लगा दूँ।'³

अपने कहानी के हर पात्र को एक विशेष प्रकार से समाज के सामने प्रस्तुत किया है। अपने पात्र के माध्यम से सीख देने की आपकी प्रस्तुती काबिल-तारीफ के योग्य है। आप अपने पात्र को समाज के सामने किस कदर प्रस्तुत करते हैं जैसे लगता हो कि यह घटना स्वयं ही आंखों के सामने घुम रही हो या हो रही हो। आपने इस तरह से प्रस्तुत किया यह उदाहरण - घरवाले उसे बहुत समय से खोज रहे थे। उसे देखते ही माँ की आंखें भर आईं और सीने से लगा लिया। सारे परिवार में खुशियां लौट आईं। दादाजी ने उसे पास बुलाकर समझाया, बेटे! हर असफलता ही सफलता के द्वार खोलती है, प्रत्येक रात के बाद दिन अवश्य निकलता है।'⁴

यहां पर इस कहानी में मधुकान्त जी ने भ्रष्टाचार पर प्रहार करते हुए राजनेताओं की पोल खोलने का कार्य किया है। मंत्री किस प्रकार से अपने वादे पूरे करते हैं और भोली जनता को किस प्रकार ठगते हैं यही दर्शाने का भरसक प्रयास किया है यथा - परिवहन

‘गुप्ताजी, ये स्कूल का मामला है, आवाज दूर तक जाती है। विपक्ष वाले वैसे ही हाथ धोकर पीछे पड़े हैं, उनको एक मुद्दा और मिल जायेगा। उच्च स्तरीय जांच समिति के गठन और मुआवजे की घोषणा करवा दो। कोई जन-आंदोलन नहीं बनना चाहिए।’⁵

विद्यालय में शिक्षकों की मनोवृत्ति पर कटाक्ष किया है। वे किस प्रकार से अपने छात्रों पढ़ाने में कोताही बरतते हैं। शिक्षक को केवल अपनी तनख्वाह से मतलब है। उन्हें बच्चों के भविष्य से कोई मतलब नहीं होता। सरकार की तरफ से जो सामग्री उपलब्ध करायी जाती है। उन्हें या तो बेच दिया जाता है या फिर वे किसी कमरे में रखकर बाहर से ताला लगा लिया जाता है और उन्हें दीमक के सुपुर्द कर दिया जाता है। इसी प्रकार से प्रयोगशाला में भी सारा सामान बंद रहता है। इस पर कटाक्ष करते हुए मधुकान्त जी कहते हैं – ‘निरीक्षक महोदय ने संकेत द्वारा खड़ा करके छात्र से पूछा, ‘विद्यालय की प्रयोगशाला में प्रयोग कराए जाते हैं?’ जी नहीं, आधे छुट्टी में वहां चाय बनाई जाती है।’ क्या आप पुस्तकालय में जाते हो?, जी नहीं, सारे बच्चे कहते हैं उनमें दीमक किताबें चाटती हैं।’ क्या आपको खेल के मैदान में ले जाया जाता है? जी नहीं, वहां सब लोग उपले बनाते हैं और बूंगा लगाते हैं।’ कभी क्राफ्ट रूम में गए हो? जी नहीं, उसको भैंस घर बना रखा है।’ मुख्याध्यापक जी भी खिसक कर चले गए। आज कुछ बच्चे कम आए हैं क्या?, जी, कई तो मास्टर जी के खेत में गए हैं और आधे मास्टर जी के घर रात को ट्यूशन पढ़ने जाएंगे।’ गुस्साया निरीक्षक वहां से निकल कर सीधा मुख्याध्यापक के कार्यालय में जा घुसा।’⁶

यहां पर शिक्षक पर मधुकान्त जी ने अपनी कहानी के माध्यम से यह दर्शाने की कोशिश की है कि एक शिक्षक ऐसा भी होता है जो अपने शिष्यों से कुछ भी लेना पसन्द नहीं करते, फिर भी आजकल के शिष्य और माता-पिता चाहते हैं कि शिक्षक को कुछ देकर उसे खरीद लिया जाये और उनके बच्चे को अच्छे अंक दिलाकर बिना पढ़े ही पास किया जाए। पर शिक्षक किस प्रकार से उनके उपहारों को देखकर उनको जवाब देता है ये देखिए – ‘सभी छात्र मेरे ये कीमती उपहार नहीं खरीद सकते। इसलिए उनके मन में हीनता पैदा होती है। शिक्षा किसी भी छात्र को छोटा-बड़ा अनुभव नहीं होने देती। दूसरी ओर आपके ये उपहार मुझे भी कमजोर कर सकते हैं, इसलिए आपसे अनुरोध है इनको वापस ले जाईए।’⁷

उन्होंने जाति-पाति पर भी करारा प्रहार किया है। किस प्रकार से आज भी हमारे समाज में जाति-पाति को दर्जा दिया जाता है। निम्न जाति के लोगों को अपने साथ नहीं बैठने दिया जाता। ना ही उसे पानी तक पीने दिया जाता। यदि पानी मांग भी ले तो उसे अलग से पिलाया जाता है। कटाक्ष करते हुए कहा है कि निम्न जाति के लोग तो केवल गंदगी ही फैलाने वाले होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए – ‘नहीं भंगी तो गंदगी फैलाने वाला होता

कक्षा में सभी छात्रों का स्वभाव अलग-अलग होता है। कोई स्वार्थी स्वभाव का होता है तो कोई साधारण होता है। किसी को दूसरे जीवों में हमदर्दी होती है तो कोई किसी जीव को परेशान करके खुशी का अनुभव करता है। यह देखिए उनकी एक कहानी की कुछ पंक्तियां – ‘चहचहाती चिड़िया को जैसे घायल कर दिया हो। टीना जोर-जोर से रोने लगी। सारे छात्रों को ध्यान उस ओर हो गया। उसकी बहन का बुलाया लेकिन वह फिर भी चुप नहीं हुई। आखिर प्रथम दिन आई टीना को रोते हुए घर भिजवा दिया गया।’⁸

विद्या में हर बच्चे की बुद्धि अलग-अलग होती है कोई तीक्ष्ण बुद्धि का होता है तो कोई मंदबुद्धि का। तीक्ष्ण बुद्धि बालक से सभी अध्यापक प्रेम करते हैं मगर जो मंदबुद्धि बालक से कोई भी अध्यापक पसंद नहीं करता। उसको सभी पीटते हैं, मारते हैं और धमकाते हैं। यहां पर मधुकान्त जी ने यह सब दर्शाया है। देखिए – ‘जब से मैं इस विद्यालय में नियुक्त हुई हूं, मैंने इसको सभी अध्यापकों को डांटते देखा है। वह शिक्षण में पिछड़ा, अनियमित, लापरवाह, किसी-न-किसी बात पर प्रतिदिन पीटता रहता है। एक दिन बाल सभा में मैंने उसे गाना गाने के लिए कहा। बड़ा समझाने, हौंसला देने के बाद, आखिर उसने एक गाने का मुखड़ा गा ही दिया। मैंने उसके गाने की बड़ी तारीफ की, उसी दिन से वह मेरी घंटी में सबसे आगे आकर बैठने लगा।’¹⁰

निष्कर्ष : अन्त में हम कह सकते हैं कि मधुकान्त जी की कहानियों में समाज में फैली सभी कुरीतियों को दर्शाया गया है। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक और हर समाज, हर विभाग में फैले भ्रष्टाचार को दिखाया है। उनके निदान के बारे में भी कहानी के माध्यम से कहा गया है। मधुकान्त जी इस मामले में बड़े ही सिद्धहस्त रचनाकार हैं। कहानी-कहानी में पूरे समाज को रोशनी प्रदान करते हैं।

संदर्भ


1. प्रार्थना 17
2. भूल सुधार 19
3. होम वर्क 20
4. अंकुरण 21
5. टोपी की फिक्र 30
6. परिवर्तन 31
7. असली शिक्षा 34
8. पुरस्कार 77
9. उन्मुक्त 83
10. बूर के लड्डू 89

सारांश : सहस्राब्दियों से, भारतीय दार्शनिक प्रणाली लोगों के लिए उनकी प्रासंगिकता को खोए बिना समय की कसौटी पर खरी उतरी है। प्रस्तुत पत्र में व्यक्तित्व के एक त्रिगुण परिप्रेक्ष्य की खोज की गई है सत्त्व, रजस और तमस गुणों की गतिकी को समझने का प्रयास किया गया है। किसी व्यक्ति द्वारा विरासत में लिए गए गुण शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक प्रभावों के कारण बदल सकते हैं किसी व्यक्ति के व्यवहार(प्रगट और गुप्त दोनों) को उस समय संचालित होने वाली प्र.ति (व्यक्तित्व) द्वारा निर्धारित किया जाता है। प्र.ति व्यक्ति की धारणा, अनुभूति, प्रेरणा और मूल्यों को नियंत्रित और प्रभावित करती है। इस क्षेत्र में अनुभवजन्य अनुसंधान व्यक्तित्व के एक संपूर्ण सिद्धांत को विकसित करने में एक लंबा रास्ता तय कर सकता है। जो भारतीय संदर्भ में व्यक्तित्व और व्यवहार के बीच के संबंध को समझने में मदद कर सकता है। यद्यपि त्रिगुणों की वैज्ञानिक वैधता स्थापित करने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा आयुर्वेद के क्षेत्र में कुछ मात्रा में कार्य किया गया है। लेकिन मनोविज्ञान के क्षेत्र से इसे अनुभवपूर्वक परीक्षण और मान्य करने की संभावना है। इससे त्रिगुणों पर आधारित लोगों का एक बेहतर वर्गीकरण भी होगा। जहाँ लोग अपने निहित व्यवहार और आचरण के तरीकों और उन्हें खुद को बेहतर समझने में मदद करेगा। जिससे व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन, दोनों में बेहतर समायोजन हो सकेगा। इसका प्रभाव किसी विशेष क्षेत्र के लिए उपयुक्त सर्वोत्तम लोगों को चुनना होगा। जिससे लोग अपने चुने हुए व्यवसायों में संतुष्ट हों, और अधिक सामंजस्यपूर्ण समाज को जन्म दें।

परिचय


साधारणतया मनोविज्ञान को मानसिक प्रक्रियाओं, अनुभवों एवं व्यवहार का विज्ञान माना जाता है व्यक्तित्व ऐसा ही संप्रत्यय है जो कि व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है जहां तक मनोविज्ञान के साहित्य का प्रश्न है व्यक्तित्व का संप्रत्यय बहुत अधिक भिन्नता लिए हुए हैं पाश्चात्य संस्कृति में व्यक्तित्व को लेकर बहुत अधिक विभिन्नता है दूसरी तरफ भारतीय साहित्य में भी व्यक्तित्व को 'प्रकृति' के रूप में परिभाषित किया गया है इस शोध पत्र में भारतीय शास्त्रों जैसे कि गीता, आयुर्वेद, उपनिषद, वेद, चरक और संख्या, के दृष्टिकोण से व्यक्तित्व की व्याख्या करने की कोशिश की गई है बढ़ते हुए इस एहसास के साथ कि कई पश्चिमी मनोवैज्ञानिक अवधारणाओं और विधियों में विभिन्न सांस्कृतिक प्रणालियों की प्रासंगिकता नहीं है, पूरे विश्व में स्वदेशी मनोविज्ञान को विकसित करने की आवश्यकता को मान्यता दी गई ।

सांख्य ने वास्तविकताओं के दो मूल लेकिन अलग-अलग समूहों को प्रतिष्ठित किया है।



समूहों को प्रतिष्ठित किया है। पुरुष (चेतन) और प्रकृति(अचेतन) **प्रकृति और उस के प्रमाण**

पुरुष द्वारा पुरस्कृत होने तक, प्रकृति प्रक्षिप्त अविकारी अवस्था में रहता है। जब तक चेतना मौजूद नहीं होती, तब तक दुनिया अव्यक्त रहती है: कोई मन नहीं है और कोई वस्तु नहीं है। जब पुरुष और प्र.ति एक साथ आते हैं, तो मन संचालित होने लगता है और विश्व को जाना जाता है। आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में, पंच-महाभूत की एक जीवित प्रणाली को शारीरिक स्तर पर (वत्ता-पित्त-कफ) के रूप में और मानसिक स्तर पर (सत्त्व-रजस-तमस) के रूप में माना जाता है।



प्रकृति तब तक अव्यक्त रूप में रहती है जब तक कि पुरुष अर्थात् आत्मा उस में जान नहीं डाल देता। पुरुष अर्थात् आत्मा एवं प्रकृति के इकट्ठे होने से सृष्टि का सृजन होता है जब पुरुष और प्रकृति व्याप्त रूप में आते हैं तो बुद्धि का जन्म होता है बुद्धि से अहंकार और अहंकार में तीन तत्वों (सत्त्व- रजस, तमस) प्रकृति अलग रूप में भी कारि करती है और आत्मा में तीनो तत्व किया भी करते हैं जब सत्त्व और रजस मिलते हैं तो मन की

तत्वों को भूत तत्व बोला जाता है आयुर्वेद में जीव की उत्पत्ति पांच महाभूत तत्व से मानी जाती है शारीरिक स्तर पर वात पित्त कफ और मानसिक स्तर पर सत्व-रजस और तमस के रूप में।

प्रस्तुत शोध में भारतीय परिपेक्ष्य में व्यक्तित्व के त्रिगुण प्रकृति सत्व रजस एवं तमस को समझने का प्रयास किया गया है आयुर्वेद में गुणों का जन्म कर्म से माना गया है कर्म दो प्रकार के होते हैं इच्छा उपयुक्त और इच्छाओं से मुक्त। जब हम इच्छा युक्त कर्म करते हैं तो रजस गुण और तमस गुण की उत्पत्ति होती है यद्यपि यदि हम इच्छा विहीन कार्य करते हैं तो सत्व गुण की उत्पत्ति होती है

त्रिगुण शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है त्रि का अर्थ है तीन और गुण का अर्थ है मन की स्थिति। मूल रूप से यह गुण हर चीज में पाई जाती हैं विशेष रूप से मानव में इस प्रकार त्रिगुण तीन गुणों को निर्धारित करते हैं (भगवद्गीता च। 14-5(राजा) 1963) प्रकृति के यह त्रिगुण अपने गुणों से विख्यात हैं आयुर्वेद में 16 प्रकार की प्रकृति की चर्चा की गई है सात प्रकार के व्यक्तित्व सत्व गुण पर आधारित है जो कि ब्रह्मा, अरसा, इंद्री, यम, वरुण, कुबेर, गंधर्व 6 रजस गुण पर आधारित है असुर, राक्षस, पश्चाल, सर्प, प्रेत और सुकून और तीन तमस गुण पर आधारित है पशु, मत्स्य, वनस्पति। आयुर्वेद 16 प्रकार के व्यक्तित्व को पहचानता है।

सत्व, रजस, और तमस आयुर्वेद में व्यक्तित्व को दर्शाने के लिए प्रकृति शब्द का प्रयोग किया गया है प्रकृति शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के दो शब्दों से हुई है प्र का अर्थ है शुरुआत और कृति का अर्थ है प्रदर्शन करना। इस प्रकार इसका अर्थ है प्रारंभ या सृजन में आ गई! यह दर्शाता है कि शुरु में कैसे कोई व्यक्ति जीवन में आता है और जीवन काल के दौरान अपरिवर्तित रहती है और अनुवांशिक रूप से निर्धारित होती है।

“त्रिगुण पर सैद्धांतिक विस्तार और मानव प्रकृति में उनकी अभिव्यक्तियों ने भारतीय मनोवैज्ञानिकों का ध्यान आकर्षित किया है। इस अवधारणा की सैद्धांतिक रूप से जांच की गई है (बॉस, 1966; मिश्रा, 2001; परमेस्वर, 1969; राव, 1962, 1979)।, 1997; मारुतम, बालोधी और मिश्रा, 1998; मैथ्यू, 2004; मोहन और संधू, 1986, 1988; पाठक, भट्ट और शर्मा, 1992; राव और हरिगोपाल, 1979; सेबस्टियन और मैथ्यू, 2002; शर्मा, 1999; सिंह, 1972; सीताम्मा, श्रीदेवी और पीवीके राव, 1995; उमा, लक्ष्मी और परमेस्वरन, 1971; वुल्फ, 2000) (मूर्ति, कुमार, 2007)।

स्वेताश्वरा उपनिषद पहली बार पदार्थ के तीन मूलभूत गुणों को संदर्भित करता है। इस सिद्धांत का विस्तार भगवद्गीता में मिलता है। गीता में त्रिगुण अवधारणा को इस प्रकार समझाया

उपयोग या तो अपने मूल रूप में या शास्त्रीय सनातन सिद्धांत के उपयुक्त संशोधनों के साथ किया है, जैसे कि सत्व, रजस और तमस। प्राचीन भारतीय विचार, विशेष रूप से सांख्य योग, सभी प्रकृति में तमस, (जड़ता), रजस (सक्रियता) और सत्व (स्थिरता) के संदर्भ में गुण का वर्णन करता है। संवैधानिक लक्षण या जन्मजात प्रवृत्ति या गुणों को आयुर्वेद में त्रिगुण नामक तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। भारत में, सांख्य दर्शन 3000 ईसा पूर्व (दास गुप्त, 1937) से मिलता है। इसे रूढ़िवादी हिंदू विचार के छह मुख्य विद्यालयों में से एक माना जाता है। भारतीय दर्शन की सांख्य प्रणाली का एक केंद्रीय सैद्धांतिक प्रस्ताव व्यक्तित्व की संरचना है, जो तीनों गुणों पर आधारित है।

सत्त्वगुणः— सत्त्व शब्द सत् 'से लिया गया है या जो वास्तविक या विद्यमान है। 'सत्त्व' का अर्थ पूर्णता भी है और इसलिए, सत्त्व तत्व वह है जो अच्छाई और आनंद पैदा करता है (राधाकृष्णन, 1941)। जो अस्तित्व, प्रकाश, प्रदीप्ति, भावुकता, सद्भाव, सत्य, स्व नियंत्रित, गुणी, दयालु, क्षमाशील, धर्मी, मानसिक और शारीरिक रूप से शुद्ध, बुद्धिमान, का स्वभाव था आस्तिक, अध्ययनशील, वास्तविक, दुःख और खुशी से अप्रभावित, इच्छा, जुनून और कोणों से मुक्त, प्रतिष्ठित, सुंदर और ऊर्जावान, या स्थिर। सात्विक व्यक्ति आमतौर पर चरित्र में महान और आध्यात्मिक होते हैं।

रजस गुणः— राजसिक, मानवीय है, प्रकृति का वह पहलू है, जिसमें सक्रियता, गति, ऊर्जा, वीरता, क्रूर, अधिनायकत्व, क्रोधी, लेकिन शांत होने पर बहादुर, शांत, निर्दयी, आत्म आराध्य में लिप्त होने की प्रकृति, स्पष्ट आवेग का स्वभाव है (रंगाचार्य, 1989)। रजस गति का सिद्धांत है। सांख्य इस गति के गुण के आधार पर ब्रह्मांड के कारण के लिए जिम्मेदार है। सत्व और तमस गुण अपने आप में अमर हैं। वे रजस के ऊर्जावान प्रभाव के कारण सक्रिय हैं। “सभी कार्य रजस से होते हैं, ऊर्जा का सिद्धांत, जो पदार्थ के प्रतिरोध को खत्म कर देता है और ऊर्जा के साथ बुद्धिमत्ता की आपूर्ति करता है जो कि सचेत विनियमन और अनुकूलन के अपने काम के लिए आवश्यक है” (सील, 1915)। रजस को इच्छा और आवेग द्वारा प्रेरित प्रेरक बल के रूप में लिया जा सकता है।

तमस गुणः— जिसका शाब्दिक अर्थ है अंधकार, जड़ता का सिद्धांत। यह गतिविधि का प्रतिरोध करता है और उदासीनता, अज्ञानता, भ्रम पैदा करता है; निष्क्रियता और नकारात्मकता इसके परिणाम हैं। तामसिक पशु है, प्रकृति का पहलू, जिसमें अंधेरा, नीरसता, भारीपन, अस्पन्दनशीलता, गैर-बौद्धिक, नासमझी, दाकेचानूसी, डरफोक, घृणित व्यपहार शामिल हैं। ईश्वरन (1997)

‘रवैया अपनाता है। तमस सभी अभावों की भावना, नीरसता, निर्ममता असंवेदनशील और जड़ता का आधार है। यह मानसिक ग्लानि अज्ञानता, त्रुटि और भ्रम का कारण बनता है। मानव स्तर पर, तमस को अधिक आत्म-केंद्रित और आत्म-संतुष्ट की सुस्त मूर्खता में प्रकट किया जाता है— (ज़िम्मर, 1953)।

त्रिगुण परिप्रेक्ष्य की विशेषताएँ :-

त्रिगुण एक साथ कार्य करते हैं और वे ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु में पाए जाते हैं। सभी व्यक्तियों के पास तीन गुण की मिश्रित मात्रा है, पधान गुण, एक व्यक्ति की, मनसा प्रकृति को निर्धारित करता है। सामान्य अस्तित्व के लिए इन तीन गुणों का उचित स्थान पर कार्य आवश्यक है।

जब सत्व गुण अन्य दो पर हावी होता है, तो पवित्रता, ज्ञान, आध्यात्मिक उत्कृष्टता और ऐसे अन्य गुणों की उपस्थिति होती है।

रजस गुण का प्रभुत्व गतिविधि को दर्शाता है, जुनून, भावनाओं और इच्छाओं का उदय। जब तमस गुण अन्य दो पर हावी हो जाता है, तो यह अज्ञानता, आलस्य, अनुभूति और भ्रमकी ओर जाता है।

सत्व, रजस और तमस: व्यक्तित्व :

हम सभी इन तीन तत्वों से मिलकर बने हैं हम सभी में इसका अनुपात अलग अलग है हर व्यक्ति अपने आप में विभिन्न है अदभुत है और अलग-अलग परिपक्वता को रखता है अनुसंधान यह बताते हैं कि प्राचीन काल में सत्व गुण की अधिकता होती थी और तमस गुण कम मात्रा में मिलता था ऐसा भी देखने को मिलता था कि महिलाओं में सत्व गुण ज्यादा होता था वही तमस बुद्धि भी ज्यादा होती थी, परंतु आज के वर्तमान युग में यह अनुपात बदल चुका है सत्व गुण महिलाओं और पुरुषों दोनों में ही कम हो गया है और तमस दोनों में ही बढ़ गया है शास्त्रों के अनुसार त्रिगुण के विभिन्न विशेषताएं एक सामान्य व्यक्ति यह तीनों गुण उचित अनुपात में पाए जाते हैं तीनों गुणों में जो ज्यादा प्रभुत्व रखता है वैसी ही मनुष्य की मानसिक प्रकृति होती है। यह प्रभुत्व न केवल मन अपितु शरीर को भी स्वस्थ रखने में और कायम रखने में सहायक होता है यदि इस संतुलन में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होती है तो मानसिक प्रकृति बिगड़ जाती है यह तीनों गुण मिल कर काम करते हैं और सभी जीवों में वस्तुओं में पाए जाते हैं जिस गुण का प्रभुत्व होता है व्यक्ति का व्यवहार उसी से ही प्रभावित होता है यदि सत्व गुण की प्रभुता, रजस और तमस गुण पर होती है तो शुद्धता, बुद्धि, ज्ञान से प्यार, आध्यात्मिकता और अन्य बहुत सी अच्छी आदतें होती है यदि रजस गुण की प्रभुता, सत्व और तमस गुणों पर प्रभुता है तो व्यक्ति का व्यवहार उदासीन और निरस होता है। तमस गुण की प्रभुता पर प्रभुता है तो व्यक्ति का व्यवहार अंधा और अज्ञानता से भरा होता है।

लेकिन प्रमुख गुण व्यक्ति की मनसा प्रकृति को निर्धारित करते हैं। (रस्तोगी, 2005)। तीनों गुण— सत्व, रजस और तमस— एक या दूसरे गुण के प्रभुत्व के आधार पर विभिन्न प्रकार के स्वभाव को बढ़ावा देते हैं। किसी व्यक्ति का स्वभाव “पूजा की विधि, खाने के प्रकार और रोजमर्रा की जिंदगी की अन्य गतिविधियों” के आधार पर समझा जा सकता है (कृष्णन, 2002)। कोई भी व्यक्तित्व विशेष रूप से सात्विक, राजसिक या तामसिक (सिंह, 1972) नहीं है। जब सत्व अन्य दो पर हावी होता है, तो पवित्रता, ज्ञान, ज्ञान का प्रेम, आध्यात्मिक उत्कृष्टता और ऐसे अन्य गुणों की उपस्थिति होती है। रजस का प्रभुत्व गतिविधि को दर्शाता है और जुनून, भावनाओं और इच्छाओं के उदय को दर्शाता है (रस्तोगी, 2005)। जब तमस अन्य दो पर निर्भर करता है, तो यह अज्ञानता, आलस्य, अनुभूति और भ्रम की ओर जाता है।

माता—पिता जो बच्चों को अस्वीकार करते हैं बच्चों में तमस को प्रेरित करते हैं। जो माता—पिता दंडात्मक होते हैं जो प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करते हैं वे सक्रियता (राजस) को बढ़ावा देते हैं और लोकतांत्रिक स्वीकृति बच्चों में आत्म-सम्मान और स्थिरता (सत्व) को प्रेरित करती है। एक व्यक्ति का व्यक्तित्व घर और बाहर अन्य लोगों के साथ अंतर्संबंधों की प्रकृति के अनुसार आकार लेता है। तामसिक लोगों का व्यवहार मुख्य रूप से परंपराओं से प्रभावित होता है, जबकि अत्यधिक राजसिक आक्रामक, साहसिक और जोखिम लेने वाले होते हैं, अत्यधिक तामसिक, समूह पर अत्यधिक निर्भर होते हैं। वे दूसरों द्वारा ध्यान और अनुमोदन की लालसा करते हैं। सात्विक प्रवृत्ति के लोकतांत्रिक स्थिर और सहयोगी होते हैं और स्वाभाविक रूप से व्यवहार करते हैं।

प्रेरणा और भावना : अत्यधिक सात्विक व्यक्ति कोई भय नहीं दिखाता है। उनकी मुख्य भावना निस्वार्थ प्रेम है, आत्मनिर्भरता है दतुअर और शर्मा (1997) ने एक अध्ययन किया और नतीजों से पता चलता है कि सत्व “आत्म बोध” स्तर पर काम करता है।

संज्ञान : गुण की अवधारणा संज्ञानात्मक विशेषताओं पर समान रूप से लागू होती है (दास, 1955)। जीवन पर सात्विक दृष्टिकोण रखने वाले व्यक्ति के पास एक अमूर्त स्मृति, यथार्थवादी और उपयुक्त धारणा और उत्पादक और अमूर्त सोच होगी। एक व्यक्ति जिसमें रजस प्रधान होता है उसकी एक ठोस स्मृति होती है, अहंकार में धारणाएँ, बिखरी हुई सोच और कल्पना शामिल होती है। इसके विपरीत एक तामसिक व्यक्ति की —विकृत धारणा और भ्रमित सोच होगी। आमतौर पर यह माना जाता है कि अनुभूति के स्तर पर सत्व पूर्ण ज्ञान है, रजस मेघ बुद्धि है और तमस अज्ञान है। (दास, 1955) एक सात्विक व्यक्ति ने एक पूर्ण

अत्यधिक सात्विक लोगों में उच्च लचीलापन, अत्यधिक रचनात्मक और सहज ज्ञान होता है। उनके पास कलात्मक और दार्शनिक रचनात्मकता होती है।

प्रतिस्पर्धा : प्रतिस्पर्धा की स्थिति में, तमस में प्रतिस्पर्धा और इच्छा का स्तर कम होता है, राजसिक में मध्यम स्तर की क्षमता होती है और व्यक्ति के पास प्रतिस्पर्धा करने के लिए पर्याप्त आत्मविश्वास होता है और सात्विक में उच्चतम स्तर की क्षमता होती है और आत्मनिर्भरता दिखती है

त्रिगुणा प्राकृत और कल्याण

जब एक व्यक्ति तनाव का सामना करता है, जिसे सामान्य साधनों के माध्यम से नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, तो व्यक्ति टूट जाता है। अधूरे या बाधित अनुक्रमों और संचयी तनाव की अधिशेष ऊर्जाएं व्यक्ति के व्यक्तित्व पैटर्न के अनुरूप अभिव्यक्ति तलाशती हैं।

रस्तोगी (2005) : मनोवैज्ञानिक कल्याण सत्त्व गुण में निहित है।

त्रिपाठी और पांडे (2005) : राजसिक और तामसिक व्यक्तियों को कैंसर की बीमारियों का अधिक खतरा होता है अगर सात्विक लोग कैंसर रोगों से पीड़ित हैं, तो वे इसे अपने पिछले जन्मके प्रभाव की सजा के रूप में स्वीकार करते हैं।

रस्तोगी (2004) : लिंग और उम्र के लिहाज से महत्वपूर्ण अंतर केवल राजस में मौजूद हैं जहां दोचर का परस्पर प्रभाव भी महत्वपूर्ण हो गया है।

वुल्फ और एबेल (2003) : मंत्र के उच्चारण से तनाव और अवसाद को नियंत्रित करने की क्षमता होती है।

जैदी और सिंह (2001) : अवसाद पर सत्त्व और रजसगुण का महत्वपूर्ण प्रभाव, पूर्व में निम्न अवसाद और बाद में उच्च अवसाद। उच्च सत्त्व, निम्न राजस और उच्चतामस समूहों ने उच्च मनोवैज्ञानिक कल्याण की सूचना दी।

भंडारी (1999) : सत्त्व व्यक्ति को ऊपरी क्षेत्रों (स्व-स्थिरीकरण) में ले जाता है।

शर्मा (1999): कार्य जीवन के क्षेत्र में त्रिगुणा की उपयोगी उपयोगिता। सत्त्व और राजस व्यक्तित्व को आत्म-अवधारणा के साथ सकारात्मक रूप से सहसंबद्ध पाया गया, लेकिन नौकरी की संतुष्टि के साथ नहीं। लेकिन तमस व्यक्तित्वों ने आत्म-अवधारणा या नौकरी से संतुष्टि के साथ काफी संबंध नहीं बनाए

दतुअर और अंजुली (1997) : संगठनात्मक प्रतिबद्धता और सत्त्व व्यक्तित्व प्रकार के बीच एक महत्वपूर्ण सकारात्मक सहसंबंध की रिपोर्ट की।

की उपयोगिता का भी अनुभव किया।

चक्रवर्ती (1987) : सत्त्व के अनुपात को बढ़ाने के लिए श्वास व्यायाम की उपयोगी उपयोगिता। सत्त्व को मजबूत करने से एक शुद्ध मन की ओर हमारा दृष्टिकोण बढ़ता है।

संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि व्यक्ति द्वारा विरासत में प्राप्त त्रिगुण शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक प्रभावों के कारण बदलने के लिए उत्तरदायी हैं और किसी व्यक्ति के व्यवहार, ओवरट और गुप्त दोनों को उस समय संचालित व्यक्तित्व द्वारा निर्धारित किया जाता है। जैसे- जैसे प्राकृत व्यक्ति की धारणा, अनुभूति, प्रेरणा और मूल्यों को नियंत्रित करता है, यह अच्छी तरह से प्रभावित करता है और सतर्कता और आध्यात्मिक प्रथाओं द्वारा संशोधित किया जा सकता है।

निष्कर्ष : विश्व में भारतीय संस्कृति अपने जीवन मूल्यों, परंपराओं के लिए प्रसिद्ध रही है परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि पश्चिमी संस्कृति के आगे भारतीय संस्कृति धूमिल सी पड़ गई है जिसका एक मुख्य कारण यह भी हो सकता है कि वैज्ञानिक अनुसंधानों की कमी के कारण साहित्य में लिखी गई बातों की सही तरह से परीशुद्धता एवं वैधता का नहीं पता चल पाया! यह एहसास बढ़ता जाता है कि पश्चिमी मनोवैज्ञानिक अवधारणाओं और सांस्कृतिक प्रणालियों की प्रासंगिकता नहीं है प्रस्तुत शोध में व्यक्तित्व का अध्ययन भारतीय परिपेक्ष में करने की कोशिश की गई है

प्रतिक्रिया दें संदर्भ

1. अरबिंदो, एस। (1980)। गीता पर निबंध। श्री अरबिंदो आश्रम। पांडिचेरी, भारत।
2. बॉस, एम। (1966)। एक मनोचिकित्सक भारत को छोड़ देता है। (हेनरी ए फ्री ट्रांस।) कलकत्ता: रूपा।
3. कैटेल, आर.बी. (1966) व्यक्तित्व का वैज्ञानिक विश्लेषण। शिकागो: एल्डीन।
4. दतुअर, सी। एन।, और अंजुली, (1997)। व्यावसायिक तनाव, संगठनात्मक प्रतिबद्धता और सत्त्व, राजस और तामस व्यक्तित्व प्रकार में नौकरी का समावेश। जर्नल ऑफ़ द इंडियन एकेडमी ऑफ़ एप्लाइड साइकोलॉजी, 15 (1-2), 44-52।
5. दतुअर, सी। एन। और शर्मा, आर। (1997)। मेस्लो से परे-जरूरत-पदानुक्रम पर एक भारतीय मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण। 84 वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की कार्यवाही (भाग ए), दिल्ली।
6. दास, बी। (1955)। शांति का विज्ञान। अन्वय: थियोसोफिकल

- मोहंती (एड्स), स्वदेशी मनोविज्ञान पर परिप्रेक्ष्य (305–325)। नई दिल्ली: अवधारणा।
9. ईश्वरन, ई। (1997)। द भगवद्गीता फॉर डेली लिविंग, खंड -1। नीलगिरी प्रेस।
 10. फ्रॉले, डी। (2004)। योग और आयुर्वेद। दिल्ली: मोतीलाल बनारसीदास पब्लिशर्स प्रा। लिमिटेड; 27, 46– 75।
 11. जैन, एन। (2008)। त्रिगुणा प्रा.ति और स्वास्थ्य। अप्रकाशित डॉक्टरल शोध प्रबंध। एम.डी. यूनिवर्सिटी, रोहतक।
 12. कौर, पी।, और सिन्हा, ए.के. (1992)। संगठनात्मक सेटिंग में गुण के आयाम, विकल्प 17 (27–32)।
 13. कपूर, एम।, हिरिसेव, यू।, रेड्डी, एम.वी., बरनबास, एल। और सिंघल, डी। (1997)। शिशु स्वभाव का अध्ययन: एक भारतीय परिप्रेक्ष्य। इंडियन जर्नल ऑफ़ क्लिनिकल साइकोलॉजी, 24, 171–177।
 14. कृष्णन, बी। (2002)। प्राचीन भारतीय विचारों में विशिष्ट अवधारणाएँ। इन: मिश्रा जी, मोहंती एके, संपादक। स्वदेशी मनोविज्ञान पर परिप्रेक्ष्य। नई दिल्ली: कॉन्सेप्ट पब्लिशिंग कंपनी; 292–304।
 15. मारुथम, पी।, बालोदी, जे.पी. और मिश्रा, एच। (1998)। सातवा, राजस और तामस (एसआरटी) सूची। NIMHANS - जर्नल, 16, (1) 15–19।
 16. मैथ्यू, वी.जी. (2004)। एकीकृत मनोविज्ञान। एकीकृत मनोविज्ञान संस्थान, तिरुवंतपुरम।
 17. मिश्रा, एल.सी. (2001)। आयुर्वेद में हेल्थकेयर एंड डिजीज मैनेजमेंट। वैकल्पिक विकल्प; 1, (44–50)।
 18. मोहन, वी। और संधू, एस (1986)। सात्विक, राजसिक और तामसिक गुण को मापने के लिए स्केल का विकास। जर्नल ऑफ़ द इंडियन एकेडमी ऑफ़ एप्लाइड साइकोलॉजी, 12, (46–52)।
 19. मोहन, वी और संधू, एस (1988)। सांख्य त्रि-गुण और ईसेनक के व्यक्तित्व के आयाम। वैदिक पथ, 2–4, (23–38)।
 20. मूर्ति, पी.के. और कुमार, एस। (2007)। संकल्पना त्रिगुणा: एक महत्वपूर्ण विश्लेषण और संश्लेषण। मनोवैज्ञानिक अध्ययन; 52; 103.13।
 21. पाठक, एन.एस., भट्ट, आई.डी. एंड शर्मा, आर। (1992)। गनस की त्रिदोषों पर व्यक्तित्व के वर्गीकरण के लिए मैनुअल—एक भारतीय दृष्टिकोण। इंडियन जर्नल ऑफ़ बिहेवियर, 16 (4), 1–14।
 22. पटवर्धन, बी।, जोशी, के। और चोपड़ा, ए। (2005)। मानव के माध्यम से विराम की जरूरत है। रिसर्च बुलेटिन, 5, 75–80।
 24. राधाकृष्णन, एस। (1941)। भारतीय दर्शन। लंदन: जॉर्ज एलन और अनविन लिमिटेड
 25. राधाकृष्णन, एस। (1976)। भगवद गीता। ब्लैकी और बेटा। इंडिया।
 26. राजा, के.सी. (1963)। ईश्वर.ष्ण की सांख्य कारिका। V-V-R-I- प्रेस, होशियारपुर, PbA इंडिया।
 27. रंगाचार्य, एम। (1989)। द हिंदू फिलोसॉफी ऑफ कंडक्ट: लेक्चर्स ऑन भगवद्गीता। मुंशी राम मनोहरलाल पब्लिशर्स।
 28. राव, एन.एच. (2003)। पंचभूत सिद्धांत। वाराणसी: चौखम्बा कृष्णदास अकादमी; 45–56।
 29. राव, पी.वी.के. और हरिगोपाल, के। (1979)। श्री गनस एंड ईएसपी: एन एक्सप्लोरेटरी इन्वेस्टिगेशन। जर्नल ऑफ़ इंडियन साइकोलॉजी, 2 (1), 63– 68।
 30. राव, एस। के। आर। (1962)। भारत में मनोवैज्ञानिक थॉट का विकास। मैसूर: कवलया प्रकाशक।
 31. रस्तोगी, एम। आर। (2005)। त्रिगुणा और मनोवैज्ञानिक कल्याण। इंडियन साइकोलॉजी ऑफ़ कम्युनिटी साइकोलॉजी 1 (2), 115–124।
 32. शास्त्री, वी.पी. (1994)। शारंगधर संहिता में सरिर विज्ञान। नई दिल्ली: क्लासिकल पब्लिकेशन कंपनी।
 33. शास्त्री, वी.वी.एस. (2002)। त्रिदोष सिद्धांत। विभागीय प्रकाशन, कट्टकल, केरल।
 34. सील, बी.एन. (1915)। प्राचीन हिंदुओं का सकारात्मक विज्ञान। लंदन।
 35. सेबस्टियन, के.ए. और मैथ्यू, वी.जी. (2002)। श्री गनस एंड पीएसआई एक्सपीरियंस: अ स्टडी ऑफ पीएसआई एक्सपीरियंस इन रिलेशन टू इनिशिया, एक्टिवेशन एंड स्टैबिलिटी। जर्नल ऑफ़ इंडियन साइकोलॉजी, 20 (2), 44–48।
 36. शर्मा, आर। (1999)। स्व-संकल्पना और सत्त्व, राजस और तामस व्यक्तित्व में नौकरी की संतुष्टि। जर्नल ऑफ़ इंडियन साइकोलॉजी, 17 (2), 9–17।
 37. सिंह, आर। (1971)। महाभारत से एक सूची। इंडियन जर्नल ऑफ़ साइकेट्री, 13, 149–161।
 38. सिंह, आर। (1972)। भारतीय मनोविज्ञान में मिली मानसिक स्वास्थ्य की अवधारणा का मूल्यांकन। अप्रकाशित डॉक्टरल शोध प्रबंध। प्रटना विश्वविद्यालय।

40. सीताम्मा, एम।, श्रीदेवी, के। और राव, पी.वी. (1995)। श्री गनस एंड कॉग्निटिव कैरेक्टर्स: ए स्टडी ऑफ फील्ड डिपेंडेंस-इंडिपेंडेंस एंड पर्सेक्युअल एक्यूआई। जर्नल ऑफ इंडियन साइकोलॉजी, 13, 13- 20।
41. त्रिपाठी, वाई.बी. (2000)। आयुर्वेद के लिए आणविक दृष्टिकोण। प्रायोगिक जीवविज्ञान के भारतीय जर्नल। 38 (5), 409-414।
42. उमा, के।, लक्ष्मी, वाई.एस. और परमेस्वरन, ई.जी. (1971)। 3 गनस के सिद्धांत पर आधारित एक व्यक्तित्व सूची का निर्माण। रिसर्च बुलेटिन, 6, 49-58।
43. वुल्फ, डी.बी. (2000)। तनाव, अवसाद, और तीन गुण पर हरे षण महा मंत्र के प्रभाव। निबंध-सार-अंतर्राष्ट्रीय: - अनुभाग-बी: - विज्ञान और इंजीनियरिंग, 60, (ठ-बी): 354।
44. जैदी, एफ।, और सिंह, एन। (2001)। मनोवैज्ञानिक जीवन पर सकारात्मक जीवन की घटनाओं और निश्चित व्यक्तित्व चर के प्रत्यक्ष और तनाव के प्रभाव; पीएचडी थीसिस, ए.पी. एस. विश्वविद्यालय, रीवा।
45. ज़िंमर, एच। (1953)। भारत के दर्शन। पेंटहोन बुक्स, इंक। न्यूयॉर्क, एन.वाई।

नीतू जैन

मनोविज्ञान, असिस्टेंट प्रोफेसर,
महाराजा अग्रसेन कॉलेज, झज्जर
मो. 9466626466,
nitujain8@gmail.com

सारांश : वेदान्त दर्शन में सदानन्द योगीन्द्र अज्ञान के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अज्ञान तो सत्व और असत्व दोनों से रहित होने के कारण अवर्णनीय है। अज्ञान त्रिगुणात्मक है, ज्ञान का विरोधी तथा भाव रूप है। वेदान्तियों का कथन है— मैं अज्ञ (अज्ञानी) हूँ इत्यादि अनुभवों का प्रत्यक्ष आभास ही अज्ञान के भाव रूप में होने का प्रमाण है।¹

अज्ञान अनिवर्चनीय है और किसी भी प्रकार जाना ही नहीं जा सकता तो उसका अस्तित्व ही नहीं होगा। इस संशय का निवारण करने के लिए अज्ञान को त्रिगुणात्मक विशेषण दिया गया है। अर्थात् वह सत्व, रजस, तमस् तीन गुणों से युक्त है और श्रुतिवचन से भी अज्ञान तीन गुणों से प्रमाणित किया गया है।²

यदि अज्ञान को सत् कहा जाता है तो उसे ब्रह्म के समान त्रिकाल बाधित होना चाहिए लेकिन उसे तत्व ज्ञान से बाधित देखा जाता है और उसे असत् कहें तो बन्ध्या के पुत्र (असम्भव) के समान प्रतीयमान नहीं होना चाहिए लेकिन संसार के बंधन में जटिलबद्ध प्राणी को "मैं अज्ञान हूँ" इस भाँति प्रतीति होती है, अतः उसे सदरूप तथा असद् रूप दोनों ही नहीं कहा जा सकता है।

ज्ञान निर्वर्त्य ही अज्ञान का लक्षण है। अज्ञान का ज्ञान के द्वारा बाधित होना वेद तथा लोक में सर्वविख्यात है। अज्ञान के इस ज्ञाननिवर्त्यभूत लक्षण में अव्याप्ति और असम्भव दोष की तो शंका ही उत्पन्न नहीं होती है। अज्ञान ज्ञान का विरोधी है, आत्मसाक्षात्कार (ज्ञान) होने पर अज्ञान विनष्ट हो जाता है।

वेदान्त दर्शन में अज्ञान का अर्थ ज्ञानाभाव न होकर प्रकरण भिन्न होने के कारण कहीं पर 'माया' कहीं पर 'अविद्या' तथा कहीं पर 'नामरूप' कहा गया है। वेदान्त के अनुसार अज्ञान या माया की दो शक्तियाँ हैं— (1) आवरण तथा (2) विक्षेप आवरण का अर्थ है— किसी वस्तु के यथार्थ रूप को आच्छादित कर देना, किन्तु वस्तु के यथार्थ रूप को आच्छादित कर देने मात्र से ही उसका कार्य समाप्त नहीं हो जाता वरन् आच्छादित वस्तु में अवस्तु की प्रतीति कराना भी इसी माया का कार्य है। इन्हीं दोनो शक्तियों के द्वारा वह इस जगत की रचना में समर्थ होता है। प्रथम शक्ति आवरण के द्वारा वह ब्रह्म के यथार्थ सत्-चित्-आनन्द रूप को आच्छादित कर देता है, किन्तु ब्रह्म के यथार्थ स्वरूप के आच्छन्न मात्र होने से इस सम्बन्ध रूप जगत की उत्पत्ति नहीं हो पाती है और न ही यह क्रिया जीव को भ्रमित करने के लिए पर्याप्त होती है। यथा—आवरण क्रिया के कारण रज्जु का यथार्थ रूप आच्छन्न होने से मनुष्य भयभीत नहीं होता जब तक कि उस रज्जु के स्थान पर 'सर्प' रूप की सद्भावना नहीं हो जाती। वह सर्पत्व उद्भावना को करना ही

(माया) ब्रह्म से आच्छादित स्वरूप में इस दृश्य जगत का दर्शन कराती है। इस प्रकार आवरण और विक्षेप दोनों ही अज्ञान की महत्वपूर्ण विशेषताएँ हैं।³

निष्कर्ष : इस प्रकार वेदान्त दर्शन में सच्चिदानन्द, अनन्त, अद्वैत ब्रह्म को ही वस्तु कहा गया है। अज्ञान आदि से लेकर सकल जड समुदाय को अवस्तु कहा गया है।⁴ वेदान्त अज्ञान (माया या अविद्या) को एक ऐसी विलक्षण शक्ति बताया गया है। जिसके अस्तित्व पर ही "ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या" जैसे दो विरोधी वाक्यों में एकता की प्रतीति होती है। क्योंकि सत्य वस्तु होने से ब्रह्म का कभी वाध नहीं होना चाहिए और मिथ्या होने के कारण जगत का कभी दर्शन नहीं होना चाहिए, किन्तु इसके विपरीत स्थूल रूप से जगत प्रतिक्षण प्रतिपल दृष्टिगोचर होता है। वस्तुतः प्रत्यक्ष रूप से निरन्तर दिखाई देने वाले लता, वृक्ष, नदी, पर्वतादि को मिथ्या कहना बड़ा विचित्र एवं असम्भव प्रतीत होता है, किन्तु अज्ञान शक्ति के प्रभाववश ही से विरोधी तत्व विरोधहीन ज्ञात होते हैं।

संदर्भ सूची

1. अज्ञानं तु सदसद्भ्यामानिवर्चनीयं.....इत्यादि श्रुतेश्च (वेदान्त सार 34)
2. "अजामेकां लोहित शुल्क कृष्णां बह्वीः प्रजा सृजनानां सरूपाः" (वेदान्त सार)
3. अस्याज्ञानस्यावरण विक्षेपनामकमस्ति शक्ति द्वयम्। (वेदान्त सार 51)
4. वस्तु सच्चिदानन्दानन्ताद्वयं ब्रह्म। अज्ञानादि सकल जड समूहोऽवस्तु। (वेदान्त सार 33)

डॉ० शेरपाल

पुत्र श्री फूलचन्द्र

समन्वयक कला संकाय

चौधरी हरनाम सिंह महाविद्यालय

भरौआ-भुता, बरेली

ग्राम-मझगवाँ, पोस्ट-अमृता खास

मो० 9756293480

तहसील-बीसलपुर, जिला-पीलीभीत (पिन-262201)

सारांश : साहित्य समाज का दर्पण है। यह जब तक समाज के लिए उपदेय है, तभी तक ग्राह्य है। उपादेयता में ही इसकी प्रासंगिकता निहित है। जो साहित्य जितने लम्बे समय तक अपनी प्रासंगिकता रखता है, वह उतना ही समादृत होता है। समसामयिक परिस्थितियां लेखक को प्रभावित करती हैं। लेखक के मन पर उन परिस्थितियों के प्रति विशिष्ट प्रतिक्रिया होती है, यह प्रतिक्रिया साहित्यसृजन का हेतू है। उस प्रतिक्रिया के पीछे साहित्यकार का सम्पूर्ण व्यक्तित्व क्रियाशील रहता है। इसीलिए प्रत्येक लेखक की प्रतिक्रिया अपनी निजता रखती है। साहित्य की उपादेयता भी बहुआयामी है। साहित्य मनोरंजन के साथ-साथ समाज को जीने की स्वस्थ दृष्टि देता है ताकि समाज में भावात्मक संबंध स्थापित हो सके, साहित्य भावात्मक स्तर पर व्यक्ति का संस्कार करता है और उसका समसामयिक स्थिति से साक्षात्कार कराकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। मूलतः साहित्यकार की यात्रा मानवीय यथार्थ की यात्रा है।

आज के राज नेताओं पर कटाक्ष करते हुए मधुकांत जी बताना चाहते हैं कि आज एक आम इंसान किस प्रकार से अपना पूरा जीवन गंदी बस्ती या रेलवे लाईनों व सड़क के किनारों पर सामान बेचकर व्यतीत कर देता है और जो नेता लोग हैं वे अपना जीवन आदर्शों के साथ जीना तो नहीं चाहते मगर हां आदर्शता का ढोंग रचकर जनता के सामने अपने आपको प्रस्तुत करते हैं। मधुकांत जी ने अपनी एक कहानी के माध्यम से एक नेता का चरित्र किस प्रकार से प्रस्तुत किया है “आगे वाला रिक्शा थोड़ा खिसका तो मंत्री जी उनके बीच से निकलने लगे तभी पीछे से आती रिक्शा ने उसके पाजामें को दागदार कर दिया। इसकी चिंता किए बिना वे तेजी से पटरी की ओर बढ़ गए। उस दिन उन्हें पता लगा कि देश का आधा व्यापार तो पटरियों पर ही होता है। जनता के आने-जाने के लिए तो पटरियां बची ही नहीं। सारा रास्ता तो दुकानदारों ने रेहड़ी वालों ने रोक लिया है, ठीक है ये सवाल तो संसद में उठाना पड़ेगा।”¹

कुछ हद तक तो हम सभी ये जानते हैं कि हमारे यह सामान में मिलावट होती है। ये जानते हुए भी हम सभी चुप रहते हैं। आज के राजनेता लोग भी वाक़ि होते हैं कि हर चीज में मिलावट हो रही है, मगर कोई भी इसके खिलाफ आवाज नहीं उठा रहा है। जब यह बात मीडिया वाले बढ़ा-चढ़ा कर समाज के सामने प्रस्तुत करते हैं तो सारा समाज और राजनेता लोग भी जाग उठते हैं, फिर किस प्रकार से समाज में इस पर कार्य होता है। टी.वी. समाचार पत्रों और रेडियों पर इन चीजों से दूर रहने के

मधुकांत जी अपनी कहानी में लिखते हैं “ख्यालीराम, एक बात तो है जब से यह मिलावट की खबर टी.वी. पर आयी है तब से लोग जागरूक तो हुए हैं” मैंने चाय का घूंट लेते हुए कहा – ‘अब तो लगता है सबको जाने का काम मीडिया ही कर रहा है। मीडिया में खबर आने के बाद ही सरकार जागती है। मंत्रालय में भागदौड़ होती है तो अधिकारियों को भी भागदौड़ करनी पड़ती है।’²

आज हमारे समाज के सामने एक समस्या और देखते में आती है और वो है भ्रूण हत्या। इस बारे में उन्होंने हमारे समाज पर एक कटाक्ष किया है और कहा है कि हमारे यहां पर लड़कियों का जन्मस्तर दिन-प्रतिदिन गिरता ही जा रहा है। जिसके चलते ना जाने कितने ही युवक अविवाहित फिर रहे हैं। इस पर भी मधुकांत जी ने करारी चोट अपने व्यंग्य के माध्यम से ख्यालीराम के जरिये समाज को सीख देने की कोशिश की है। “अरे बस अचानक ठहर क्यों गई? हां ठीक है फाटक आ गया ना। हमने निहायत सावधानी से अखबार के कोने से नजर चुराकर अपने प्रेमी जूते को देखा। देखते ही अपने पररोना आ गया साहब, हमारा प्रेमी जूता भी हमारी तरह कुंवारा एल्यूमिनियम की पट्टी में उलझ-पुलझ हो रहा था। बस में बैठे-बैठे हमने अपना सिर धुन लिया और सोच लिया शायद हमारी किस्मत में कुंवारा ही मरना लिखा है। आपको हमसे थोड़ी सी भी हमदर्दी हो तो ध्यान रखिएगा, अवश्य आपको याद है ना, कैसी भी हो हमें चाहिए केवल एक अदद बीबी.....।”³

आज जिस प्रकार से हमारे यहां पर सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। उसके बारे में इन्होंने अपना तीखा व्यंग्य किया है। किस प्रकार से समाज में आज का अध्यापक आलसी होता जा रहा है और वह अपने विद्यार्थियों के माध्यम से ही अपना कार्य कराकर अपने कार्य को निजात पाने की कोशिश करना चाहता है। इस व्यंग्य की चोट से वह किस प्रकार से आज के अध्यापक पर प्रहार कर रहा है यह देखिए – “इस बालक को किस लिए साथ लाए हो, ‘साहब, रासते में कोई ऊंच-नीच हो जाए तो, कुछ मार्किंग में ही हेल्प कर देगा। बहुत होशियार है देखना पेपरों की रेल बना देगा।’ कौन सी कक्षा में पढ़ता है? गुप्ता जी ने ख्यालीराम की बात काटकर पूछा। जी नौवीं में सोनू बोल पड़ा।’ ख्यालीराम तुम भी कमाल करते हो नौवीं का छात्र और दसवीं के छात्रों के पेपर चैक करेगा।’ चिंता न करो, कई वर्ष का अनुभव है इसका, फिर पेपर तो मैं चैक करूंग यह तो जोड़ घटा कर देगा।”⁴

आज हमारी राजनीति इस प्रकार की हो गई है कि वह बस अपना ही प्रयत्न देखते हैं। यह पर राजनेता किस प्रकार से

में सभी अधिकारियों की बैठक बुलाई गयी। योग्यता के अनुसार उनको अलग-अलग श्रेणियों में बांटा गया। प्रथम लिस्ट में व्यक्तिगत संबंध वाले, दूसरी लिस्ट में लाभ पहुंचाने वाले और तीसरी लिस्ट में मंत्रालय के गलत कार्यों को दबाकर उनको अच्छा बताकर प्रचार-प्रसार करने वाले। तम्बाकू मंत्री ख्यालीराम जिन्होंने अभी-अभी मंत्रालय संभाला था, अपना प्रथम भाषण दिया 'मेरे कमाऊ पुत्रों सबसे पहले तो यह पता लगाओ अपने विभाग से कमाई के साधन कौन-कौन से हैं। विभाग की कमाई बढ़ेगी तो सबको ही लाभ होगा।'⁵

आजकल जिस प्रकार से लड़कियों का जन्मस्तर गिरता जा रहा है, उसी को देखते हुए आज लड़कों की शादी में बाधा आ रही है। हर कोई इसी जोड़-तोड़ में लगा रहता है कि शाम, दाम, दंड और भेद चाहे जो भी हो अपना काम कर अपने पुत्र, भाई या अपने सगे संबंधी की बस शादी हो जाए। एक तो लड़कियों की कमी, दूसरे रोजगार नहीं। आज का युवा किस प्रकार से पढ़ लिखकर बेरोजगार होता जा रहा है उस पर इन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से व्यंग्य किया है - "राजनैतिक गलियारे के पिछवाड़े से एक बात आपको चुपके से बताता हूँ कि अपने नेता ख्यालीराम शादी के बंधन में बंधते-बंधते रह गए थे। जिस दिन ख्यालीराम को देखने आने वाली थे उस दिन पिताश्री ने उसको सजा संवार कर, धवल कपड़े पहनाकर अपनी दूध की दुकान पर बैठा लिया। ग्राहक उसको सफेद कपड़ों में फंसे सफेद दूध उड़ेलते देख अंदर-ही-अंदर मुस्कराते लेकिन लड़की वालों ने ख्यालीराम को पंसद कर लिया।"⁶

यह कटाक्ष हमारे उन युवा साथियों पर किया गया है जो आज सरकारी बसों में सफर के दौरान सुविधाएं तो सारी चाहते हैं मगर किराये के नाम पर वो टिकट तक लेना अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। आज का युवा किस प्रकार से सरकारी बसों में टिकट लेना तोहिन समझता है इस पर अपना एक व्यंग्य वह अपनी कहानी के माध्यम से प्रस्तुत करता है मधुकांत जी ने इस व्यंग्य को इस प्रकार से व्यक्त किया है। "आपको विश्वास न आए तो करके देख लीजिए। जितना किराया आप बेटिकट यात्रा करके बचाएं उसे एक गुल्लक में डालते रहिये और जितने रूपए रिश्वत या जुर्माने में अदा करे उसी में से निकालते रहे फिर देखिए आपकी गुल्लक कैसे दिन रात चौगनी फुलती जाती है।"⁷

समाज के सामने आज एक बहुत ही बड़ी समस्या यह देखने में आती है कि जो भी हमारे राजनेता हैं जो इस समाज को चलाते हैं वो लगभग सारे अनपढ़ हैं जिन नेताओं को ये भी नहीं पता होता कि मूली धरती में पैदा होती है या पेड़ पर लगती है।

का इन्टरव्यू लेंगे तो वो किस प्रकार से लेंगे। ये भी मधुकांत जी ने एक व्यंग्य के माध्यम से दिखाने की कोशिश की है। "दस अप्रैल को जैसे ही पांचों अर्थात् लीडरशीप अकादमी के चेयमैन, वायस चेयरमैन, सेकरेट्री, कोषाध्यक्ष तथा मैनेजर साहब ने प्रवेश किया तो अपने फार्म हाऊस में छोटी बड़ी कारों का जमावड़ा देखकर दंग रह गए। उत्साह से भरकर जैसे ही उन्होंने कार्यालय में प्रवेश किया तो लीडर बनने वाले छात्रों का इन्टरव्यू चालू हो गया। छात्रों ने हिचकिचाते हुए कमरे में प्रवेश किया.....। गुडमॉर्निंग सर. ...।' वकील साहब 'आपकी क्वालिफिकेशन...? जी, एम.ए. पॉलिटिकल साईंस, पी.एच.डी. उसने अपनी डिग्रिया वकील साहब की ओर बढ़ा दी। लीडर देख, इन डिग्रियों को तो अपने पास रख, किसी कॉलेज के इन्टरव्यू में दिखाना, हमें तो ये बता, आपने स्कूल कॉलेज में कभी चुनाव लड़ा है? छात्र - जी नहीं वकील-झूठ बोलना, गाली देना, या झूठा वादा करना आता है?"⁸

कहते हैं कि अध्यापक विद्यार्थी का पथप्रदर्शक होता है। वह जो रास्ता अपने विद्यार्थी को दिखाता है वह उसी रास्ते पर आगे बढ़ कर अपना और अपने माता-पिता का नाम रोशन करता है। पहले का अध्यापक खाली अपनी तनखाह में गुजारा करके दूर से पढ़ाने के लिए स्कूलों में आया जाया करता था। परन्तु आज का अध्यापक अपने गांव नजदीक होने पर भी स्कूल पहुंचने में आना-कानी करता है। वह चाहता है कि उसका वेतन तो दुगुना-तिगुना हो परन्तु पढ़ाने का काम बिल्कुल भी ना हो। वह खुद तो सरकारी नौकरी करता है और अपने बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ाता है। आज के इस अध्यापक की बदलती हुई मानसिक विचारधारा पर इस प्रकार से व्यंग्य किया है मधुकांत जी ने। "वित्तमंत्री की भांति मास्टर जी उनको समझाने लगे, 'जो अध्यापक डबल शिफ्ट में काम करेगा उसको दुगुना वेतन मिलेगा। जानते हो दुगुना वेतन होने पर सरकार के पास इन्कम टैक्स कितना जाएगा। सरकार एक हाथ से देगी तथा दूसरे से वापस भी ले लेगी। अध्यापक भी खुश और सरकार भी खुश।' बात तो सही है.....। अपना समर्थन पाकर मास्टर और अधिक उत्साह से बोलने लगे, 'स्कूलों में अध्यापकों की समस्या तो दूर हो ही जाएगी बल्कि स्टॉफ सरप्लस हो जाएगा और रही देश में बेरोजगारी की बात सो आजकल करने के लिए सैकड़ों काम हैं। आलसी और कामचोर आदमी ही बेरोजगार है, नहीं तो देश में काम की कमी नहीं।"⁹

आज के ग्रामिण सरकारी स्कूलों में यह भी देखने में आता है कि एक कमरा जो कि अध्यापकों का खाने-पीने का कमरा होता है। उसकी बच्चों से बचाने के लिए अध्यापक उसमें भूत होने

अध्यापक को भेज भी दिया जाता है तो पढ़ाकर खुश नहीं। कम्प्यूटर रूम, प्रयोगशाला, पुस्तकालय तो वर्षों से बंद पड़े हैं। कहते हैं कि भूत इन्हीं में रहता है। कभी-कभी रात को भूत सामान को उठा भी ले जाता है। इनके पिछवाड़े एक स्टाफरूम है जिसमें विद्यार्थियों का जाना वर्जित है। कभी-कभी हवा का रुख स्टाफरूम से कक्षा-कक्षों की ओर हो जाए तो तम्बाकू का धुंआ, शराब और आमलेट की गंध ऊधर से आने लगती है। खाली घंटिया, मौज-मस्ती तथा छुट्टियों की इतनी भरमार होती है कि विद्यार्थियों का ध्यान उस गंध को नहीं पहचान पाता। राम प्यारी की ड्यूटी सदैव स्टाफरूम में लगी रहती, घंटी बजाने आदि का काम बच्चे खुशी-खुशी संभाल लेते।¹⁰

आज जो लोगों पर नीम-हकीम होने का भयंकर भूत संवार हो गया है। उस पर भी कटाक्ष किए बगैर मधुकांत जी नहीं रह सके हैं। इस पर व्यंग्य करते हुए मधुकांत जी कहते हैं। “वैसे तो मेरे देश का प्रत्येक नागरिक एक कुशल डॉक्टर है। वह स्वयं चाहे कितनी भी भयंकर बिमारी से पीड़ित हो लेकिन आपको दो-चार नुस्खे अवश्य बता देगा और पूरे विश्वास के साथ ठीक की गारंटी दे देगा।”¹¹

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि मधुकांत जी ने समाज की विभिन्न बुराईयों को अपनी कहानियों के माध्यम से समाज के सामने प्रस्तुत किया है। समाज के अन्दर जो आज राजनीति का खेल हम अपने चारों ओर देखते हैं। उसका जीवन्त वर्णन हमें अपने सामने चलचित्र की भांति घुमता सा प्रतीत होता है। इसके बाद जो कन्या भ्रूण हत्या जैसा जघन्य अपराध समाज के अन्दर होता है, और जो बुराईयां हमारे समाज का खोखला करती जा रही हैं। उसका भी चित्रण भलीभांति से हम देखते हैं। समाज में फैंली बुराईयों का जिस प्रकार से विवेचन किया गया है वो हमें समाज से इन बुराईयों को खत्म करने के लिए उत्साहित करता है। आज हम इन बुराईयों को प्रत्यक्ष देख सकते हैं। मगर उन पर जो मंथन हमें करना चाहिए, वो हम नहीं कर पाते। हमें सबकुछ दिखाई देता है और हो सकता है कि हम भी उनका कहीं ना कहीं हिस्सा रहे हो या फिर उनका शिकार हुए हों। समाज के सामने अपनी भावनाओं को ज्यों का त्यों रखा है। उन्होंने समाज की छोटी से छोटी बुराई को भी बड़ी ही आत्मियता से उभारने का प्रयास किया है और उसी अंदाज में उसका निराकरण करके समाज के सामने प्रस्तुत किया है। वह मनोरंजन के साथ-साथ समाज को शिक्षा प्रदान करने वाली रचना लेखन का कार्य करता है।

संदर्भ

1. कहानी नेता ख्यालराम भीड़ में पृ. संख्या 23

6. कहानी कुंआरे नेता ख्यालीराम में पृ. सं. 49
7. कहानी चलिए बेटिकट बेफिकर में पृ. सं. 55
8. कहानी लिडरशिप एकेडमी में पृ.सं. 61
9. कहानी समायोजन में पृ.सं. 66
10. कहानी विद्याव्रत की अन्तेष्टी में पृ.सं. 71
11. कहानी नीम हकीम ख्यालीराम में पृ.सं. 78

डॉ. पुष्पा

प्रोफेसर हिन्दी विभाग

महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक

मो. 9416945845

सारांश : आज साहित्य में जिन विचारधाराओं की व्यापक चर्चा हो रही है, उनमें स्त्री-विमर्श सर्वप्रमुख है। प्रायः प्रश्न उठाया जाता है कि इस स्त्री-विमर्श की क्या आवश्यकता है, क्योंकि यह तो सर्व विदित है कि विश्व साहित्य में किसी भी सृजन में मनुष्य को ही साहित्य का लक्ष्य बनाया गया है। मनुष्य किसी भी वर्ण या लिंग का हो इससे फर्क नहीं पड़ता। यदि साहित्य को नर-नारी-सृजन या दलित-सवर्ण-सृजन में बांट कर देखा जाए, तो यह साहित्य-चिंतन की विपरीत प्रक्रिया होगी। आदिकाल से आधुनिक काल तक साहित्य की यात्रा मानवीय संवेदना से जुड़ी है। किसी वर्ग, लिंग अथवा श्रेणी से नहीं।

यह सच है, लेकिन सच यह भी है कि स्त्री की आबादी पूरे विश्व में लगभग आधी है इसलिए इसे आधी दुनिया कहा जाता है। सच यह भी है कि इस आधी दुनिया की स्थिति पूरे विश्व में शोषित, उपेक्षित एवं दोगले दर्जे की है। “भारतीय समाज में नारी विभिन्न स्थितियों एवं कालों में किसी न किसी रूप में शोषित होती रही है, जिसके विभिन्न कारण रहे हैं। इन कारणों में एक मूल कारण उसकी अशिक्षा था। अशिक्षा के कारण वह बिना किसी तर्क के सामाजिक एवं धार्मिक बंधनों को स्वीकार करती रही और अपने अधिकारों से वंचित रही। इस अज्ञानता के कारण नारी का जीवन स्तर अपने परिवार की चारदीवारी में सिमट गया और वह अपने अस्तित्व को पहचान नहीं पाई। आर्थिक दृष्टि से पुरुष पर निर्भर होने के कारण उसे पुरुष की प्रभुता को स्वीकार करना पड़ा।”

यह सच है कि स्वतंत्र भारत के संविधान ने कई अधिकार स्त्रियों की झोली में डाल दिए हैं। परंतु यह भी सच है कि घर परिवार और समाज में वह आज भी शोषण मुक्त नहीं हो पाई हैं। पितृसत्तात्मक समाज के श्रेष्ठ का दंभ ने स्त्री को हमेशा दोगले दर्जा ही दिया। ज्ञान के प्रसार ने स्त्रियों में स्वाधिकार और स्वचेतना के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दी, तो पारिवारिक सामाजिक शोषण के खिलाफ आवाजें उठने लगीं।

समय के परिवर्तन-चक्र में नारी की स्थिति में परिवर्तन आए। शहर में शिक्षा के प्रचार-प्रसार से लड़की को भी शिक्षित कराने की लौ जली। कुछ विशेष वर्ग की नारियां घर की दहलीज से बाहर निकली। मशाल जलाकर मिसाल बनी। प्रोफेसर डॉक्टर (श्रीमती) श्रीलेखा राय के शब्दों में- “बदलती हुई दुनिया के साथ आज नारी की भूमिका बदल चुकी है। कल जो असूर्यम्पश्या थी, आज वह धरती और आकाश में, खेलकूद के मैदानों में, दफ्तरों से लेकर संसद भवन तक सर्वत्र दिखाई देती है। यह परिवर्तन आसानी से नहीं हो गया। नारी को अपने स्वावलंबन, स्वाभिमान और अस्मिता के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। भारत में नारी पूजा थी, साथ ही शोषित और दलित भी। समाज का दृष्टिकोण बदल रहा है। लेकिन आज तो उसके कंधों पर घर का, बाहर का भार लदा हुआ है। वह अपना रास्ता बना रही है। संधिकाल की कुछ समस्याओं के बावजूद एक

है।”

नारी की सोच में बदलाव बहुत बड़े परिवर्तन की सूचना है। आज उसकी मंजिल मर्द नहीं है, ना विवाह, ना बच्चे, ना घर, ना शास्त्र-सम्मत-आदर्श। स्त्री आज भी समाज में एक स्वतंत्र इकाई के रूप में अपने को स्थापित करना चाहती है। दबाव और पुरुषों द्वारा निर्धारित नियमों, धर्मगुरु, राजनेता या पत्रिकाओं द्वारा जो सामाजिक और नैतिक बाध यथाथोपी गई है कि घर-परिवार की सर्वाधिक जिम्मेदारी स्त्री की है। इस पर विचार कर शताब्दियों से यह भार ढोते-ढोते हैं अब यह धीरे-धीरे उसके पास नहीं बचा है कि वह दूसरों के द्वारा चलाई जाए। उसने खुद को अपने विचारों को स्वतंत्र उड़ान की इजाजत दे दी है। अब वह बलात्कार को एक दुर्घटना मानकर उससे उबरने का माद्दा रखती है। अत्याचार सहकारदस्युकन्या बन अपने अपमान का बदला लेती है।

मर्दाना औरत, पर्दा नशी औरत, अविवाहित मां, बगैर विवाह के स्त्री पुरुष का साथ रहना, समलैंगिक विवाह, लिंग परिवर्तन, कोख पर अधिकार, मां बने अथवा नहीं आदि विषयों पर खुद के निर्णय का अधिकार वह लेना जान गई है, किंतु यह डगर उसके लिए आसान नहीं है। आज आज भी व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकारवैधपुत्रों के लिए सुरक्षित है। मर्द हमेशा वैध होता है, औरत अवैध होती है, उसका बच्चा अवैध होता है, आज भी हमारा कानून ऐसी ही राय रखता है। वैध पुत्र मर्द का और अवैध पुत्र औरत का जब तक माना जाएगा स्त्री-पुरुष समानता की सोच बेमानी है।

हमारे देश में आदिवासी समाज की स्थिति और भी चिंताजनक है। इस समाज में स्त्रियों को भूमि पर अधिकार नहीं है। एक तरफ स्त्री पुरुष समानता की बात हमारा संविधान करता है, दूसरी तरफ संपत्ति पर परंपरा, धर्म और संस्कृति के नाम पर स्त्री पर दोहरा मानदंड लागू किया जाता है। स्त्री पुरुष समानता पर हमारे पुरुष प्रधान समाज की राय प्रायः नकारात्मक रही है। पुरुष औरत को अपमानित करने का एवं उसे दोगले दर्जे का प्रमाणित करने का एक भी मौका नहीं छोड़ता। कभी अल्प बुद्धि, बदचलन कह कर तो कभी संस्कार हीनता का आरोप लगाकर। समय के साथ नियमों और रूढ़ धारणाओं में संशोधन की आवश्यकता बनी हुई है, जिस पर मात्र हो हल्ला मचान की नहीं बल्कि गंभीर चिंतन-मनन के साथ एक नई दिशा देने की आवश्यकता है।

डॉ प्रभा खेतान का कहना है कि “स्त्री-लेखन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य स्त्री की विभिन्न भूमिकाओं के बारे में मानव-समाज को परिचय देना है, उन अंधेरे कोनों पर भी प्रकाश डालना है, जिसकी पीड़ा स्त्री ने सदियों से झेली है। जरूरत है कि उसकी अपनी मानवीय गरिमा और अधिकार को समझकर संरचनात्मक, सांस्कृतिक तथा मानवीय दृष्टिकोण के मूल तत्वों का विश्लेषण करें। अपने लेखन में उन तमाम स्त्रियों को शक्ति दें, जो संघर्षरत हैं तथा जो जो-जो समाज के विचारों में रूढ़िवादी विचारों की नजरों से टर किसी कोने में सबकूदी हैं जिनकी गरिमा के नाम पर

से स्त्री-पुरुष संगठित प्रयास करें। स्त्री और पुरुष एक गाड़ी के दो पहिए हैं। अगर कोई पहिया छोटा या कमजोर हो तो गाड़ी नहीं चल सकेगी। अतः समाज एवं परिवार में स्त्रीशक्तिकरणकी आवश्यकता है। आवश्यकता है नारी को जागरूक एवं प्रेरित करने की। स्त्री-विमर्श की आवश्यकता को इन्हीं शब्दों में समझना होगा।

संदर्भ सूची

1. डॉ हरि सिमरन कौर 'नारी-विमर्श': हिन्दी का पहला उपन्यास 'भाग्यवती' वर्तमान साहित्य: जुलाई, 2008, पृ. 41
2. नारी विमर्श: आधुनिक हिंदी साहित्य के संदर्भ में, आमुख से
3. अतीत होती सदी और स्त्री का भविष्य, प्रभा खेतान का लेख, पृ. 181

डॉ० प्रकाश कुमार अग्रवाल

प्राध्यापक, खड़गपुर कॉलेज

पश्चिम बंगाल, पिन 721301

मो. 9932937094

(पता- प्रकाश कुमार अग्रवाल, खरीदा फाटक बाजार, खड़गपुर,
जिला-पश्चिम मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल पिन कोड 721301)

सारांश : हमारे मध्यकालीन भक्तकवियों का प्रामाणिक जीवन वृत्त तो उपलब्ध नहीं, लेकिन उनकी कविता पढ़ते समय कविता में उनका व्यक्तित्व बार-बार उभर आता है। मीरा की कविता में लोक लाज, कुल की मर्यादा को तोड़ने या लांघने की बात बार-बार कही गई है। यह अकारण नहीं। इसके सामाजिक कारण हैं। मध्यकालीन समाज में अवर्णों को सवर्णों के समान होने के लिए जातिप्रथा से टकराना पड़ता था तो नारियों को रूढ़िग्रस्तता और छद्म कुलमर्यादा से। यही भी देखने की चीज है कि तुलसी के समान मीरा की कविता में भी 'दुर्जन' 'खल' आते हैं। विषमता का बोध मीरा के यहां प्रकट है। कबीर, तुलसी ने अपने समकालीन किसी 'खल' आते हैं। विषमता का बोध मीरा के यहां प्रकट है। कबीर, तुलसी ने अपने समकालीन किसी 'खल' का नाम लेकर उल्लेख नहीं किया। मीरा ने 'राणा' का नाम लिया है। मीरा की कविता में अमृत-विष साथ-साथ अकसर आते हैं। कहा गया है कि उन्हें विष दिया गया था, उन्होंने पी लिया तो अमृत हो गया। पता नहीं सत्य है या असत्य। लेकिन इसका प्रतीकार्थ जरूर है। विषपान मीरा का मध्यकालीन नारी का-स्वाधीनता के लिए संघर्ष है और अमृत उस संघर्ष से प्राप्त तोष है जो भावसत्य है। मीरा का संघर्ष जागतिक, वास्तविक है, अमृत उनके हृदय या भाव जगत में ही रहता है।

मीरा ने यह भी लिख दिया कि लोक लाज तो मैंने तोड़ दी लेकिन इसके लिए लोग मुझे बुरा कहते हैं, निंदा करते हैं, तरह-तरह की बातें करते हैं। सास लड़ती है-ननद खिजाती हैं, पहरा बिठला दिया जाता है। ताला जड़ दिया गया है। ताकि मीरा बाहर न जा सके।

सास बुरी अर नणद हठीली, लस्लिर मोहि तारी।

कहा जा सकता है कि सास-ननद, ताला चौकी पहरा आदि का उल्लेख इस युग की स्त्रियों की अभिव्यक्ति का मुहावरा था। ठीक है लेकिन यह तो पता चलता ही है कि मीरा की कविता उस युग के सामान्य नारी-मन की विवशता को प्रस्तुत कर रही है।

मध्य वर्गीय भारतीय समाज की स्त्रियों के पीड़न में स्त्रियों का भी योगदान होता है। सासु-पतोहू, ननद-भौजाई का कलह भारतीय समाज की बहुत बड़ी विशेषता है। यह संयुक्त परिवार की विशेषता है। सासु-बहू, ननद-भौजाई में कलह ही नहीं होता, प्रेम भी होता है, किंतु विख्यात कलह ही है। मीरा के जीवन में तो लोक साहित्य प्राप्त होता है, उससे मीरा ने 'सासु-ननद' या 'राणा' के विषय में जो लिखा है, वह समर्थित होता है। डा10 पद्यावती 'शबनम' ने रूपक गायको की शैली में प्राप्त ऐसे पदों का संकलन किया है जो उनके ग्रंथ मीरा व्यक्तित्व और कृतित्व में प्रकाशित है। जो दुर्जन मीरा को घर में कैद रखना चाहते थे या बाहर निकलने पर निंदित करते थे, हंसी उड़ाते थे, कड़वा बोल बोलते थे, उनके सिरमौर 'राणा' थे। पता नहीं ये राणा कौन थे। इन्हे मीरा ने अपनी रचनाओं में अनेक

के पति की मृत्यु जल्दी हो गई थी। मीरा ने अपने पद में ऐसा संकेत भी दिया है कि वह पति की सेवा करने वाली पत्नी को बहुत आदर की दृष्टि से देखती है।

लेकिन जिस दुर्जन ने मीरा को दंडित और सबसे ज्यादा पीड़ित किया था वह 'राणा' थे। कहते हैं मीराबाई का विवाह महाराणा सागा के पुत्र कंवर भोजराज के साथ हुआ था।

मीरा मेड़ते से अपनी ससुराल मेवाड आकर, प्रथानुसार महल में मेड़तली कहलाकर प्रसिद्ध हो चली। उनका वैवाहिक जीवन भी अपने पति के साथ सुखपूर्वक व्यतीत होने लगा, परन्तु कुंवर भोजराज अधिक दिनों तक जीवित न रह सके। पतिदेव का वियोग होते ही उन्होंने सारे लौकिक संबंधों के बन्धन को सहसा छिन्न-भिन्न कर दिए और चारों ओर से चित हटाकर, अपने इष्टदेव के प्रति वे और भी अनुरक्त हो गईं।

चतुर्वेदी जी का यह मत सुसंगत और मान्य लगता है। मीराबाई पति प्रेम का आदर्श निभाने वाली महिला थी- वह कोई उच्छृंखल या मनोवैज्ञानिक दृष्टि से असामान्य महिला नहीं थीं। मीरा ने लिखा है:

छैल विराणों लाख का हे अपणे काज न होइ।

ताके संग सीधारता है भाला न कहसी कोई

वर हीणो अपणों भलो हे कोढ़ी कष्टी होई।

जाके संग सीधारता है, भला कहे सब लोइ।

मीरा को पीड़ित करने वाले 'राणा' उनके पति नहीं उनके देवर विक्रमाजीत सिंह थे। विक्रमाजीत सिंह की गद्दी पर बैठने के समय तक मीराबाई के पिता रतनसिंह जी की मृत्यु हो चुकी थी।¹ महाराणा विक्रमाजीत सिंह यों भी अयोग्य और छिछोरे शासक थे।² वे क्षयिष्णु सामंती प्रवृत्ति के प्रतीक थे। मीरा को उन्होंने ही पीड़ित किया था। मीरा की कविताओं में संबोधित राणा महाराणा 'विक्रमाजीत सिंह' है। 'राणा' पर ही आरोप लगाना भी ठीक नहीं। वर्णव्यवस्था जाति-पाति का ऊंच-नीचपन, नारीपराधीनता की जो सामाजिक परंपरा उस समय विद्यमान थी उसमें देवर शासक अपनी युवती भाभी को साधु संगति कैसे करने देता। सामंती व्यवस्था नारी को मुख्यतः शरीर ही समझती है। पृथ्वी और नारी दोनों भोग्या है। पृथ्वी माता है। यह आदर्श सामंत का नहीं शरीर ही समझती है। पृथ्वी और नारी दोनों भोग्या है। पृथ्वी माता है। यह आदर्श सामंत का नहीं होता। उसका आदर्श है- वीरभोग्या वंसुधरा इसलिए 'राणा' उस संकुचित और असहिष्णु व्यवस्था के प्रतीक थे- वह खुद अच्छे या बुरे थे, इस पर किसी बहस की जरूरत नहीं।

मीराका जीवन संघर्ष वैधव्य से प्रारंभ हुआ। मीरा पति की मृत्यु पर सती नहीं हुई और भक्तिन हो गई। उनकी रचनाएं तो प्रधानता विरह भावना की अभिव्यक्ति हैं, पति की मृत्यु और उनकी मृत्यु के बीच लिखी गई।

मीरा ने जो भलोविक्रम विहरभावा विरह है, उसका कोई लौकिक अर्थ आवश्यक होगा। इस विहरभावना को बहुत तीव्र बना देता था राणा और दुर्जनों

स्वतः समिट आते हैं। कोई अपनी, वास्तविक स्थिति निश्चल ढंग से व्यक्त करें तो उसमें सामाजिकता अपने आप खिंच आएगी। क्योंकि व्यक्ति की स्थिति भी विशिष्ट सामाजिक स्थितियों या संदर्भों का परिणाम है।

निराला ने सरोज-समृति अपनी बेटी पर लिखी। वह एक पिता की अपनी कन्या की अकाल मृत्यु पर लिखी गई आत्म कथात्मक रचना है। किंतु 'सरोज-समृति' में निराला जैसे लाखों-करोड़ों पिताओं और सरोज जैसी लाखों-करोड़ों कन्याओं की पीडा भी अभिव्यक्त है। इसी तरह मीरा ने जब अपनी व्यथा कही तब उन्होंने सिर्फ अपनी ही व्यथा नहीं कही, अपने युग की असंख्य नारियों की दुखी जनो की व्यथा कही। एक दुःख दूसरे दुख से बहुत जल्दी जुड़ जाता है। मीरा की व्यथा नारी व्यवस्था थी।

हम देख चुके हैं कि मीरा के मन में पतिव्रता के प्रति सम्मान की भावना थी। वह तुलसीदास की ही शब्दावली में कहती है पति चाहे जैसा हो विकलांग हो-हीन हो, कोठी हो-उसी के साथ चलने में लोग भला कहते हैं। बिराना छैल अपने काम का नहीं। यह इस प्रसंग में मीरा सामाजिक या कुल की मर्यादा तोड़ने की बात नहीं करती। इस मर्यादा को वह शिरोधार्य समझती है। मीरा के साथ उनके पति का संबंध कैसा था, इस विषय में 'पं० परशुराम चतुर्वेदी' का विचार है कि मीरा का वैवाहिक जीवन सुखी था। 'वार्तिक प्रकाश' 'श्री भक्त माल सटीक' का खड़ी बोली में गद्यानुवाद करने वाले ने अपनी ओर से कोष्ठक में लिख दिया है कि मीरा के पति ने दूसरा विवाह कर लिया था।⁴ मीरा के पति की अकाल मृत्यु लगभग सर्वमान्य है।

मीरा ने प्रिय के लिए 'जोगी' का संबोधन भी किया है। उनके कई पद 'जोगी' को संबोधित हैं। यह जोगी कौन है? इस जोगी से प्रीति करने पर दुख होता है, वह किसी का मीत नहीं। उसकी प्रतीक्षा मीरा रात-दिन करती है। वह नगर में आया, मीरा उसे रोक रख नहीं पाई, उसे रोकने से कोई लाभ नहीं, वह रूकेगा नहीं, बोलता मधुर है लेकिन प्रीति नहीं जोड़ता। धूर्त जोगी एक बार भी हंस कर बोल। इस जोगी को रोकने की प्रार्थना करती हुई मीरा ने प्रसिद्ध पद लिखा।

'जोगी मत जा, मत जा, मत जा'

एक ही पंक्ति में न जाने की तीन बार कातर याचना-मत जा, मत जा, पांव पडूँ मैं तेरे। अगर जाना ही है तो भस्म कर दे। उसी भस्म को अपने अंग लगा ले। इस प्रकार जोत में जोत मिल जाएगी।⁵ उसके वियोग में काले केश श्वेत हो गए।⁶

मीरा के प्रियतम मीठा बोलने वाले है। मीरा को इस कड़वे बोलने वाले जगत में मीठे बोल वाले प्रिय निश्चय बहुत आकर्षक लगते रहे होंगे उनकी मीठी बोली सुनते ही

सबदा सुणतौं छातियाँ कापाँ मीठो यारो वैण।

जगत के दुर्जन अबला की हंसी उड़ाते है। मीरा का दरद कोई नहीं जानता। वही जानते हैं जो स्वयं घायल हैं, लेकिन ऐसे लोग संसार में हैं

की रूढ़िया उन्हें भक्त मानकर व्यक्तिगत साधना के लिए शायद रोकती लेकिन राणाकुल की सामंती मर्यादा तोड़ने की आज्ञा उन्हें समाज नहीं दे सकता था। वह भक्ति भावना और सामाजिक रूढ़ियों का द्वंद्व था। यह द्वंद्व तीव्र इसलिए था क्योंकि मीरा जैसा व्यक्तित्व भावना को जीवन आचरण में भी उतारना चाहता था। मीरा नारीत्व से मुक्त होकर 'भक्त' ही रहना चाहती थी। कहते हैं कि वृंदावन के गोस्वामी जी को यह कहकर उन्होंने हतप्रभ कर दिया था कि वृंदावन में एक तो ही पुरुष हैं- कृष्ण। गोस्वामी अपने को पुरुष कैसे मानते हैं? लेकिन यह केवल भावना की बात थी। समाज जब उनके नारीत्व को लेकर प्रवाद करता होगा, तरह-तरह की बातें करता होगा, कुटिल साधु जैसे लोग भी मिलते ही रहते होंगे तब मीरा को नारी होने की अनिवार्यता का बोध होता होगा। भावना जगत में त्यागा हुआ अबलात्व फिर आता होगा- और वह इस अबलात्व से मुक्त होकर उस भगवान् की शरण में दुबारा मर्माहत हो जाती होगी जो अशरण-शरण है:

हरि म्हारो सुणज्यों अरज महाराजा।

मैं अबला बल नाहिं गोसाईं राखो अबकै लाज।

मीरा के व्यक्तिगत और उनकी रचनाओं के बारे में एक बात और उल्लेखनीय है। मीरा को उनके जीवनकाल में उच्च एवं मध्य वर्ग संरक्षणशील रूढ़िग्रस्त समाज में बहुत आदर की दृष्टि से नहीं देखा गया था। उन्हें कडवे बोल सहने पड़े थे। 'पंडित परशुराम चतुर्वेदी' की सूचना का उल्लेख किया जा चुका है उस समय की नही आज भी ऐसे लोग हैं जो बहुत साक्षर नहीं लगभग अनपढ़ ही है। लेकिन उन अवर्णों में मीरा की रचनाएं परंपरा से लोकप्रिय रही हैं। ये लोग भी राजस्थान के ही हैं।

निष्कर्ष : डॉ० पदमावती 'शबनम' ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ मीरा: 'व्यक्तित्व और कृतित्व' में लिखा है कि लोक साहित्य विद्यालय गिरिनार से प्राप्त सूचना के अनुसार मीरा के पद अधिकांशतः भील एवं निम्न वर्ग से ही प्राप्त होते हैं।

सन्दर्भ सूची:-

1. परशुराम चतुर्वेदी: 'मीराबाई की पदावली' पृ० 20-21
2. वही पृ० 21
3. मीरा: 'व्यक्तित्व और कृतित्व' पृ० 46
4. 'श्री भक्तमाल सटीक वार्तिक प्रकाशयुत'
5. मीराबाई की पदावली पद स. 46, 53, 54, 57, 58
6. वही पद स० 97
7. मीरा: 'व्यक्तित्व और कृतित्व' परिशिष्ट 13

प्रोमिला कुमारी शोधकर्त्री

एम.ए. हिन्दी (यू.जी.नेट)

एम, एड, एन लिब, लक्ष्मी नगर गौहाना।

सारांश : भारत में डेयरी विकास के प्रारम्भिक प्रयास ब्रिटिश शासनकाल में उस समय से खोजे जा सकते हैं, जब रक्षा विभाग ने औपचारिक सेना के लिए दूध और घी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सैन्य डेयरी फार्म की स्थापना की थी। इस तरह पहला डेयरी फार्म 1913 में उत्तर-प्रदेश के इलाहाबाद शहर में स्थापित किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध में भी कुछ हद तक निजी डेयरी उद्योग को बढ़ावा दिया गया। भारत सरकार ने पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में दूध उत्पादन हेतु डेयरी उद्योग को प्राथमिकता दी। देश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए 1970 से श्वेतक्रान्ति प्रारम्भ की गई जिसे आपरेशन लड प्रथम का नाम दिया गया। देश के 10 राज्यों में इसे प्रारम्भ किया गया। आपरेशन लड भारतीय डेयरी उद्योग को स्थिर एवं जर्जर स्थिति से निकालने का सुनियोजित प्रयास था। इस कार्यक्रम ने भारत को विश्व के प्रथम दूध उत्पादक राष्ट्र के रूप में भी प्रतिष्ठित किया है। डेयरी क्षेत्र में विकास की गति को बनाए रखने के लिए सरकार समय-समय पर प्रयास करती रही है। बारहवीं योजना में पशुपालन के लिए 982 करोड़ रुपये और डेयरी विकास के लिए 3072 करोड़ रुपये दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

अध्ययन क्षेत्र:

प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध का अध्ययन क्षेत्र जनपद रामपुर है। रुहेलखण्ड भौगोलिक क्षेत्र का एक लघु भू-भाग है जिसका अक्षांशीय विस्तार 28°05' उत्तरी अक्षांश से 29°05' उत्तरी अक्षांश एवं देशान्तरीय विस्तार 78°05' पूर्वी देशान्तर से 79°05' पूर्वी देशान्तर के मध्य विस्तृत है। सम्पूर्ण क्षेत्र का क्षेत्रफल 2367 वर्ग किलोमीटर है। अध्ययन क्षेत्र की उत्तरी सीमा जनपद ऊधम सिंह नगर (उत्तराखण्ड) एवं दक्षिणी सीमा पर बदायूँ जनपद स्थित है। इसके पूर्व में जनपद बरेली एवं पश्चिम में मुरादाबाद जनपद का विस्तार है।

प्रशासनिक दृष्टि से अध्ययन क्षेत्र में 01 जनपद मुख्यालय (रामपुर), 06 तहसील मुख्यालय, 07 विकासखण्ड मुख्यालय 75 न्यायपंचायत, 580 ग्राम पंचायत एवं 1153 कुल राजस्व ग्राम सम्मिलित हैं। स्थानीय निकाय एवं प्रशासन की दृष्टि से 05 नगर पालिका परिषद एवं 03 नगर पंचायत स्थित हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या 23.35 लाख है तथा जनघनत्व 987 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है।

अध्ययन के उद्देश्य:

प्रस्तुत शोध-पत्र का उद्देश्य अध्ययन क्षेत्र में दुग्ध व्यवसाय का अध्ययन करना है। पशुसंसाधन का महत्त्व न केवल कृषि कार्यों

बनाने में सराहनीय है दुग्ध व्यवसाय का वर्गीकरण करते हुए उसकी कालिक वृद्धि एवं स्थानिक वितरणों की व्याख्या करते हुए दुग्ध व्यवसाय से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार की समस्याओं की व्याख्या करने विकास हेतु नियोजन प्रारूप तैयार किया गया है।

विधि तन्त्र:

प्रस्तुत शोध-पत्र को पूरा करने के लिए प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकड़ों का सहारा लिया गया है। प्राथमिक आंकड़ों में दुग्ध पालकों से व्यक्तिगत साक्षात्कार, क्षेत्रीय अवलोकन एवं स्वयं सर्वेक्षण को शामिल किया गया है। जबकि द्वितीयक आंकड़ों में विभिन्न विभागों से प्राप्त रिपोर्ट्स एवं पुस्तिकाओं को सम्मिलित किया गया है।

प्राकृतिक दशायें:

जनपद रामपुर एक समतल मैदानी भू-भाग है, जो गंगा की ऊपरी घाटी में विस्तृत उत्तरी भाग में है। इस क्षेत्र का ढाल उत्तर-पश्चिम से दक्षिण-पूर्व को है। इसकी औसत ऊँचाई 180 मीटर है। रामगंगा एवं कोसी यहाँ की मुख्य नदियाँ हैं। स्वार एवं शाहबाद तहसीलों में वर्षा ऋतु में बाढ़ का प्रकोप बना रहता है। यहाँ पर परतदार अवसादी चट्टानों का विस्तार है जिनकी गहराई 1000-1500 मीटर है तथा इनका निर्माण रामगंगा व उनकी सहायक नदियों द्वारा लाये गये हिमालयन अवसाद के निक्षेपण से हुआ है। यहाँ की जलवायु उष्णतर मानसूनी प्रकार की है। यहाँ का वार्षिक औसत तापमान 25.50 डिग्री सेल्सियस, वार्षिक वर्षा का औसत 120 सेन्टीमीटर, सापेक्षिक आर्द्रता 70 प्रतिशत एवं वायु की औसत गति 5.50 किलोमीटर है। मानसूनी पतझड़ी प्राकृतिक वनस्पति, वनों के अन्तर्गत क्षेत्रफल 3.00 प्रतिशत, सामाजिक व कृषि वानिकी में सड़कों नहरों, मेढ़ों पर वृक्षारोपण अन्य प्रमुख विशेषतायें हैं। उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी की उपलब्धता के कारण यह क्षेत्र कृषि प्रधान है। उत्तरी भागों में चिकनी, मध्य भागों में जलोढ़ एवं दोमट एवं दक्षिणी क्षेत्र में कटेहर उदला व भूड मिट्टी देखने को मिलती है।

आर्थिक दशायें:

जनपद रामपुर आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। आज भी यहाँ की प्रमुख आर्थिक क्रिया कृषि एवं पशुपालन है क्योंकि कुल कार्यशील जनसंख्या का 55 प्रतिशत भाग कृषि व पशुपालन क्षेत्र में ही कार्यरत है। कुल सकल प्रतिवेदित क्षेत्र के लगभग 85 प्रतिशत भाग पर कृषि कार्य किया जाता है। इस प्रकार अध्ययन क्षेत्र में दो फसली क्षेत्र का 70 प्रतिशत होना तथा 170 प्रतिशत कृषि क्षेत्र का मूचबोक का मतलब कृषि क्षेत्र की उत्तम स्थिति का परिचायक है। औद्योगिक दृष्टि से चीनी विनिर्माण मेन्थाघास से

दो मुख्य रेलमार्ग, दिल्ली-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग-24 रामपुर-नैनीताल प्रादेशिक राजमार्ग मुरादाबाद हवाई पट्टी इस क्षेत्र की परिवहन व्यवस्था की सुदृढ़ता के स्पष्ट उदाहरण हैं। इस प्रकार रामपुर जनपद आर्थिक दृष्टि से प्रगतिशील अवस्था में है।

दुग्ध व्यवसाय के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं:

जनपद रामपुर में पशुधन हेतु जलवायुविक दशायें उपलब्ध हैं। जल आपूर्ति के लिए नलकूप, हैण्डपम्प एवं उपयुक्त स्थान पर तालाब स्थित है। पशुओं के सन्दर्भ में जानकारी हेतु पशुधन विकास केन्द्र कार्यरत है। वर्तमान में चारागाह के अन्तर्गत क्षेत्रफल में तो कमी आई है किन्तु पशुपालन पशुओं के लिए उत्तम चारे की व्यवस्था करते हैं। अध्ययन क्षेत्र में पशुधन की चिकित्सा हेतु पशु चिकित्सालय, कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र एवं पशु प्रजनन केन्द्र विकासखण्ड स्तर पर स्थित हैं। पशुधन की जानकारी हेतु समय-समय पर संगोष्ठियों का आयोजन किया जाता है।

जनपद रामपुर में आवागमन हेतु परिवहन साधनों का विकास तीव्रता से हुआ है। दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के माध्यम से पशुपालकों को समय-समय पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में सहकारी दुग्ध समितियां एवं अन्य दुग्ध व्यवसायियों द्वारा दुग्ध एकत्रित कर अवशीतलन केन्द्रों पर भेजा जाता है। नगरीय क्षेत्र में दुग्ध की आपूर्ति की जाती है। पशुपालकों को सस्ती दर पर ऋण की उपलब्धता वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से की जाती है। वर्तमान में प्रदेश सरकार द्वारा दुग्ध व्यवसाय को प्रोत्साहन हेतु अनेक कल्याणकारी योजनायें क्रियान्वित की जा रही हैं।

पशुधन सम्पदा:

जनपद रामपुर में पशुधन सम्पदा का अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि पशुगणना वर्ष 1993 के अनुसार कुल पशुधन की संख्या 5.36 लाख थी जो पशुगणना वर्ष 2012 के अनुसार +39.70 प्रतिशत के साथ 7.49 लाख है जिसमें गौवंशीय पशुधन में 7.92 प्रतिशत एवं महिषवंशीय पशुधन में सर्वाधिक 95.54 प्रतिशत

जनपद रामपुर 2006, 2010, 2016-

जनपद रामपुर में कुल पशुधन की संख्या 7.49 लाख है जिसमें गौवंशीय पशुधन 21.16 प्रतिशत, महिषवंशीय पशुधन 58.84 प्रतिशत एवं अजातवंशीय पशुधन 20.00 प्रतिशत है। ग्रामीण क्षेत्र में कुल पशुधन 6.97 लाख एवं नगरीय क्षेत्र में कुल पशुधन 51713 है। विकासखण्ड स्तर पर सर्वाधिक पशुधन की संख्या 1.70 लाख बिलासपुर विकासखण्ड में जिसमें गौवंशीय पशुधन 44589, महिषवंशीय पशुधन 98415 एवं अजातवंशीय पशुधन 27589 शामिल है। जबकि इसके विपरीत सबसे कम पशुधन 49456 विकासखण्ड चमरौआ में है, जिसमें गौवंशीय पशुधन 5662, महिषवंशीय पशुधन 33748 एवं अजातवंशीय पशुधन 10046 शामिल है। पशुधन घनत्व 315 प्रति वर्ग किलोमीटर है। ग्रामीण क्षेत्र में पशुधन घनत्व 302 प्रति वर्ग किलोमीटर एवं नगरीय क्षेत्र में पशुधन घनत्व 818 प्रति वर्ग किलोमीटर है। विकासखण्ड स्तर पर सर्वाधिक पशुधन घनत्व 345 प्रति वर्ग किलोमीटर शाहाबाद विकासखण्ड में है। जबकि इसके विपरीत सबसे कम पशुधन घनत्व 226 प्रति वर्ग किलोमीटर विकासखण्ड चमरौआ में है। जैसा कि तालिका- से स्पष्ट है।

दुग्ध उपलब्धता:

जनपद रामपुर में दुग्ध उपलब्धता का अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि कुल दुग्ध उत्पादन 1.16 लाख मीटरी टन है जिसमें गाय के दूध का उत्पादन 9123 मीटरी टन, भैंस के दूध का उत्पादन 1.03 लाख मीटरी टन एवं बकरी के दूध का उत्पादन 4283 मीटरी टन है। विकासखण्ड स्तर पर सर्वाधिक दूध का उत्पादन 23890 मीटरी टन बिलासपुर विकासखण्ड में है जिसमें गाय के दूध का उत्पादन 1810 मीटरी टन, भैंस के दूध का उत्पादन 21120 मीटरी टन एवं बकरी के दूध का उत्पादन 960 मीटरी टन शामिल है। जबकि इसके विपरीत सबसे कम दुग्ध का उत्पादन 14800 मीटरी टन विकासखण्ड सैदनगर में है जिसमें गाय के दूध का उत्पादन 1033 मीटरी टन, भैंस के दूध का उत्पादन 13199 मीटरी टन एवं बकरी के दूध का उत्पादन 568 मीटरी टन है।

जैसा कि तालिका- में स्पष्ट किया गया है।

तालिका संख्या - 01

जनपद रामपुर में पशुधन सम्पदा का स्वरूप 1993 - 2012

वर्ष	गौवंशीय	महिषवंशीय	अजातवंशीय	कुल पशुधन
1993	147022	224970	164283	536275
1997	158592	224421	114316	497329
2003	131100	348976	126075	606151
2007	152395	440452	145283	738135
2012	158663	440816	149644	749123

दुग्ध व्यवसाय सम्बन्धी समस्यायें:

पशुपालन एक महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया है जो ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि व्यवसाय से जुड़ी है। ब्रिटिश शासन काल से लेकर स्वतंत्र राज्य एवं

सं०				पशुधन	प्रति वर्ग किलोमीटर	
1-	स्वार	26672	90071	40963	157706	315
2-	बिलासपुर	44589	98415	27589	170593	337
3-	सैदनगर	9154	39307	15880	64341	309
4-	चमरौआ	5662	33748	10046	49456	226
5-	शाहाबाद	38568	89573	13146	141305	345
6-	मिलक	30435	62114	21460	114009	293
योग ग्रामीण		155098	413228	129084	697410	302
नगरीय योग		3565	27558	20560	51713	818
योग जनपद		158663	440816	149644	749123	315
प्रतिशत		21.16	58.84	20.00	100	-

स्रोत: जिला सांख्यिकीय पत्रिका, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, जनपद रामपुर 2018।

तालिका संख्या - 03

जनपद रामपुर में दुग्ध उपलब्धता का स्वरूप, 2017

क्र० सं०	विकासखण्ड	दुग्ध उत्पादन मीटरी टन में			कुल
		गाय	भैंस	बकरी	
1-	स्वार	1990	17550	720	20260
2-	बिलासपुर	1810	21120	960	23890
3-	सैदनगर	1033	13199	568	14800
4-	चमरौआ	1945	14155	570	16670
5-	शाहाबाद	1240	18165	770	20175
6-	मिलक	1105	19250	695	21050
योग जनपद		9123	10439	4283	116845

स्रोत: 1. दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियों की जानकारी के अनुसार
2. सर्वेक्षण के आधार पर।


एवं संस्थाओं ने पशुपालन व्यवसाय के विकास हेतु अनेक प्रयास किए हैं परन्तु पर्याप्त सुधारों के बावजूद आज भी यह उद्योग समस्याग्रस्त है। जनपद रामपुर में दुग्ध व्यवसाय का अध्ययन करने से स्पष्ट हुआ है कि यहाँ पर पशुधन एवं दुग्ध व्यवसाय के समक्ष समस्याएँ व्याप्त हैं। पशुओं के लिए पौष्टिक आहार की कमी बनी रहती है। इसके साथ ही पशुओं में संक्रामक रोग मुँहपका एवं खुरपका बने रहते हैं। पशुधन के लिए स्वच्छ पानी प्राप्त नहीं हो पाता है। इसके साथ अनुपयोगी पशुओं की संख्या में वृद्धि मुख्य समस्या है। पशुओं के रखरखाव हेतु पशुवाड़े का न होना है। इसके अतिरिक्त उत्तम किस्म के पशुधन की खरीद के लिए पूँजी की कमी मुख्य है। अध्ययन क्षेत्र में अच्छे नस्ल के दुधारू पशुओं की कमी के कारण कम दूध प्राप्त होता है। इसके साथ ही पशुपालकों को दुग्ध का कम मूल्य प्राप्त हो पाता है। दुग्ध सहकारी समितियों की कमी है। ग्रामीण क्षेत्र में दूध उत्पादन को पहुँचाने के लिए परिवहन साधन उपलब्ध न होना मुख्य है।


दुग्ध व्यवसाय को प्रभावी बनाने हेतु मुख्य सुझाव:

आवश्यक है। पशुरोगों के लिए समय-समय पर टीकाकरण किया जाना चाहिए। पशुओं रख-रखाव के लिए पशुपालकों को उचित प्रशिक्षण प्रदान किया जाना आवश्यक है। पशु मेलों, पशु बाजार को राजकीय नियन्त्रण में लेकर अधिक से अधिक संख्या में उन्नत प्रजातियों की गाय एवं भैंस उपलब्ध करायी जानी चाहिए। दुग्ध विपणन की प्रक्रियों को सरल बनाया जाये तथा व्यापारियों तथा समितियों द्वारा आर्थिक तंगी का सामना न करना पड़े। केन्द्रीय व राज्य सरकार पर नई दुग्ध नीति के क्रियान्वयन की आवश्यकता है। तेजी से बढ़ती दुग्ध पदार्थों की माँग तथा भावी जनसंख्या वृद्धि को ध्यान में रखते हुए अब एक और श्वेत क्रान्ति की आवश्यकता है।

सन्दर्भ

1. कुमार, के० : गेटरिच क्यूकविद डेयरी फार्मिंग दि इण्डिया एक्सप्रेस अगस्त 31, 1978
2. बोहरा सुनिता : कृषि





- कुरुक्षेत्र मासिक पत्रिका मई 2014 पृष्ठ-25
- दुग्ध सहकारिता, प्रादेशिक कापरेटिव डेयरी फेडरेशन यू0पी0 लखनऊ।
 - जिला विकास पुस्तिका, अर्थ एवं संख्या प्रभाग द्वारा प्रकाशित जनपद रामपुर 2017।

निर्देशक

डॉ० एन०यू० खान


एसोसिएट प्रोफेसर भूगोल विभाग

जी0एफ0 (पी0जी0) कॉलिज

शाहजहाँपुर

शोधार्थी

ओमेन्द्र कुमार



आर्थिक विकास किसी देश की प्रगति का मापदण्ड है। आर्थिक विकास के मापन हेतु राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय आदि अनेक मापक प्रयोग किये जाते हैं। कीन्स तथा अन्य अनेक अर्थशास्त्रियों का मानना है कि मूल्य वृद्धि आर्थिक विकास को प्रभावित करती है। नियन्त्रित किन्तु धीमी मूल्य वृद्धि किसी देश के तीव्र आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है। मूल्य वृद्धि से एक ओर तो आर्थिक समृद्धि बढ़ती है तथा दूसरी ओर रोजगार भी बढ़ता है। इसीलिए अर्थशास्त्रियों ने धीमी मूल्य वृद्धि का समर्थन किया है। सामान्य अर्थशास्त्रियों का मानना है कि धीमी मूल्य वृद्धि यद्यपि कीमतों को बढ़ाती है किन्तु दूसरी ओर रोजगार, उत्पादन आदि के क्षेत्र में औषधि का कार्य करती है।

मूल्य वृद्धि से न केवल मूल्य बढ़ते हैं बल्कि उत्पादन भी बढ़ता है जिससे आर्थिक विकास को गति मिलती है। आर्थिक विकास दीर्घकाल तक दृष्टिगत होता है अर्थात् आर्थिक विकास की प्रक्रिया लम्बे समय तक चलती है। आर्थिक विकास का मूल्य वृद्धि से सीधा सम्बन्ध है। मूल्य वृद्धि आर्थिक विकास का मापक भी है और सूचक भी। भारत में मूल्य वृद्धि द्वारा आर्थिक विकास हेतु अनेक चर एवं अचर होते हैं जिनमें से एक वे तत्व हैं जो भौतिक प्रगति को दिखाते हैं दूसरे वे तत्व हैं जो मानव कल्याण को दर्शाते हैं। आर्थिक तत्व मुख्य रूप से मूल्य वृद्धि पर ही निर्भर करते हैं। अतः मूल्य वृद्धि आर्थिक विकास का पर्याय मानी जाती है।

भारत के आर्थिक विकास पर मूल्य वृद्धि का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। इसके अतिरिक्त मूल्य वृद्धि के कारण सरकारी नीति भी आर्थिक विकास को स्वेच्छा से स्वीकार कर रही है। अर्थात् आर्थिक विकास मूल्य वृद्धि एक साथ सम्भव है। अतः यह मान्यता है कि भारत के आर्थिक विकास पर मूल्य वृद्धि का सीधा प्रभाव पड़ा है। यदि सकारात्मक भाषा का प्रयोग किया जाये तो यह कहा जायेगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था मूल्य वृद्धि से सकारात्मक दिशा में प्रभावित हुई है। मूल्य वृद्धि के साथ-साथ राष्ट्रीय उत्पादन, घरेलू राष्ट्रीय उत्पादन राष्ट्रीय आय प्रतिव्यक्ति आय, रोजगार आदि तत्व सकारात्मक दिशा में प्रभावित हुए हैं।

आर्थिक विकास वर्तमान शताब्दी में आर्थिक चिन्तन का केन्द्र बिन्दु माना जाता है। विकासशील देशों में इसका विशेष महत्व है क्योंकि आर्थिक विकास द्वारा गरीबी तथा आर्थिक पिछड़ेपन से छुटकारा पा सकते हैं। आर्थिक विकास के अध्ययन ने वाणिज्यवादियों सहित, एडम स्मिथ से लेकर कीन्स तक सभी अर्थशास्त्रियों को अपनी ओर आकर्षित किया था लेकिन उनकी रुचि मुख्यतः पश्चिमी देशों के आर्थिक विकास और उनकी समस्याओं तक केन्द्रित रही। परन्तु 20वीं शताब्दी के मध्यान्तर काल के पश्चात् से अर्थशास्त्रियों ने विकासशील देशों के आर्थिक विकास में अधिक रुचि लेना प्रारम्भ कर दिया जिसके दो प्रमुख कारण थे। पहला एक ओर एशिया व अफ्रीका महाद्वीप में राजनीतिक चेतना और आर्थिक पुनरुत्थान

आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न देश यह अनुभव करने लगे थे कि “एक क्षेत्र की दरिद्रता दूसरे क्षेत्रों की सम्पन्नता के लिए खतरा है।

आर्थिक विकास में गुणात्मक पहलुओं पर भी विचार किया जाता है। इस सन्दर्भ में प्रसिद्ध पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब-उल-हक का कथन अत्यन्त महत्वपूर्ण है, “विकास की प्रमुख समस्या गरीबी की सबसे भयानक किस्मों पर सीधा प्रहार करना है। गरीबी भुखमरी, बीमारी, अशिक्षा, बेरोजगारी और असमानताओं जैसी समस्याओं के उन्मूलन को विकास के मुख्य लक्ष्यों में शामिल किया जाना चाहिए।”

आर्थिक विकास एक ऐसी अनवरत प्रक्रिया है जिसके परिणामस्वरूप देश में समस्त साधनों का कुशलतापूर्वक प्रयोग होता है जिससे राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में निरन्तर एवं दीर्घकालीन वृद्धि होती है तथा जनता के जीवन स्तर एवं सामान्य कल्याण का सूचकांक बढ़ता है।

आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार अर्द्धविकसित देशों की प्रमुख समस्या वहाँ के निवासियों के जीवन स्तर में सुधार की होती है और जीवन स्तर में सुधार तभी सम्भव है जबकि प्रति व्यक्ति आय बढ़े। अतः उनके मत में आर्थिक विकास का सही मापदण्ड प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि है, न कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि।

कुछ अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक कल्याण को आर्थिक विकास का उचित मापदण्ड माना है। उनके अनुसार ऐसी प्रक्रिया को आर्थिक विकास माना जाता है जिससे प्रति व्यक्ति वास्तविक आय व उपभोग में वृद्धि होती है और उसके साथ-साथ आय की असमानताओं का अन्तर कम होता है तथा देश के निवासियों को अधिकतम सन्तुष्टि मिलती है।

विभिन्न अर्थशास्त्रियों अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे विश्व आर्थिक मंच आदि ने विभिन्न सामाजिक व आर्थिक निर्देशांकों के द्वारा विभिन्न देशों के आर्थिक विकास के स्तर को मापने का प्रयास किया है। विकास के राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति माप से असन्तुष्ट होकर 1971 की दशाब्दी से आर्थिक विचारकों ने विकास प्रक्रिया की गुणवत्ता की ओर ध्यान देना प्रारम्भ किया जिसके अनुसार वे तीन विभिन्न परन्तु पूरक, रोजगार को बढ़ाने, गरीबी को दूर करने तथा आय एवं धन की असमानताओं को कम करने के लिए मूलभूत मानवीय आवश्यकताओं की कूटनीति पर जोर देते हैं। इस कूटनीति के अन्तर्गत मूलभूत न्यूनतम आवश्यकताओं के प्रबन्ध के अतिरिक्त रोजगार के सुअवसरों पिछड़े वर्गों के उत्थान तथा पिछड़े क्षेत्रों के विकास पर बल देना और उचित कीमतों एवं दक्ष वितरण प्रणाली द्वारा आवश्यक वस्तुओं को गरीब वर्गों को जुटाना है।

इस प्रकार इस कूटनीति में आय वृद्धि के साथ-साथ गरीबी, बेरोजगारी, स्वास्थ्य व शिक्षा तथा वितरण विषमताओं को दूर करने के उद्देश्यों को यथोचित स्थान दिया गया है अनेक अर्द्ध-विकसित देशों के विकास के अन्तर्गत व अध्ययन को प्रारम्भ में इस वास्तविक को ध्यान में रखकर चलाया गया है।

विकास को संकेतक माना जाता है। मारिश डी मारिश ने एक वर्ष पर जीवन प्रत्याशा, बाल मृत्यु दर तथा साक्षरता तीनों को मिलाकर समन्वित निर्देशांक निर्मित किया जिसे उन्होंने जीवन की भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक कहा। इस कूटनीति या संकेतक से बहुत से सूचकों जैसे-स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, पोषण तथा स्वच्छता आदि का पता चलता है। जीवन-निर्देशांक में स्थायी तौर से वृद्धि होती है जो कि तभी संभव है जबकि देश में कुल राष्ट्रीय उत्पादन का वितरण और उपयोग इस ढंग से हो कि अधिकाधिक लोग लाभ उठा सके और फलस्वरूप शिशु मृत्यु दर घटे तथा प्रत्याशित आयु और साक्षरता बढ़े तो इस बात का सूचक होगा कि देश में आर्थिक विकास हो रहा है।

आर्थिक विकास के मापदण्ड के रूप में क्रय शक्ति समता सूचकांक का भी उपयोग किया जाता है इस सूचकांक का सर्वप्रथम उपयोग अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किया था। आजकल विभिन्न देशों के रहन-सहन की तुलना के लिए विश्व बैंक द्वारा इस सूचकांक का उपयोग किया जा रहा है। क्रय शक्ति समता विधि के अन्तर्गत किसी देश की सकल राष्ट्रीय आय को किसी पूर्ण निश्चित अन्तर्राष्ट्रीय विदेशी विनिमय दर पर न व्यक्त करके उस देश के भीतर मुद्रा की क्रयशक्ति के आधार पर व्यक्त किया जाता है और विभिन्न देशों के रहन सहन के स्तर के माप के लिए क्रय शक्ति समता स्थापित की जाती है।

क्रयशक्ति समता के रूप में विभिन्न देशों की व्यक्ति-आय को विश्व बैंक व्यक्त करता है। क्रय शक्ति समता के आधार पर भारत की प्रति व्यक्ति आय 1998 में 1700 + थी और इस आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है। परन्तु अधिकांश अर्थशास्त्री क्रयशक्ति समता सूचकांक को आर्थिक विकास की माप की एक अच्छी विधि नहीं मानते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ जुटे हुए अर्थशास्त्री महवूवल हक ने विकास के एक सर्वमान्य सूचकांक को विकसित करने की दिशा में सबसे पहले प्रयास शुरू किया। किसी राष्ट्र में रहने वाले लोग ही उस राष्ट्र से वास्तविक सम्बन्धित हैं” आर्थिक विकास का मूल उद्देश्य एक ऐसा वातावरण तैयार करना है जिसमें लोग लम्बे स्वस्थ तथा सृजनात्मक जीवन का आनन्द उठा सके। मानव विकास प्रतिवेदन के अनुसार, “मानव विकास लोगों की पसन्दगियों के विस्तृत करने की एक प्रक्रिया है” ये पसन्दगियाँ अनेक हो सकती हैं और इन पसन्दगियों में समय के साथ परिवर्तन हो सकता है। पर विकास के प्रत्येक स्तर पर तीन आवश्यक पसन्दगियाँ हैं और ये हैं लम्बी और स्वस्थ जिन्दगी जीने की इच्छा, ज्ञान प्राप्त करने की अभिलाषा और एक खूबसूरत जिन्दगी व्यतीत करने के लिए आवश्यक संसाधनों तक पहुँचने की इच्छा। यदि ये तीनों पसन्दगियाँ उपलब्ध नहीं हैं तो व्यक्ति को अनेक से वंचित होना पड़ेगा। इस प्रकार तीन आधारभूत पहलुओं शिक्षा, ज्ञान तथा उत्कृष्ट जीवन स्तर।

विश्व आर्थिक मंच ने भी आर्थिक विकास के मापक निर्देशांक

स्थितियाँ का मापन करती है। जिस देश का स्टार्ट-अप निर्देशांक उतना ही कम होगा, उस देश में उद्योग शुरू करने की स्थितियाँ उतनी ही अनुकूल होंगी। यह निर्देशांक प्रौद्योगिकी निर्देशांक और स्टार्ट अप निर्देशांक दोनों की सूचना एक साथ देता है। यह निर्देशांक हमें यह बताता है कि किसी देश में प्रौद्योगिकी के स्तर और नवोन्मेष की क्या स्थिति है और देशों में व्यवसाय शुरू की स्थितियाँ कहाँ तक अनुकूल हैं। यह निर्देशांक क्रम निर्धारण में जितना कम होगा, वह देश उतना ही अधिक विकसित होगा। इसके उद्देश्य अनेक घटकों को मापना होता है जो किसी अर्थव्यवस्था की आर्थिक विकास की गति करते हैं। इस निर्देशांक में उन परिवर्तनों को जो (1) उत्पादकता स्तर (2) संचय की उच्च दरों व नवोन्मेष तथा (3) उत्पादकता में सुधार आदि को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। जिस देश का यह निर्देशांक जितना कम होगा, वह देश उतना ही अधिक विकसित होगा।

प्रत्येक देश के आर्थिक विकास की पृष्ठभूमि में कुछ ऐसे निर्धारक तत्व विद्यमान होते हैं जिन पर उस देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है। इन तत्वों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है (अ) प्रधान चालक तत्व एवं अनुपूरक तत्व (ब) आर्थिक एवं गैर-आर्थिक तत्व। प्रधान चालक अथवा प्राथमिक तत्व वे तत्व होते हैं जो उस देश के आर्थिक विकास के कार्य को प्रारम्भ करते हैं। विकास की नींव वास्तव में इन्हीं तत्वों पर रखी जाती है। प्रधान चालक तत्वों के माध्यम से जब विकास की प्रक्रिया आरम्भ हो जाती है तो कुछ अन्य तत्व इनको तीव्रता प्रदान करते हैं। वास्तव में, इन्हें ही अनुपूरक अथवा गौण अथवा सहायक तत्व कहा जाता है। इस प्रकार प्राथमिक तत्व विकास की आधारशिला है जबकि अनुपूरक तत्व, आर्थिक विकास को गति प्रदान करते हैं और इसे बनाये रखने में सहायक सिद्ध होते हैं।

प्रधान चालक और अनुपूरक तत्वों के सापेक्षिक महत्व, वर्गीकरण व स्वरूपों के सम्बन्ध में अर्थशास्त्रियों में काफी मतभेद पाया जाता है। कुछ लोग प्रधान चालक तत्वों को महत्व प्रदान करते हैं तो कुछ लोग सहायक तत्वों को। प्राकृतिक साधनों से हमारा अभिप्राय उन सभी भौतिक अथवा नैसर्गिक साधनों से है जो प्रा तिक की ओर से एक देश को उपहार स्वरूप प्राप्त होते हैं। किसी देश में उपलब्ध होने वाली भूमि, खनिज पदार्थ, जल-सम्पदा, वन सम्पत्ति, वर्षा एवं जलवायु, भौगोलिक स्थिति और प्रा तिक बन्दरगाह उस देश के प्रा तिक साधन माने जायेंगे। यह प्रा तिक साधन देश के आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। आमतौर से यह बात स्वीकार की जा चुकी है कि अन्य बातों के समान रहने पर जिस देश के पास प्रा तिक साधन जिनते अधिक होंगे, उससे उसका आर्थिक विकास उतना ही शीघ्र एवं अधिक होगा। उपजाऊ भूमि और जल के अभाव में षि का विधिवत् विकास नहीं हो पाता। ल्मेन्दा, कोयला व अन्य खनिज सम्पदा के न होने पर तोय्र आधुनिकीकरण का स्वप्न अधूरा ही बना

भयंकर भूल होगी कि जिस देश में जितने अधिक प्रातिक साधन होंगे, उस देश का विकास उतना ही अधिक होगा। आर्थिक विकास के लिए प्रातिक साधनों की केवल बाहुल्यता ही पर्याप्त नहीं है बल्कि उनका उचित ढंग से विदोहन किया जाना अधिक आवश्यक है।

मानवीय साधनों से अभिप्राय किसी देश में निवास करने वाली जनसंख्या से है। श्रम, प्राचीन काल से ही उत्पादन का एक महत्वपूर्ण एवं सक्रिय साधन माना जाता रहा है। मानवीय श्रम ही वह शक्ति है जिस पर देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है। प्रायः यह कहा जाता है कि जनसंख्या-वृद्धि आर्थिक विकास की पूर्व आवश्यकता है लेकिन तीव्र गति से होने वाली जन-वृद्धि आर्थिक विकास के लिए घातक भी सिद्ध हो सकती है। अतः जनसंख्या का बढ़ना तभी तक श्रेष्ठकर माना जायेगा तब तक कि उसका प्रति-व्यक्ति उत्पादन पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़ने पाये। दूसरे शब्दों में, देश की जनसंख्या व उसका आकार, वृद्धि-दर, संरचना, विभिन्न व्यवसायों में वितरण व कार्य-क्षमता आदि का उस देश के आर्थिक विकास पर अत्यन्त गहरा प्रभाव पड़ता है। विहपिल महोदय का कहना है कि “किसी देश की वास्तविक सम्पत्ति उस देश की भूमि या पानी में नहीं, वनों या खानों में नहीं, पक्षियों या पशुओं के झुन्डों में नहीं और न ही डालरों के ढेर में आँकी जाती है बल्कि उस देश के स्वस्थ, सम्पन्न व सुखी पुरुषों, स्त्रियों एवं बच्चों में निहित है।” अतः आवश्यकता इस बात की है कि आर्थिक विकास के लिए मानवीय शक्ति का सही ढंग से उपयोग करने हेतु जनाधिक्य पर नियन्त्रण लगाया जाये, श्रम-शक्ति में उत्पादकता एवं गतिशीलता बढ़ाते हुए उसके दृष्टिकोण में परिवर्तन किया जाये ताकि उसमें गतिशीलता बढ़ाते हुए उसके दृष्टिकोण में परिवर्तन किया जाये ताकि उसमें श्रम-गौरव की भावना आ सके तथा मानवीय पूँजी निर्माण पर बल दिया जाये। मेयर्स के अनुसार मानवीय पूँजी निर्माण से हमारा आशय “देश के सभी लोगों का ज्ञान, कुशलता तथा क्षमतायें बढ़ाने की प्रक्रिया से है।” यदि किसी देश की जनसंख्या उसके आर्थिक विकास की आवश्यकताओं के अनुरूप है और उसके निवासी विवेकशील, चरित्रवान, स्वस्थ, परिश्रमी, शिक्षित व कार्यदक्ष है तो निसंदेह अन्य बातों के समान रहने पर, उस देश का आर्थिक विकास अधिक होगा।

“पूँजी व पूँजी का संचय आर्थिक विकास की एक अनिवार्य आवश्यकता है।” जब तक देश में पर्याप्त मात्रा में पूँजी व पूँजी निर्माण नहीं होगा तब तक आर्थिक विकास का लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता। जिस देश के पास यह साधन जितने अधिक होंगे, अन्य बातें समान रहने पर, उसका आर्थिक विकास उतना ही अधिक होगा। आज विकसित कहे जाने वाले राष्ट्रों की प्रगति का मुख्य कारण, इन देशों में पूँजी-निर्माण की ऊँची दर का पाया जाना है। जबकि अल्प-विकसित देशों में पूँजी-निर्माण की धीमी दर के कारण उनका आर्थिक विकास आज भी अवरुद्ध अवस्था में पड़ा हुआ है। सत्यता तो यह है कि पूँजी का संचय, वर्तमान समय में, अमीर-गरीब

प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रो० शुम्पीटर का कहना है कि विकास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक तकनीकी प्रगति एवं नव-प्रवर्तनों का अपनाया जाना है। तकनीकी ज्ञान उत्पादन की विधियों में मौलिक परिवर्तन लाकर आर्थिक विकास के कार्य को गति प्रदान करता है। विकसित देशों की विकास-वृद्धि की दर, बुनियादी रूप से उनके द्वारा की गई तकनीकी प्रगति व नव-प्रवर्तनों की खोज पर आधारित रहती है। इसके विपरीत अल्प-विकसित देशों में तकनीकी ज्ञान के अभाव में उत्पादन की पुरानी व अवैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है जिसके फलस्वरूप इनका आर्थिक विकास आज भी पिछड़ी हुई अवस्था में है।

“आर्थिक विकास अपने लिये महत्वपूर्ण पौष्टिकता वस्तुतः नये विचारों, तकनीकों, आविष्कारों व उत्पादन विधियों के स्रोतों से प्राप्त करता है, जिनके अभाव में, अन्य साधन कितने ही विकसित क्यों न हों, आर्थिक विकास को प्राप्त करना असम्भव ही बना रहता है।” ध्यान रहे, तकनीकी प्रगति, नवीन प्रवर्तनों के अपनाए जाने पर ही निर्भर करती है।

नये आविष्कार, तकनीकी ज्ञान व नई खोजों का आर्थिक विकास की दृष्टि से तब तक कोई महत्व नहीं जब तक कि उन्हें व्यावहारिक रूप प्रदान न कर दिया जाये और यह काम समाज के साहसी वर्ग को करना होता है। प्रो० गिल का कहना है कि “तकनीकी ज्ञान आर्थिक दृष्टि से तभी उपयोगी हो सकता है जब उसे नव-प्रवर्तन के रूप में प्रयोग किया जाए और जिसकी पहल समाज के साहसी वर्ग द्वारा की जाती है।” वास्तव में, किसी देश का आर्थिक विकास विशेष रूप से इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में किस प्रकार के साहसी हैं? वे नये आविष्कारों व विकसित तकनीकों का किस सीमा तक प्रयोग करते हैं? और उनमें उत्पादन के क्षेत्र में विकास व सुधार करने की कितनी प्रबल इच्छा है? आर्थिक विकास तकनीकी प्रगति व नव-प्रवर्तनों पर निर्भर करता है, नव-प्रवर्तनों के लिए उद्यमशीलता की आवश्यकता होती है, उद्यमशीलता के लिये जोखिम उठानी पड़ती है और जोखिम सफलता का दूसरा नाम है।

अल्प-विकसित देशों के आर्थिक विकास का एक अन्य निर्धारक तत्व विदेशी पूँजी है। विदेशी सहयोग अथवा विदेशी पूँजी के प्रयोग के अभाव में कोई भी अल्पविकसित देश आर्थिक विकास नहीं कर सकता। इसका कारण यह है कि अल्प विकसित देशों में प्रति-व्यक्ति आय के कम होने के कारण घरेलू बचत की दर काफी कम होती है। लोगों का जीवन-स्तर इतना नीचा होता है कि उनके द्वारा बचत करना सम्भव नहीं हो पाता। फलतः घरेलू बचत की इस कमी को विदेशी पूँजी के आयात द्वारा पूरा किया जा सकता है। विदेशी पूँजी के आयात का सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि यह अपने साथ तकनीकी ज्ञान व पूँजीगत उपकरणों को भी लाती है जिनका पिछड़े हुए देशों में सर्वथा अभाव होता है। इस प्रकार विदेशी पूँजी व विकसित तकनीक के उपलब्ध हो जाने पर अल्प-विकसित देशों में तकनीकी-स्तर को उँचा करके प्रतिव्यक्ति उत्पादकता को बढ़ाया जा

“आर्थिक विकास के लिये मनोवैज्ञानिक व सामाजिक आवश्यकताओं का होना उसी प्रकार जरूरी है जिस प्रकार आर्थिक आवश्यकताओं का।” इसका कारण यह है कि राष्ट्रीय विनियोग नीति पर राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक व आर्थिक प्रवृत्तियों का संयुक्त प्रभाव पड़ता है। किसी देश का आर्थिक विकास मूल रूप से इस बात पर निर्भर करता है कि लोगों में नूतन मूल्यों व संस्थाओं को अपनाने की कितनी प्रबल इच्छा है। वास्तव में गैर आर्थिक तत्त्वों के रूप में यह सामाजिक, मनोवैज्ञानिक व संस्थागत तत्व, आर्थिक विकास की उत्प्रेरक शक्तियाँ हैं।

संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, “एक उपयुक्त वातावरण की अनुपस्थिति में आर्थिक प्रगति असम्भव है। आर्थिक विकास के लिये आवश्यक है कि लोगों में प्रगति की प्रबल इच्छा हो, वे उसके लिये हर सम्भव त्याग करने को तत्पर हों, वे अपने आपको नये विचारों के अनुकूल ढाने के लिए जागरूक हो और उनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व वैधानिक संस्थायें इन इच्छाओं को कार्यरूप में परिणित करने में सहायक हो।” आवश्यक है कि लोगों की रूढ़िवादी धारणाओं को परिवर्तित किया जाए, उनमें भौतिक दृष्टिकोण पैदा किया जाए और शिक्षा का विस्तार किया जाए ताकि ये लोग अपने आपको नये विचारों के अनुकूल ढाल सकें।

किसी देश का आर्थिक विकास बहुत कुछ सीमा तक उस देश के स्थिर व कुशल प्रशासन पर भी निर्भर करता है। यदि देश में शान्ति और सुरक्षा पायी जाती है तथा न्याय की उचित व्यवस्था है तो लोगों में काम करने तथा बचत करने की इच्छा पैदा होगी और फलस्वरूप आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। इसके विपरीत यदि देश में राजनैतिक अस्थिरता है अर्थात् सरकारें बार-बार बदलती रहती हैं तथा आन्तरिक क्षेत्र में अशान्ति का वातावरण व्याप्त है तो इससे विनियोग सम्बन्धी निर्णयों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। पूँजी का विनियोग देश में कम होगा, जोखिम उठाने के लिये लोग तैयार नहीं होंगे तथा विदेशी पूँजी देश में आने के लिए तैयार नहीं हो पायेगी, और फलस्वरूप देश का आर्थिक विकास पिछड़ जायेगा। इतना ही नहीं, सरकार की स्वयं विकास के प्रति रुचि का होना भी जरूरी है, अन्यथा उसके अभाव में आर्थिक विकास का श्रीगणेश भी नहीं हो सकेगा। सरकार की कुशल प्रशासन व्यवस्था और उसके कर्मचारियों में निपुणता, ईमानदारी एवं उत्तरदायित्व की भावना आर्थिक विकास की पहली शर्त है। प्रशासनिक व्यवस्था के सुचारू व सुदृढ़ होने पर जन-सहयोग बढ़ता है, विकास कार्यक्रम सफल होते हैं और नीतियों का निर्धारण व उनका निष्पादन सरलता के साथ सम्भव हो जाता है।

आर्थिक विकास के लिये अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का अनुकूल होना भी आवश्यक है। विश्व मंच पर राजनैतिक शान्ति के बने रहने पर ही विकास व नव-निर्माण कार्य सम्भव हो सकते हैं। अशान्ति और युद्धों की धधकती ज्वाला में विकासात्मक नहीं वरन् विध्वंसात्मक प्रवृत्तियाँ जन्म लेती हैं।

विकसित राष्ट्रों द्वारा जब तक नहीं की जायगी, तब तक इन देशों का आर्थिक विकास अवरुद्ध बना रहेगा।

विकसित देश अनुदान, ऋण, प्रत्यक्ष विनियोग और तकनीकी सहायता आदि के रूप में इन देशों को आर्थिक सहयोग दे सकते हैं। संक्षेप में, राजनीतिक स्थिरता, विकसित देशों की नीति, पड़ोसी देशों का रुख, विदेशी व्यापार की सम्भावनायें और विदेशी पूँजी का अन्तर्प्रवाह आदि तत्व आर्थिक विकास को प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप में प्रभावित करते हैं।

उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि किसी देश का आर्थिक विकास अनेक तत्वों पर निर्भर करता है। वस्तुतः यह कहना कि कौन-सा तत्व अधिक महत्वपूर्ण है, अत्यन्त कठिन होगा। आर्थिक विकास की प्रक्रिया में इन सभी निर्धारक तत्वों का अपना एक विशेष स्थान है इसलिये उनके सापेक्षिक योगदान एवं महत्व के बारे में कुछ भी कहना न तो सम्भव ही है और न ही तर्कपूर्ण।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. आहूजा, एच एल : उच्चतर समष्टि अर्थशास्त्र
2. अग्रवाल, ए०एन० : भारतीय अर्थशास्त्र
3. अग्रवाल, ए०एन० और : इण्डियन इकोनोमी स्टेटिस्टिकल ईयर बुक, 1998 वर्मा, हरिओम
4. एण्डले, के०के० : लोक अर्थशास्त्र एवं लोक वित्त सुन्दरम्, केपीएम अग्रवाल, आरसी
5. सुन्दरम्, के०पी०एम० : भारतीय अर्थशास्त्र
6. सिंह, अरूणेश : भारतीय अर्थशास्त्र (सामान्य अध्ययन
7. डाल्टन एच : प्रिन्सिपल्स ऑफ पब्लिक फाइनेन्स (अंग्रेजी)
8. Arthur Lewis : Theory of Economic Growth (Homewood III, Richard D. Irwin in C 1955)
9. Musgrave, R.A. : Public Finance in Theory and Practics
10. Astha Ahuja : Agricultura and Rural Development in India, Postliberalisation Initiatives, New Century Publicaitons, 4800/24, Bharat Ram Road, Ansari Road, Daryaganj, New Delhi-11002 (India).

डॉ० सुधीर कुमार

एस०बी० इण्टर कॉलेज, बरेली।

सदियों से ही भारतीय समाज में नारी की अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका रही है और इसी के बलबूते पर हमारा भारतीय समाज खड़ा है नारी ने भिन्न-भिन्न रूपों में अत्याधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है चाहे वह सीता हो, झाँसी की रानी, इन्दिरा गाँधी जैसी विदुशी महिला हो। परन्तु फिर भी वह प्रतिदिन अत्याचारों एवं शोषण का शिकार होती रही हैं। मानवीय क्रूरता एवं हिंसा से ग्रसित है। नारी शिक्षित है प्रत्येक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रही है।

अपनी भूमिकाओं का निर्वहन करने के क्षेत्र में परिचारिकाओं की भी विशेष भूमिका रही है। चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में कार्य करने वाली महिलाओं में स्वभाविक रूप से सेवा भाव निहित होता है। वैसे भी स्वास्थ्य सेवान्तर्गत या चिकित्सा सेवा में कार्यरत महिलाओं को विशेष रूप से सक्रिय होना पड़ता है। उनके कार्य का स्वरूप इस प्रकार होता है कि उन्हें दोहरी भूमिका का निर्वाह करना पड़ता है।

इस प्रकार चिकित्सा के क्षेत्र में परिचारिका का इतिहास उतना ही पुराना है, जितना कि स्वयं चिकित्सा व्यवसाय, प्रारम्भ में चिकित्सक के सहायक के रूप में केवल पुरुषों को ही स्थान प्राप्त था महिलाओं को नहीं। कालान्तर में इस धारणा में परिवर्तन हुआ और महिलाएँ भी चिकित्सकों की सहायिका अथवा परिचारिका के रूप में अपनी सेवाएँ प्रदान करने लगी। यदि चिकित्सा व्यवसाय के पृष्ठों पर नजर डालें तो यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि परिचारिका व्यवसाय सदैव से विद्यमान रहा है तथा चिकित्सीय आवश्यकताओं एवं अपेक्षाओं के अनुरूप परिवर्तित होता रहा है। अपनी प्रतिबद्धता तथा संघर्ष के आधार पर परिचारिकाओं ने चिकित्सा जगत में अभूतपूर्व प्रगति की है। लोरेन्स नाइटिंगेल ने अपने कार्य के प्रति लग्न, त्याग और प्रतिबद्धता के द्वारा इस व्यवसाय को न केवल एक नया आयाम दिया वरन् इसे अमर भी बना दिया। एक विकासशील व्यवसाय के रूप में इसका विकास चार स्तरों में हुआ है—निष्ठा, लग्न, परिवर्तन, चुनौतियों। प्रागैतिहासिक काल अथवा सभ्यता के आदिम स्तर पर यह विश्वास किया जाता था कि रोग का कारण दैविक शक्तियाँ हैं। अतः परिचारक/परिचारिकायें आध्यात्मिक आधार पर ही रोगों का निदान ढूँढते थे। जन जाग्रति काल तथा मध्य युग में नर्सिंग कार्य चर्च तथा शासकों के आधीन हो गया जहाँ परिचारिकायें समाज में फँसने वाले रोगों का निदान चर्चों के निर्देश के अनुसार करने लगी। लोरेन्स नाइटिंगेल ने नर्सिंग के इस व्यवसाय को एक नया स्वरूप प्रदान किया तथा इसे एक बहुआयामी स्वरूप भी दिया जैसे परिचारिका

नर्सिंग के व्यवसाय का एक नया युग प्रारम्भ हुआ। वर्तमान समय में नर्सिंग व्यवसाय समाज का एक ऐसा सबसे बड़ा संगठन है जो महिला प्रधान है।

भारत में चिकित्सकीय समाज कार्य का इतिहास :-

भारत में चिकित्सकीय समाज कार्य का इतिहास वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। कुछ वर्षों पूर्व से ही है। यद्यपि परम्परागत सेवा भाव रोगी की सेवा भाव तथा उन्हें मानसिक बल प्रदान करने की क्रिया अति प्राचीन है। किन्तु व्यवसायिक समाज कार्य पर आधारित तथा कौशल के आधार पर रोगियों की चिकित्सा एवं दुःखों को दूर करने में सहायता पहुँचाने का प्रयास 1946 से दिखाई पड़ता है। उल्लेखनीय है कि डॉ० जी०एस० घुरये की अध्यक्षता में सर्वेक्षण एवं विकास समुदाय उसकी संतुति 1944-1945 में समाज कार्यकर्ता की नियुक्ति के संदर्भ में देखने मिलती है। इस समुदाय में देश में स्वास्थ्य सेवा का आकलन करते हुए तथा विकास की संभावना को देखते हुए विकासात्मक संतुतिया प्रदान की गई है। चिकित्सा दल में समाज की स्वीकृति भी जरूरी है।

भारत में चिकित्सकीय समाज का इतिहास अल्पकालिक है तथा साथ में इसका क्षेत्र अत्यन्त सीमित है।

एक दूसरी स्थिति भी यह है कि सभी नियुक्त कार्यकर्ता में से अधिकांश अप्रशिक्षित हैं प्रारम्भ में समाज कार्य सुलभ न रहे और दूसरी यह भी संभावना रही हो कि उन्हें चिकित्सकीय संस्थाओं के रूप में ना स्वीकार करें। सामान्य रूप से लेते रहे। इस प्रकार से समाज कार्यकर्ता से उनकी उपेक्षा अति निम्न होती है। अतः यह आवश्यक है कि उनकी योग्यता का स्पष्ट आभास चिकित्सा को होना चाहिए यह तब हो सकता है, जब चिकित्सा में समाज कार्यकर्ता प्रशिक्षित हो।

परिचारिकाओं को सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मान्यता :- भारत में कुछ चिकित्सालयों में समाज उन्मूलन चिकित्सा विभाग में समाज कार्यकर्ता की नियुक्ति शैक्षणिक अध्यापन में की जाने लगी है। समाज कार्य विभाग का यह शुभ लक्षण है ऐसा परिवर्तन परिचारिकाओं द्वारा रोगियों के लिए पथप्रदर्शन का कार्य करती है।

प्रो० राजाराम शास्त्री के अनुसार :-

“चिकित्सकीय समाज कार्य का मुख्य ध्येय यह होता है। कि चिकित्सकीय सहूलियत का उपयोग रोगियों के लिए अधिकाधिक फलप्रद एवं सरल बनाये तथा चिकित्सा में बाधक मनोसामाजिक दशाओं का निराकरण है।”

मैसाचुसेट अस्पताल (अमेरिका) में हुई। इसमें डॉ० रिचर्ड सी केवट ही पहले व्यक्ति थे। जिन्होंने यह स्वीकार किया कि रोगों का सामाजिक ज्ञान अत्यन्त आवश्यक है। क्योंकि उसकी समाजिक स्थिति का प्रभाव रोगी पर पड़ता है। दूसरा उसके कार्य में यह भी सुविधा होती है उसमें उपचार में खाद्य पदार्थों की संतुष्टि में इन्हीं वस्तुओं को प्रस्तुत किया जाता है कि जिसमें वहम करने की क्षमता रोगी के आर्थिक स्थिति में आती है इसके बाद चिकित्सकीय समाज कार्य की शुरुआत क्रमांगत बढ़ गयी।

“चिकित्सकीय समाज कार्य, समाज कार्य तकनीकों का ऐसा व्यवसायिक उपचारत्मक अभ्यास है जिसके द्वारा रोगियों को उपलब्ध निवारक निदानात्मक एवं उपचारात्मक सुविधाओं के अधिकतम उपयोग द्वारा उपयुक्त रूप से समायोजित समाजिक प्राणी बनाने के लिए उसे मनोसामाजिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य को पुनः प्राप्त करने हेतु सहायता प्रदान की जाती है।”

परिवारिकाओं का दोहरी भूमिका के रूप में निर्वाह क्षेत्र :-

यथा एक सेवा स्थल/कार्योपस्थल दूसरी घर परिवार की। दोहरी भूमिका निभाने में अधिक परिश्रम करना स्वाभाविक ही है। उनके कार्योपस्थल के प्रकार्य तथा भूमिकाएँ भी ऐसी होती हैं कि उन्हें व्यस्त रहते हुए कार्यों में अधिक समय देना पड़ता है। अतः उन्हें गृहकार्यों तथा बच्चों की तरफ ध्यान देने का समय ही नहीं मिल पाता है। यही कारण है कि उनकी सामाजिक तथा व्यवसायिक समस्याएँ अधिक होती हैं। स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सेवाओं में कार्यरत महिलाओं का केवल एक ही उत्तदायित्व नहीं होता वरन् उन्हें एक साथ अपने परिवार एवं व्यवसायिक जीवन में समन्वय स्थापित करना होता है। इस सम्बन्ध में महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इनका व्यवसाय अन्य व्यवसायों की तुलना में इनके कार्य अत्यधिक जटिल तथा जिम्मेदारी के होते हैं। क्योंकि इनके व्यवसाय के साथ-साथ मानवीय जीवन का संबन्ध जुड़ा होता है।

तात्पर्य यह है कि परिवारिकाओं को समाजिक व पारिवारिक दोनों ही क्षेत्रों में आदर व सम्मान की दृष्टि से देखा जाये और समाज में इस पेशे को बुरी नजर से ना देखते हुए परिवारिकाओं को समाज में प्रतिष्ठा प्रदान की जाये।

परिवारिका व्यवसाय को अर्द्धव्यवसाय से हटाकर पूर्ण व्यवसाय घोषित करें :-

व्यक्ति और समाज की सोच बदलते ही निश्चित रूप से परिवारिकाओं को सामाजिक व पारिवारिक क्षेत्र में एक सम्मानीय स्थान मिल सकेगा। परिवारिकाएँ हर जाति, धर्म तथा वर्ग के मरीजों की चिकित्सा व स्वास्थ्य सेवाएँ तथा परिचर्या किस सेवा भाव तथा मातृत्व भावना के साथ जुड़कर परिचर्या कार्य प्रदान

मेरूदण्ड कह दिया जाये :-

तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। फिर भी समाज की सोच, परिचारिकाओं को प्रतिष्ठा देने के सन्दर्भ में सकारात्मक न होकर नकारात्मक है, घृणा/ हेय दृष्टि की भावना से देखता है जो एक गलत तथा नकारात्मक प्रभाव डालने वाला सोच है।

चिकित्सा समाज-कार्य :-

समाज-कार्य एक उपविषय है। इसे चिकित्सालय समाज-कार्य भी कहते हैं। चिकित्सा समाजकार्यकर्ता प्रायः किसी अस्पताल या नर्सिंग सुविधा में कार्य करते हैं, वे चिकित्सा समाज-कार्य में स्नातक होते हैं, तथा उन रोगियों और उनके परिवार के लोगों को मनोसामाजिक सहायता करते हैं जिन्हें इसकी आवश्यकता होती है।

भारतीय समाज में प्राचीन काल से ही पीड़ितों व रोगियों की सहायता व सेवा का प्रचलन रहा है और हर व्यक्ति एक-दूसरे की सेवा करना अपना उत्तरदायित्व समझता रहा है। परम्परागत समाज से भी मानवता के आधार पर आश्रम विद्यालय, चिकित्सालय आदि के माध्यम से जनसाधारण की सेवा करते हैं।

स्वास्थ्य के विकास, रोग निवारण व उपचार के क्षेत्र में समाज-कार्य की प्रणालियों व तकनीकों के उपयोग को ही चिकित्सकीय समाज-कार्य की संज्ञा दी जाती है। मानव समाज में निरन्तर हो रहे परिवर्तन, औद्योगीकरण, नगरीकरण के फलस्वरूप संयुक्त परिवार के स्वरूप में परिवर्तन तथा दिन-प्रतिदिन की सामाजिक-आर्थिक जटिलताओं के कारण व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत व पारिवारिक व्यवस्तता के कारण रोगियों व रोग के फलस्वरूप उत्पन्न मनो सामाजिक समस्याओं के निवारण व निराकरण में चिकित्सकीय समाज-कार्य की उपयोगिता एवं मान्यता में वृद्धि हुई है।

निष्कर्ष एवं सुझाव :-

वास्तव में परिवारिकायें अपनी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कार्य के प्रति अति संवेदनशील और प्रतिबद्ध होती हैं। जो समय की चिन्ता किये बिना ही रोगियों की स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवा करती रहती हैं। किन्तु फिर भी इन्हें अपनी सेवा का उचित लाभ और मेहनताना नहीं मिल पाता है। रोगी तथा उनके शुभचिन्तक, परिवारजन चिकित्सक को अधिक महत्व देते हैं। यद्यपि चिकित्सक केवल कुछ समय के लिए ही रोगियों के सम्पर्क में आते हैं इसके विपरीत परिवारिकाओं का अधिकतर समय रोगी के निकट सम्पर्क में व्यतीत होता है। किन्तु उसे चिकित्सक की तुलना में महत्व और सम्मान नहीं मिल पाता। साधारणतया परिवारिका का कार्य समुदाय की चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाओं की पूर्ति करना है।

जीवन की रक्षा करना, रोगी के कष्टों का सुनना, उसकी देखभाल करना, चिकित्सक से परामर्श करना तथा रोगी के स्वास्थ्य में सुधार लाना परिचारिकाओं के मुख्य कार्य है।

“सन्दर्भ सूची”

- क) लवानिया एस० एम० :- भारतीय सामाजिक समस्याएँ कृष्णा बुक स्टोर प्रकाशन शिकोहाबाद (उ०प्र०) 1967 प्र० 203
- ख) मदान टी० एन० :- डाक्टर्स एण्ड सोसाइटी, विकास पब्लिकेशन्स दिल्ली, 1980, प्र० 102
- ग) बर्गस, ई० :- रिसर्च मैथउस इन सोसियोलॉजी, दि फिलास फिकल लाइब्रेरी न्यूयॉर्क, 1778
- घ) चन्दानी ए० :- द मेडिकल प्रोफेशन, ए सोशिलोकिन्ल एम्सप्लोरेषन, जैन ब्रदर्स प्रकाशन जोधपुर (1985)
- ङ) जय लक्ष्मी डी० :- नर्सिंग रोल पर फोरमेन्स, ए रिसर्च स्टडी द नर्सिंग जनरल ऑफ इण्डिया नई दिल्ली, 1930
- च) मदन टी० एच० :- डॉक्टर एण्ड सोसाइटी ए विकास पब्लिकेशन, दिल्ली 1980

डॉ० आरती जैन

मो० न० ०२ जैन मन्दिर के पास
बिल्सी बदायूँ

(अवध-क्षेत्र के जिला लखीमपुर-खीरी के मन्चौरा ग्राम में जन्में सुप्रसिद्ध राष्ट्रकवि एवं जनकवि पं० वंशीधर शुक्ल जी के इकलौते पुत्र डॉ० सत्यधर, शुक्ल जी एक बहुमुखी प्रतिभा वाले श्रेष्ठ साहित्यकार हैं। उनके निकटवर्ती होने के कारण मैंने उनके विलक्षण-व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में संक्षिप्त जानकारी देने का प्रयत्न किया है। मैं अल्पमति, मुझमें ऐसी क्षमता कहाँ कि मैं डॉ० सत्यधर शुक्ल जी जैसे महान कवि, कुशल अर्थानवेषी, स्पष्ट वक्ता एवं प्रवक्ता : जो कि सीपी में छिपे हुये मोती की तरह हैं, उनके बारे में कुछ लिख सकूँ! फिर भी राम के सेतुबंध में गिलहरी का रोल निभाने का प्रयास किया है। आशा है कि मेरे इस लेख से नवीन शोधार्थियों को नई उद्भावना प्राप्त होगी।)

“हम हरी डार के पत्ता हन, पतझारन ते घबराई का।

ई चला चली की दुनियाँ मां, झंझा ते मुह लुकुवाई का।।

उपर्युक्त पंक्तियाँ जिनके जीवन-दर्शन का मूल-मंत्र रही हैं। ऐसे महान अवधी सम्राट पं० वंशीधर शुक्ल इकलौते पुत्र श्री सत्यधर शुक्ल जी का जन्म सन 8 अक्टूबर 1935 में हुआ। शुक्ल जी अपने पिता की भाँति विलक्षण प्रतिभा को धनी हैं। वे बचपन से ही कविता लिखने लगे। जब वे कक्षा आठ में थे तब ‘स्वदेश’ नामक समाचार-पत्र में उनकी एक अवधी कविता छपी थी जिससे उन्हें बहुत मनोबल मिला। उसी समय उन्होंने ‘बसंत का बियाहु’ नामक अवधी निबन्ध काव्य लिख डाला। जब वे कक्षा दस के विद्यार्थी थे, तब उन्होंने वीर रस की पहली रचना लिखी। उसके पश्चात गुरुवर श्री रामेश्वर दयाल शुक्ल जी के आग्रह पर ‘चम्पा’ खण्ड काव्य का आरम्भ किया और बी०ए० तक आते-आते पूरा किया। इस समय वे अच्छे और समर्थ कवि के रूप में पहचानते जाने लगे थे। आज वे साहित्याकाश के देदीव्यमान तारे सूर्य की भाँति प्रकाशित हैं। उनकी साहित्य साधना अनूठी और अप्रतिम है। उनके साहित्य की

सरिता तो बिना किसी लिप्सा और कामना के सदैव अविरल बहा करती है। उनके चेहरे पर कभी श्रान्ति के भाव नहीं दिखते न तो तन से और न ही मन से। वे सदैव सुबह चार बजे बिस्तर छोड़ देते और अपने नित्यकर्म में जुट जाते। उनमें अपार ओज और ऊर्जा है जो उन्हें साहित्य साधना में जुटै रहने का साहस भरती है।

साहित्य-साधना के साथ-साथ शुक्ल जी अपने परिवार के प्रति भी बड़े उदारमना हैं। उन्हें कुछ भी खाने पीने के लिये दिया जाए तो जब तक वे इस बात की पुष्टि नहीं कर लेते कि अमुक चीज घर में सभी को मिल गई है तब तक नहीं खाते। वे प्रत्येक


रहते। वे स्पष्टवादी हैं और उन्हें जिसे जो कहना होता वह उसके मुँह पर ही कह देते। चाहे कोई नाराज हो अथवा खुश, इस बात से उन्हें कोई सरोकार नहीं। दानशीलता तो मानो रग-रग में बह रही हो। कोई व्यक्ति कुछ मांगने आ जाये तो वह खाली हाथ तो जा ही नहीं सकता। इसके लिये चाहे उन्हें परिवार से विरोध भी क्यों न करना पड़े।

शुक्ल जी, एक अच्छे साहित्य-साधक होने के साथ-साथ हिन्दी प्रवक्ता भी थे। कवि होने के नाते उनकी नियुक्ति सीधे प्रवक्ता पद पर हुई और आर०एम०पी० महाविद्यालय, सीतापुर में भी इनकी अंशकालिक नियुक्ति प्रधानाचार्य ने कविता पर रीझकर ही की थी। उसके बाद उन्होंने राजकीय इण्टर कालेज में पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा नियुक्ति पाई। इस दौरान पर्वतों पर वे साढ़े पांच वर्षों में तीन स्थानों पर रहे। लोहा घाट, गंगोलीघाट (कुमाऊँ) तथा जोशीमठ (गढ़वाल) उनके तीनों ही कार्यस्थल हैं। इन जगहों पर रहकर उन्हें पर्वतीय क्षेत्रों में भी बहुत सम्मान मिला। फरवरी 1973 ई० में वे राजकीय इण्टर कालेज लखीमपुर खीरी में स्थानान्तरित होकर आ गये। तब से फिर यही से 1994 ई० जून में अवकाश प्राप्त किया। इस कार्यकाल के दौरान भी उन्होंने विपुल साहित्य लिख डाला। उन्होंने अपने पिता जी की रचनाओं का महान संकलन सम्पादित किया। साथ ही अपनी कविताओं के संकलन, गीतों,

निबन्धों, नाटकों और गीत काव्यों का भी प्रकाशन कराया। उनका खड़ी बोली और अवधी दोनों भाषाओं पर जबरदस्त अधिकार है। शुक्ल जी की इस काव्य-परम्परा को सहयोग एवं गीत प्रदान करने में उनके सभी पुत्र भी सिद्धहस्त हैं। मन्चौरा ग्राम में जन्में शुक्ल जी का वंश-वृक्ष इस प्रकार है—

डॉ० सत्यधर शुक्ल जी का वंश-वृक्ष

पं० समाधान शुक्ल (मन्चौरा)



काव्य—सृजन की यह स्त्रोतस्विनी पं० छेदीलाल के आल्हा—गायन से शुरू होकर उनके पुत्र पं० बंशीधर शुक्ल, पौत्र सत्यधर शुक्ल और उनके प्रपौत्रों के काव्य—साधना के स्त्रोतों के रूप में फूटकर अपने निर्मल—जल से संसारी—जनों के मन—प्राणों को अभिसिंचित करती आ रही है।

पं० सत्यधर शुक्ल जी :

एक विलक्षण व्यक्तित्व शुक्ल विलक्षण व्यक्तित्व के धनी है। पं० सत्यधर जी की निजता के खास गुणों का वर्णन करूँ तो शब्द कम पड़ जाते हैं। उनके भीतर एक अरिवल संजीदगी, तल्लीनता और गम्भीरता के दर्शन होते हैं। सम्बन्ध चाहे निजी हो अथवा सामाजिक, शुक्ल जी का व्यवहार सबसे प्रति विनम्र और स्पष्ट रहता है। कोई भी व्यक्ति उनसे बिना किसी संकोच के मिल सकता है। उनकी बैठकता और संवेदना के बीच, कथनी और करनी के बीच वैसी रेखा नहीं दिखती, जैसा कि आज के समय में देखने को मिलती है। उनकी वाणी और कर्म में समानता है। कोई मुखौटा नहीं है उनके पास। बस, जो जैसा है, वैसा ही सबके सामने है। अपनी ही तरह से फक्कड़ और अलमस्त।

अवधी के सशक्त हस्ताक्षर पं० सत्यधर शुक्ल जी को पहचानने के लिये वितान को उस ताने बाने को पहचानना जरूरी है, जिसे वह पूरी तन्मयता के साथ पुराने करघे में चढ़ाकर चुपचाप बुनते रहते हैं। विरसत का करचा, जो पं० वंशीधर शुक्ल ने उन्हें सौंपा था, इसके तन्तुओं से उन्होंने न केवल परिवार को, बल्कि पूरे समाज को जोड़ते का प्रयास किया है। यह प्रयास अपने युवा पुत्र की दुर्घटना में असमय मृत्यु के बाद भी नहीं रुका। पुत्र की स्मृति में उनकी आंखें भर—भर आंती।

अन्तर्मन की व्यथा सैलाब न बन जाये, इसलिये मुख दूसरी और क्षण भर के लिये फेर कर दुःख गरल पी जाते। विषाद और वेदना की कसौटी (निष्कर्ष) पर कसे जाते हुये कुन्दन सी आभा लिए हुए अडिग साधारण कद काठी के असाधारण व्यक्तित्व के स्वामी हैं शुक्ल जी।

डॉ० सत्यधर शुक्ल जी का साहित्य—सृजन—

साहित्यकार की प्रवृत्तियों को झलक उनकी कृतियों में दिखाई देता है। शुक्ल जी हिन्दी साहित्य में अपना महत्वपूर्ण स्थान बना चुके हैं। उनका प्रकाशित एवं अप्रकाशित साहित्य निम्नलिखित है—

कथात्मक घटना के रूप में किया गया है।

2. **चम्पा**— इण्टरमीडिएट की कक्षा में 'सिंहराज' खण्ड काव्य पढ़ाते हुये शुक्ल जी ने अपने गुरु श्री रामेश्वर दयाल शुक्ल के कहने पर उसी सिंहराज की ही शैली में महाराणा प्रताप की पुत्री चम्पा के जीवन का वर्णन खड़ी बोली में किया है। 'चम्पा' में भी सिंहराज के समान ही सात सर्ग हैं। यह उ०प्र० हिन्दी संस्थान द्वारा पुरस्कृत है।

3. **आर्यावर्त**— चीनी आक्रमण के समय सन 1962—63 की चीन विरोधी ग्यारह रचनायें हैं। 'आर्यावर्त' में पाँच पक्षियों के वार्तालाप द्वारा प्राचीन आर्यावर्त का, वृहत्तर भारत का स्वरूप चित्रित किया गया है। यह एक खण्डकाव्य स्वयम् बन जाता है। जो बहुत विलक्षण है।

4. **अराधान**— इसमें अवधी रचनायें संकलित हैं। गीत, लोकगीत, छेद लम्बी कवितायें सभी प्रकार की बानगी इस संग्रह में उपलब्ध हैं। इसकी 'हमारि कहानी' शुक्ल जी ने अवधी भाषा में ही लिखी है।

5. **ध्रुव** — भक्तराज ध्रुव के जीवन पर आधारित यह अवधी भाषा में लिखा गया एक बहुप्रशंसनीय ऐतिहासिक महाकाव्य है। प्रबंधों की भाषा रहते हुये अभी तक अवधी के सभी प्रबंध दोहा—चौपाई शैली में ही लिखे गये हैं। शुक्ल जी ने इसे आधुनिक विविध प्रचलित छंदों में लिखा है। कुछ संस्कृत वर्ण वृत्त भी हैं। इसमें 'ऊँ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र के आधार पर बारह (12) सर्ग हैं। उ०प्र० हिन्दी संस्थान ने इस पुस्तक पर 'जायसी—पुरस्कार' प्रदान किया है।

6. **बाँसुरी और बिगुल**— यह कलात्मक और कल्पनापरक पन्द्रह लम्बी कविताओं का संग्रह है। 'भाव शक्तियाँ' 'एक स्वप्न', 'हिमगिरि की चोटी से' आदि ऐसी रचनायें हैं जो स्वयं में एक निबन्ध काव्य का ढाँचा ओढ़े हैं।

7. **प्यारे लाल**— यह एक व्यापक गीति काव्य है। एक ही टेक में 81+85 = 176 बन्धों में लिखा शोक—गीत है, जो प्रथम और चतुर्थ पुत्रों के निधन पर लिखा गया है। हिन्दी में सम्भवतः इतने बंधों का लम्बा गीत, एक ही टेक में, लिखा नहीं गया है। बच्चन की मधुशाला के अतिरिक्त इतना लम्बा गीत दूसरा है ही नहीं।

8. **अमर शहीद राजनारायण**— श्री राजनारायण के जीवन पर आधारित यह एक ललित निबन्ध काव्य है। राजनारायण की फाँसी 1944 में हुई, जो विलक्षणताओं से भरी है। वह भारतीय स्वतन्त्रता—संग्राम की अंतिम फाँसी है।

9. **हमारे राग**— रामजन्मभूमि प्रकरण भी एक ऐतिहासिक घटना है। इस संग्रह में उसी घटना तथा उसी नाप धारा से जुड़ी हुई खड़ी

तीसरा नाटक अमर षहीद राजनारायण के जीवन से सम्बन्धित है।

11. दो यात्रायें— जोशी मठ में रहते हुये दो पर्वतीय यात्राओं का वर्णन है 'औली और हेम कुण्ड' फूलों की घाटी दोनों ही कविता विधा में वर्णित है। यही विशेषता है। दोनों के छंद घनाक्षरी से तोड़कर बने हैं।

12. उत्साह के देवता— यह एक ललित निबंधो का संग्रह है। अंतिम निबंध जो तीन कवियों के काव्य की समीक्षायें हैं—

13. गीत चहचहाने लगा— यह मानवतापरक गीतों का खड़ी बोली संग्रह है। प्रकृति, आध्यात्मिकता, मानव जीवन और राष्ट्रीयता युक्त इसमें सभी प्रकार के गीत मिलते हैं।

14. कवि-दरबार— यह गीति नाट्य है। स्वर्ग में होने वाले सात कवि दरबार रूप में गीति नाट्य और दो परिशिष्ट कवि दरबार हैं। ये सभी अभिनेय हैं।

15. तिरबेनी— यह अवधी की विशिष्ट कृति है। दो अवधी खण्डकाव्य (वेदवती और चण्डी, सीता) हैं और तीसरा पौराणिक कहानियों का संग्रह है। तीनों को पृथक पृथक छपना चाहिये, पर एक ही में छपा है। पहला काव्य बरवै छंद में तथा दूसरा अवधी के लावनी छंद में लिखा गया है। भगवान कृष्ण की आठ पटरानियों का पूर्व जन्म वर्णित है।

16. वसुन्धरा— इसमें स्व० युवा कहानीकार पुत्र श्री सुनीत शुक्ल का एक रेखाचित्र तथा एक कहानी प्रकाशित की गई है। शुक्ल जी अवधी में लिखी 39 शोक स्मृति के रूप में।

17. दायर में हनुमान— त्रेता की स्नुमान कथा, जो भगवान राम से जुड़ी है, उससे तो संसार परिचित है, परन्तु द्वापर में भी हनुमान जी के जीवन की विचित्र घटनाओं से समाज अभी तक अपरिचित है। शुक्ल जी उन्ही तीन घटनाओं पर तीन खण्डकाव्य लिखे हैं, वे एक साथ छपाये गये हैं। यद्यपि ये तीनों भी पृथक-पृथक छपने चाहिये थे।

18. अग्नि परिच्छा— यह एक अवधी का लघु प्रबन्ध काव्य है। जिसमें सीता जी अग्नि परीक्षा का वर्णन है।

19. फुलवासा की पंचाङ्गति— यह अवधी भाषा में रचित कथाओं का संग्रह है।

20. परशुराम— यह एक अवधी भाषा में लिखित प्रबन्ध काव्य है। इसमें परशुराम जी के गुणों का वर्णन है।

21. दक्षिण द्वार— (यात्रा वृत्तांत)— यह शुक्ल जी का हिन्दी खड़ी बोली में रचित यात्रा-वृत्तांत है। इसमें उन्होंने दक्षिण भारत के प्रमुख पर्यटन एवं तीर्थस्थलों (गोवा, मदुरई, कोचीन, कन्याकुमारी, रामेश्वरम, चेन्नई, तिरुपति बालाजी, मैसूर, ऊटी, बंगलौर आदि)

8 सर्ग पद्य विधा में और 7 सर्ग गद्य विधा में हैं। यह लगभग छः सौ पृष्ठों का एक बड़ा महाकाव्य है।

अप्रकाशित ग्रन्थ—

1. आधुनिक अवधी साहित्य में हास्य और व्यंग्य— यह एक समीक्षा ग्रंथ है। जो एम०ए० में विशय के रूप में लिख गया था।

2. शान्ति की पुकार— वीर रस से ओत श्रोत रचना है।

3. महाकवि का संदेश— इसमें अन्य रचनाओं का संग्रह है।

4. खड़ी बोली के निबंध, एकांकी और कहानियों के भी संग्रह अप्रकाशित है। कुछ अवधी की रचनाएँ अभी भी अप्रकाशित हैं।

उपलब्धि— शुक्ल जी का व्यक्तित्व बड़ा ही प्रभावशाली है। ऐसे विद्वान, विनम्र, उदार, साहसों और भावुक सखिसयत की प्रसंशा में शब्दों का भण्डार कम पड़ता प्रतीत होता है।

शुक्ल जी को 'चम्पा' खण्डकाव्य पर 'अनुशंसा पुरस्कार 1995 ई० उ०प्र० हिन्दी संस्थान, लखनऊ द्वारा प्राप्त हुआ। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, इलाहाबाद द्वारा 'काव्य रत्न' उपाधि से 1997 ई० में सम्मानित किया गया है।

विक्रमशिला हिन्दी विद्यापीठ, भागलपुर, बिहार विद्या वाचस्पति, (पी०एच०डी०) उपाधि 1999 ई० प्राप्त हुई।

उ०प्र० हिन्दी संस्थान, लखनऊ द्वारा 'मलिक मोहम्मद जायसी पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त 'अवधी शिरोमणि, 'अवधी रत्न', 'अवधी वारिधि', 'भाषा भूषण' सम्मान अखिल भारतीय अगीत साहित्य परिषद, लखनऊ (उ०प्र०) से पढीस सम्मान, सारस्वत सम्मान व अन्य कई सम्मान मिले हैं।

अभी हाल ही में सर्वजन द्वितीय साहित्यिक समिति द्वारा 'अम्बिका प्रसाद गुप्त' स्मृति 'सम्मान' 2019 में मिला। जिसके तहत प्रशस्ति पत्र, प्रतीक चिह्न, अंग वस्त्र और मुद्रा आदि भेंट की गई।

अभी कुछ समय पूर्व शुक्ल जी को उ०प्र० हिन्दी संस्थान द्वारा सहित्य भूषण सम्मान दिया गया। जिसमें 2 लाख रू० की धनराशि, प्रशस्ति-पत्र, अंग वस्त्र आदि प्रदान किये गये।

अंततः विशिष्ट व्यक्तित्व और कृतित्व वाले हैं डॉ० शुक्ल जी।

आशा करती हूँ कि ऐसे साहित्य-साधक की लेखनी अविराम पाठकों और शोधार्थियों के लिये कलेवर प्रदान करती रहेगी।

संदर्भ—

1. वंशीधर शुक्ल रचनावली— डॉ० सत्यधर शुक्ल

2. अब रैन कहाँ जो सोवत है, (अभिनन्दन ग्रंथ)—सं० डा० कृष्णमणि चतुर्वेदी 'मैत्रेय'

डॉ० दीपा पाण्डेय

मूल्य वृद्धि आर्थिक विकास का कारण और परिणाम दोनों हैं। भारत में मूल्य वृद्धि को आर्थिक विकास के उपकरण के रूप में देखा गया है किन्तु यह नीति अनुसार नियंत्रित न हो पाने के कारण भारत के लिये सदैव समस्या बनी रही है। भारत में मूल्य वृद्धि सम्बन्धी अनुमान अनेक प्रकार से लगाये जाते हैं। थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, तिमाही स्फीति दर, औसत स्फीति दर आदि अनेक मूल्य वृद्धि के माप हैं। मूल्य वृद्धि भारतीय अर्थव्यवस्था के अनेक क्षेत्रों उत्पादन, उपभोग, वितरण रोजगार आदि को प्रभावित करती है। सामान्यतः आजादी के बाद से मूल्यों में वृद्धि की प्रवृत्ति बनी रही है।

मूल्य वृद्धि से न केवल मूल्य बढ़ते हैं बल्कि उत्पादन भी बढ़ता है जिससे आर्थिक विकास को गति मिलती है। आर्थिक विकास दीर्घकाल तक दृष्टिगत होता है अर्थात् आर्थिक विकास की प्रक्रिया लम्बे समय तक चलती है। आर्थिक विकास का मूल्य वृद्धि से सीधा सम्बन्ध है। मूल्य वृद्धि आर्थिक विकास का मापक भी है और सूचक भी। भारत में मूल्य वृद्धि द्वारा आर्थिक विकास हेतु अनेक चर एवं अचर होते हैं जिनमें से एक वे तत्व हैं जो भौतिक प्रगति को दिखाते हैं दूसरे वे तत्व हैं जो मानव कल्याण को दर्शाते हैं। आर्थिक तत्व मुख्य रूप से मूल्य वृद्धि पर ही निर्भर करते हैं। अतः मूल्य वृद्धि आर्थिक विकास का पर्याय मानी जाती है।

भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रायः अल्पविकसित कहा जाता है। यद्यपि अंग्रेजी शासन काल की तरह यहां की अर्थव्यवस्था में अब गतिहीनता नहीं है, लेकिन आजादी के बाद भी यहां पर कोई क्रान्तिकारी आर्थिक विकास नहीं हुआ है। यही कारण है कि इस समय भारतीय अर्थव्यवस्था को अल्पविकसित माना जाता है। अल्पविकसित अर्थव्यवस्था के लगभग सभी लक्षण भारतीय आर्थिक ढांचे में देखने को मिलते हैं। अल्पविकसित अर्थव्यवस्था में जनसंख्या का भारी प्रतिशत कृषि व्यवसाय करता है। कृषि पर जनसंख्या का दबाव भी बहुत होता है जिसके कारण काफी बड़ी मात्रा में प्रचलन बेरोजगारी होती है। आय का स्तर नीचा, प्रति व्यक्ति पूंजी की मात्रा कम और अधिकांश लोगों की बचत शून्य होती है। थोड़े से लोगों को छोड़कर शेष व्यक्ति अपनी आय का बड़ा भाग खाद्य पदार्थों पर व्यय करते हैं। व्यापार अविकसित और साख की सुविधायें सीमित होती हैं। जन्म और मृत्यु दरें ऊँची, स्वास्थ्य की दशा शोचनीय और भोजन असन्तुलित एवं अपर्याप्त होता है। इसके अतिरिक्त, स्त्रियों का समाज में नीचा स्थान, लोगों के

तकनीकी दृष्टि से पिछड़ापन अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाओं के प्रमुख लक्षण हैं।

विकसित पूंजीवादी देशों, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैण्ड और जापान की तुलना में भारतीय अर्थप्रणाली हर प्रकार से अल्पविकसित है। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने 'लोकतन्त्रीय' आर्थिक आयोजन का प्रयोग किया। परन्तु आर्थिक आयोजन के 58 वर्ष पूरे हो जाने के बाद भी स्थिति में विशेष सुधार नहीं हुआ है। आज विकसित देशों ओर भारत की प्रति व्यक्ति आय में पहले की तुलना में अन्तर अधिक है। इस समय भारत की प्रति व्यक्ति आय अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय की लगभग 1/48 है। इसमें संदेह नहीं है कि विभिन्न देशों के प्रति व्यक्ति आय से सम्बन्धित आँकड़ों के पारिभाषिक आधार अलग-अलग हैं और इसलिए वे तुलनात्मक अध्ययन की दृष्टि से ठीक नहीं हैं। अतः राष्ट्रों की प्रति व्यक्ति आय की तुलना के लिए क्रयशक्ति समता अनुमानों का प्रयोग किया जाता है। इसके आधार पर हम इतना कह सकते हैं कि मध्यम श्रेणी आय वाले देशों में प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय की दो से पांच गुनी है। इतना ही नहीं, इस समय अल्पविकसित देशों में भी प्रति व्यक्ति आय के स्तर की दृष्टि से भारत का स्थान बहुत नीचा है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2009 के अनुसार 2007 में भारत का क्रय शक्ति समता में मापित प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद 2,740 डालर था जबकि अमेरिका में यह 45,580 डालर था।

भारत में आय और सम्पत्ति का वितरण असमान और अन्यायपूर्ण है। दरअसल जब उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है तो थोड़े से लोगों के पास सम्पत्ति का केन्द्रीकरण होता है। सम्पत्ति और पूंजी के केन्द्रीकरण से आय की असमानतायें उत्पन्न होती हैं। भारत में रिजर्व बैंक, नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, महलानोविस समिति, विश्व बैंक तथा विभिन्न शोधकर्ताओं ने आय की असमानताओं की ओर ध्यान आकर्षित किया है। भारत में जहां पारिवारिक उपभोग व्यय का 1994 में गिनी लोरेंज अनुपात 0.297 था, वहाँ 1997 में यह बढ़कर 0.378 हो गया था। तात्पर्य यह है कि 1990 के दशक में आर्थिक असमानतायें बढ़ी हैं। आय की असमानताओं से जुड़ी हुयी समस्या आम लोगों की गरीबी है। गरीबी भारतीय अर्थव्यवस्था की वास्तविकता है लेकिन इस देश में हर दूसरा आदमी गरीब है, यह दाण्डेकर रथ, बी.एस. गिन्हास और प्रणब बर्धन के शोध कार्यों से पहले बहुत स्पष्ट नहीं था। छठी योजना 1980-85 के मसौदे में 'गरीबी प्रयोग' ने भी स्वीकार किया कि 1971-78 में ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में मिलाकर 48.44 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी

जीविका निर्भर थे। योजना अवधि के पहले चार दशकों में स्थिति में बहुत कम परिवर्तन हुआ और 1991 में 6.9 प्रतिशत लोग कृषि में लगे हुये थे।

अधिकांश अल्पविकसित देशों की भाँति भारत में जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। भारत में 1961 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या 43.9 करोड़ थी। 2001 की जनगणना के अनुसार यह 102.7 करोड़ थी। जनसंख्या में वृद्धि जीवन निर्वाह के साधनों के लिए अतिरिक्त मांग उत्पन्न कर विकास कार्य में बाधक होती है। जे.जे. स्पेंगलर के अनुसार, "जनसंख्या में वृद्धि से भूमि और कच्चे पदार्थों के स्रोतों के साथ जनसंख्या का अनुपात ऊँचा हो जाता है, फलतः सम्बन्धित उद्योगों के प्रति इकाई परिवर्ती लागत के साथ उत्पादन गिर जाने की प्रवृत्ति दिखलाई पड़ती है।" भारत में जनसंख्या में होने वाली लगातार वृद्धि के साथ प्रति व्यक्ति भूमि गिरती जा रही है। जहाँ 1921 में खेती के अंतर्गत प्रति व्यक्ति कृषि भूमि 0.444 हैक्टर थी वहाँ 1961 में यह केवल 0.296 हैक्टर और 2001 में 0.163 हैक्टर थी। स्पष्ट है कि अल्पविकसित देश में जिस तेजी से जनसंख्या बढ़ती है, उसको उत्पादन कार्य में लगाने के लिए पर्याप्त तेजी के साथ उद्योगों का विकास नहीं होता। नतीजा यह होता है कि भूमि पर जनसंख्या का भार और प्रच्छन्न बेरोजगारी में वृद्धि होती है। कृषि क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी कितनी है, यह वर्तमान सांख्यिकी रीतियों द्वारा सहज नहीं जाना जा सकता। भारत में तेजी के साथ जनसंख्या वृद्धि की वजह से यहां का निर्भरता अनुपात भी ऊंचा है।

आर्थिक विकास की गति को तेज करने वाले कारकों में पूँजी की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। किसी देश में पूँजी का संचय ही उस देश की अर्थव्यवस्था को उसके पिछड़ेपन से मुक्ति दिला सकता है। कुजनेत्स का मत है कि पूँजी निर्माण के नीचे अनुपात के फलस्वरूप राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि की दर नीची होती है, जब तक कि पूँजी उत्पादन अनुपात गिरने की प्रवृत्ति न दिखलाए। कहने का अर्थ यह है कि देश में तेजी के साथ विकास के लिए भारी मात्रा में पूँजी का निर्माण होना आवश्यक है। भारत में 1950-51 में सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 6 प्रतिशत भाग बचाया गया और सकल निवेश सकल घरेलू उत्पाद का 8.4 प्रतिशत था। स्पष्ट है कि बचत तथा निवेश के इस स्तर पर प्रति व्यक्ति आय को भी स्थिर रख पाना कठिन था। इतनी थोड़ी बचत का कारण केवल जनसाधारण की गरीबी नहीं हो सकता। वस्तुतः संसार में कोई भी देश इतना गरीब नहीं है कि सकल घरेलू उत्पाद का 15 प्रतिशत भाग बचत कर निवेश न कर सके। जब सभी देश यद्ध (संचालन के लिए भारी मात्रा में

छोटा छोटा आकार और भारतीय जमींदारों द्वारा विलासिता के पदार्थों पर फिजूलखर्च विशेष रूप से उल्लेखनीय थे। इस समय 1950-51 की तुलना में बचत और निवेश दोनों ही के स्तर ऊंचे हैं।

1990-91 में बचत का स्तर सकल घरेलू उत्पाद का 22.8 प्रतिशत था जबकि निवेश का स्तर 26 प्रतिशत। 2001-02 में बचत दर 23.5 प्रतिशत तथा निवेश दर 22.8 प्रतिशत थी। बचत और निवेश के इनस्तरों पर आर्थिक संवृद्धि की दर मामूली ही रहेगी। इस तरह यह स्पष्ट है कि भारत में आर्थिक संवृद्धि की दर क्यों ज्यादा ऊपर नहीं उठ पाई है। लेकिन केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन ने हाल में 2002-03 एवं उसके बाद के वर्षों के लिए बचत और निवेश के जो अनुमान घोषित किये हैं वे पूरी तरह विस्मयकारी हैं। 2002-03 में सकल घरेलू बचत दर बढ़ कर 26.4 प्रतिशत तथा 2007-08 में 37.7 प्रतिशत हो गयी।

भारत की तुलना में पूर्व एशियाई देशों में संवृद्धि दर काफी ऊंची रही है। इन सभी देशों में लम्बे अर्से तक बचत और निवेश दरें नियमित रूप से सकल घरेलू उत्पाद की 35 प्रतिशत से अधिक रही है। बचत और पूँजी निर्माण की ऊंची दरें अर्थव्यवस्था में आर्थिक संवृद्धि दर को तेज रखती हैं। इनके द्वारा नवीनतम तकनीकों का प्रयोग संभव होता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता करने की सामर्थ्य बढ़ जाती है।

मानव विकास का माप प्रायः संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा निर्मित मानव विकास सूचकांक की सहायता से किया जाता है। मानव विकास सूचकांक मानव विकास के तीन आधारभूत सूचकों-आयु, ज्ञान और जीवन संभावना का मिश्रण है। आयु का माप जन्म के समय जीवन सम्भावना के रूप में किया जाता है। ज्ञान अथवा शिक्षा सम्बंधी उपलब्धि, को प्रौढ़ शिक्षा दो तिहाई भार और सकल दाखिला अनुपातों एक तिहाई भाग द्वारा मापा जाता है। जीवन स्तर का माप प्रति व्यक्ति वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद डालर में क्रय शक्ति समताद्ध के रूप में होता है। क्योंकि मानव विकास सूचकांक जीवन संभावना सूचकांक, शिक्षा उपलब्धि सूचकांक और समायोजित प्रति व्यक्ति वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद सूचकांक का साधारण औसत होता है, अतः इसे मालूम करने के लिए तीन सूचकांकों के योग को तीन से विभाजित करना होता है।

आर्थिक विकास वर्तमान शताब्दी में आर्थिक चिन्तन का केन्द्र बिन्दु माना जाता है। विकासशील देशों में इसका विशेष महत्व है क्योंकि आर्थिक विकास द्वारा गरीबी तथा आर्थिक पिछड़ेपन से छुटकारा पा सकते हैं। आर्थिक विकास के अध्ययन ने

पश्चात् से अर्थशास्त्रियों ने विकासशील देशों के आर्थिक विकास में अधिक रुचि लेना प्रारम्भ कर दिया जिसके दो प्रमुख कारण थे। पहला एक ओर एशिया व अफ्रीका महाद्वीप में राजनीतिक चेतना और आर्थिक पुनरुत्थान की लहर से आर्थिक विकास की प्रबल इच्छा पैदा हो चुकी थी, दूसरी ओर आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न देश यह अनुभव करने लगे थे कि “एक क्षेत्र की दरिद्रता दूसरे क्षेत्रों की सम्पन्नता के लिए खतरा है।

आर्थिक विकास में गुणात्मक पहलुओं पर भी विचार किया जाता है। इस सन्दर्भ में प्रसिद्ध पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब-उल-हक का कथन अत्यन्त महत्वपूर्ण है, “विकास की प्रमुख समस्या गरीबी की सबसे भयानक किस्मों पर सीधा प्रहार करना है। गरीबी भुखमरी, बीमारी, अशिक्षा, बेरोजगारी और असमानताओं जैसी समस्याओं के उन्मूलन को विकास के मुख्य लक्ष्यों में शामिल किया जाना चाहिए।”

आर्थिक विकास एक ऐसी अनवरत प्रक्रिया है जिसके परिणामस्वरूप देश में समस्त साधनों का कुशलतापूर्वक प्रयोग होता है जिससे राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में निरन्तर एवं दीर्घकालीन वृद्धि होती है तथा जनता के जीवन स्तर एवं सामान्य कल्याण का सूचकांक बढ़ता है।

भारत में बेरोजगारी की समस्या बहुत गम्भीर है। इस सम्बन्ध में सबसे अधिक शोचनीय बात यह है कि इसमें लगातार वृद्धि हो रही है। 1966 में बेरोजगार लोगों की संख्या 2 करोड़ 20 लाख के लगभग थी। भारत में इसके बाद कुछ समय तक आंकड़े इकट्ठे नहीं किये गये। अवधारणात्मक आपत्ति उठाकर सरकार ने बेरोजगारी के आँकड़े देना बन्द कर दिया। छठी पंचवर्षीय योजना में सामान्य स्थिति बेरोजगारी के अलावा साप्ताहिक और दैनिक स्थिति बेरोजगारी के भी अनुमान दिये गये हैं। योजना आयोग के अनुसार मार्च 1980 में लगभग 1.20 करोड़ लोग स्थायी रूप से बेरोजगार थे। इनकी संख्या मार्च 1990 में 1.30 करोड़ थी। अनुमान है कि अप्रैल 1993-94 में लगभग 10.45 प्रतिशत कार्यशील जनसंख्या बेरोजगारी या अल्प रोजगार की श्रेणी में थी। राष्ट्रीय सेंपिल सर्वेक्षण के 61वें दौर के अनुसार भारत में 2004-05 में 8 प्रतिशत ग्रामीण कार्यशील पुरुष जनसंख्या तथा 8.7 प्रतिशत कार्यशील महिला जनसंख्या दैनिक स्थिति बेरोजगार थी। इसी वर्ष शहरी क्षेत्र में 7.5 प्रतिशत पुरुष कार्यशील जनसंख्या तथा 11.6 प्रतिशत कार्यशील जनसंख्या बेरोजगार थी। दैनिक स्थिति बेरोजगारी के आंकड़ों के अध्ययन से यह पता लगता है कि 1999-2000 से 2004-05 के बीच बेरोजगारी स्तर में 9-10 प्रतिशत वृद्धि हुई थी।¹ पश्चिम में पूँजीवादी देशों में बेरोजगारी का

का दोषपूर्ण गठन है। गाँवों में अनेक व्यक्तियों के पास वर्ष भर काम नहीं है। काफी लोग प्रच्छन्न रूप से बेरोजगार हैं। रेगनर नक्स का विचार है कि यदि इस प्रकार के बेरोजगार व्यक्तियों को खेती से हटा लिया जाए तो उत्पादन में वृद्धि होगी। यदि किसी प्रकार इन लोगों को उत्पादन में होने वाली वृद्धि का उपभोग करने से रोका जा सके तो देश में पूँजी निर्माण अधिक हो सकता है। शहरी बेरोजगारी के दो रूप हैं। प्रथम, औद्योगिक क्षेत्र में इतनी तेजी से विकास नहीं हो पाया है कि बढ़ती हुई शहरी जनसंख्या को रोजगार मिल सके। इस प्रकार, औद्योगिक बेरोजगारी की समस्या पैदा हुई है। दूसरे, सामान्य शिक्षा के प्रसार से सफेदपोश नौकरियों की मांग में वृद्धि हुई है जिसे देश का शहरी क्षेत्र पूरा कर पाने में असमर्थ रहा है। इससे शिक्षित बेरोजगारी की समस्या पैदा हो गयी है।

आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार अर्द्धविकसित देशों की प्रमुख समस्या वहाँ के निवासियों के जीवन स्तर में सुधार की होती है और जीवन स्तर में सुधार तभी सम्भव है जबकि प्रति व्यक्ति आय बढ़े। अतः उनके मत में आर्थिक विकास का सही मापदण्ड प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि है, न कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि।

यद्यपि विकास प्रक्रिया में तकनीकी प्रगति का बुनियादी योगदान होता है, फिर भी भारत में अभी भी उत्पादन कार्य के विभिन्न क्षेत्रों में तकनीक पिछड़े हुए हैं। कृषि में, जो देश की लगभग दो-तिहाई जनसंख्या के लिए जीवन निर्वाह की व्यवस्था करती है, उत्पादन तकनीक प्रायः अत्यधिक पिछड़े हैं। देश में हरित क्रान्ति के क्षेत्र को छोड़कर अन्य सभी जगहों पर आज भी सदियों पुरानी तकनीकों की सहायता से खेती की जाती है। ऐसा नहीं है कि किसान ने अज्ञानता के कारण आधुनिक तकनीकों को नहीं अपनाया है। आधुनिक तकनीक उत्पादन का पैमाना बड़ा-छोटा कुछ भी हो, अपनाए जा सकते हैं, लेकिन उनको अपनाने के लिए जिन साधनों की आवश्यकता पड़ती है, वे छोटे और सीमान्त किसानों के पास नहीं होते। तात्पर्य यह है कि अधिकांश किसान अपनी गरीबी के कारण नई तकनीकों को अपनाने में असफल रहे हैं। बड़े पैमाने पर स्थापित उद्योगों, ऊर्जा, परिवहन और संचार क्षेत्रों में आधुनिक उत्पादन तकनीकों को अपनाया गया है। लेकिन फिर भी विकसित देशों में अपनाये गये अत्यधिक कुशल उत्पादन तकनीकों और हमारे देश में प्रयोग में आने वाले तकनीकी में काफी अन्तर है। पिछले कई दशकों में इस देश में विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में जो काम हुआ है उससे यहां की तकनीकी क्षमता काफी बढ़ी है और यदि अब इसका सही ढंग से उपयोग किया जाए तो देश आर्थिक विकास के स्तम्भ बनने वाला एक बड़ी बाधा पर काबू

व उपभोग में वृद्धि होती है और उसके साथ-साथ आय की असमानताओं का अन्तर कम होता है तथा देश के निवासियों को अधिकतम सन्तुष्टि मिलती है।

किसी भी देश के तेजी के साथ आर्थिक विकास के लिए देश में भारी संख्या में कुशल उद्यमी होने चाहिए। ये उद्यमी उत्पादन में नये प्रयोग करते हैं। वे पुरानी तकनीकों को त्यागकर नई तकनीकों को अपनाते हैं। नई वस्तुओं की खोज करते हैं और इस प्रकार उत्पादन में मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों ही प्रकार के सुधार करते हैं। स्पष्ट है कि इस तरह का कार्य कर पाने के लिए जिस तरह की क्षमता चाहिए वह बहुत थोड़े लोगों में होती है। यदि किसी समाज में ऐसे लोग काफी होते हैं जिनमें उद्यम कौशल होता है तो वे तेजी के साथ विकसित होते हैं। अनेक आर्थिक इतिहासकारों का मानना है कि इंग्लैण्ड, जर्मनी, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका में इस वर्ग की उपस्थिति की वहाँ के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। लेकिन इस तरह का वर्ग भारत में ब्रिटिश काल में नहीं था और आज भी भारत में इस तरह के उद्यमकर्ताओं की भारी कमी है। यहाँ के उद्योगपतियों के विषय में बहुत से अर्थशास्त्रियों का मत है कि वे देश के दीर्घकालीन औद्योगिक विकास के बजाय सट्टेबाजी द्वारा लाभ कमाने की ओर अधिक ध्यान देते रहे हैं। ऐसा लगता है कि पिछले दो दशकों में इस दृष्टि से स्थिति में कुछ सुधार आया है। इस समय सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनेक उद्यमी सामने आये हैं जैसे एन. आर. नारायण मूर्ति तथा अजीज प्रेमजी जिनको देखकर अन्य क्षेत्रों में नए उद्यमी उभरने की आशा की जा सकती है।

भारतीय आर्थिक जीवन पर पुरानी एवं असामायिक सामाजिक संस्थाओं का स्पष्ट प्रभाव है। जाति प्रथा, संयुक्त परिवार, उत्तराधिकार के नियम, धर्म तथा अध्यात्म का भारतीयों के आर्थिक व्यवहार पर जो प्रभाव पड़ा है, उससे आर्थिक विकास में बाधाएँ उत्पन्न हुई हैं। जाति प्रथा और संयुक्त परिवार प्रणाली ने श्रमिकों की गतिशीलता को कम किया है, तथा उत्तराधिकार के नियमों से भूमि उपविभाजन और अपखण्डन को प्रोत्साहन मिला है। आर्थिक शक्ति के केन्द्रीयकरण के लिए भी उत्तराधिकार के नियम उत्तरदायी हैं। भारत में रूढ़िवादिता, अपव्ययिता, कार्यकुशलता की उपेक्षा आदि जनसाधारण के व्यक्तित्व की विशेषताएँ हैं। ये सामाजिक एवं सांस्कृतिक मान्यताएँ आर्थिक प्रयत्न और विकास के अनुकूल नहीं हैं।

अंग्रेजी शासन काल में यहाँ की अर्थव्यवस्था पूरी तरह गतिहीन थी। आजादी के बाद यह गतिहीनता समाप्त हुई है। आजादी मिलते ही इस देश में आर्थिक आयोजन की शुरुआत हुई

प्रवृत्तियों की जानकारी हासिल करना जरूरी है। लेकिन विकास प्रक्रिया को ठीक-ठीक समझने के लिए आयोजन काल में होने वाले ढांचागत परिवर्तनों पर भी गौर करना आवश्यक है।

सामाजिक, संस्थागत तथा संरचनात्मक परिवर्तनों के लिए ऐसी व्यापक नीति अनायी जाय जिससे बिना स्फीति के आर्थिक विकास सम्भव हो सके। अनेक अर्थशास्त्रियों का मत है कि विकास के कार्यक्रमों में कृषि के विकास को अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए। कृषि का विकास कीमतों में स्थिरता बनाये रखने में सहायक होगा। व्यावहारिक अनुभव यह रहा है कि स्वायत्त संरचनात्मक कठोरताओं के अतिरिक्त विकासशील देशों में कीमतों में वृद्धि बहुत कुछ कीमत और विनिमय नियंत्रणों या सरकारी हस्तक्षेप के कुप्रबन्ध का परिणाम होती है। संरचनात्मक स्फीति का सिद्धान्त इस ओर अधिक ध्यान नहीं देता है। वास्तव में, अकेले कृषि के विकास के बजाय सन्तुलित विकास की नीति अपनाने पर ही दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्त किये जा सकते हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. आहूजा, एच एल : उच्चतर समष्टि अर्थशास्त्र
2. अग्रवाल, ए0एन0 : भारतीय अर्थशास्त्र
3. अग्रवाल, ए0एन0 और : इण्डियन इकोनोमी स्टेटिस्टिकल ईयर बुक, 1998 वर्मा, हरिओम
4. एण्डले, के0के0 : लोक अर्थशास्त्र एवं लोक वित्त सुन्दरम्, केपीएम अग्रवाल, आरसी
5. सुन्दरम्, के0पी0एम0 : भारतीय अर्थशास्त्र
6. सिंह, अरूणेश : भारतीय अर्थशास्त्र ;सामान्य अध्ययन
7. डाल्टन एच0 : प्रिन्सपिन्स ऑफ पब्लिक फाइनेन्स ;अंग्रेजीद्व
8. Arthur Lewis : Theory of Economic Growth (Homewood Ill, Richard D. Irwin in C 1955)
9. Musgrave, R.A. : Public Finance in Theory and Practics
10. Astha Ahuja : Agricultura and Rural Development in India, Postliberalisation Initiatives, New Century Publicaitons, 4800/24, Bharat Ram Road, Ansari Road, Daryaganj, New Delhi-11002 (India).
11. R.K. Uppal : Economic Reforms in India-A Sectoral Analysis, New Century Publicaitons, 4800/24, Bharat Ram Road, Ansari Road, Daryaganj, New Delhi-11002 (India).
12. Suresh Chand Agarwal : Indian Economic Development and Rashmi Agarwal and Business-Emerging Issues and Outlook (Bakesi Shahari New Century Publicaitons, 4800/24, Bharat Ram Road,

- Road, Daryaganj, New Delhi-11002 (India).
14. Bisht, P. : Indian in Global Economy : Beyond Reform and Rhetoric, Deep & Deep Publications Pvt. Ltd., Rajouri Garden, New Delhi-110027, 2004.
 15. Thakur, D. : Indian Banking and Money Market, Deep & Deep Publications Pvt. Ltd., Rajouri Garden, New Delhi-110027, 1997.
 16. Sen, R.K. : Indian Economy, Deep & Deep Publications Pvt. Ltd., Rajouri Garden, New Delhi-110027, 2003.
 17. Mahajan, V.S. : Indian Economy and Regional Development, Deep & Deep Publications Pvt. Ltd., Rajouri Garden, New Delhi-110027, 1985.

डॉ० सुधीर कुमार
एस०बी० इण्टर कालेज, बरेली।

“यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता” वाले भारत देश में आज नारी ने अपनी योग्यता के आधार पर अपनी श्रेष्ठता का परिचय हर क्षेत्र में अंकित किया है आधुनिक तकनीकों को अपनाते हुए जमी से आसमान तक का सफर कुशलता से पूरा करने में संलग्न हैं, आज की नारी शिक्षित और आत्मनिर्भर है, इस आत्मनिर्भरता के आधार पर ही सामाजिक संस्कृतिक एवं आर्थिक तथा प्रौद्योगिक विकास की प्रक्रियाओं ने मानवीय सेवा सम्बन्धी व्यवसायों विशेषकर स्वास्थ्य एवं चिकित्सा व्यवसाय को अत्यधिक प्रभावित किया है।

महिला प्रधानता वाले व्यवसायों में अध्यापन एवं परिचारिका व्यवसाय प्रमुख माने जाते हैं। क्योंकि परिचारिका व्यवसाय भी स्वस्थ एवं चिकित्सा सेवाओं में अन्तर्गत महत्वपूर्ण एवं अहम भूमिका निर्वाह करता है। जो एक पवित्र व्यवसाय है।

परिचारिका उन्ही में से एक है जिन्हें दोहरी भूमिकाएँ निभानी पड़ती हैं। एक परिवार की तथा चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा व्यवसाय की दोहरी भूमिका निभाने की वजह से भूमिका संघर्ष तथा तनाव जनित स्वभाविक ही है।

फिर भी दोहरे व्यक्तित्व का निर्वाह अत्यन्त निष्ठापूर्वक सेवाभाव के साथ पारिवारिक तथा व्यवसायिक जीवन में समन्वय स्थापित करते हुए करती है।

चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवाओं के सन्दर्भ में आपात सेवाओं में स्वयं कष्ट पाते हुए व्यवसायिक सहयोग, समन्वय तथा सहानुभूति के साथ अच्छी से अच्छी तथा श्रेष्ठतम सन्तुष्टि प्रदान करने का अधिकतम प्रयास करती है।

अपनी कार्यप्रणाली में सम्बन्ध एवं सन्तुलन बनाये रखना परिचारिकाओं के लिए एक चुनौती है।

विवेकानन्द जी ने कहा था कि :-

जब तक स्त्रियों की दशा सुधारी नहीं जायेगी तब तक संसार में समृद्धि की कोई संभावना नहीं है। पंक्षी कभी एक पंख से नहीं उड़ पाता।

समाज सेविका के रूप में परिचारिका :-

नर्स दयावृत्ति और तकनीशीयन के नाम से जानी जाती है जो केवल परिचारिका ही नहीं बल्कि समाज सेविका के रूप में भी कार्य करती है। लोरेस नाइटगल, मदर टेरेसा जैसे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण समाज सेविका के रूप में है परिचारिकाओं का कार्य सिर्फ उपचार ही नहीं बल्कि सामाजिक पक्ष पर जोर दिया गया जिसमें नर्सों पर कार्य रोगी की बात को ध्यान से सुनना तथा समझना था।

परिचारिकाओं के अध्ययन की महन्ता :-

चिकित्सा किसी भी समाज में एक स्वभाविक व्यवस्था है जो

प्रतीक है जिसके अनुसार मनुष्य स्वस्थ रहना चाहता है। और प्राकृतिक तथा शारीरिक कष्टों परेशानियों व आपदाओं से मुक्ति प्राप्त करना चाहता है।

चिकित्सा व्यवसाय का केन्द्र बिन्दु चिकित्सालय होता है जहाँ स्वास्थ्य कर्मियों का विभिन्न स्तरों पर व्यवसायिक समाजीकरण होता है तथा रोग एवं उसमें निदान से सम्बन्धित निवारक विभिन्न आयामों पर विशेष महत्व प्रदान करने का प्रयास किया जाता है। आधुनिक समाज में चिकित्सालय संगठन का महत्वपूर्ण स्थान है। वर्तमान समय एवं परिस्थितियों से कोई भी व्यक्ति, समुदाय तथा कोई भी समाज चिकित्सकीय संगठन से अलग रहकर अपने चिकित्सकीय तथा स्वास्थ्य से सम्बन्धित कार्य का उचित सम्पादन तथा संचालन नहीं कर सकता। यह भी सत्य है कि परिचारिकाओं के कार्य एवं महन्ता के आधार पर ही समाज की स्थिरता व निरन्तरता समाज में स्थित चिकित्सालय में अस्तित्व एवं स्वास्थ्य सेवाओं से घनिष्ठ रूप से अन्तः सम्बन्धित है वर्तमान सकुल समाज में चिकित्सालयों तथा उनके कर्मियों का महत्व समाज के श्रमिकों के लिए ध्यानाकर्षण का केन्द्र रहा है।

लैटेन्सी समाज की अत्यन्त महत्वपूर्ण उपव्यवसाय है :-

लैटेन्सी वह अक्ष या धुरी है जिसमें चारों ओर चिकित्सालय की अर्थव्यवस्था चक्कर काटती है। परिचारिकाओं की प्राथमिक भूमिका रोगी के स्वास्थ्य तथा चिकित्सा के सन्दर्भ में ऐसी दशाओं का सृजन करना है जिससे वह अपनी खोई हुई शक्ति पुनः प्राप्त कर सके तथा एक सामान्य व्यक्ति के रूप में अपने क्रिया कलापों का संचालन कर सकने योग्य पुनः बन सके। रूग्णावस्था एवं बुरे स्वास्थ्य की स्थिति को समाज व्यक्ति सामान्य चिकित्सा व स्वास्थ्य रक्षा के लिए उनके सुविधाएँ प्रदान करता है। परिचारिका सुविधा भी उसमें से एक महत्वपूर्ण सुविधा है।

चिकित्सालयी व्यवस्था में “प्रकार्यात्मक विकल्प का अस्तित्व”:-

चिकित्सालय एक अखण्डित संगठन नहीं है। वरन् इसके अन्तर्गत विषेशतः “नर्स व जग को अनेक प्रकार्यात्मक विचलनों का सामना करना पड़ता है। परिचारिकाओं की सामाजिक व्यवसायिक स्थितियों पर आधारित विचलन में परिणाम स्वरूप चिकित्सालयों को उनके प्रकार के द्वन्द्वों का सामना करना पड़ता है। रोगी की सहायता, रोगी का सन्तोष, स्वयं का सन्तोष आदि चिकित्सालय के विभिन्न कार्यकर्ताओं द्वारा भूमिका का प्रतिपादन, उपलब्ध सेवाएँ का प्रारूप चिकित्सालय की विचलनकारी भूमिकाओं से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होती है।

प्रकार्यात्मक विशेषण के आधार पर विभिन्न आयाम :-

को सर्वाभौतिक पृष्ठभूमि

परिचारिका शब्द (नर्स) की अवधारणा:-

नर्सिंग की शुरुआत का दौर पाश्चात्य समाजों में नाइटिंगल नामक महिला की दूरदृष्टि व प्रयासों से हुआ। बड़ी होकर उसने अपनी कमी शादी न करने एवं समाज सेवा में अपना सम्पूर्ण जीवन व्यतीत करने का संकल्प लिया था। नाइटिंगल अपनी टीम के साथ हर मरीज के पास जाकर सहानुभूति दर्शाती। यहाँ तक की वह रात भर प्रकाश लैम्प लेकर घायलों तथा मरीजों की देख रेख तथा सेवाएँ किया करती थी। तभी लोग इन्हे “लेडी विद द लैम्प” के नाम से भी पुकारते थे।

लोरेन्स नाइटिंगल ने प्रशिक्षण के दौरान आचरण सम्बन्धी नैतिक संहिताओं पर विशेष बल दिया ताकि नर्सों “परिचारिका” आदर्श नैतिक स्वच्छ छवि माँ जैसी साहसी, साहनुभूति का केन्द्र, माँ जैसी कोमल भावनाओं के युक्त बन सकें।

आधुनिक परिवेश और परिचारिका व्यवसाय (अर्द्धव्यवसाय):-

ऐसी व्यवसायी जो मरीज की (डॉक्टर के बाद) देखभाल का कार्य करते हैं। उन्हें परिचार्य का कार्य करने वाला कहा जाता है। ये चिकित्सकों के कार्यों में भाँति-भाँति से सहायता व सहयोग प्रदान करते हैं तथा चिकित्सक के सामान्यतः अधिनस्थ होते हैं। इसलिए एक अर्द्धव्यवसाय की श्रेणी के अन्तर्गत आता है।

प्रो० लिम्बर्टसन के अनुसार:-

“यह (नर्सिंग) समाज के स्वास्थ्य तथा चिकित्सा से सम्बन्धित समस्त आवश्यकताओं की पूर्ती करने वाली एक गतिशील व शैक्षिक प्रक्रिया है।”

श्री मिनाको मैकानविच के शब्दों में:-

“चिकित्सीय स्वास्थ्य परिचर्या कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति को परिचारिका कह सकते हैं।”

स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्त कार्यक्रमों में इसकी भूमिका अहम् तथा सर्वोपरी होती है। जिसका मौलिक एवं प्राथमिक उद्देश्य मानव सेवा है। जीवन की रक्षा करना उसका कर्तव्य तथा दायित्व होता है।

“भूमिका तथा सामाजिक प्रस्थिति सम्बन्धी धारणाएँ” समाज शास्त्रीय लिंगन ने :-

किसी व्यक्ति के सन्दर्भ में उसकी सामाजिक स्थिति एक ध्रुवीय स्थिति है। यह अधिकारों और कर्तव्यों का संकलन होता है।

भूमिका आकांक्षा का तात्पर्य है समाज द्वारा व्यक्ति से अपनी स्थिति के अनुसार अपने कर्तव्यों को पूरा करने की आकांक्षा जबकि भूमिका निर्धारण का तात्पर्य है उसका वास्तविक आचरण है। अतः भूमिकाओं के प्रति प्रतिबद्धता आवश्यक होती है।

परिचारिकाओं में स्वभाविक रूप से सेवा भाव निहित होता

गृहकार्यों तथा बच्चों की तरफ ध्यान देने का समय ही नहीं मिल पाता है। सामान्य महिलाओं की भाँति स्वास्थ्य सेवाओं में लगी महिलाओं का केवल एक ही उत्तरदायित्व नहीं होता वरन् उन्हें एक साथ अपने पारिवारिक तथा व्यवसायिक कार्यों को करते हुए जीवन में सम्मन्वय स्थापित करना होता है। अर्थात् कोई भी व्यक्ति जब किसी भूमिका को नियमित रूप से करता है तो वह उसके प्रति वचनबद्ध हो जाता है जिसे व्यवसाय भूमिका प्रतिबद्धता कहते हैं।

राष्ट्रीय स्तर सोच की वर्तमान परिस्थितियों में विषम आवश्यकता है:-

इसके लिए समयानुसार वीतिगत परिवर्तन जरूरी है। राष्ट्रीय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रमों के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में परिचारिकाओं की भूमिका दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। परिचारिकाओं के लक्ष्य निर्धारण में सहभागिता सक्रियता, असंतुलित साधनों व सुविधाओं में वितरण व्यवसायिक के अवसार जैसे पक्षों पर विशेष ध्यान दिया जाये।

चिकित्सक तथा परिचारिका सम्बन्धों अध्ययन:-

सर्व श्री ओमेन-परिचारिकाएँ चिकित्सकों को अधिकारिक दृष्टिकोणों के प्रति पसन्द नहीं करती हैं। और इसी कारण उनके सम्बन्ध कटुता पूर्ण हो जाते हैं। जिससे दोनों भूमिका में सामन्जस्य नहीं हो पाता।

प्रो० व्यास गोपी कृष्णा¹³:-

शहरी परिचारिकाएँ एक (सर्वेक्षण: 1990:55) में अपने व्यवसाय चयन, नियुक्ति, पदोन्नति तथा स्थापान्तरण कार्य सन्तुष्टि एवं भूमिका संघर्ष विशेष तौर पर किया तथा पाया कि व्यवसाय चयन अधिकांश परिचारिकाओं ने (63.6%) ने स्वयं की इच्छा से व्यवसाय चयन किया है जबकि 32 प्रतिशत को उनके माता-पिता रिश्तेदारों से अभिप्रेरित किया है। एक तिहाई परिचारिकाओं ने स्कूली शिक्षा के दौरान इस व्यवसाय में जाना तय कर लिया, जबकि दो तिहाई ने सही समय विताने में असमर्थता जाहिर की। इस व्यवसाय में सरलता से नौकरी मिलना, पति की मृत्यु के पश्चात अन्य जगह कार्य सन्तुष्टि ना होना, तथा मरीज की सेवा की भावना, अच्छा पैसा मिलना आदि भी व्यवसाय चयन के प्रमुख कारण रहे हैं।

नियुक्ति पदोन्नतियाँ तथा स्थानान्तरण :-

परिचारिका व्यवसाय में नियुक्ति पदोन्नति तथा स्थानान्तरण को प्रभावित करने वाले कारकों का पता लगाने का भी प्रयास किया गया है। इस हेतु दस कारकों को प्रस्तुत किया गया तथा प्रथम कारको को श्रेणी के आधार पर रखने को रूखा गया। कारको को श्रेणी के आधार पर अंक देकर प्रभावित करने वाले का पता

महत्वपूर्ण माना है। अधिकांश परिचारिकाएँ अपने व्यवसाय के प्रति समर्पित हैं। वे थकी होने तथा कार्य समय के बाद भी मरीजों की सेवा, ईमानदारी तथा पवित्रता के साथ जुड़ा मानती हैं।

अधिकांश परिचारिकाएँ मानती हैं कि वे भावनात्मक तथा आर्थिक सामाजिक आधारों पर मरीज की सेवा में विभाजन नहीं करती हैं।

परिचारिका व्यवसाय से सन्तुष्ट :- परिचारिकाये की आर्थ सन्तुष्टि इस बात को इंगित करती है कि अधिकांश परिचारिकाएँ अपने साथियों के सहयोग, व्यवसायिक विश्वसनीयता ईमानदारी तथा समाज के व्यवसाय में स्थान जैसे कारको के प्रति संतुष्ट है।

संघर्षरत भूमिका :- अपने व्यवसाय के प्रति सन्तुलन बनाये रखना परिचारिकाओं के लिए चुनौती है। अधिकांश परिचारिकाओं का कहना है कि पति पत्नी के बीच भूमिकाओं का आपसी तालमेल होने से उन्हें परिवार तथा व्यवसायिक भूमिका में किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है। चिकित्सालयों में रात्रि सेवाओं के प्रति महिला परिचारिकाओं में किसी भी तरह की असंतुष्टि नहीं परिस्थितियों वश संघर्ष की सम्भावना हो सकती है।

प्रो० खन्ना एवं दास :- के अनुसार "भारतीय सन्दर्भ में महिलाओं के लिए अध्यापन तथा परिचारिका व्यवसाय प्रमुख है। क्योंकि परिचारिकाएँ प्रेरित करने एवं महिलाओ को स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण सम्बन्धी जानकारी प्रदान करने में अहम् भूमिका का निर्वाह करती हैं।

सर्वश्री शान्ता मोहन:- ने शोध कार्य के रूप तीन राज्यों में अध्ययन किया विषय था परिचारिकाओं द्वारा अपने कार्य स्थल पर सहन की जाने वाली समस्याएँ एवं उनकी कार्य करने की दशाएँ। "जो परिचारिका व्यवसाय की सामाजिक समस्याओं का रूप चित्रित करता है।

1. परिचारिकाओं की सामाजिक/आर्थिक पृष्ठभूमि का विवेचनात्मक अध्ययन।
2. उन प्रेरक तत्वों का अध्ययन करना जिन्होंने उन्हें परिचारिका का व्यवसाय अर्थात् परिचर्या को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करता है।
3. परिचारिकाओं का सहन की जाने वाली समस्याएँ।
4. परिचारिकाओं की कार्यकारी दशाओं को सुधारने का प्रयास करना।
5. व्यवसायिक समस्याओं के प्रति सुझाव प्रस्तुत करना।
अध्ययन समस्या का गहन, मौलिक, तर्कित वस्तुनिष्ठ व सूक्ष्मतः अध्ययन किया जाना संभव हो सके।

प्रत्येक मनुष्य स्वस्थ तथा प्रसन्न रहना चाहता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि परिचारिकाएँ सामाजिक तथा व्यवसायिक समस्याओं से पीड़ित हैं। संगठनात्मक वातावरण अन्तः वैयक्तिक सम्बन्धों तथा उन्नति के अवसरों को प्रभावित करते हैं। वृद्ध नगरीय चिकित्सा व स्वास्थ्य सेवाओं में सेवारत परिचारिकाएँ व्यवसायिक सम्मान, संगठनात्मक छवि, व्यवसायिक सीख व ज्ञानार्जन के अवसरों एवं उपचार के साधनों सुविधाओं की दृष्टि से सन्तुष्ट हैं।

"सन्दर्भ सूची"

- क) माट्रिन डी० हीमैन :- मेडिसन प्रकाशित लेख 'दी यूजेज आफ सोसियोलॉजी (सम्पादित) लेजार्स फील्ड एवं अन्य, लंदन वाइडेन फिल्ड एण्ड निकाल्सन प्रेसु 1952, प्र० 119
- ख) गोल्डवाटर एस०एस० :- आन हॉस्पिटल, दी मैकमिलन कम्पनी न्यूयार्क, 1951, प्र० 92
- ग) टालकाट पार्सन्स :- दी सोशल सिस्टम, दी फ्रेम-प्रेस, आफ ग्लेन्को लन्दन, प्र० 320 321 334
- घ) किम्बाल यंग :- ए हैण्ड बुक ऑफ साइकलॉजी, 1956, प्र० 79
- ङ) लिप्टन :- द कल्चरल बैंक ग्राउण्ड ऑफ परसनालिटी, प्र० 264
- च) शर्मारनाकान्त :- परिचारिकाएँ, रिसर्च जनरल 'समाज क्रिवेचन' समाजशास्त्र हिन्दी कार्य समिति, मोहन लाल सुखड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर (राज०) भाग - 3
- छ) शान्त मोहन :- स्टेटस ऑफ नर्सस इन इण्डिया ए उप्पल पब्लिसिंग हाउस ई दिल्ली 1985

डॉ० आरती जैन

मो० न० ०२ जैन मन्दिर के पास
बिल्सी बदायूँ

Abstract : Mulk Raj Anand has created a lasting impression in the literary firmament not because of his personality but because of his aesthetic merit. His association with Mahatma Gandhi and his doctrine of Ahimsa has immensely influenced his life and work. He had also been influenced by Gandhi's account of a sweeper boy in the magazine Young India and when he was a student at Cambridge and University College, London, he was rewriting Untouchable, after Gandhi's essay. Later on when he submitted his manuscript to Gandhi for his comments, Gandhi advised him to restrain his style by giving up the language of Bloomsbury and embracing the language of an untouchable. In fact Gandhi's advice was to come close to a home-grown native Indian language to understand the pulse and throb of the people. But Anand was very good at Punjabi and Urdu but his decision to adopt the language of the immigrant to write about the untouchables and coolies and to convey the spirit of one's own was a overwhelming movement. Alastair Niven has emphasized his adoption of "a hybrid language to suggest in English the rhythms and nuances of a mother tongue in this case Punjabi" (p.145). As Anand wrote in his Apology for Heroism, he was faced with a double burden, "the Alps of the European tradition and the Himalaya of the Indian past." So in this way Anand happens to put himself as an iconic stature between the imagination and the reality of the then Indian socio-cultural milieu.

The primary concern of Mulk Raj Anand had been to sustain his belief "in the struggle, the struggle of men to free themselves and to expand freedom to others to sustain the ever expanding areas of consciousness, to make man truly human as for him" (Apology, p 25). "The world becomes our task" (p.25). This was so because he did not take in any particular faith, religion or belief early in life and his readings were very "discursive and mainly snobbish". (p.37), a kind of aid to cleverness and even one point he had toyed with the idea of turning "to consider the possibilities of terroristic violence as a means of achieving national freedom" (p.39), attempts "as ludicrous as they were abortive" (p.39). Again deep down there was also this muffled protest against the submission and the compromises of his father who believed was settling down like a respectable person. Anand's decision to leave India in the early autumn of 1925 to research in philosophy there at University College, London turned the wave of his life. His identity of "an Indian, a British subject by birth, born of a father who had broken away from the hereditary profession of artisanship and joined the mercenary British-Indian army, and of a peasant mother" brought new vicissitudes. In to the formation of this identity had gone all the readings of philosophy, literature, and the arts of Marx, Hegel and Kant, of the old philosophies and the religions of India. He was very much active till the end

able to furnish his biographical cycle of novels The Seven Ages of Man.

He befriended writers like George Orwell, E.M. Forster, William Empson, Henry Miller and many others during his stay in Great Britain. The 1930s was a turbulent decade in English literary history and writers and intellectuals were apprehending the worst because of the rising tide of totalitarian dictatorship in Spain, Germany and Italy. The freedom of the writer was under peril. In Spain the Republicans were at odds against the dictatorial regime of Franco. Spain drew some of the best writers, poets novelists and painters to fight for the cause of the Republicans. Ernest Hemingway came to Spain to report for Esquire and later on sent his NANA dispatches and wrote For Whom the Bell Tolls; Andre Malraux came from France, Camilo Jose Cela wrote The Hive against the backdrop of the Spanish Civil war. Picasso painted Guernica. Neruda was there, so too Lorca Auden wrote one of his most controversial poems on Spain where he wrote about the urgency of "necessary murder". George Orwell himself wrote Homage to Catalonia and many more essays, journalistic accounts and notes, apart from fighting in the war supporting the republican cause. Orwell's literary career was more or less determined by the Spanish Civil war and he was forced to embrace journalistic reporting to bring home many of the complex issues of the war. Mulk Raj Anand too participated in the war in the side of the Republicans of Spain, and he too concerned himself to a political cause. Unlike Earnest Hemingway who had initially come to participate in the First World War to "see the show" from close quarters with a "spectatorial attitude" as Malcolm Cowley would write about the generation of writers. Orwell and Anand took the opposite stance and blended politics and art to write some of the most engaging pieces. England and Spain offered Anand the preparatory ground to think about the political social reality of India, the country of his birth. Orwell had pointed out that where so ever you are, you can't escape the ground realities, the socio-economic dynamic of your location. In a turbulent time a writer is bound to be political and Anand did come to the basics of his country to reflect upon the perennial problems of the untouchables and also the larger issues of war and totalitarian dictatorship.

Anand in way opened up links between these two worlds and tried to hold to the premise that he would not just adhere to the country of his origin for the subject matter of his fiction as there was again and again this surprising twist which took him to look back on the west. Anand was operating within a distinctly new horizon and embraced the best of the two worlds :he moved in the Bloomsbury circles, but he was not out of touch with contemporary realities; he invested a considerable effort in trying to convince that the

evils like casteism and untouchability, a world colored by the throb and excitement of love and togetherness.

As a citizen of this world, Anand had realized early that writers must break away from the sentimental politics and rhetorics of the romantics and make reality our mehbooba" (Reminiscences12). This "reality" is starkly evident in his confirmation and participation in the freedom struggle and in his fight against the inhuman genocide of the Fascist and the Nazis. He had announced: "Only when man may seek to become a whole man through all his concrete experience of suffering can writing become a genuine in content and beautiful in form" (Reminiscences p.12). Anand had a taste of this "concrete experience" of suffering among the people in the West during his brief sojourn in London in the 1930s. The ordinary mass of people was a disillusioned lot reeling under employment when the people in the upper echelons of power were trying to appease the racists, Hitler and Mussolini. Anand had willingly joined the thirties movement to preserve for the future against the violence of the fascists. As a member of the group of progressive writers of India, he had assigned himself the task of the conscience keeper of his generation threatened with violence and mass-extinction and in the world writers' conference in Paris in 1936 he sided with Maxim Gorky, Andre Gide, Andre Malraux and Louis Aragon, who believed that true art must involve itself in human political affairs against the "murders of hope". He was indeed the sole representative of India in the anti-fascist writer's campaign in UK in late 1936 bringing to the forum the message of Jawaharlal Nehru to defend the weak and to kindle the conscience of men and women into self-Awakening through the words of the writers. When General Franco, with help and support of Hitler and Mussolini, attacked the popular elected government in Spain, he joined the Republican cause like the anti-fascist writers of the west.

As a member of the Progressive Writers Movement, he took the advice of his colleagues and fellow writers who met in Lucknow under the chairmanship of Prem Chand. And he went to Spain to join the International Brigade with Andre Malraux, Ralph Fox, John Cornford, Christopher Caudwell and others. Even when the poems of Tagore, Iqbal, Nirala and Faiz and Bishnu Dey had made him aware of the sense of shock at the barbarism released by the masters against the slaves, of violence against Gandhi's non-violence, he was not prepared for the organised oppression and killing of the Jews by Hitler and his cohorts. For the moment he went against the vow he had made to follow the path of non-violence and became a part of the International Brigade to fight against the ruthless, impersonal and centralized forces of Franco. But when he fainted on seeing a wounded man bleeding in Dr. Bethune's surgery in Barcelona during the war in Spain, he asked to be put in the category of Journalist, near the trenches. "I felt I could

from the violence and to reassert his belief in the culture of humanism. When the Second World War broke out, he opted to be a conscientious objector and did such work like tilling an acre of land running a library van for St. Pancras Borough Council. Later he joined the war effort as a causal broadcaster with George Orwell in 1942. He had the double burden of fighting against the larger issues of war, fascism and imperial violence and the more subtle issues of poverty, child-labour, casteism exploitation and colonial subjugation.

It was when he was in England that he wrote his Untouchable, a paradigmatic text of "pro - subaltern cosmopolitanism" (p.250), as Vinay Dharwadker would like to say. Untouchability manifested itself as an evil, segregating and marginalizing and excluding a sizeable section of human population. Mulk Raj Anand took of the cause of exposing thus evil of untouchability in Indian society and he was very much under the influence of Gandhi who wanted that the language of text be true to the characters. Anand did just that. Throughout his life he had this brush with the stark reality of India with the coverings of myth and stories. He was not a historian but the history of India seeped into his narrative and transferred it. Be it the Confession of an Indian Prince or The bubble, his life and socio-political history of the times went into his fiction and enriched it in the process he had done away with high aesthetic aims of the nineteenth century writers followed a "low mimetic mode, in which a writer confronts and represents contemporary reality and everyday life, individual experience, shared social phenomena and the unfolding events of current local and national history" (Dharwadker p.244). Alastair Niven in his tribute to Anand has aptly written: "He is in truth a figure of towering humanity whose work guides us through the multitudinous complexity of India this century with more verve than any other prose writer of

time" (p.145). Therefore it is apt to regard Mulk Raj Anand stands as an icon transporting the very spirit of social reality by superb sense of poetic exuberance before numerous critic and readers across the national as well as international boundaries.

WORK CITED

1. Anand, Mulk Raj. Apology for Heroism. New Delhi: Arnold Heinemann, 1985.
2. Anand, Mulk Raj. "Reminiscence of Faiz Ahmad Faiz." Indian Literature, March-April, 1985
3. Dharwadker, Vinay. "The historical Formation of India -English Literature?", Sheldon.
4. Niven, Alastair. "As We Linked It? London Magazine, September 1997
5. Pollock Ed. Literary Cultures in History: Reconstructions from South Asia. New Delhi: OUP, 2004.

ABSTRACT: Environmental ethics found for awareness, sprang from environmental crisis. Environmental concerns and issues associated with it affect people across the globe, the universe. The reason for the immediate crisis is due to the lack of unawareness regarding the protection of ecology. As people have become self-centred, only very few take steps to make the environment clean and green. Over the past two decades we have seen a gradual increase in the number of writers writing about issues related to environmental concerns. Ecocriticism is an approach of literary criticism that aims to study the connection between Ecology and Literature. This paper examines the Ecological Concern in Ruskin Bond selected short stories.

INTRODUCTION : Ecocriticism, an important statement made by Cheryll Glotfelty, the founder of the American Association for Literature & Environment (ASLE), describes the focus of ecocriticism in the following terms: "While in most literary theory 'the world' is synonymous with society - the social sphere - ecocriticism expands the notion of 'the world' to include the entire ecosphere."¹

The primary concern of ecocriticism, to use an agreed definition, is thus to study "the relationship between literature and the physical environment."² One important feature attached to ecocriticism should not be disregarded: it was born from the environmental crisis, awareness of which has affected many literary critics and scholars since the 1980s³. There has been a growing number of ecocritical publications from the last two decades of the twentieth century.

Environmental ethics could be defined as "a set of principles, values or norms relating to the ways in which we interact with our *natural+ environment." If we look at this area of concern, we can easily recognize that there are some striking characteristics which ecocriticism and environmental ethics have in common. Like ecocriticism, environmental ethics sprang from the environmental crisis. "'Environmental ethics' is essentially a response to a range of environmental problems which collectively make up the 'environmental crisis'. So, one could say that the environmental crisis has haunted literary critics and philosophers alike. In this paper researcher has chosen Ruskin Bond's *Dust on the Mountains*, *My Father's Trees* in Dehra, *Death of the Trees*, *The Leopard* short stories for this study.

writers in English. Ruskin bond is true love of nature. Nature and ecology is one of the dominant themes in his works. One finds Wordsworth's pantheistic philosophy in Ruskin Bond that is presence of life or spirit in every object of nature like trees, plants, rivers. He lives in Mussoorie, at the foothills of the Himalaya. The region is blessed with an abundance of natural beauty, flora and fauna. Bond is worried about destroy of the natural environment in the name of development. His deep concerned is depicted his short stories. Writing with love, his pure, innocent characters represent his love for nature. They interact with animals, trees and flowers; they reflect his concern and his effort to preserve the environment through tree plantation. The stories highlight the duty and responsibility to the environment.

The aim of this paper is to highlight how Ruskin Bond has expressed his concern for nature which has been exploited by human beings in the name of urbanisation and modernisation and how the harmful effects of humans' exploitation of nature directly affect human life and living space. This paper also studies the under realm of literary theory of Ecocriticism.

Bond's *Dust on the Mountains* is the story of a young boy Binsu, lives with his younger sister and mother in a very small village of TehriGarhwal. The village is in the hills, right in the lap of nature surrounded by oak, deodar, maple, pine and apricot trees, working hard on his farmland. But a certain year, the lack of monsoon forces him to look for work in mussoorie a big city. He gets a job in a cinema hall as a tea seller during the interval, where he meets two other friends Chittru and Bali. They all become friends and work together as per the orders. However Chittru and Bisnu become close friends as they sleep in air corridor at night. Bisnu gets the job of a cleaner boy for Pritam, the truck driver who carries limestone from the quarry to the depot. They work for the mine site where deforestation and blasting of mountains are common for lime powder. When they did see the mountain, they found that the top of it was missing blasted away by dynamite to enable quarries to get at the rich strata of lime stones rock below the surface. Binsu feels for the trees that have been knocked down and the land that has been raided of its natural beauty as it is stripped of its treasures for human benefit. The quarry industry makes air, water and sound pollution.

Bond writes:

dynamite to enter the quarries to get at the rich strata of limestone rock below the surface. The skeletons of a few trees remained on the lower slopes. Almost everything had gone. ...grass, flowers, shrubs, birds, butterflies, grasshoppers, ladybird. A rock lizard popped its head out of a crevice to look at the intruders. Then, like some prehistoric survivor, it scuttled back into its underground shelter. (496)

The flora and fauna of the region are violently dislocated and killed. At the blast of the dynamite, rocks and trees are thrown as under. Bond emerges as an environmentalist explaining the importance of trees an important characteristic of his stories dealing with environmental concern.

Human activities towards nature not only terrified Bisnu but also affected our ecosystem. Even the delicious wild strawberries, those which Chitru and his friend would eat were destroyed. The demise of forest panicked Bisnu who is habituated with green mountains at his village and not with desertlike dart. When asked about the condition of trees at his village, Bisnu, as if in a voice of protest, complains to Pritam Singh: ,Nobody has started blasting the hills as yet? (499).

Having approached to the quarries, Bisnu was shocked watching combustion of shrubs and small trees. The speculation of the same fate of the tress at his village frightened him. Just as the story begins with hope, it ends in hope. It was at the end of the tale that a worldly person like Pritam Singh realized the life-saving power of trees, after when his truck met an accident and was salvaged by an Oak tree. Pritam Singh's life made Bisnu and Pritam to rethink; Bisnu decided to return home and start harvesting: 'I'll work on my land. It's better to grow things on the land, than to blast thing out of it? (502).

Bond's another eco-concern short story, My Father's Trees in Dehra, depicts the author's visit to Dehra after many years. The climate of Dehra was humid and the landscape was green with a wide variety of trees. His father loved trees and planted many. His father not only planted trees in his own garden, but also in the woods around Dehra. He remembers going, into the jungle, planting flowering shrubs between the sal and sheesham trees. (300)

His father had said, ...people keep cutting trees, instead of planting them, there'll soon be no forests left at all, and the world will be just one vast desert.

Bond spends entire day with his father planting trees on

and he saw many koels and parrots live there and a number of other shrubs, grasses and plants have grown up under the trees he and his father had planted. The author feels that the trees "know" him, and they "whisper", and "beckon" him near to them. He says, "They have multiplied. They are moving. In this small forgotten corner of the world, my father's dreams are coming true, and the trees are moving again."(301)

Bond and his father want to preserve both flora and fauna in Dehra. Planting trees are moral duty of man to nurture this love of trees and impart it to their children. This is going beyond one's own garden, and beautifying the world at large, and creating shelter for birds, butterflies and animals, is the largesse that Bond gives out to the world. In Death of the Trees the dreadful picture of deforestation in name of development. The story betrays a cruel beheads of mountain trees, and shows that lack of ecological propriety reinforces pollution and dreadful consequences. The lives of trees have been cut short for human convenient vivifies another anthropocentric way of promise bereft of any ethical thoughtfulness. Bond exposes how natural demise directly affects the animal world, which is callously overlooked by Public Works Department (PWD):

The explosions that continually shatter the silence of the mountains as thousand-year-old rocks are dynamited have frightened away all but the most intrepid of birds and animals. Even the bold langoors haven't shown their faces for over a fortnight. (461)

Yet, the Bond is optimist about the fate of the trees. He hopes for best that in the nearby mountain, where they have not yet been agitated by malign hands, they grow peacefully. By accusing his optimism immediately as being a ,negative attitude?(461), he in turn pays a serious attention from his reader.

In Bond's writing, physical world exists with natural. He speaks volumes once again when he compares his brother's death by a road accident to the demise of trees by PWD. He postulates that both his brother and the tree are ,victims of the roads; the tree is killed by PWD, my brother by a truck? (460). By making this comparison between his brother and the tree Bond not merely ascribes human spirit to the latter but also put them on the same moral ground for reappraisal. The assassination of the trees appears to the

author so vicious that he could hardly endure the sight. He decides to keep his window close. The disastrous act by PWD, to his dismay, multiplies dust and deserts mountai

ecological harmony calls for our social advancement in a systematic way. Estok endeavoured to treat ecocriticism as a theory and stressed that the scope of it gets broadened because of its ability to incorporate a variety of theories, such as feminist, Marxist, post-structuralist, psychoanalytic and historicist.

The Leopard is a story of the night watchman cruel hunting and a leopard. Bond depicts how lack of greenery causes of destructions on both human and non-human living. Leopards do not harm man. Yet, man kills them for earning money. He adds that the leopard does not harm the protagonist because he has no greed. Bond's observe with grief of the leopard hunted down by poachers while he walked in a silent forest: It was very silent, almost as the birds and animals knew their trust had been violated (263)

The slowly but gradually built bond with nature is overwhelmed by a wink, as the leopard becomes a prey to the hunters. The brutal attitude makes the narrator feel sorry; he asks:

But did the leopard, trusting one man, make the mistake of bestowing his trust on others? (263).

Forest world was habituated with the innocuous presence of the narrator. Bond keep harmonious relationship with all the animals, birds, trees, and the other natural elements. Even the cruel leopard befriends him taciturnly. They have confronted a few times and parted away with mutual sympathy. Bond writes his genuine concern for the animal:

The Leopard, like other members of the cat family, is nearing extinction in India, and I was surprised to find one so close to Mussoorie. (259)

Certainly the deforestation that had been taking place in and around the hills had driven the deer into this green valley; and the leopard, naturally, had followed. (259) The ill-treatment leads to a sinless animal (the leopard), as underlined by Bond, not merely shakes the narrator's ethical value but also asks the entire university for active consideration. The story shows serious concern for natural world.

CONCLUSION: Ruskin Bond is a lover of nature, nature is one of the dominant themes in his work. Bond through these stories, asks our participation not only to find out how human and non-human interdependence acts, but also to find out that protecting ecology is essential from an ethical perspective for better future. Bond's significant gesture to play the role of an eco critic is clearly visible

- [2]. Bond, Ruskin. Dust on the Mountain. Collected Short Stories. Delhi: Penguin India, 2009. Print.
- [3]. G. Garrard. Ecocriticism. London: Routledge, 2004.

Dr. Swati Rani

Ph. D. (English)

MJP Rohilkhand University,
Bareilly

Abstract : Bharti Mukherjee is a diasporic writer and her main focus is to bring out the conflict and the suffering of the women who have settled abroad. Her novels are women centered, though she uses a large number of male characters in order to portray the world of her female protagonist. Mukherjee's women characters are people from the periphery of society who chose to spend their lives in an alien country. Mukherjee's Jasmine explores the socio-political issues that determine the position on American identity through the migration narrative of its title character. Several well-known scholars find out what they interpret as Mukherjee's celebration of assimilation and adoption of Western feminist values problematic, arguing that she idealizes the United States at the expense of her homeland. Moreover, these critics contend that Jasmine's development relies on American and European models of personal success, thereby reinforcing notions of the ever-victimized "third world" woman rescued by liberal Western values.

Bharati Mukherjee, an Indian born Canadian/American novelist, has made a deep impression on the literary canvass. Her novels honestly depict the issues of her own cultural location in West Bengal in India. They were displaced and alienated from her land of origin to USA where she is "simultaneously invisible" as writer and "overexposed" as a racial minority and her final re-location (assimilation) to USA as naturalized citizens. She is the writer of *The Tiger's Daughter* (1971), *Wife* (1975), *Jasmine* (1989), *The Holder of the World* (1993), *Leave it to me* (1997), *Desirable Daughters* (2002), *The Tree Pride* (2004), *Miss New India* (2011).

Jasmine, the title character and narrator of Bharati Mukherjee's *Jasmine*, was born approximately 1965 in a rural Indian village called Hasnpur. She tells her story as a twenty-four-year-old pregnant widow, living in Iowa with her crippled lover, Bud Ripplemeyer. It takes two months in Iowa to relate the most recently developing events. But during that time, Jasmine also relates biographical events that span the distance between her Punjabi birth and her American adult life. These past biographical events inform the action set in Iowa. Her odyssey encompasses five distinct settings, two murders, at least one rape, a maiming, a suicide, and three love affairs. Throughout the course of the novel, the title character's identity, along with her name, changes and changes again: from Jyoti to Jasmine to Jazzy to Jassy to Jase to Jane. In chronological order, Jasmine moves from Hasnpur, Punjab, to Fowlers Key, Florida (near Tampa), to Flushing, New York, to Manhattan, to Baden, Iowa, and finally is off to California as the novel ends.

defeat. It is the story of a Punjabi rural girl, Jyothi. Prakash, an energetic and enthusiastic young man entering Jyothi's life as her husband. When Prakash prepares to go to America, she says, "I'll go with you and if you leave me, I will jump into a well". A woman has to accept, the path of her husband, Renamed as Jasmine, joyously sharing the ambition of her husband, she looks forward going to America, a land of opportunities even this dream gets shattered by the murder of Prakash on the eve of his departure. She decides to go America and fulfill Prakash's mission and perform "Sati". Having learned to "Walk and Talk" like an American, she grabs every opportunity to become American. Jasmine becomes Jase. At the end she kills Sukhawinder, the Khalsa lion who killed Prakash. After that she goes to Iowa assuming a new name "Jase". The manifold facets or roles played by Jasmine as Jase and Jane assault the power in woman. This power can be equal to Sakthi which is command over quality that destroys and fights against all evils. Jasmine has broken away from the shackles of caste, gender and family. She has learnt to live not for her husband or for her children but herself. Jasmine is a survivor, a fighter and an adaptor. She figures against unfavorable circumstances, comes out a winner and carves out a new life in an alien country.

In *Jasmine* is based on Mukherjee's short story by the same name. Jasmine moves from maidenhood to marriage, to rape, to caregiver. The young age girl Jyoti becomes Jasmine and when her young husband dies due to a terrorist bombast she decides to go America with his clothes, to make a final offering at alter of his dreams. Landing in America as an illegal immigrant she becomes rape and her Indians rebels against this violation she murders the first Jasmine moves from one family to another, builds other relationships, acquires the names, finds a shared bond with a Vietnamese refugee and finally leaves, she loves-choosing between 'Indian' duty and the 'Western' pursuit of happiness.

Jasmine undergoes her next transformation from a dutiful traditional Indian wife Jasmine to Jase when she meets the intellectual Taylor and then moves on to become Bud's Jane. It seems likely that as Jasmine leaves for California with Taylor and Duff, her identity continues to transform. The author depicts this transformation and transition as a positive and an optimistic journey. Jasmine creates a new world consisting of new ideas and values, constantly unmasking her past to establish a new cultural identity by incorporating new desires, skills, and habits. This transition is defined not only in the changes in her

land which is vibrant with Indian food, languages, dress, traditions and customs. One could say that her works reflect the women's plight in the transition. Mukherjee is not interested in dismantling the term "American" by engaging specifically with the demands Jasmine makes on mainstream perceptions of immigrant and American identities. While Mukherjee perhaps does not dismantle the term by stripping American identity of its power and privilege, she does challenge exclusivity and abuses.

Rather than reading Jasmine's character solely as representative of a "third world" woman in the West, it is better to see her as a protagonist whose narrative involves translating a postcolonial Indian female subject-position into the context of immigrant America. As such, she exhibits the potential to change what it means to be "American," and the identity she negotiates is as much a political stance towards ethnic American identification as it is a commentary on the world both Jasmine and her author left behind.

Moreover, it is apparent that this novel cannot be interpreted without making use of the many examples of personal prose written by Mukherjee in which she explores issues of history, identity, culture, gender, and immigration, particularly in regard to her work as a writer. Mukherjee's non-fiction reveals many of the attitudes towards Indian and North American cultures that shape Jasmine's development as a postcolonial, immigrant heroine.

Jasmine's narrative is set against the violent historical backdrop of post-Independence, post-partition India: her family comes to settle in their village after the events of 1947 make them outsiders in their ancestral city of Lahore. Although Mukherjee herself is from Bengal, one of the two Indian states actually partitioned, she does not address the split of Bengal in Jasmine. Instead, she displaces this trauma onto Jasmine's Punjabi family. Indeed; recent scholarship about Partition highlights 1947 as a traumatic moment in India's history. In the opening pages of *The Other Side of Silence: Voices from the Partition of India*, Urvashi Batavia notes that an estimated one million people died from violence, malnutrition, and disease; twelve million people were displaced; acts of "sexual savagery" were committed against approximately 75,000.

Women thought to have been kidnapped and raped; and thousands of families were divided, losing their loved ones as well as all of their land and possessions. In her collection of interviews with survivors of Partition, Batavia records the human tragedy of an experience widely perceived as a mostly geo-political event. In a more recent study of Partition's effects on Indian cinema, Bashkir Starker

upper-middle class lifestyle in Lahore - where they had previously owned land and shops, lived in a sprawling home, and were respected for their family name - and forced into a village of flaky mud huts Jasmine narrates how this loss of home, homeland, and status plagues her family:

Marajo, my mother, couldn't forget the Partition Riots. Muslim sacked Our house, Neighbors' servants tugged off earrings and bangle defiled Grottoes sobered my grandfather's horse. Life shouldn't have turned out.

That way! I've never been to Lahore, but the loss survives in the instant Replay of my family story: forever Lahore smokes, forever my parents Flee. (41)

The trauma of this departure force Jasmine's parents into an exile that makes her mother distrustful and pessimistic, and that her father in particular never comes to accept. Jasmine describes his perpetual attachment to Lahore in the karats he continued to wear, the Pakistani radio broadcasts he listened to, and his disgust for anything not related to Lahore including the mangoes, women, music, and Punjabi dialect of the Indian side of the partition. In the next generation, this trauma replays itself - more and more violently each time- throughout Jasmine's life in India.

However, she continues, "Lacking a country, avoiding all the messiness of rebirth as an Immigrant eventually harms even the finest sensibility" (29). Although her words have given their context in a review aimed at a new direction for minority American literatures - lack the empathy we might expect in a discussion of trauma, they resound in interesting ways with Cathy Carat's work in this area.

She writes that "the traumatic event is not assimilated or experienced fully at the time, but only in its repeated possession of the one who experiences it. To be traumatized is precisely to be possessed by an image or event". Furthermore, she writes that the traumatized "become themselves the symptom of a history that they cannot entirely possess" (5). Haunted by his imagined, Jasmine's father clearly exhibits the symptoms of exile-as-trauma, then Mukherjee argues that by embracing "duality" we might "learn how to be two things simultaneously; to be the dispossessed as well as the dispossessor," thereby working through this exile-as-trauma.

Jasmine's words at the end of the description of her father illustrate this attitude towards such dispossession: "He will never see Lahore again and I never have. Only a fool would let it rule his life" (43). In her willingness to sever any imaginative attachment to her father's homeland, Jasmine avoids what Mukherjee describes as the "inordinate bit" of exile and instead embraces the messy potential for rebirth

"Now your face is scarred for life! How will the family ever find you a Husband?" (4-5).

"To Jasmine, however, this scar is a "third eye"? rather than submit to the will of fate, she prefers to define her own life. She interprets and resists the implications of the astrologer's pronouncement, refusing to believe that she "was nothing, a speck in the solar system...helpless, doomed" (3-4).

Although Mukherjee does not return to this narrative thread for following upcoming paragraphs, she foregrounds Jasmine's new life in Iowa as the novel's central plot, weaving in the stories of her upbringing, brief marriage, and migration to America, the flashbacks determine how we come to understand "Jane," Iowa's version of the girl from Hanaper. In narrating her birth, Jasmine continues to reveal the burden associated with daughters in her community:

If I had been a boy, my birth in a bountiful year would have marked me as lucky, a child with a special destiny to fulfill. But daughters were curses. A daughter had to be married off before she could enter heaven, and

Dowries beggared families for generations. Gods with infinite memories visited girl children on women who needed to be punished for sins Committed in other incarnation. My mother's past must have been heavy with wrongs. I was the fifth Daughter, the seventh of nine children. When the midwife carried me out, my sisters tell me, I had a ruby-red Choker of a bruise around my throat and sapphire fingerprints on my collarbone. (39-40)

A daughter's birth is never celebrated or related to the luck of bounty, instead, from the Moment she enters the world, the question of her dowry preoccupies her parents. Mothers who have daughters are doubly cursed: not only were they once unwelcome daughters themselves, but they are also paying for sins from previous lives with each girl child. These attitudes characterize the society into which Jasmine is born, and these beliefs determine how she comes to see herself. From the moment she is born, Jasmine is marked by a will to survive that challenges expectations and possibly fate and foreshadows the events that drive her narrative.

While Mukherjee's representation of Jasmine's early life might seem to suggest that Jasmine's India is stunted by its blind commitment to tradition, which justifiably bothers critics, it is better to see these moments within the critical context of the massive trauma of Partition. Mukherjee is not criticizing her homeland, but exploring the social and cultural impact of this moment on families like Jasmine's,

also excels at school. She displays enough promise to be allowed six years of schooling - "three years longer than her sisters," who were married off by a cousin who taught them that men prefer village girls with "no minds of their own". Her mother complains that God is "cruel to waste brains on a girl," but Jasmine's intellectual potential earns admiration from the village teacher, who lobbies for her to be allowed to continue her education and pursue a career. Jasmine's willingness and ability to go against her grandmother's wishes complicate perceptions of culture and gender roles in Jasmine as stable or fixed. In these scenes, Mukherjee deals with what she more explicitly addresses in several of her non-fiction works. Although her upbringing was quite different from her protagonist's, Mukherjee was born into a wealthy, upper-caste, Hindu family in India's Bengal province, she consistently grapples with similar issues of flexibility, both cultural and political, in determining her own identity. In "Beyond Multiculturalism: Surviving the Nineties," Mukherjee writes:

When I was growing up in Calcutta in the fifties, I heard no talk of "Identity crisis" communal or individual, the concept itself - of a Person not knowing who she or he was - was unimaginable in a hierarchical, classification-obsessed society. One's identity was absolutely fixed, derived from religion, caste, patrimony, and mother tongue. An Indian's last name was designed to announce his or her forefather's caste and place of origin. (455)

Although Mukherjee's upbringing and experiences contrast with Jasmine's in many ways, it is worth noting how her attitude towards Independence makes its way into the novel. Mukherjee, having been born into a comfortably colonized socio-economic situation, is expected and ultimately unable to adapt to a previous, imagined, and idealized pre-colonial India. Jasmine, who is born into a socio-economic position rendered quite uncomfortable by Independence (and particularly by the consequences of Partition), is raised in the shadow of this undivided and colonial India:

The issue is not that such stereotypical Jyotis are nowhere to be found, but That the exaggerated stereotyping begins by constructing but not holding On to a farcical image of oppressed Indian womanhood - an image which Might have a special appeal for western liberal feminism, which looks for Exactly such images of oppressed sisters in need of rescue. (76)

But there is a difference between translating India as oppressive as Gushy and Anaya believe Mukherjee does in Jasmine, and expressing ambivalence towards the political

becomes a significant plight of the characters, for as their different consciousnesses contradict each other, the characters are left uncertain as to the nature of their identities, not knowing where they fit in the

Mukherjee's characters with different socio-cultural experiences relate to a process involving complex negotiation and exchange. Mukherjee always has a concern that the new identity should not suffer from marginalization and suppression from any society. To avoid such circumstances she portrays her characters with qualities like individualism, independence, courage and decisiveness. Duality and conflict is not merely a feature of immigrant life in America. Mukherjee's women are brought up in a culture which ingrains them into such mindset even from childhood. Breaking of linguistic and cultural barrier begins early, due to the British colonization.

References:

1. Mukherjee, Bharathi. *Jasmine*. New York: Gross press, 1989. Print.
2. Bose, Brinda. "A Question of identity: Where Gender, Race and America Meet in Bharati Mukherjee." *Critical Perspectives*. Emmanuel S. Nelson. New York & London: Garland Publishing Inc., 1993. 47-63. Print.
4. Carab, Thomas J. "Tristes Tropisms: Bharati Mukherjee's Sidelong Glances at America." *The literary Half-Yearly* 35.1 (Jan 1994): 51-63. Print.
5. Chowdhury, Enakshi. "Images of Woman in Bharati Mukherjee's Novel." *LiteraryVoice* 2 (Oct 1995): 81-87. Print.
6. Dhaliwal, Amarpal K., "Other Subjects: identity, Immigration, Representations of Difference in *Jasmine*." *South Asian Review* 18.15 (Dec 1994): 15-25. Print.
7. Gomez, Christine, "The On-Going Quest of Bharati Mukherjee from Expatriation to Immigration." *Indian Women Novelist: Set II: Vol.3*. R.K. Dhawan. New Delhi: Prestige Books, 1995. 71-87. Print.
8. Grewal, Gurleen, "Born Again American: The Immigrant Consciousness in *Jasmine*." *Bharati Mukherjee: Critical Perspectives*. Emmanuel S. Nelson. New York & London: Garland Publishing Inc., 1993. 181-196. Print.
9. Indira, S. "Jasmine: An Odyssey of Unhousement and Enhousement." *Commonwealth writing: A Study in Expatriate Experience*. R.K. and L.S.R. Krishna sastry Dhwan. New Delhi: Prestige Books, 1994. 86-90. Print.
10. Indira, S. "Jasmine: A Search of Alternate Realities." *Recent Indian fiction*. Ed. R.S. Pathak. New Delhi: Prestige Books. 210-218. Print.

- Do I Belong? Identity and Alienation in Bharati, Mukherjee's *Desirable Daughters* and Jhumpa Lahiri's *The Namesake*." *South Asian Review* 31.1 (November 2010): 118-140. Print.
12. Nityanadam, Indira. "Yasmine Gooneratne's *A Change of Skies* and Bharati Mukherjee's *Jasmine*:"
13. "The Immigrant Experience in Australia and the U.S.A." *Commonwealth Writing: A Study in Expatriate Experience*. R.K. and L.S.R. Krishna Sastry Dhwan. New Delhi: Prestige Books, 1994. 50-54. Print.
14. Padma, T., "From Acculturation to Self-Actualization: Diaspora Dream in Bharati Mukherjee's *Jasmine*." *Commonwealth Writing: Study in Expatriate Experience*. R.K. and L.S.R. Krishna sastry Dhwan. New Delhi: Prestige Books, 1994. 77-85. Print.
15. Padimi, P., "Bharati Mukherjee's *Jasmine*: A Celebration of the Strength of Woman." *Indian Research Journal of Literature in English* 1.1 (Jan-June 2009): 60-67. Print.
16. Sivaraman, S., "Jasmine: A Search of Alternate Realities." *Recent Indian fiction*. Ed. R.S. Pathak. New Delhi: Prestige Books. 210-218. Print.

Dr. Shweta Rani

Ph.D.(English),

MJP Rohilkhand University,

Bareilly

Abstract : Literature is a form of human expression. It is also related to social and intellectual history, not just as documentation but as symbolic examples. The American elaboration and the impingement in turn of the newly formed civilization set trend towards pinpointing responsibility for the need to realize love as a quality in social interaction. For Bellow has feeling that there is a chance to decorate a new order that would reflect divine goodness. Saul Bellow was known as a Canadian- American writer for his famous literature work, Bellow was awarded the Pulitzer Prize, the Nobel Prize for Literature and the National medal of Arts. It is also matter of happiness that he is the only writer to win the National Book Award for fiction three times and he received the National Book foundation's life time Medal for distinguished contribution to American Letter in 1990 Bellow has also portrayed sensitive and introspective individuals who strive to understand their personal anxieties and aspirations.

Failure in love and incompatibility of marriage in a theme which Bellow scrutinizes in his novels like *Dangling man*, *The Victim* and *the seize*. The emotional foundation and its subsequent intellectual expression show by society It is as Bellow says ".....human kind struggles with collective powers for its freedom; the individual struggle with dehumanization for the possession of his soul". The institution of marriage suffered alarming in the western society due to various factors, such as change in the family functions, convenient divorce laws, the insignificant role of religion and awareness of general and specific rights. The preoccupation of the portagonist with his problems leads to his unhappy marriage which is linked with the loss of love and the loss of faith in society Confusion and lack of religious faith leads ot unhappy marriage. In the ultimate analysis, it is only death that brings the final realization and triumph over confusion and lack of faith in society.

Joseph, the hero of *Dangling man* is a sequestered individual, confined most of the time to gabby Chicago quest house. The environmental effect on his personality is the outcome of his unemployment and inaction. As time passes, his personality undergoes an essential reconstruction and he depicts sharp difference between his 'old self' and his ' new self'. The social context in the novel shows the dangling nature of Joseph. He has broken all links with his friends and acquaintance. His freedom from gross materialism is not complete the truth of his existence creates anxiety of for nothingness. When love cannot find its object, it delves into self and experiences the truth of one's existence.

Joseph wants to love and be happy, but the society

recognized as one by the society. The importance of love as a need to surmount social distraction like war is tremendous. Loneliness teaches him the necessity of communicating through love. In another instance Joseph goes to the restaurant and reflects -"..... I discover that I am not hungry at all, but now I have no alternative and so I eat". This brings out the trauma in Joseph. There are also some external factors that campel Joseph to seek freedom outside marriage, though he loves Iva truly. His joining the army at the cost of marriage is trying to discover some principal of law which can bring about a harmonious synthesis between outward history and inner freedom. Later,

Joseph dangles and shifts from a committed self to a disquieted behaviour because of his disturbed state. His relation with Iva is of love and hate. He shows a concern for Iva yet he cannot submit his self in marriage as he would like to because of the pressures due to social expectations from him. Joseph and Iva show a considerable constraint and are though of as a good couple when they attend the party of Mina Servectus. Joseph also desires to be with her for the sake of mute possession. He contemplates about his relation with Iva; he has all the time to do so.

The separation of Joseph and Iva at the end of the novel both and it suggests that it might do good as it is an attempt to resolve Joseph's dilemma of inaction. While watching a sunset Joseph writes, " I woke Iva, and we watched it , hand in hand. Her hand was cool and sweet. I had slight fever" (DM. 158) Later he leaves her but he regrets leaving her, yet it is for the sake of dignity that he goes away. sociologically, Joseph becomes a victim of marriage and intimacy because; The paradox is that marriage is used as a means of achieving a measure of autonomy. Romantic love is a gamble against future time on the part of women who became specialists in matters of (what now has come to be understood as) intimacy. There was an almost inevitable connection between love and marriage for many inevitable connection between love and marriage, for many women in the early periods of modern development... The severance between marriage and its traditional roots in external factors imposed itself much more forcefully upon women than men, who could find in marriage and the family primarily a refuge economic individualism.

These issues crystallize into a metaphor of the modern man in western society. The confinement of Joseph in his room projects an image of the man who has lost his way of life compared to when he was working in a travel

have explained, played its part, making in roads on my vanity. Suspicion something wrong ' I meant there was falseness about it (D M.63).

As the time passes, Joseph realizes of the inevitability of death, he suddenly decides to do some found it extremely different to conform to the existing social values, should now so desperately want to do something for the same society. The effort to return to society is the human struggle of conquering the thanatotic urge. There is no escape from the reality of death. This is evident when Joseph walks suggests his acceptance of family, but on his way he sees a well dressed man collapse. This remains him of his mother's death and he thinks of death as; without warning down. A stone, a girder , a bullet fleshes against the head , the bone gives like glass form a cheap Klin; or a subter enemy escapes the bond of years; the blackness comes down; we lie, a great weight on our faces straining towards the last breath with comes like the gritting of gravel under a heavy tread (DM.95-96).

It is evocation, marriage has failed as a supportive institution in American society of late forties because of materialistic pressures yet it remains a social necessity Bellow implies in other novels the inadequacy of marriage and in Dangling Man his views on marriage is that of exigency Marriages establish the urgency of being together. At the end of the novel, it appears that the separation of Joseph and Iva is final, but that could be the effect of an open ending. There have been instances when Joseph felt secure with her, went out for their wedding anniversary dinner and enjoyed living with her through rough times. By analysis Joseph's behaviour it shows his suffering metamorphosing into insecurity..... Insecurity and lack of love shows Joseph's dilemma. He is well aware of the tension brewing up with Etta and the need to control it. He is unable to bridge the difference with Etta due to his isolation and indifference. Isolation and an inward pressure make Joseph a thanatotic individual. His isolation and aliention come to him through freedom but it can not help to overcome the corporeality suggested by war. It implies that the urgency to live is no guarantee against death, as freedom is no guarantee against the "imprisoning of the self". Joseph has also a different look as he looks at nature as the emancipator of isolation and gloominess. The novel begins in December and the mood is highly charged with aliention. winter to spring is symbolically the return from isolation to community, from chaos to harmony counting of days shows the hurry and anxiety with which Joseph wants to come back, In spite of all odds to society and accepts what is offered.

they have dimensions which are not accessible to reason Bellow tells us later in Herzog, that the soul lives in more elements than we can ever know. An effort to know these elements is the central theme. His heroes are placed in a large human context and by transcending the complexities of life they know what life is.

References

1. Saul Bellow, The Noble Lecture, (American Scholar XLVI, Summer, 177).
2. Saul Bellow, Dangling Man, (Hammondsprt, Penguin, 1963).
3. Dangling Man, The reference to hardboiled-doom reflects the harshness that prevails in American society iin terms of. MaterialismVs Spiritualism.

Dr. Priyanka Arora
B.B.K (P.G.) Mahavidyalaya,
Ujhani

Abstract : Dithiocarbamates are extensively used as agricultural fungicide, insecticide as well as repellent for rodents and certain large animals that causes damage to field crops. They are used to control various dermatophytes as well. The biodegradation of thiram probably plays an important role in its toxicity. The present study includes the reproductive toxicity of Thiram in normal as well as Laboratory induced diabetic conditions in the male albino rats.

Key words: Thiram, Ziram, Ferbam, Fungicide, Diabetes.

Introduction.

Dithiocarbamates are in use as fungicides, insecticides as well as repellents. But the biodegradation of Thiram probably plays an important role in its toxicity. Nitsche et al. (1975) reported that the fungicides like Ferbam, Ziram and Thiram are not stable under environmental conditions and they can be mobilized to toxic products such as CS₂ and Hydrogen Sulfide. Carbon disulfide was detected in the expired air following oral administration of Thiram to man. It was concluded that Thiram is a cytotoxic chemical (Van Leeuwen, 1986). Yadav and Avasthi (2010) also investigate that Thiram has metabolized into CS₂ but to variable extent in normal and diabetic deficient rats. One unique effect reported for the Organophosphorous compound is premature ovarian failure (Nakajawa, 1974). During the first few days of life, male steroid enzyme levels are imprinted in the liver of male rats by the action of other androgens and chemicals (Gustaffson et al. 1981). Reproductive toxicity of number of pesticides has also been reported. Noda et al. (1972) reported increased mortality and also increased fetal toxicity. Oral doses of Endosulfan at a concentration of 5mg Kg⁻¹ and above on day 6 to 14 of gestation increased the mortality of rats and skeletal abnormalities in their faetus (Gupta et al. 1978). Oral doses of 10 mg Kg⁻¹ Day⁻¹ caused degeneration of seminiferous tubules and a significant increase in the weight of testes (Gupta & Chandra 1977). Oral doses of Mirex, an organochloride mixture caused maternal toxicity, failure of pregnancy, decrease in fetal survival, reduced fetal weight and an increased incidence of visceral anomalies (Khera et al., 1976). Thiram treatment has also resulted in Haematological Parameter changes in diabetic male albino rats (Yadav and Avasthi, 2014).

Material & Methods.

To investigate the Thiram induced Reproductive changes in parameters like LDH, PDH, SDH and ATPase in diabetic rats following method was taken into consideration:

Thiram Toxicity Studies with Rats

from Experimental Animal Facility of All India Institute of Medical Sciences, New Delhi. The rats normally weighed 150-200 gms were selected for diabetes at the start of the experiment, and were maintained in plastic cages supplied with powder-diet (prepared by HAFED plant, Rohtak) until the start of any treatment. All the rats had free access to water and were acclimatized to laboratory conditions for at least one week before performance of any experiment. The normal temperature 20±2°C was maintain for rats in this experiment.

Induction of Diabetes in rats.

The rats acclimatized for laboratory purpose were fasted overnight before a single injection (ip) with Alloxan. Alloxan monohydrate (sigma chemical) was dissolved in sterile saline solution (154 nmol/l) immediately before use and injected (15mg/100 g body weight) of lightly anesthetized rats. Blood was collected by cardiac puncture and blood sugar was estimated (Sasaki et al., 1972) for three days to ascertain the onset of diabetes. Only those rats were considered diabetic which had blood sugar level 250 mg/dl.

Treatment of Rats with Thiram.

In the present study an oral route of Thiram administration was selected. The 4 different dietary doses of thiram were 300ppm, 600ppm, 900ppm and 1200ppm given for a period of 30 days. Thiram was mixed thoroughly with normal powered diet and was provided to rats in the pallet form.

Results.

The exposure to thiram caused an increase of LDH activity. The dietary treatments 1-4 caused 5.3, 26.2, 27.3 and 37.9 percent increase in normal rats & in diabetic rats the dietary treatments 1-4 caused 2.35, 3.1, 5.0 and 6.5 percent elevation respectively.

The treatment of thiram caused a reduction of testicular ATPase activity. In normal rats, a consistent decrease of 8.3, 30.2, 38.6 and 44.8 percent occurred following dietary testaments 1 to 4. The diabetic rats showed a decrease of 8.2, 22.4, 31.2, 38.6 percent.

The exposure to thiram caused a reduction of SDH activity. The dietary treatments 1-4 caused 5.2, 9.3, 10.6 and 13.0 percent inhibition respectively in normal rats. The corresponding values for diabetic rats were 0.3, 2.7, 5.1, 6.1 percent.

Exposure to thiram resulted in decrease of PDH activity. For normal rats, the dietary treatments 1 to 4 caused 1.4, 2.3, 7.2 and 20.5 percent inhibition in normal rats, & 0.07, 2.5, 11.0 and 17.1 percent inhibition in diabetic rats.

and development.

The thiram treatment resulted in increase of LDH activity. A high concentration of LDH is present in the testis of new born rats and its activity declines with the development of testis (Free 1970). Increase in LDH after thiram exposure suggests a depletion of the germ cells in seminiferous tubules.

The inhibition of testicular SDH is suggestive of retarded metabolic status of the testes following exposure to thiram. In buffaloes spermatozoa, the SDH has been reported to be bounded strongly to the mid-piece (Sidhu and Guraya, 1979). The level of SDH has been positively correlated to the initial motility, live sperm percentage and sperm concentration (Rao and Pandey 1977). The inhibition observed in SDH activity following exposure to thiram in the present study is indicative of non-motile and abnormal spermatozoa along with a decrease in their count.

The decrease observed in ATPase is suggestive of testicular damage. The ATPase provides energy for sperm motility (Mann and Lutwak-Mann 1984). The inhibition in ATPase, recorded in the present study is thus indicative of reduced motility and increased permeability of spermatozoa.

The reduced PDH, SDH and increased LDH in testes are indicative of a condition favourable for anaerobic metabolic pathway to meet the energy requirement while aerobic pathway was strongly inhibited.

References.

1. Free, M.J. (1970). Carbohydrate metabolism in the testes. In : Johnson, A.D. Gomes, W.R., Vandimark, N.L., (eds.) The testes, Vol. II. Acad. Press, New York pp. 125-192.
2. Gupta, P.K., Chandra, S.V. and Saxena, D.K. (1978). Teratogenic and embryotoxic effects of endosulfan in rats. *Acta Pharmacol. Toxicol.*, 7, 283-288.
3. Gupta, R.C. and Pual, B.S. (1977) : Sub acute toxicity study of malathion in *Bubalus bubalis* (Buffalo). *Pesticides* 11 : 26-29.
4. Gustaffson, J.A. Eneroth, P., Hokfelt, T., Mode, A. Norstedt, G., and Skett, P. (1981). Role of the hypothalamopituitary liver axis in sex differences in susceptibility of the liver to toxic agents. *Environ. Health Perspect.*, 38: 129-144.
5. Khera, K.S. Villeneuve, D.C., Terry, G., Panopio, L., Nash L. and Trivett, G. (1976). Mirex, A teratogenicity, dominant lethal and tissue distribution study in rats. *Food Cosmet. Toxicol.*, 14, 25-29.
6. Mann, T., Lutwak Mann, C. (1984). Male reproductive function and semen, Springer Berlin. Heidelberg, New York.

carbamates, In Proc. Of the 3rd IUPAC Congress. Geore Thieme Publ. Stuttgart, pp. 292-297.

9. Noda, K. Hirabayashi M. Yonemura, I. Maruyama, M. and Endo, I. (1972). Influence of pesticides on embryos 11. On the influence of organochlorine pesticides. *Pharmacometrics* 6, 673-679.
10. Rao, B.R. and Pandey, J.N. (1977): *Anim. Sci.* 47, 469.
11. Sasaki, T., Matsuy, T. Sanae, A. (1972). Effect of acetic acid concentration on the colour reaction in the G-toludine-boric acid method for blood glucose determination. *Rinsho. Kagaku*, 1, 346-353.
12. Sidhu, K.S. and Guraya, S.S. (1979). *J. Repord. Fertil.* 57, 205.
13. Van Leeuwen, C.J. (1986): Ecotoxicological aspects of dithiocarbamates, Utrecht, University of Utrecht (Thesis).
14. Yadav, P.S. and Avasthi, R.K. (2010): Metabolism of Thiram on rats in diabetic conditions. Proc. Nat. Seminar "Computing Life : Raw to Refind" M.D. University, Rohtak. 7-10.
15. Yadav, P.S. and Avasthi, R.K. (2014): Haematological changes in Thiram induced diabetic male Wistar (Albino) rats. Proc. Nat. Seminar "Next Generation Science : Vision 2020 and beyond" M.D. University, Rohtak. ISBN-978-81-920945-4-0.

P. S. Yadav

Department of Zoology,
Vaish College,
Rohtak-124001 (India)

Abstract : W. B. Yeats was considered to be one of the most important symbolists of the 20th century. He was influenced by the French movement of the 19th Century. When W. B. Yeats was in his early twenties, a single sentence formed itself in his mind: "Hammer your thoughts into unity". For years he writes in "If I were four and twenty, I tested all I did by that sentence." He thus considered life and art inseparable. Understandably, then his concept of reality as unity and his belief that symbols can evoke that reality evolved from his personal experiences and synthesis of numerous systems of thought. Unity of various kinds dominated his mind from his youthful involvement in the movement and Irish nationalism to his later efforts to achieve "Unity of Being" through poetry. During his youth he hoped to help unify Ireland by gathering together his literature - The Fairy Tales, Legends & Myths. Yeats writes: As a young he had three interests: "in the form of literature; in the form of philosophy & a belief in Nationality."

DISCUSSION W. B. Yeats (1865-1939) was very influenced by the French symbolist movement and he is often regarded as the most important symbolist poet of the twentieth century. Yeats felt 'metaphors are not profound enough to be moving,' so his poems heavily incorporate symbols as a means of expressing abstract and mystical ideas. He is famous for his symbolism in English Literature. His symbols are very famous. He was aware of the symbolic value of an Irish winner so soon after Ireland had gained independence, and sought to highlight the fact at each available opportunity. His reply to many of the letters of congratulations sent to him contained the words: "I consider that this honor has come to me less as an individual than as a representative of Irish literature, it is part of Europe's welcome to the Free State." Yeats used the occasion of his acceptance lecture at the Royal Academy of Sweden to present himself as a standard-bearer of Irish nationalism and Irish cultural independence His Kinsmen's devotion to Ireland & Contempt for the English was also observed by him: "Everyone I knew well in Sligo despised Nationalists & Catholics, but all disliked England with a prejudice that had come down perhaps from the days of the Irish Parliament. I knew stories to the discredit of England & took them all seriously". His poems incorporated symbols as a means of representing mystical, dream like & abstract ideas. . There are so many poems in English Literature in which he has used so many symbols. He has used symbols at an appropriate place in his poems. In his poem "A Prayer for My Daughter", he has criticized the beautiful ladies like Helen and said that beautiful ladies eat "crazy salad."

are poems of Yeats which in-corporate symbols and will be discussed in his essay. In "A Vision" Yeats speaks of "Gyres" as his term for a spiralling motion in the shape of a cone. These gyres are important symbols in the poetry of Yeats and especially in 'The Second Coming', being mentioned in the very first line. The gyres function as a symbol alluding something which could be subjective the reader. It could be prophetically interpreted to mean that mankind and life itself is spiralling into self-destruction. This idea is reflected in the first few lines of the poem: - "The falcon cannot hear the Falconer; Things fall apart; the centre cannot hold; Mere anarchy is loosed upon the world". The symbol of the gyre is being continued through the image of the falcon, as it spirals above the falconer, getting further and further from the centre until eventually the falcon cannot hear the calls of its master. The phrase "Things fall apart" could easily be interpreted as referring and to destruction of the physical world itself, and the use of the verb "loosed" is effective. Some poetry critics and most readers who are a bit confused by W. B. Yeats' poems would call him the "master of symbolism." He uses the mechanisms of poetry-rhythm, rhyme, and meter-along with the use of both emotional and intellectual symbols to express emotion and higher meaning in a usually short and concise length of words. His theories on rhythm and use of symbols are evident in his work, especially in such pieces as "The Second Coming," "The Valley of the Black Pig," and "No Second Troy," and Yeats' feelings toward emotion and the symbols and words that invoke them make both he and his work unique. In Yeats' essay "The Symbolism of Poetry," he explains his theory of how rhythm, rhyme, and meter should be properly applied in poetry. Of rhythm, he says that it should be musical. Throughout his poetry there is an underlying rhythm and meter; he uses it in a way that makes its presence come secondary to the ease of reading the poem naturally.

He does this with "The Second Coming" and "The Valley of the Black Pig." In places, through variation in rhythm, it is obvious that he is more worried about the content of the poem than any particular meter. Lines such as: - "Surely some revelation is at hand; surely the Second Coming is at hand. The Second Coming! Hardly are those words out..." and "The dew drops slowly and dreams gather: unknown spears suddenly hurtle before my dream-awakened eyes..." (Poems of W.B. Yeats 1). These lines show examples of this. Yeats explains in his own words, "The purpose of rhythm...is to prolong the moment of contemplation, the moment when we are both asleep and awake, which is one moment of creation, by nuzzing us with an alluring monotony, while it holds us waking by persistent." What Yeats means is,

of trance that it induces, helps the mind reach a dreamlike state in which everything is expressed and understood in symbols and understood more purely than if the logical side of the mind were to "pick" at the poem. Thus, his use of symbols is justified in one way through his preference of a looser rhythm.

Rhyme, Yeats explains in his essay, is used best for memory's sake. In this way it is believed he means for rhyme to be recursive and to draw a connection between one line or lines and another. The rhyming words cause the brain to inadvertently recall the line or lines before it that rhymed with the last line they have read. The motion of this recursive rhyming theory can be seen as a needle sews in a loop, two stitches forward and one stitch back, weaving a story fragment and an emotion into the mind of the reader ("The Symbolism of Poetry" 153-159). Also in the same essay, Yeats describes symbolism in many different ways: as the "language" of dreams, as emotional or intellectual, and as an ever-changing level of meaning that differs from person to person and time period to time period. He believes that these images evoked by symbols are what the essence of poetry should be, that a poem should not merely have one meaning, but many meanings to many people of different times. Throughout almost all of his poetry there are symbols to be felt or interpreted. One type of symbol he writes about in his essay is an emotional symbol. An example of an emotional symbol is the use of the word purple to describe hills or clouds; it gives a serene feeling but also perhaps a sad feeling, though for no particular, logical reason.

The second type of symbol Yeats writes about is an intellectual symbol; this is a symbol that stands for something and its meaning is learned, such as, the cross standing for forgiveness or Jesus, or a white lily standing for purity. Yeats says that intellectual symbols are the most effective because they convey depths of meaning rather than just a general feeling or nostalgia. He says, "It is the intellect that decides where the reader shall ponder over the procession of symbols, and if the symbols are merely emotional, he gazes from amid the accidents and destinies of the world; but if the symbols are intellectual too, he becomes himself a part of pure intellect...If I watch a rusty pool in the moonlight, my emotion at its beauty is mixed with memories...but if I look at the moon herself and remember any of her ancient names and meanings, I move among divine people..." ("The Symbolism of Poetry" 161). For example, Yeats' poem "The Second Coming;" in this poem there are the symbols gyre, falcon and falconer, lion body, rocking cradle, and Bethlehem, just to name a few. Each of these is an intellectual symbol, and, depending on

in the emotional colors that those symbols paint in the reader's mind. This creates deep levels of meaning to his poems. If a poem, such as "No Second Troy," is read lightly it gives off a simple emotion from its wording and subject matter. But with deeper study into the history of both Yeats and the poem, one learns who the woman is that he speaks of and why he says such things of her as "[She has] taught to ignorant men most violent ways, Or hurled the little streets upon the great..." and "With beauty like a tightened bow, a kind That is not natural in an age like this,..." ("Poems of W. B. Yeats 1). However, on another level, one could see a comparison and contrast of the woman in the poem and Helen of Troy. It is said about Helen that she was the cause of Trojan War. Through the poem 'No Second Troy', he symbolically criticized his beloved Maud Gonne who had rejected the love proposal of W.B Yeats.

Thus it can be concluded that W.B.Yeats is really the master of symbols. The symbols which are used by him in his poems are world famous. It is said about him that he was highly inspired by "Bhagavata Gita." Certainly Yeats knows his theories on symbolism in poetry and how to apply them. He shows these qualities in his own work through mechanics and content. The ideas of his essay clearly define and influence his poetry and his perspective of it. Clearly he is a master of symbolism even among his peers. Perhaps one of the effects of his knowledge of symbols is that the moon may be more than just a moon, and a flower more than a flower.

LITERARY REFERENCES

1. Yeats,W.B., Explorations (New York: The McMillan Company, 1962)P. 263.
2. Yeats,W.B., Four Years: 1887 to 1891 in 'The Autobiography of W. B. Yeats,' Collier Books (New York: The McMillan Company, 1969) P. 128.Ibid, P.20 Ibid, P.21
3. Yeats, W.B. "Poems of W. B. Yeats." "No Second Troy." Handout. Dr. J. Whitsitt. September 2006. Pg. 1.
4. Yeats, W. B. "Poems of W. B. Yeats." "The Second Coming." Handout. Dr. J. Whitsitt. September 2006. Pg. 1.
5. Yeats, W.B. "Poems of W. B. Yeats." "The Valley of the Black Pig." Handout. Dr. J. Whitsitt. September 2006. Pg. 1
6. Yeats, W. B. "The Symbolism of Poetry." Handout. Dr. J. Whitsitt. September 2006. Pgs. 153-164.

Abstract : The present study is an attempt to investigate the relationship between socio economic status and Modernization among socially backward adolescents. Its was assumed that socio economic status is positively correlated with Modernization among socially backward adolescents. The sample comprised of 800 adolescents of Meerut city. Eight correlations were obtained to determine the relationship between socio economic status on one hand and Modernization and its seven dimensions on the other hand.

It was revealed that six out of eight significant correlations between socio economic status and the Modernization and its dimensions are suggestive of a relationship which implies that adolescents of higher socio economic status are more modernized.

INTRODUCTION

Modernization has been a subject of intense sociological research for the preceding four decades. Consequent to research efforts in the discipline of sociology, followed by the discipline of education, Phenomenon of modernization has gained greater clarity and acquired better appreciation for the role it plays in the determination of human behavior in various life situations.

Many brilliant studies of the process of modernization are made by Indian as well as foreign scholars. Mention may be made of the following: W.C. Smith (1965), Dogra R.N. (1966), C.E. Black (1966), S.C Dube (1967), S.N. Eisenstadt (1963), Srinivas, M.N. (1966), S.K. srivastave (1976), Rajan, Vithal and Lalita, K. (1982), Ahmad Imtiaz (1983), Dahiwale, S.M (1989), Leela kumara, P. (1989), Khan Akbar Mehboob khan (2000), Benedicte Bull et al. (2012), Edmore Ntini (2016) and Sudarshan Bordoloi, Raju j. Das. (2017). Research efforts till date have so far been directed at an understanding of the phenomenon of modernization. What factors contribute to modernization among adolescent learners, particularly socially backward adolescent learners, is a question which has failed to evoke the attention of educational as well as sociological researchers. Hence an attempt has been made to ascertain the influence of Socio Economic Status on modernization of socially backward adolescents.

STATEMENTS OF THE PROBLEM

Specifically stated, the study in hand has attempted to ascertain the influence of Socio Economic Status on modernization among socially backward adolescents. There are many psychological factors which may influence the modernization of socially backward adolescent learners.

the influence of only one psychological factor, namely Socio Economic Status on the modernization of socially backward adolescents.

OBJECTIVE OF THE STUDY

The present study has been designed with a view to achieve the objective mentioned as under:

To ascertain the relationship between socially backward adolescent learner's Socio Economic Status and his modernization.

HYPOTHESIS:

The hypothesis as under was framed in the context of objective of study and related research studies:

Socio Economic Status of a socially backward adolescent learner and his modernization bear low positive relationship.

DEFINITIONS OF THE TERMS USED:

Socio- Economic Status:

Refers to the position that an individual or family occupies with reference to prevailing standards of cultural professions, effective income, natural possessions and participation in group activities.

Modernization:

Refers to a process through which certain specific value orientations are transmitted to those areas, individuals and groups who are hitherto not having those value orientations; thus, it has been conceived as a process of becoming modern. The state modernization at the time of study has been measured in terms of level of modernity of the respondents. Seven value orientations have been identified as indicators of modernity (i) Changeability, (2) Secularism, (3) Scientific Attitude, (4) Women's Freedom, (5) Political Consciousness, (6) Democratic Values, and (7) Education.

METHOD AND PROCEDURE

Causal comparative method was used for ascertaining the influence of Socio Economic Status on the modernization of socially backward adolescents.

TOOLS:

The tools written against the variables in the following table were used for their measurement:

Variable	Tool
1. Socio-Economic Status	1. Beena shah's Socio-Economic Status scale
2. modernization	2. Sharma Modernization scale. (Self developed)

SAMPLE AND SAMPLING TECHNIQUE:

Eight hundred male and female adolescents of senior secondary classes in equal number constituted the sample

(XI) & XII Graders)			(XI) & XII Graders)				
Name of Institute	No. of Adolescents		Name of Institute	No. of Adolescents			
	Gen	S.B.	Total	Gen	S.B.	Total	
1.B.A.V.I/C Meerut	50	50	100	1. ShantaSmark Girls I/C Meerut	50	50	100
2.N.A.S.I/C Meerut	50	50	100	2. Raghunath Girls I/C Meerut	50	50	100
3. Ram Sahai I/C Meerut	50	50	100	3. K.K. Girls I/C Meerut	50	50	100
4. S.S. D.I/C/ Meerut	50	50	100	4. Ismail National Girls I/C Meerut	50	50	100
Total	200	200	400	Total	200	200	400

ANALYSIS & ORGANIZATION OF THE DATA

Table- 1

Eight correlations were obtained to determine the relationship between Socio Economic Status on one hand and modernization and its seven dimensions on the other hand which resulted as following:

S.No	Details of correlation	Value of r
r1	Correlation between Socio Economic Status and 'Changeability' dimension of Modernization	$r_{1y1}=0.015$
r2	Correlation between Socio Economic Status and 'Secularism' dimension of modernization	$r_{1y2}=0.308^{**}$
r3	Correlation between Socio Economic Status and 'scientific attitude' dimension of modernization	$r_{1y3}=0.279^{**}$
r4	correlation between Socio Economic Status and 'women's freedom' dimension of modernization	$r_{1y4}= -0.120^*$
r5	Correlation between Socio Economic Status and 'political consciousness' dimension of modernization	$r_{1y5}= -0.118^{**}$
r6	Correlation between Socio Economic Status and 'democratic values' dimension of modernization	$r_{1y6}=0.281^*$
r7	Correlation between Socio Economic Status and 'education ' dimension of modernization	$r_{1y7}=0.043$
r8	Correlation between Socio Economic Status and Total modernization score	$r_{1y8}=0.291^{**}$

RESULTS AND DISCUSSION:

relatedto socially backward adolescent learners' modernization.

2. Correlation between socio-economic status and modernization as well as its seven value orientations ranges between- $.120^*$ to $.308^{**}$

3. Correlation between social-economic status and modernization($r_{1y2}=.291^{**}$),as well as its three value orientationsi.e. secularism ($r_{2y3}=.308^{**}$), scientific attitude ($r_{3y4}=.279^{**}$), and democratic value ($r_{6y7}=.281^{**}$) is significant but low.

4. Correlation between socio- economic status and women's freedom ($r_{4y5}= -.120^*$) as well as political consciousness ($r_{5y6}= -.118^*$) is also significant but it is negative as well as low.

5. Socio-economic status does not show any significant relationship with changeability ($r_{1y1}=.015$) as well as education ($r_{7y8}=.043$) dimensions of modernization.

Socio-economic status is an important social factor influencing modernization among socially backward adolescents.

6. By and large, socially backward adolescent learners who belong to high socio-economic status tend to be more modernized and those who belong to low socio-economic status tend to be less modernized.

7. It seems proper to examine the theoretical implication of the study. Socio-economic status exerts a limited influence on socially backward adolescent learner's modernization. Thus these findings support the hypothesis that socio-economic status of a socially backward adolescent learner and his modernization bear low positive relationship is,therefore,approved.

8. The above hypothesis of the study was framed on the reasoning and general observation that socially backward adolescents belonging to high socio-economic status tend to be more modernized as they get a suitable environment in and around their family for modernization while the adolescents belonging to low socio-economic status fail to get such a suitable environment for their modernization. It was, therefore. Observed that there should be a low positive relationship between socio-economic status and modernization.

9. Socio-economic status of an individual is measured by his effective income, natural possessions, cultural professions and participation in group activities. Again these finding also support the general view that media particularly newspapers, radio, magazines films and T.V channels play an important role in inculcating modernization among socially backward adolescents. These means or mass media

political consciousness. It is probably the results of false propaganda of women's rights and women's reservation slogans by political parties and the present unstable political scenario of our nation. Infact our adolescents are fed up of the changing loyalties of our political leaders. Falling standards of moral and human among politicians, criminaliazation of politics, instigation or regional and communal feelings by the politicians, increasing corruption among politicians at national level and false assurances and hippocracy among politicians are the various factors which have developed negative feeling about political consciousness and women's freedom among socially backward adolescents.

11. These findings also lend strong support to the previous research studies conducted by many distinguished scholars like Kahl (1968), Rajan, Vithal and Lalita,K. (1982) who found a positive relationship between socio-economic status and modernization.

12. To summarise socio-economic status exerts significant influence on modernization among socially backward adolesecents. It's contribution, however, is of a limited value.

References: -

1. Ahmad, Aziz (1969),"Islamic Modernization in India and Pakistan" London 1983.
2. Ahmad, Imtiaz(1983), "Modernization and social change among Muslims in India" manohar, New Delhi.
3. Benedicte bull et al.(2012), "Between ruptures and continuity: modernization dependency and the Evolution & Development Theory". Forum for Development Studies, Valume 39. Issue 3.
Cao Fangjum(2009),"Modernization theory and China's Road to Modernization",Chinese Studies in history, volume 43, Issue 1.
4. Black C.E. (1966) The Dynamics of modernization : A study in comparative History" Harper and Row, New York.
5. Coleman, James S.(1968),"Modernization: Political Aspect", Mac Millan and Free Press, London.
6. Dahiwale, S.M.(1989),"Occupational Mobility in an industrial Urban setting" Indian journal of social work, Vol 50, No -02, PP. 213-225.
7. Dogra, R.N. (1966),"Education as an instrument of modernization", Inaugural address to the Seminar on Higher Education, Technology and Social Change, I.I.T., New Delhi.
8. Dube S.C.(1967),"Modernization and its adaptive demands on Indian Society",In paper in the sociology of modernization, edited by M.S. Ghosh, published by

10. Eisenstedt, S.N.(1966), " Modernization : Protest and change", Prentice Hall, London.
11. Kahl, Joseph(1968), " The Measurement of Modernism: A study of values in Brazil and Mexico", Texas University Press.
12. Khan, Akbar Mehboob khan (2000), "Impact of Modernization on Muslim Women : A case study of District Aurangabad",University News, 38 (46), P.32.
13. KuppuSwamy,B. (1972), "Social Change in India", Vikas Publishing House, Delhi.
14. LeelaKumari, P.(1989),"Social Mobility Among Scheduled Caste Women in Kerala:, Unpublished Ph.D. Thesis, University of Kerala, Trivendrum.
15. Mehra, L.S.(1977), "Youth in Modern Society", Chug Publications Allahabad.
16. Rajan, Vithal and Lalita, K.,(1982),"Case Study on the Impact of Modernization and Irrigation on the Economic and Social Conditions of Rural Women Workers", L,C, S.S. R. New Delhi.
17. Singla, Pamela(1995),"Empowering the Socio - Economically Disablea", Social Action, Vol. 45, No. 1, Jan-Mar.
18. Singh Yogendra(1973),"Modernization of Indian Tradition a Systemic Study of Social Change", Thompson press, Delhi.
19. Smith W.C. (1965),"Modernization of a Traditional Society", Indian Council of World Affairs, N. Delhi.
20. Srinivas, M.N. (1966),"Social Change in Modern India", California university press, Berkeley.
21. Srivastava S.K.(ed) (1976),"Tradition and Modernization Process of Continuity and Change in India",International Publication, Allahabad.
22. SudarshanBordoloi, Rajuj.Das(2017), " Modernization theory InternationalEncyclopedia of Geography: People, The Earth, Environment and Technology, PP. 1-14.
23. Tahseen, Rana(1993),"Education and Modernization of Muslims in India", Deep and Deep Publications, N. Delhi.
24. Urmi Nanda(1992),"The Psycho Social Parameters of Socio Economic Mobility and Poverty", Unpublished Ph.D. Thesis University of Allahabad.

Dr. Dinesh Mohan Sharma,
Associate Professor

Dr. Niranjana Sharma,
Associate Professor

B.Ed Dept. Govt. P.G. College
Kotdwara, Uttarakhand

Abstract

In India the cases of molestation are registered under section 354 of the Indian Penal Code (IPC) under the head of "Assault as criminal force to women with intent to outrage her modesty". It is not confined merely to threat or gesture communicating obscenities directed against a particular person, but also involves a certain degree of physical contact by use of force with a view to harm the other person also. The main objective of the study is to focused on the major crime against women in India. To aware the society from such type of crime. Changing pattern of molestation and temporal or spatial pattern of molestation in India. Data for molestation cases is to be collected from crime in India : N.C.R.B. Reports (National Crimes Records Bureau), New Delhi. Study is basically descriptive in nature. In Indian society there is a need for such type of study to change the mentality of every person about women.

Introduction

The Oxford Advanced Learner's Dictionary to Current English has defined the term molestation as an Intentional annoyance. However, it signifies something more than Intentional annoyance. It is not confined merely to threat or gesture communicating obscenities directed against a particular person, but also involves a certain degree of physical contact by use of force with a view to harm the other person also.

In India the cases of molestation are registered under Section 354 of the IPC under the head of "Assault as criminal force to women with intent to outrage her modesty". The essential ingredients of this offence are as follows :

- ★ A woman was assaulted or subjected to use of assault criminal fore.
- ★ The intention of the accused was to outrage her modesty, or
- ★ The accused knew that her modest will be outraged thereby.

The punishment under this section is the imprisonment of either description for a term which may extent to two years, or with fine, or with both.

The increasing trend in cases of molestation can be attributed to the changing role of women in terms of active and dynamic participation in the social life such as playing, leading roles in politics, education profession etc. The most infamous case of outraging the modesty of a woman was the Rupan Deol Bajaj vs. K.P.S. Gill (1995) case in which the senior most police officer or the Punjab state slapped the posterior of a senior, lady, I.A.S. Officer in the presence

Focus on major crime (Molestation) against women in India.

To aware the Indian Society about such type of crime.

Explain the Spatio temporal pattern of molestation in India.

Source of Data & Research Methodology.

Date of Crime against women and molestation has been collected from crime in India N.C.R.B. Reports 1991, 2001, 2011 and 2016. Population of 1991, 2001 and 2011 from census of India. State wise data on crime was collected for analysis and crime rate was calculated with female population i.e.

Crime
----- x 1,00,000
Female Pop.

Study Area

Data of crime and female population of India state wise data was collected. In India Status of women is increasing but crime against women cases reported under IPC and SLL are increasing. So there is a need for study about Indian society and its problems of various crimes against women in India. Molestation is one of them so study area was selected for the study of such crime.

Analysis of Data

Out of total 74,093 reported cases of Crime against women in year 1991, 27.82% (20611) were of moderation. In the year 2001, out of total 1,43,795 reported cases of total crime against women 23.73% (34124) were of molestation. Out of total 2,19,142 registered cases of total crime against women in the year 2011, 19.61% (42,968) were of molestation.

(Source : Govt. of India, Crime in India, National Crimes Record Bureau, Ministry of Home Affairs, New Delhi, Reports of 1991, 2001, 2011)

Recent Crime Against Women distribution in (%) during 2011

Dowry Prohibition Act	2.9%
Immoral Traffic Act	1.1%
Dowry Death	3.8%
Sexual Harassment	3.7%
Kidnapping & Abduction	15.6%
Rope	10.6%
Molestation	18.8%
Cruelty by husband to relations	43.4%
Others	0.2%

Results/Findings

Data of the state level shows that in the year 1991,

these states M.P. (21.07) ranked first followed by Mizoram (13.6), Himachal Pradesh (9.48) Arunachal Pradesh (8.26) etc. In union territories Andaman & Nicobar (22.17) and Pondicherry (9.2). Lowest Molestation rate was found in Punjab (0.17) followed by Nagaland (0.18) Bihar (0.5) West Bengal (1.08).

Data at state level shows that in the year 2001 maximum number of motorization cases were registered in the state of M.P. (8826) followed by Andhra Pradesh (3544) U.P. (2973), Rajasthan (2878) and Maharashtra (2823). There five states constitute about 62% of the total molestation cases registered in the country as a whole National average molestation rate was 6.87. Against this figure nine states and 3 Union Territories recorded higher crime rate. Among there M.P. (22.47) ranked first followed by Arunchal Pradesh (15.08), J&K (13.04) Mizoram (12.06) Kerala (11.89) etc.

In the case of Union Territories the rate was highest in Andaman & Nicobar Islands (11.64) followed by Delhi (8.08) and Dadra & Nagar Haveli (7.09). Lowest molestation rate was found in the states of Nagaland (0.65) Bihar (1.63) Manipur (1.78) etc.

It is noticeable that in 2001 five states and Union territories namely Kerala, J&K, Orissa, Delhi, Dadra & Nagar Haveli were added to the list of states having a crime rate more than national average. But a reverse trend was experienced in Maharashtra and Tripura which were above the N. average in 1991. But stepped down and came below the national average for the year 2001. The low rate of molestation in Bihar and West Bengal may be due to non or under reporting of the crime No case of molestation was recorded in Lakshadweep.

In India incidents of molestation have increased by 5.8% in 2011 over the previous year 40613 cases. In 2011 Highest incidence (6,665) amounting to 15.5% of total molestation cases reported in M.P. and highest crime rate (11.2) as compared to National average of 3.6.

In the year 2016 maximum cases of Molesation were reported in U.P. (11,335) Maharashta (11,396), M.P. (8,717) Odisha (8252) and Karnataka (5,260) and Delhi (4,165) are 58% of total molestation cases in India. Higest Crime rate was found in Odisha (39.78) M.P. (24.92) Kerala (24.92) and Assam (22.20) and Delhi (53.56).

Lowest crimes rate was found in Bihar (0.65), Nagaland (1.47) and Tamil Nadu (2.37). In Union Territories Dadra & Nagar Haveli ranked (0.67) low according to 2016.

Conclusion

It is to be noticeable that from 1991 to 2011, 2016

rights and laws to living a safe and good life.

References

1. Ahuja, Ram (1998), "Crime Against Women", Jaipur, Rawat Publications
2. Census of India (1991), Final Population totals, Paper-1, Series - 1, Vol. II, Govt. of India 1992, pp 21-82
3. Census of India (2001), Series 1, Paper 1 of 2001, Provisional Population Totals, Registrar General and Census Commission, India New Delhi.
4. Census of India (2011), Final Population totals, Paper-1, Series 1, Govt. of India.
5. Crime in India (1991 to 2016), New Delhi National Crime Records Bureau.
6. Ghosh, S.K. (1993), Women and Crime, New Delhi, Ashish Publishing House
7. Nangla, B.K. (1991) Women, Crime and Law, Jaipur, Rawat Publications
8. The Tribune (Various dates) Chandigarh

Dr. Vineet Bala

Assistant Prof. in Geography
Vaish College, Rohtak

Abstract

Surrogacy is a complex, contentious, moral and ethical issue across global cultures. Over the years, India has become a global hub for the practice of woman being contracted to carry other's baby usually for a payment. Terms like "womb farm", "baby factory" and "global sisterhood" have been frequently used to represent surrogacy market in India. In recent times, India is witnessing a spurt in cases of commercial surrogacy due to two factors: a medical tourism boom fuelled by low medical costs and a status conscious middle class seeking to fulfill its financial needs. Commercial surrogacy, however, is against public policy enshrined in Article 23 of the Indian Constitution and section 23 of the Indian Contract Act, 1872. The courts are still to grapple with the legal implications of surrogacy agreements and the state of law, as a whole, remains inadequate due to complex ethical and moral questions involved. Thus, there is a need for the legislature to balance individual rights against public policy considerations through legislation. There is legal vacuum in this area of Medical advancement and adequate measures have to be taken in these medico-legal issues specifically to regulate surrogate motherhood in India. In this process due consideration should necessarily be given on all the social, ethical and legal issues inherent in surrogate motherhood so that the procreative liberty and social welfare may be balanced.

INTRODUCTION

The events like celebrities such as Shahrukh Khan, Aamir Khan, Tushar Kapoor and Karan Johar adopting surrogacy procedures to become parents,¹ the Lok Sabha passing the Surrogacy (Regulation) Bill, 2018² have ignited the issues relating to surrogacy in Indian system. According to the Black's Law Dictionary, surrogacy means the process of carrying and delivering a child for another person.³ Hon'ble Supreme Court of India defined Surrogacy as "a method of reproduction, whereby a woman agrees to become pregnant for the purpose of gestating and giving birth to a child she will not raise but hand over to a contracting party."⁴

Over the years, India has become a global hub for the practice of woman being contracted to carry other's baby usually for a payment. Terms like "womb farm", "baby factory" and "global sisterhood" have been frequently used to represent surrogacy market in India. "While the Indian Council of Medical Research (ICMR) estimates the business to be worth \$450 million, the most widely used "mythical value" for this unregulated market is \$2.3 billion. Consequently, it was referred to as the "pot of gold" by the Law Commission of India (2009)"⁵. India is witnessing a

tourism boom fuelled by low medical costs. Commercial surrogacy, however, is against public policy enshrined in Article 23 of the Indian Constitution and Section 23 of the Indian Contract Act, 1872. The state of law remains inadequate due to complex ethical and moral questions involved. Due consideration should necessarily be given on all the social, ethical and legal issues inherent in surrogate motherhood so that the procreative liberty and social welfare may be balanced.

POSITION OF ARTIFICIAL REPRODUCTIVE TECHNIQUE IN OTHER COUNTRIES

"In England, based on the recommendations of 'Warnock Committee,'⁶ the Surrogacy Arrangements Act, 1985 was brought in to force. Under this Act surrogacy arrangements are made legal and the Act prohibits advertising and other aspects of commercial surrogacy. The Act prohibits giving or taking of money or other benefit (other than expenses reasonably incurred) in consideration of the making of the order or handing over of the child."⁷ According to the Surrogacy Arrangements Act, 1985, initiation and involvement in commercial surrogacy agreements is a criminal offence. Also, the Human Fertilisation and Embryology Act, 1990 makes surrogacy arrangement unenforceable by or against any person making it. Surrogacy is legal if it involves payment only of expenses reasonably incurred by the surrogate mother, which have to be determined by parties. The contract is not binding on either of the parties.⁸

"In the United States of America also, commercial surrogacy is prohibited in many states. In the famous Baby M case,⁹ the New Jersey Supreme Court, though allowed custody to commissioning parents in the "best interest of the child", came to the conclusion that surrogacy contract is antagonistic to public policy. The Uniform Parentage Act, 1987 of the USA Federal statute neither expressly precludes nor approves the use of techniques with the help of which it can be carried out. Article 7 of the Uniform Parentage Act, 2000 version, discusses the parental status of the donor. It states that the donor is not a parent of the child conceived by means of assisted reproduction.¹⁰

"The situation in Australia is similar to United States. The Kirkman sister's case¹¹ raised the issue of legality of commercial surrogacy and now, surrogacy agreements are unenforceable and illegal in Australia. Surrogate mother is the legal mother of the child and any surrogacy agreement giving custody to others is void. The only arrangement to take custody, legally, is to take the surrogate child through adoption process which makes this transaction valid one.

little more liberal.¹³

POSITION REGARDING SURROGACY IN INDIA

Earlier, there was no specific legislation dealing with surrogacy. The Indian Council for Medical Research came up with the National Guidelines for Accreditation, Supervision and Regulation of ART clinics in India in 2005. This discussed issues relating to surrogacy including definitions, procedures, legal issues etc. However, because of being a mere guideline, its enforceability could not be guaranteed. After this, the Law Commission of India submitted the 228th report on "Need for Legislation to Regulate Assisted Reproductive Technology Clinics As well As Rights and Obligations of Parties to a Surrogacy." It discussed the importance and need for surrogacy, and also the steps taken to control surrogacy arrangements. It recommended prohibiting commercial surrogacy and allowing ethical altruistic surrogacy to the needy Indian citizens by enacting a suitable legislation.¹⁴

A new bill was introduced in the year 2013 known as Assisted Reproductive Technology (Regulation) Bill, 2013. But this bill never saw the light of the day.

Presently, Surrogacy in India is neither prohibited nor recognized which makes it more complex and thereby adds confusion to prevalent laws to deal with and it also gives rise to several issues and challenges: legal, moral and ethical, before law and society to deal with it. Moreover due to favorable legal environment, foreigners who are in need of child or looking for surrogate mother, considers India as the best place to find out surrogate mother and to carry out surrogate transaction.

On the line of UDHR, 1948, Andhra Pradesh High Court in **B.K. Parthasarthi v. Government of Andhra Pradesh**¹⁵ recognized reproductive rights of humans as a basic right and upheld "the right to reproductive autonomy" of an individual as a facet of his right to privacy.

Hon'ble Supreme Court of India in the case of **Baby Manji Yamada vs. Union of India and Anr.**,¹⁶ legalized commercial surrogacy as legal with a direction the legislature to pass an appropriate Law governing Surrogacy in India.

In **Jan Balaz v. Anand Municipality**,¹⁷ a German couple entered into a contract with a surrogate mother. Twin children were born. The German couple was working in the United Kingdom and the children required Indian passports to travel. Germany, the parent state of the German couple did not recognize surrogacy. The Supreme Court denied the passports but granted an exit permit to the children and the German authorities decided to give the couple an opportunity to adopt the children. The Supreme Court of India also recommended the enactment of legislation of a law

surrogacy agreement.

The Lok Sabha in December 2018 passed the Surrogacy (Regulation) Bill, 2018. Key provisions of Surrogacy (Regulation) Bill, 2018 are-

1. A woman will be allowed to become a surrogate mother only for altruistic purpose and under no circumstances money shall be paid to her, except for medical expenses.
2. Women between the ages of 25 and 35 years can go for surrogacy and one woman can only be a surrogate once in her lifetime.
3. Surrogacy regulation board will be set-up at Central and State-level.
4. Also, all Surrogacy clinics will be registered.
5. Complete ban on commercial surrogacy.
6. Only legally-wedded Indian couples (for minimum 5 years), woman being of age 23-50 and the man of age 26-55 can have children through surrogacy, The couple seeking surrogacy should possess a certificate of essentiality issued by an appropriate authority.
7. It bars foreigners, overseas Indians, homosexual couples, people in live-in relationships and single individuals.¹⁸

CRITICAL APPRAISAL OF THE SURROGACY (REGULATION) BILL, 2018

The Bill aims to regulate surrogacy in India by establishing National Surrogacy Board at the central level and State Surrogacy Boards and Appropriate Authorities in the State and Union Territories. The bill prohibits commercial surrogacy and allows ethical surrogacy to the needy infertile couples. Infertile Indian married couple who want to avail ethical surrogacy will be benefited. The rights of surrogate mother and children born out of surrogacy will also be protected. It will prohibit potential exploitation of surrogate mothers and children born through surrogacy.

The draft bill provides for surrogacy as an option to parents who have been married for five years and can't naturally have children, lack access to other reproductive technologies, want biological children and can find a willing participant among their relatives. This would be a major blow to fertility clinics in India, as most of them have thriving commercial surrogacy practices. Commercial surrogacy will result in imprisonment. The bill also clarifies the legal position of such a child and ensures that a child born of surrogacy will have all legal rights as a citizen. It also restricts overseas Indians, foreigners, unmarried couples, homosexuals, and live-in couples from entering into a surrogacy arrangement. The surrogate mother has to be a married woman who has herself borne a child and is neither a non-resident Indian

out of poverty or social stigma, especially girls, banning commercial surrogacy could encourage parents to look toward adoption as a means of fulfilling their dreams of parenthood.

The new Surrogacy (Regulation) Bill, 2018 passed by the Lok Sabha raises some serious legal and ethical concerns. Its provisions, prima facie suggest that the Bill, if passed, may not per se be in consonance with the constitution.

The proposed law only permits altruistic surrogacy by a close relative, who must have given birth to a child. This could violate the woman's fundamental right to livelihood - in this case through surrogacy. Also, the restriction that the surrogate must only be a 'close relative' of the commissioning parents may result in ethical issues wherein the child and the surrogate develop an intimate bond, as both are related to each other. The commissioning couple may face difficulties in finding a close relative who will willingly render the surrogacy service. Prohibiting commercial surrogacy in favour of surrogates from within the family may thereby turn surrogacy into a black market business, or lead to the victimization and coercion of subjugated and oppressed women in marital homes to bear a child for their relative.

Bill allows surrogacy only to legally married infertile Indian couples, who have been married for at least five years. This plausibly violates the 'right to reproductive autonomy' as laid down in **B.K. Parthasarathi vs Government of Andhra Pradesh**.¹⁹ The decision about reproduction is a part of a person's personal domain. Also, the requirement of a five year wait after marriage to enter into a surrogacy arrangement and the age restriction of the commissioning parents - for the father to be between 26 and 55 years and the mother to be between 23 and 50 - is questionable. The National Guidelines for Accreditation, Supervision and Regulation of Artificial Reproductive Technology (ART) Clinics in India, 2005 issued by the Indian Council of Medical Research, permits single women to use ART. In addition, the Hindu Adoptions and Maintenance Act and the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 permits conditional adoption for single and divorced persons. There appears to be no prudence in allowing single people to adopt while prohibiting them from opting for surrogacy. Also, by virtue of the fact that being in a live-in relationship is not illegal per se, disallowing the right to choose vis-à-vis surrogacy is a violation of their right to equality under Article 14. Another aspect of the Bill is that to enter into a surrogacy arrangement, it is a prerequisite

choices, the bill would violate citizens' Fundamental Rights as laid down in Article 14 of the Indian Constitution.

ISSUES RELATED TO SURROGATE MOTHERS

The process of adoption is recognized in the legal system of India but human beings cannot hide the natural desire of having their own child. The right to have reproductive choices has been upheld as part of fundamental right under Article 21 of Indian Constitution. From the perspective of the surrogate mother, though the participation of the surrogate mother is criticized severely, as being against public policy, surrogacy can be the best mechanism through which in a country like India, people can meet their daily needs and livelihood.

Talking about contractual perspective of surrogacy transaction, it has to be interpreted in the light of the **Indian Contract Act, 1872**. There is nothing in the Indian Contract Act, 1872 which can specifically prohibit surrogacy transaction. The term 'public policy' as given in Section 23 of Indian Contract Act, 1872,²⁰ may not be applicable to the surrogacy because of two reasons:

1. Public policy is not defined anywhere specifically and is a relative term.
2. Surrogacy, being need of the hour and demand of the society, is hard to define and hence, it is uncertain if the prohibition of public policy also encompasses a surrogacy transaction.²¹

However, due to absence of any specific prohibition for surrogacy contract, surrogacy transactions are being made detrimental to the interests of the surrogate mother and also at times to the detriment of the interests and overall wellbeing of a surrogate child.

As per the provisions of Indian Contract Act, 1872, for a valid contract both the consideration and object must be lawful.²² At the same time every agreement of which the object or consideration is unlawful is forbidden by law, or if it contravenes the provisions of any law or the court regards it immoral, or opposed to public policy.²³ It is very difficult to term "Surrogacy Agreement" as "Surrogacy Contract" and this is by virtue of abovementioned prohibitions on the Surrogacy agreement. So in order to give rise to claims, obligations, liabilities of Surrogate parties towards each other, it is sine qua non that this very arrangement must be recognized in the eyes of law whether as a contract or as a statutory transaction. Since a contract/agreement made by the parties cannot violate law of the land, it is necessary that Surrogacy (which often violates law of the land) in order to recognize it must be given & govern by a special statute. Else law cannot accord protection to the parties.

- ☆ Whether payment of fee in lieu of surrogacy contract violates child trafficking law? Is it payment for services rendered or for the child?
- ☆ Would prohibition of surrogacy contract violate constitutional 'rights to privacy' or 'right to procreate'?
- ☆ Who would be the legal mother? Who should participate in decisions affecting the welfare of the foetus and the newborn?
- ☆ What would be the status of surrogate child in the absence of grant of citizenship?
- ☆ Who would get the custody of the child, if surrogate mother changes her mind before surrendering the child?²⁴

So far as Indian Constitution is concerned, Article 23²⁵ says that traffic in human beings and beggar and other similar forms of forced labor are prohibited and any contravention of this provision shall be an offence punishable in accordance with law. Therefore, baby bearing contracts on economic necessities definitely attract the constitutional provisions.

The legality of a surrogacy transaction can be challenged on two grounds:

- 1) Surrogacy transactions are against public policy
- 2) Surrogacy transactions involve human being as a subject-matter of the contract.

There are various other issues invoked as a justification for allowing surrogacy like principle of individual autonomy i.e. the freedom to the people to decide what to do with their bodies provided that is no harm is caused to others, procreative liberty, inviolability of surrogate mother, disputes over custody of baby, rights of parenthood becoming more complex as the child is borne by surrogate mother, desired by intended mother but have the genes of genetic mother, issue of legitimacy of child due to absence of any legislation legitimizing the ART children, misuse of modern reproductive technologies.

SUGGESTIONS

Children's rights are the most important, vulnerable, and forgotten rights connected with the surrogate mother contract, Thus, when a child is born to a surrogate mother, the best interests of the child should govern a court's determination as to that child's custody and as to the termination of the surrogate mother's parental rights. As equality and volunteerism may be rare in surrogacy agreements, arrangements to ensure informed consent, proper counseling and legal assistance for drawing up contracts for safe procedures, as well as total health care insurance and compensation, must be ensured through the state regulatory institutions. Surrogacy should be allowed

parents in order to convey the message from surrogate mother time to time. Typically, after the birth the surrogate mother is left without any medical support, it is recommended that there should be a provision of intensive care and medical check-ups of their reproductive organs during the 3-6 months after pregnancy. A guarantor should be appointed to take the custody of the child in case commissioning parents fail to do so. A surrogacy contract should necessarily take care of life insurance cover for surrogate mother. Surrogacy arrangement should be governed by a contract amongst parties, which will contain all the terms requiring consent of surrogate mother to bear child, agreement of her husband and other family members for the same, medical procedures of artificial insemination, reimbursement of all reasonable expenses for carrying child to full term, willingness to hand over the child born to the commissioning parent(s), etc. A specialised court called "Surrogacy Court" can be created. It can comprehensively look at all the problems relating to surrogacy arrangement for adjudicating disputes. A time limit of 90 days or 180 days maximum may be set for adjudication of disputes. A surrogacy arrangement should provide for financial support for surrogate child in the event of death of the commissioning couple or individual before delivery of the child, or divorce between the intended parents and subsequent willingness of none to take delivery of the child. Apart from all these, the period of 5 years after marriage and bar of couple in live in to go for surrogacy should be waived or reduced as it might be violative of Right to life under Article 21 of the Indian Constitution. Banning commercial surrogacy may be a big risk. "Prohibiting commercial surrogacy might create a similar underground market, breeding illegal and disguised surrogacy. This is likely to further threaten the interests and rights of surrogate mothers."²⁶

Conclusion

It has taken several decades for Indian doctors to build up expertise in this field. They have also over the years streamlined the process and established excellent state of the art clinics and this is basically why India has become a destination for people from all over the world seeking fertility treatment. Thus, before such ban is invoked, the government has to take into consideration the needs and aspirations of various people involved in this business. Surrogacy industry in India is fully grown today. And banning at this stage will only create chaos and push the business underground. Strict regulations should also be put in place to deal with bogus embryologists and labs who lure and cheat surrogates.

How does the Bill aim to tackle the very patriarchal nature of Indian families where the 'close family relation' might not be allowed the space to exercise her agency or be ostracised for exercising it?"²⁷

The need is to regulate the unregulated surrogacy market to ensure and protect the rights of surrogates vis a vis the rights of the commissioning parents and children born after such arrangements. The government should rethink the proposed law to safeguard the constitutional rights of the stakeholders considering the social, legal and ethical dynamics of this sensitive area for the formation of a progressive regulatory framework.

It is concluded that surrogacy is both a threat and an opportunity. On the one hand it gives infertile couples and surrogate mothers the possibility to fulfil their desires: a child and the opportunity to take better care of their family respectively; and on the other hand there is a risk that with the commodification of children and parenthood, women are exploited and turned into baby producers. Several reasons for and against surrogacy have been given and one cannot easily decide what is morally right and what is wrong. However, both opponents and supporters of surrogacy agree that surrogacy poses a series of social, ethical and legal issues.

At the end it can be said that even if surrogacy oversteps the natural ways of procreation, only those who have been able to get children from it know the value of legitimacy of surrogacy. At times, in a society like India, where barrenness is considered incompleteness for a woman, people have no option, but to resort to it to live peacefully in society. We cannot consider it against the unity of marriage, as even adoption is legally permissible then why not surrogacy.

Reference

1. ShwetaParande, Shah Rukh Khan, Aamir Khan, TussharKapoor: 6 Bollywood celebs who opted for a surrogate child or IVF, India.com, July 3, 2017, Available at <http://www.india.com/showbiz/shah-rukh-khan-aamir-khan-tusshar-kapoor-6-bollywood-celebs-who-opted-for-a-surrogate-child-or-ivf-1293425/>
2. The Surrogacy Regulation Bill, 2018, Available at http://164.100.47.4/billstexts/lstexts/PassedLokSabha/257-C%20_2016_Eng..pdf, last visited on January 12, 2019
3. Oliphant RE. New York: Aspen Publishers; 2007. Surrogacy in Black law dictionary, family law; p. 349. Available at <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4145718/>

6. Report of the Committee of inquiry in to human fertilization and embryology (Chairman-Dame Mary Warnock), Her Majesty's stationery office, 1984, Available at [http://www.bioeticacs.org/iceb/documentos/Warnock Report of the Committee of Inquiry into Human Fertilisation and Embryology 1984.pdf](http://www.bioeticacs.org/iceb/documentos/Warnock%20Report%20of%20the%20Committee%20of%20Inquiry%20into%20Human%20Fertilisation%20and%20Embryology%201984.pdf),
7. Smith Chandra, Surrogacy and India- A Legal perspective, February 17, 2011, Electronic copy available at: <http://ssrn.com/abstract=176240>.
8. The Surrogacy Arrangements Act, 1985, Available at http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1985/49/pdfs/ukpga_19850049_en.pdf.
9. 537 A.2d 1227
10. ArchanaGadekar, MsSandhyaKalamadhad, Assisted Reproductive Technology [ART]: Are we heading towards designer babies?, 39, Indian Bar Review 84 (2012).
11. Kirkman, Maggie & Kirkman, A. (2002). Sister-to-sister gestational 'surrogacy' 13 years on: A narrative of parenthood. Journal of Reproductive and Infant Psychology. 20. 135-147. 10.1080/026468302760270791., Available at [https://www.researchgate.net/publication/232844733_Sister-to-sister gestational 'surrogacy' 13 years on A narrative of parenthood](https://www.researchgate.net/publication/232844733_Sister-to-sister_gestational_'surrogacy'_13_years_on_A_narrative_of_parenthood),
12. Surrogacy Laws in India, Available at <http://www.surrogacylawsindia.com/legality.php?id=%207&menuid=71>
13. Id
14. SoumyaSwaminathan, Why the Surrogacy Bill is necessary, The Hindu, August 28, 2016, Available at <http://www.thehindu.com/opinion/op-ed/Why-the-Surrogacy-Bill-is-necessary/article14593359.ece>
15. AIR 2000 AP 156
16. AIR 2009 SC 84
17. AIR 2010 Guj., 21
18. The Surrogacy (Regulation) Bill, 2016, Available at <http://www.prsindia.org/billtrack/the-surrogacy-regulation-bill-2016-4470/>
19. 2000 (1) ALD 199
20. What consideration and objects are lawful, and what not.-The consideration or object of an agreement is lawful, unless- -The consideration or object of an agreement is lawful, unless-" it is forbidden by law; 14 or is of such a nature that, if permitted, it would defeat the provisions of any law; or is fraudulent; or involves or implies injury to the person or property;

21. Wadje Ashok, Surrogacy Transaction - A Perspective On The Constitutional And Contractual Aspects, Legal Desire, Available At [Http://Www.Legaldesire.Com/Surrogacy-Transaction-A-Perspective-On-The-Constitutional-And-Contractual-Aspects/](http://www.legaldesire.com/surrogacy-transaction-a-perspective-on-the-constitutional-and-contractual-aspects/).
22. S10, Indian Contract Act, 1872.
23. S23, Indian Contract Act, 1872.
24. Avi Katz., " Surrogate Motherhood and the Baby Selling Laws" Columbia Journal of Law and Social Problems (1986).
25. Prohibition of traffic in human beings and forced labour.- (1) Traffic in human beings and begar and other similar forms of forced labour are prohibited and any contravention of this provision shall be an offence punishable in accordance with law.(2) Nothing in this article shall prevent the State from imposing compulsory service for public purposes, and in imposing such service the State shall not make any discrimination on grounds only of religion, race, caste or class or any of them.
26. Dutta Souvik& Sarkar Subhasree, Towards a humane approach to surrogacy, Business Standard, November 17, 2016 Available at http://www.business-standard.com/article/opinion/towards-a-humane-approach-to-surrogacy-116110500994_1.html
27. BhardwajParijata, Where Does the Surrogacy Bill Stand on the Rights of the Surrogate? The Wire, 31/08/2016, Available at <https://www.google.co.in/amp/thewire.in/62899/surrogate-mother-rights/>

ANURAG BHARDWAJ

Ph.D. Scholar,
Faculty of Law, University of Delhi,
Mobile- 9968715353
E-Mail Id- anuragbhardwajdelhi@gmail.com

As globalization has made a tremendous impact on almost all spheres of our life and so education is no exception. The growing demands of globalization has also touched the education system and it put forward whole lot of challenges in front of it. Teachers are the one which acts as pivot for the transmission of knowledge and technical skills from generation to generation and helps to keep the lamp of civilization burning. The most important factor to be focused is the teacher's reconstruction in terms of his/her quality, educational qualification, professional training and the place he/she occupies in the school as well as in the community. It has been seen that even the best curriculum and the most perfect syllabus remain dead unless it is quickened by the right methods of teaching and the right kind of teachers. Thus, one can say that without teachers, there is no importance of classrooms, syllabus, curriculum, teaching methods, materials and techniques. So, keeping in view this thing, one can conclude that its important to have satisfaction of teachers in their respective jobs.

JOB SATISFACTION

Job Satisfaction reflects an employee's overall assessment of their job particularly their emotions, behavior and attitudes about their work experience. Ultimately it is a general attitude resulting from many attitudes in three areas : specific job factors, individual adjustment and group relationship. The happier the people are within their job the more satisfied they are said to be. One of the surest ways for deteriorating conditions in an organization is low job satisfaction whereas high job satisfaction is the hallmark of a well-managed organization and is fundamentally the result of effective behavioral management. Greater job satisfaction is likely to lead eventually to more effective functioning of the individual and the organization as a whole. In fact, working life is to be evaluated not simply in terms of the amount of goods turned out, the productive efficiency and the profit it brings but the level satisfaction that the participants derive from it. Job satisfaction definitely promotes happiness, success and efficiency in one's professional activity wherein organizational commitment helps in developing a happy and congenial working atmosphere in the workplace.

* **According to Aziri(2018)** : "Job Satisfaction represents a feeling that appears as a result of the perception that the job enables the material and psychological needs."

* **According to Robbins (2016)** : "Job Satisfaction as a subjective measure of worker attitudes, that is, an individual's general attitudes to his or her job. A person with

job and one who is dissatisfied with, has negative attitudes towards it."

PERSONALITY

The term "personality" is derived from a latin word "persona" which means the mask that has been worn by a roman actor. In this sense, personality is taken to refer to the outward aspect of the individual. The term personality is often understood in terms of being good looking, attractive etc. The ability to talk and interact with others pleasantly in addition to being good look makes other say that the concerned person has a good personality. Person who do not have good looks or not well dressed or do not interact adequately are considered to have poor personality. But scientifically it is not true. In fact, personality signifies something deeper than mere appearance or outward behavior. In psychology, " It refers to individual differences in characteristics pattern of thinking, feeling and behaving."

• **According to Mayer(2017)** : " Personality is the organized, developing system within the individual that represents the collective action of the individual's major psychological subsystems."

• **According to Gerald(2019)** : " Personality is defined as the characteristics set of behaviors, cognitions and emotional patterns that evolve from biological and environmental factors."

STUDIES RELATED TO JOB SATISFACTION AND PERSONALITY

Mahmood, Fatima, Arshad and Zaidi (2014) : conducted the study to investigate the relationship between Personality traits and Job Satisfaction among employees of different organizations of Faisalabad. A sample of 120 employees (60 men and 60 women) was selected from the different organizations(Textile mills, Telecommunication companies, Banks, Colleges and Universities) from the different areas of Faisalabad city. In this study, Gordon Personal Inventory (1963) and Job Satisfaction Scale by **Wysocki and Kromm (1986)** were used respectively to find out their personality traits and levels of job satisfaction. The result indicated a significant positive relationship between Personality Traits and Job Satisfaction. Moreover, the value of t-test indicates that men employees have higher level of job satisfaction as compared to the women employees.

Shahamiri and Namdari (2013) : aimed to analyse the relationship between Personality Type : Introversion-Extroversion and Job Satisfaction of teachers in the education department of Bushahr province. This study is based on research method that was descriptive and branch

Smrinnov test of normality was used in order to make data normal. T-test and Spearman correlation test of hypothesis are used. Results showed a significant positive correlation between Job Satisfaction and Introversion personality type but between Extraversion personality type and Job Satisfaction is negative and significant. The result showed that men and women in terms of introversion and extraversion personality type there is no difference.

Mehrad, et al.,(2015) : intended to examine the association between Personality Factors and Job Satisfaction among academic staff. This study focused on the association between these two factors at university. A cross-sectional examination design was applied with purposive selected sample that taken from academic staff (440) of public research universities in Klang Valley, Malaysia. In present study, the participants completed the job descriptive index inventory and the Big Five Personality test which explained their personality factors and their relation with job satisfaction. It is concluded that neuroticism as one of the main personality factor that predicts job satisfaction and there is negative relationship between neuroticism and job satisfaction and also there are positive relationships between agreeableness, conscientiousness and openness with job satisfaction that analyzed by correlation coefficient and regression analysis test.

Illies, R., & Judge, T.A.,(2002) : investigated the within individual relationship between mood and job satisfaction and examined the role of personality characteristics in moderating this relationship. The design of the study involved an experience sampling methodology (ESM). 27 employees completed mood and job satisfaction surveys at four different times during the day for a period of four weeks, resulting in a total of 1907 observations. Results showed that within-individual variance comprised 36% of the total variance in job satisfaction, and mood explained 29% of the within-individual variance in job satisfaction. Second, mood and job satisfaction were related both within and across individuals. Third, two personality traits – neuroticism and extraversion – were associated with average levels of mood. Fourth, within-individual variability in mood was significantly related to within-individual variability in job satisfaction, and variability in both mood and job satisfaction was predicted by neuroticism. Finally, personality impacted the degree of association between mood and job satisfaction within individuals.

Ranasinghe and Kottawatta (2016) : discussed the impact of big five personality traits of the male and female school teachers on their job satisfaction. 229 school teachers (male teachers = 156 and female teachers = 73) completed

there is a strongly positive relationship and strong impact of big five personality traits of male as well as female school teachers on their job satisfaction. **Furnham et al.(2009)** investigated the extent to which personality and demographic variables contribute to motivation and job satisfaction as defined by the two-factor theory. A total of 202 full time workers completed 3 questionnaires measuring their personality, work motivation and satisfaction. Results demonstrate that between 9 and 15 percent of the variance in motivation is accounted by demographic variables and big five personality traits. Conscientiousness and job satisfaction were both significant predictors of job satisfaction, and between 11 and 13 percent of the variance was accounted for personality and other demographic variables.

Bockhaus, Hilleger & Peterson(2012) : examined the association between personality factors and job satisfaction among academic staff. The staff of 440 persons from academic field of public research universities in Klang Valley, Malaysia was taken. It is concluded that neuroticism as one of the main personality factor that predicts job satisfaction and there is negative relationship between neuroticism and job satisfaction and also there are positive relationships between agreeableness, conscientiousness and openness with job satisfaction that analyzed by correlation coefficient and regression analysis test.

Petrides, Jackson and Cotter(2002) : investigated the relationship between personality traits and job satisfaction. In study 1, job applicants (n=250) completed the Eysenck Personality Profile and the work value Questionnaire (WVQ), which requires respondents to rate various work related facets according to the extent to which they contribute to their job satisfaction. In study 2, employees(n=82) completed a measure of the 'Big Five' personality traits and the Job Satisfaction Questionnaire (JSQ) which assesses both what respondents consider as important in their work environment as well as their satisfaction with their current job. The study found out that personality does not have a strong or consistent influence either on what individuals perceive as important in their work environment or on their levels of job satisfaction.

Kirkcaldy, Shepherd and Furnham (2002): studied the sample of 332 German managers a Type A personality and an External Locus of Control are associated with greater perceived levels of stress, lower job satisfaction and a poorer physical & mental health than that of managers with a Type B personality and an Internal Locus of Control. The main findings showed that an External Locus have significantly lower levels of overall job satisfaction, especially

Brük-Lee, Nixon & Spector (2009) : described the results of 187 studies reporting cross-sectional and longitudinal relationships between job satisfaction and personality. The Big Five factor of Neuroticism related most strongly and negatively to job satisfaction (-0.25), with others factors ranging from 0.16 (conscientiousness) to -0.02 (openness to experience). Job satisfaction was positively related to internal locus of control (LOC), positive affectivity, and Type A (achievement striving). Results showed negative relationships with external LOC, trait anger, negative affectivity/ trait, anxiety and Type A (global & impatience/ irritability). Job satisfaction had a very weak , negative correlation with narcissism that was indistinguishable from zero.

Khizar, Orcullo& Mustafa (2016) : investigated the correlation between personality traits and job satisfaction of police officers in Punjab, Pakistan. The sample consisted of 300 senior police officers. The sample was further divided on the basis of gender differences. Survey research method was used for data collection. Neo- Five Factor Inventory (NEO- FFI) was used for measuring the personality traits and job satisfaction was measured by Job Satisfaction Survey (JSS) Scale. Results found that there is a negative correlation between personality traits, neuroticism, openness to experience and job satisfaction, while extraversion, agreeableness and conscientiousness are positively correlated with job satisfaction.

Abedi, et al., (2016) : analyzed the effect of manager's personality traits on employee job satisfaction. The present study is a descriptive and causative comparative one utilized on a statistical sample of 44 managers and 119 employees. It was examined and analyzed through descriptive and inferential statistics of student's t-test (independent T), one way Anova and Kolmogorov-Smirnov test. Findings showed that the managers and supervisors with personality traits of extraversion, eagerness to new experiences, adaptability and dutifulness had higher subordinate employee jobsatisfaction. However, in the neurotic trait, the result was different. The results showed that job satisfaction was low un the aspect of neurosis. Based in this, it is suggested that , before any selection in managerial and supervisory positions, candidates receive a personality test and in case an individual has a neurotic trait, appropriate inferences take place both in this group and the employees' one.

Kappagoda(2012) : investigated the impact of Five Factor model of personality on job satisfaction of non-academic employees in Srilankan universities. The sample consisted of 150 non-academic employees from universities

model of personality. The collected data were analyzed using correlation coefficient and regression analysis. The results of the study indicated that the personality types of extraversion, agreeableness and conscientiousness of non-academic employees had significant positive relationship with job satisfaction. Results further indicated that neuroticism had significant negative association with job satisfaction. Insignificant relationship was reported between openness to experience and job satisfaction. It us concluded that Five Factor model of personality gad a strong influence on non-academic employee's job satisfaction. This study will help to get a better understanding of non-academic employees' personality and its relationship to their job satisfaction. This understanding can also better inform administered to comprehend the importance if dispositional factor in determining job satisfaction.

Batigun, A.D. and Sahin, N.H (2006): obtained the reliability and validity information in two scales.Type A personality and Job satisfaction, developed to be used in studies on work stress. The data were collected from two different samples, one composed of individuals working in public and private banks(N=426), the other from those working in the distribution department of a private firm (N=94). For bith samples, the stress symptoms and vulnerability to stress subscales of the stress audit were used along with ways of copying inventory, job satisfaction and type A personality scales. The factor analysis conducted on the two scales, revealed 4 factors for the type A personality scale and 6 factors for the job satisfaction scale. The factor based subscales were found to have Cronbach's alpha's ranging between 0.40 and 0.90 for the type A personality scale and between 0.53 and 0.94 for the job satisfaction sub- scale. In addition to the Cronbach's alpha's criterion validity values were also obtained. The analyses conducted showed both scales to have satisfactory reliability and validity coefficients.

Yazici and Altun (2013) : investigated the relationship between gender, different personality traits and job satisfaction in the field of behavioral sciences. The aim of this study is to examine the differences between male and female instructors' job satisfaction and to investigate the predict level of job satisfaction byType A personality traits and gender. 308 instructors (116 female and 192 male) with titles working at different universities participated in this study. The data were collected through Type A personality scale, Job satisfaction scale and Personal data form.

Independent t- test , Pearson product -moment correlation coefficient and multiple linear regression techniques were used to analyze the data. The findings showed that there

results, scores of moving away from social activities of participants increase, job satisfaction decreases. Additionally, scores of importance attributed to timing increases, as job satisfaction increases. The findings of the study revealed that some personal characteristics explained the job satisfaction significantly.

CONCLUSION

As it has been explained above about job satisfaction, personality and how they are related to each other. It has been concluded that personality is one of the major factor in interpreting whether the concerned person has attained job satisfaction or not.

REFERENCES

- Mahmood, K., Fatima, M., Arshad, M., & Zaidi, I.H.(2014). The Relationship between Personality traits and Job Satisfaction. *International Journal of Research*, 1(9), 1144-1150.
- Shahamiri, T., Namdari, R(2013). The Study of the Relation between Teacher Personality Type and Job Satisfaction: A Case Study of School Teachers in Bushehr Province. *Journal of Basic and Applied Scientific Research*, 3(1), 704-708.
- Mehrad, Halimatussadiyah, Ma'rof, Haslinda, *Journal of Educational, Health and Community Psychology*, 2015, Vol.4, No, 1, pp = 16-22.
- Illies, R., & Judge, T.A, (2002). Understanding the dynamic relationships among personality, mood and job satisfaction : A field experience sampling study, *Organizational Behavior and Human Decision Processes*. Vol.89. pp = 1119-1139.
- Ranasinghe, V.R and HemanthaKottawatta (2016). Big Five Personality on Job Satisfaction: Perspective of Srilankan male and female school teachers. *Imperial Journal of Interdisciplinary Research (IJIR)*, Vol.2, Issue-12.
- Mayer, J.D,. (2007). " Asserting the Definition of Personality." (2007) P: The Online Newsletter for Personality Science, Issue 1, Spring 2007.
- Robbins, S.P.,(2002). *Organizational Behaviour*, 9th Edition, Pearson Education Asia.
- Aziri, B.(2008). Menaxhimi I burimevenjerezore, satisfaksioningapunadhemotivimiipunetoreve, *Tringa Design, Gostivar*, p.46.
- Furnham, A., Eracleous, A., & Chamorro- Premuzic, T.(2009). Personality, motivation and job satisfaction. Hertzberg meets the big five. *Journal of Managerial Psychology*, 24(8) , 765-779.
- Brunk-lee, V., Khoury, H.A., Nixon, A.E., Goh, A. & Cooper, R.F. (2000). Predicting and extending post

- Dif. 2002; 33(8): 1361-1371.
- Furnham, A., Petrides, K.V., Jackson, C.J., & Cotter, T. (2002). Do personality factors predict job satisfaction? *Personality and Individual Differences*, 33, 1325-1342.
- Khizar, U., Orcullo, D.J.C. & Mustafa, J., (2016), *International Journal of Business and Social Science*, Vol. 7, No. 7; PP-109-113.
- Kappagoda, S. (2012). The Impact of five-factor model of Personality on Job Satisfaction of Non-academic employees in Srilankan Universities. *South East Asian Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, Vol 1.
- Bockhaus, K, Hillyer, M., & Peterson, K. (2012). The relationship between personality type and job satisfaction, 1-12.
- Abedi G, Molazadeh-Mahali QA, Mirzaieen B, Nedi -Ghara, A., Heidari-Gorji AM. The effect of personality traits of managers/Supervisor on job satisfaction of Medical Sciences university staff. *Ann. Med. Health Sci Res*. 2016; 6: 239-42.
- Batigum, A.D. and Sahin, N.H(2006). "Type-A Personality and Job Satisfaction: Two Scales for Job Stress and Health Psychology Research". *Turkish Journal of Psychiatry*, 17(1).
- Yazici, H., and Attun, F., (2013). "Type-A Behaviour, Gender and Job Satisfaction: A Research on Instructor". *Educational Sciences: Theory & Practice*. 13(3). PP-1455-1459.

Dr. Umender Malik

Assistant Professor III
Department of Education
MDU

Nidhi Madan

Research Scholar
Department of Education
MDU

Abstract:-

It is an established fact that Mulk Raj Anand is a humanist to the core who has contributed a lot in the field of literature by producing a number of literary works with a streak of humanism. His novels, *Untouchable*, and *Coolie* are important contribution in this direction as *untouchable* has been hailed as an epic of misery because of Bakha, the main protagonist, who is pitted against the social forces of society in the form of untouchability. Munoo, in *Coolie*, whose tragic tale ends in his miserable death, is also the victim of cruel system prevalent in the society. For the characters like these, Anand has deep rooted sympathy and compassion as his outlook is totally humanistic and full of compassion.

Key-words : Humanism, Zeal, Propaganda, Society, Exploitation.

There is no doubt that Mulk Raj Anand has produced vast body of literature that has won him international name and fame in the arena of English literature on account of his profound human significance. His novels, short stories and other writings have grown out of life. When we read Anand's literary works we find these literary productions by him as a record of people who have direct relationship with society. Anand's novels bring the readers in to a close and fresh relationship with life. His writings have got an endless fascination for the readers because a streak of humanism runs through these works.

Mulk Raj Anand has been labeled as a humanist by different scholars and critics as he opines that humanism is the key which is needed to open the heart, mind and soul of the people. It is because Anand was deeply and profoundly influenced by Karl Marx, Guru Nanak Dev and Mahatma Gandhi who followed the footprints of these visionary personalities in his literary works. It is crystal clear that Anand is a committed novelist towards the problems and predicaments of individuals as well as social problems rampant in the society. Through a minute analysis of his writings, one can observe the fact that he has left no stone unturned in propagating his humanistic philosophy through his writings.

As a delineator of Indian social life, Mulk Raj Anand's sympathy is with the common masses who are the victims of an oppressive and cruel system. In fact, he is the leader of the down-trodden and his heart bleeds for many underdogs of Indian social life like untouchables, coolies and working class people. His aim has always been to bring out what is essentially human in them by fusing the

concern for the poor and down-trodden, protest against the injustice inflicted upon them.

Mulk Raj Anand's novel, *Coolie* is a powerful exploration of social protest where he deals with suffering, predicaments and hardships of coolies, and viewed from humanistic perspectives the present novel can be interpreted as a record of endless miseries in the lives of coolies. There are various critics who hail *coolie* as a post-colonial document dealing with the aftermaths of colonial rule of British people in India. *Coolie* delineates beautifully the tragic tale of Munoo, the main protagonist, an orphan village boy from Bilaspur, in the Kangra Hill, who sets out in search of a livelihood. His tragic tale records his experiences as a domestic servant in an urban middle class family in Sham Nagar, where he is ill-treated, abused and accused by the house-owner.

The present novel opens with the inhuman and ill-treatment of Munoo who is not treated well by his aunt Gujri and his uncle Daya ram. Even his native village is also not free from the corrupt influence of capitalistic and feudalistic exploitation, and he has to leave his village in utter disgust and disappointment. He leaves his village and his first encounter with the urban world is in the house of Babu Nathoo Ram, an accountant at imperial bank. With the passage of time, the beauty and purity of his innocence is destroyed as he is abused by his mistress, Bibi Uttam Kaur who humiliates him all the times.

Munoo leaves this city, and moves to Daulatpur, and from there to Bombay. Master -servant relationship is one of the leading concerns in the present novel as Munoo is treated well by Prabha, but his wife Parvati ill-treats Munoo in a ruthless manner. Prabh Dayal is ruined by treachery of his partner and the cruelty of Todarmal. The factory is sold, and Munoo seeks work as a collie in the market of Daulatpur. Here, the coolies are beaten and are made to carry excessively heavy loads, and are turned out of jobs at the whims of the traders. Munoo escapes in the hope of a better future in Bombay where dreams were fulfilled. Munoo finds a job in Sir George White's Cotton Mills and is exposed to the full force of industrial and colonial exploitation. The British regime is very much unfavourable towards the labourers who are paid very low wages and are made to work day and night. The ill-paid, ill-housed, undernourished and bullied labourers are broken, both in body and soul.

The final act of Munoo's tragedy commences when Mrs. Mainwaring, whose car knocks him down, takes him to Sham Nagar as her servant. She makes her boy servant as her rickshaw puller, and there are also some hints that he

colonialism, capitalism, industrial exploitation and human tyranny had taken its toll on Munoo.

Thus, Munoo is a victim of the society which does not support him in various places and ultimately, his tragic end takes place. Though he struggles hard in order to survive, the rich people do not assist him because of their greed, exploitation, utter selfishness and mercilessness. He is treated no more than an animal-and a spirited boy's ambitions are frustrated at every stage of his life. He is forced to become a kind of aimless vagabond having no control on his destiny. Had the society been merciful towards him, it could have turned Munoo in to a happy individual.

In this way, the present novel is remarkable for its humanitarianism, for its indictment against society as a whole-a society that breeds such prejudices and cruelty. This novel has attained the level of a universal epic, and Anand gives a universal touch to his basic theme. Munoo is a sacrifice to the remorseless cruelty and exploitation of industrial colonial society. With the irrepressible curiosity and zest for life, Munoo is among the more enduring characters- Mark Twain's Huck Finn, and Dickens' David Copperfield due to which the present novel has aptly been called as an epic of misery.

Works Cited

1. Abrams, M. H., and Harpham, Geoffrey Galt. A Glossary of Literary Terms. 10th ed. Delhi: Cengage Learning, 2012. Print.
2. Anand, Mulk Raj. The Untouchable. Pune: Mehta Publishing House, 2012. Print.
3. Anderson, Jonathan, and Poole, Millicent. Assignment and Thesis Writing. New Delhi: Wiley India, 2011. Print.
4. Camus, Albert. The Rebel: An Essay on Man in Revolt. libcom.org. Alfred A. Knoff, 1956.Web. 3 March 2015.
5. Harris, Lilla. Pity The Nation: Something to Think About in an Age of Unreason. Victoria: Pacific Northwest Humanist Publications.1969. Print.
6. Lamont, Corliss. The Philosophy of Humanism. London: Elek Books, 1958. Print.
7. Mukherjee, Meenakshi. The Twice Born Fiction: Themes and Techniques of the Indian Novel in English. Delhi: Pencraft International, 2005. Print.

Manisha

Asstt. Prof. English
Govt. College For Women, Karnal

Abstract : The present study is an attempt to investigate the relationship between adolescent learners' Sociometric Status and their Frustration in educational situations. The sample comprised of 200 adolescents of Meerut city. Seven correlations were obtained to determine the relationship between Sociometric Status on one hand and Frustration and its six dimensions on the other hand.

1. The correlation between sociometric status and frustration in educational situations of various types ranges between - .235 to .099.
2. sociometric status holds a negative relationship with frustration in school conditions ($r_1 = -.223^*$), classmates ($r_2 = -.235^{**}$), homework ($r_5 = -.194^{**}$), examinations ($r_6 = -.219^{**}$), and over all frustration ($r_7 = -.205^{**}$).
3. Sociometric Status does not hold any relationship with adolescent learner's frustration in teaching situations designed by teacher ($r_3 = .099$), and co-curricular activities ($r_4 = .021$).
4. Sociometric status exerts a mild influence on adolescent learners' frustration in educational situations. The highest correlation value in this regard is -.235 which is, indeed, rather low .
5. It is evident that the findings enumerated above lend strong support to the hypothesis of the present study that sociometric status of an adolescent learner and his frustration in educational situations bear negative relationship. Out of the seven r values between Sociometric Status on the one hand and frustration in seven types of situations on the other, six are negative in character and last one, i.e. seventh value is insignificant. This suggests that there is a negative relationship between the sociometric status and frustration in educational situations.

INTRODUCTION

Sociometric status is an index of one's social acceptability. The greater is one's acceptability within the group, the higher in his sociometric status. Acceptability within the group depends on distinctive academic achievement and desirable behaviors. Students, who achieve higher, work harder, are perceiverant, co-operative, sympathetic to other, are not egoistic, conform to group and teacher's expectations, become popular. Frustration plays very important role in determination of human behaviors. It influences the quality of performance. Research effects till date have so far principally been directed at an understanding of the phenomenon of frustration by using

the sample. How does sociometric status influence the frustration among adolescent learners particularly in educational situations, is a question which has failed to evoke the attention of education research workers. Hence it seems necessary to investigate the influence of Sociometric Status on frustration among adolescents in educational situations.

STATEMENT OF THE PROBLEM

The present study is an attempt to ascertain the relationship between Sociometric Status and Frustration among adolescents in educational situations. There are many psycho-social factors which may influence the frustration of adolescent learners. However, the present study has confined itself to examine the Influence of only one social factor, namely, Sociometric Status on the frustration of adolescents.

OBJECTIVE OF THE STUDY

The objective of the study in hand is to ascertain the relationship between adolescent learner's Sociometric Status and his frustration in educational situations.

HYPOTHESIS:

Following hypothesis was framed in the context of objective of study:

Sociometric Status of an adolescent learner and his frustration under educational situations bear negative relationship.

DEFINITIONS OF THE TERMS USED:

Sociometric Status:

Refers to the position occupied by an individual with in his group in terms of the extent of his acceptability by the members of his group.

Frustration:

Refers to the blocking of an organism's path towards a goal, the goal seeking behavior may be conscious or unconscious.

METHOD AND PROCEDURE

Causal comparative method was chosen for ascertaining the relationship between Sociometric Status and Frustration among adolescents in educational situations.

TOOLS:

Sociometric Status scale was used to measure the Sociometric Status and Sharma's Frustration Scale was used to measure the Frustration among adolescents in educational situations.

SAMPLE AND SAMPLING TECHNIQUE:

Two hundred male and female adolescents of high school in equal number constituted the sample of the study.

B.A.V. INTER COLLEGE MEERUT	N.A.S. INTER COLLEGE MEERUT		I.N. GIRLS' HIGH SCHOOL MEERUT	K.K. GIRLS' HIGH SCHOOL MEERUT	
50	50	100	50	50	100
TOTAL:200 X graders					

TABLE-1

S.NO	Details of correlelation	Value of r
r ₁	Correlation between Sociometric status and "My School" dimension of Frustration.	r _{x1y1} = -.223**
r ₂	Correlation between Sociometric Status and "My classmates" dimension of Frustration.	r _{x1y2} = -.235**
r ₃	Correlation between Sociomertic Status and "My Teachers" dimension of Frustration.	r _{x1y3} = .099
r ₄	Correlation between Sociomertic Status and "Co-curricular Activities" dimension of Frustration.	r _{x1y4} = -.021
r ₅	Correlation between Sociomertic Status and "Home - work" dimension of Frustration.	r _{x1y5} = -.194**
r ₆	Correlation between Sociomertic Status and "Examination" dimension of Frustration.	r _{x1y6} = -.219**
r ₇	Correlation between Sociometric Status and Total Frustration Score.	r _{x1y7} = -.205**

RESULTS AND DISCUSSION:

Basically each individual feels an urge to get recognition from members of his group. Those who are fortunate to get more social recognition have lesser chances of feeling frustrated than those who fail to get much recognition. It was in this context that it was thought worth finding to ascertain the relationship between an adolescent learner's socio-metric status and his frustration in educational situations. The study proceeded with the hypothesis that sociometric status of an adolescent learner and his frustration under educational situations bear negative relationship. It will be recalled that this hypothesis was based on the general observation that individuals who enjoy a higher sociometric status or in other words have greater social acceptability, will be less prone to frustration feeling in comparison to the individuals who have a low

hypothesis is accepted are as under.

1. The correlation between sociometric status and frustration in educational situations of various types ranges between -.235 to .099.

2. sociometric status holds a negative relationship with frustration in school conditions (r₁= -.223*), classmates (r₂= -.235**), homework (r₅= -.194**), examinations (r₆= -.219**), and over all frustration (r₇= -.205**).

3. Sociometric Status does not hold any relationship with adolescent learner's frustration in teaching situations designed by teacher (r₃=.099), and co-curricular activities ((r₄= -.021).

4. Sociometric status exerts a mild influence on adolescent learners' frustration in educational situations. The highest correlation value in this regard is -.235 which is, indeed, rather low .

5. It is evident that the findings enumerated above lend strong support to the hypothesis of the present study that

sociometric status of an adolescent learner and his frustration in educational situations bear negative relationship. Out of the seven r values between Sociometric Status on the one hand and frustration in seven types of situations on the other, six are negative in character and last one, i.e. seventh value is insignificant. This suggests that there is a negative relationship between the sociometric status and frustration in educational situations.

6. By and large the higher is the sociometric status of an adolescent learner in his classroom group, the less frustrated he feels to situations within his total school system.

REFERENCES:-

1. Barker Roger, G. And other (1941) "Frustration and regression : an experiment with young children", University of Iowa Studies Child Welfare, No.

3. Bower, G.H. (1962), "The influence of graded reductions in reward and prior frustrating events upon the magnitude of the frustration effect", *Journal of Comp. Physiol Psychology*, N0.55, PP. 582-587.
4. Corke, P.P. (1962), "A comparison of frustration-aggression patterns of Negro and White southern males and females", *Dissertation Abstracts International* No.22, p 1870.
5. Dabhi, Madhukanta, Ishwarbhui (1989), "A study of frustration in the students of nursing schools in the state of Gujrat in relation to certain variables and its impact on their achievement," *University News*, Monday, May 22.
6. Daly, H.B. (1974), "Reinforcing Properties of escape from frustration aroused in various learning situations", In G.H. Bower (Ed), *The Psychology of Learning and Motivation* (vol.8), New York: Academic.
7. Doob and Gross. (1968-76), "Literature on Frustration recorded by Low and Marx (1968)", *Journal of Soc. Psychology*, PP.213-268.
8. *Encyclopedia of Psychology*, Vol.1, Ed-H.J. Eysenck, London & W. Arnold, Wurzberg R. Meili, Berne, Search Press London, PP. 390-393.
9. Figueroa-de-Guevaria, Gloria Maria, (1978), "Frustration Among Non-Promoted Puerto Rican Elementary School Children", *Dissertation Abstracts International*, Vol38, No.8, P.4567-A.
10. Frost, Kenneth Bradley (1976), "The Effect of three levels of Frustration and Sex Differences on Figural Creative Expression of High School Juniors and Senior" *Dissertation Abstracts International*, Vol. 37, Nos. 5-6, P. 2738-A.
11. Gladys, Natchez (1961), "Oral reading used as an indicator of reaction to frustration", *Journal of Education Research*, Vol, 54, P.8.
12. Govind Tiwari, Kiran Merbhait and Manorama Tiwari (1978), "Personality Factors and Sex as Correlates of Frustration modes", *Journal of Education and Psychology*, Vol. XXXV, No-4, PP.191-198.
13. Maier, N.R.F. (1949), "Frustration: The Study of Behavior Without a Goal" New York, Mcgraw Hill.
14. Maier, N.R.F. (1956), "Frustration Theory: Restatement and Extension", *Psychological Review*, Vol.63, PP.370-388.
15. Munroe, Walter S. (1950), "Encyclopaedia of Educational Research", Macmillan, New York.
16. Rajeshwarini, Jayati (1988), "Frustration reaction", *Edn. LXIII*(1), 16-21, 15.
18. Singh, R.P. (1979), "A study of Creativity in Relation to adjustment, frustration and Level of Aspiration", Ph.D. Thesis in Education, Agra University Agra.
19. Vassiliou, Demetrios (1982), "Frustration tolerance among Learning Disabled and Normal Students", *Dissertation Abstracts International*, Vol.43, No.5, P. 1505-A.
20. Verma, Sanjay Singh (1990), "A Study of Frustration modalities and neurotic tendencies as a result of Perceived parental rejection", *University News*, Delhi, April 23, P.32.

Dr. Dinesh Mohan Sharma

Associate Professor & Head

Dr. Niranjana Sharma

Associate Professor

B.Ed. Dept. Govt. P.G. College,

Kotdwara,

Uttarakhand

Abstract

The Purpose of the present investigation was to assess the level of cybercrime awareness of B.Ed. pupil teachers with Emotional Maturity. The sample comprises 250 B.Ed. pupil teachers selected through stratified random sampling technique. Data was analysed by Mean, Standard Deviation, Standard Error of Mean and T Test, Pearson Product Moment correlation. The present study shows a positive correlation between cybercrime awareness and emotional maturity of B.Ed. pupil teachers and also a significant difference in cybercrime awareness among B.Ed. pupil teachers with extremely emotional maturity and extremely emotional immaturity. To interpret the data bar graph, line graphs were used systematically.

Keyword:- Emotional Maturity, Cybercrime Awareness, B.Ed. pupil Teachers

INTRODUCTION

Emotion is the most important factor of human nature. The success of a person mainly depends on the art of managing emotions which includes practical skills and ability to handle people (Coleman 1995). Emotionally mature persons don't lie in uncomfortable situations. They face the reality of them and keep going on. They are not impulsive and they don't speak recklessly. They make sure that they are calm and think before they speak. They are not bullies or narcissistic. They respect boundaries. They don't depend on the immature defence mechanism. In short, they are not childish. The internet, as we know, rapidly grew in India from last few years. It has given a peak rise to many fields just like Education, Entertainment, Business, ICT, Sport and Media field etc. No field is escape from internet. Internet has so much importance in every field and every aspect. In today's life a five year child also has knowledge about internet through game playing. However internet has so much benefits but side by side there are so much negative impact on child, adolescent and adults. Internet, today are being misused by illegal activities like e-mail espionage, credit card fraud, scam, software piracy, spreading of viruses etc. Which leak our privacy and security systems. Criminal activities are done with computer and cyber area are globally increase. Cybercrime is a Criminal activity involving computers and networks, which can range from fraud to emails and other secret things on it. Jaideep and K. Jaishankar define cybercrime "Crimes targeted against women with a motive to intentionally from the victim psychologically and physically, using modern telecommunication network such as internet and non state

compared to traditional offline crimes. According to a report (2017-2019) 95,684 crimes recorded by police. A computer virus is a computer program that attaches itself to programs or software which are running and not running, the virus hangs the software/program/system. The server has been damaged. When the perpetrator sends fictitious email to person with fraud links, fraud website. These things leak or steal personal information of the user. A botnet infection occurs when a hacker transmits information to the other computer. Transfer of data from one system to other system can be lead to virus through pen drive and other things. Spoofing is use of email to tricks an individual into providing personal information that is used by the unauthorized purposes. NetEspionage occurs when a criminal hacks the online system for the purpose of selling the confidential information. Higgins (2010) studied about the cyberspace and security of system. It describes the internet and psychological effects of cybercrime. Brenner (2010) describe the aspect of a human nature that people have no more knowledge about cybercrime. Knowledge is very important for everyone to escape from cybercrime. Gupta & Srivastava (2016) found that boys are more Emotional regression than girls. Boys are more faculty social adjustment than girls. Waise & Fransis (2013) Found that every individual learner to develop stability intra-personal and inter-personal in this competitive world. He found that less emotionally mature persons tend to preference inefficient copy methods than that of useful methods and more mature person prefer more wise and useful methods. Singh (2013) studied about the gender on social and emotional maturity of Senior Schooladolescents found that girls are gain more scores on social adequacy than boys.

Objectives

- 1) To study the cybercrime awareness of B.Ed. pupil teachers with extreme emotional maturity and extreme Emotional immaturity.
- 2) To study the relationship between cybercrime awareness and Emotional maturity.

Hypothesis

- 1) There is no significant difference in cybercrime awareness of B.Ed. pupil teachers with Extremely Emotional maturity and Extremely Emotional immaturity.
- 2) There is no significant relationship between cybercrime awareness and Emotional Maturity.

Tools used:-

- 1) Cybercrime awareness scale:- In this study, cybercrime awareness scale was used. developed

Cybercrime awareness: Debarati Halder and K. Jaishankar define cybercrimes as: "Offences that are committed against individuals or groups of individuals with a criminal motive to intentionally harm the reputation of the victim or cause physical or mental harm, or loss to the victim directly or indirectly, using modern telecommunication networks such as Internet (networks including but not limited to Chat rooms, emails, notice boards and groups) and mobile phones (Bluetooth/SMS/MMS)"

Emotional Maturity: Smitson(1974) Emotional maturity is a process in which the personality is continuously striving for Greater sense of emotional health, both intra physically and intra personality.

Delimitations

- ☆ The study is delimited to B.Ed. pupil teachers only.
- ☆ The study is delimited to Hisar and Sirsa district only.
- ☆ The study is delimited to 250 B.Ed. pupil teachers only.

Variables of the study

1. Independent variable- Emotional maturity
2. Dependent variable - Cybercrime awareness

Statistical techniques:- The investigator use appropriate statistical technique. The investigator have use mean, standard deviation, T- Test, and Pearson product moment correlation for measure the relationship.

Sample and Procedure:-


For collecting data, six colleges of Education from Haryana under CDLU&GJU university. The investigator personally visited the college of Education one by one. After that the investigator administrated the tools on the B.Ed. pupil teachers. After collection the data, the result was presented on the tables which are as under.

Analysis and interpretation:-

1. There is no significant difference between Extremely Emotional maturity and Extremely Emotional immaturity with cybercrime awareness of B.Ed. pupil teachers.

Group	N	Mean	SD	T test	Level
Extremely emotional maturity	300	90.72	11.78	3.89	Significant
Extremely emotional immaturity	200	80.67	7.87		


From the table and figure, it can be observed that 3.89 was found significant at 0.01 and 0.05 level with 498 degree of freedom, which indicates that the cybercrime awareness



the null hypothesis i.e. there is no significant difference in the cybercrime awareness of extremely Emotional Maturity and Extremely emotional immaturity of B.Ed. pupil teachers, is rejected. Thus we can say that cybercrime awareness is affected by Emotional Maturity. The Extremely Emotional mature B.Ed. pupil teachers have strong self -control when they have online .They use internet very carefully with proper awareness.

2. There is no significant relationship between cybercrime awareness and Emotional Maturity.

Sr. no.	Variables	N	Coefficient correlation	of Level of significance
1	Cybercrime awareness	500	0.96	Significant
2	Emotional maturity	500		



From the table and figure indicates that there is a significant correlation between the cybercrime awareness and emotional maturity i.e. 0.96. Which is significant at 0.01. level of significance .So the null hypothesis "there exists no significant relationship between cybercrime awareness and emotional maturity of B.Ed.pupil teachers." is rejected. The magnitude of 'r' indicates positive correlation which means that increase in emotional maturity scores leads to

like cybercrime.:-

Bibliography

1. Higgins George (2010). Cybercrime:- An introduction to an Emerging phenomenon.MC Draw Hill publishing New York
2. Brenner, W.S. (2010)cybercrime:- Criminal threats from cyberspace, Green word punishing group Westport
3. Singh hand, Mahesh Bhargava M.Manual for Emotional Maturity Scale (EMS)National psychological corporation,Agra, India
4. Gupta N.& Srivastava N (2016) Emotional maturity in relation to social Economic status among urban adolescents international journal research publications,research journal of commerce and Behavioural Science 05,28-31
5. Bidala A.J., Ms Rawat v. (2016) Role of self-concept and Emotional maturity in Excessive internet usage the international journal of Indian psychology volume 3, issue 3.
6. Dangwal K.L., Srivastava s. (2016) Emotional Maturity of Internet users, Universal journal of Educational Research (4) 6_11,2016 Dept.Of Education Lucknow India
7. Deswal A., Emotional maturity of Internet user adolescent, an international peer reviewed SJIF 2013= 4.194 ISSN 2278-8808. Scholarly Research journal for interdisciplinary studies Aurangabad, Bahadurgarh
8. Malhotra T, Malhotra M.(2017) cybercrime awareness among teacher trainees,scholarly Research journal for interdisciplinary studies vol 4/31 page 5249
9. Joy M.,Ms.Mathew A (2018,May) Emotional Maturity and General well being of adolescents, 105 R journal of Pharmacy volume 8 ,Issue ,5,PP.01-06
10. C .Monique judge(2017) the root after Dark, ICCSR Journal of pharmacy, WWW.The root.com

Dr. Umender Malik

Assistant Professor III,
Department of Education
MDU, Rohtak

Kavita

(Research Scholar)
MDU, Rohtak

ABSTRACT

In this paper an attempt has been made to explain the concept of democratic decentralization with special reference to the Panchayati Raj Institutions in Jammu and Kashmir. It has been observed that PRIs have not been allocated powers to deal with local problems under one or the other pretext. Recently the government has tried to decentralized a few departmental powers to deals local institutions. However, the urge for governing the local areas by the local representatives have not been met. It is therefore suggested that their should be maximum decentralization of powers to PRIs so that local problems can be solved at the local levels.

Democratic decentralization in J&K is characterized by drastic shifts and turns. The aspirations of the people have been under mined and PRIs have not been allowed to function smoothly due to one or the reason. Gross route democracy, which is key indicator of the strength of civil society as well as vital opportunity for participation in governance and decision making is almost non-existent. However steps are being taken to redress the grievances of the people through various means.

KEY WORDS: Democratic Decentralization, Panchayati Raj Institutions, Local

Representatives, Halqa Panchayats and Good Governance.

Panchayati Raj is a system of rural self government where in the people at the village level take upon themselves the responsibility for development and are able to participate in the management of their affairs. It operates as a system of institutional arrangement for achieving rural development through people's initiatives and participation, both in planning and implementation, so that fruits of development can accrue to the community directly. Panchayat means a village council responsible for managing the local affairs of a village or an institution of self government. The panchayat literally means group of five persons selected by the villagers, is a traditional council of elders . Raj literally means governance or government. Thus Panchayati Raj is a decentralised form of government wherein each village is responsible for its own affairs. It presupposes democratic decentralisation to the district level and below, which are recognised as the institutions of self government.

Although, Panchayati Raj is a state subject, each state is free to evolve its own system depending upon local needs, circumstances, administrative conveniences and experiences. Unlike other states of the country which have the three tier Panchayat structure as per the provisions of

Kashmir has its own (Jammu and Kashmir) Panchayati Raj Act of 1989, which is at variance with the 73rd Constitutional Amendment. Because of Article 370 of the Constitution of India, the central Act does not apply automatically to the state of Jammu and Kashmir. It had in any case to pass its own law without having to conform to the new constitutional provisions on Panchayati Raj . The state government exercising powers conferred by Section 80 of the Jammu and Kashmir Panchayati Raj Act, 1989 framed Jammu and Kashmir Panchayati Raj Rules, 1996. Through these rules the state has tried to define the powers of the halqa panchayats regarding the execution of works, adoption of electoral rolls and conduct of elections under the supervision of the Chief Electoral Officer as the election authority, the assessment and collection of fee and taxes .

The panchayats have assumed significance with the unfolding of the seventy-third amendment, the importance of which cannot be measured in terms of its immediate results. Its real significance lies in the sequence of actions and events to which it has given birth. The institution of local self-government is essentially meant for enriching, widening and strengthening the base and practice of democracy at the grassroot level and it does so in many ways. It expands the scope of social and political participation by facilitating empowerment of marginalized sections of society which in turn makes the system relatively more accessible to the people. It makes the system more accountable, responsive and transparent. This happens as it is closest to the people and therefore, functions under the watchful eyes of its electorate. Besides it ensures efficient delivery of services to the people, especially in the field of primary education, health care, and local infrastructure. It also enables people to articulate their felt needs and demands so that they may be addressed. Moreover, it offers a forum to the people and also guarantees the free exchange of opinion and views, thereby leading to debate and discussions in order to fix their priorities in the social and economic spheres. This develops art of collective decision making and helps to bridge the gap between the people and their leaders as well as closer contact between government officials and local people. Last but not the least, it functions as nursery for upcoming leadership, which eventually nurtures and prepares leaders for higher level institutions. It has slowly but gradually started changing the immobile rural society.

Panchayati Raj institutions promote a sense of autonomy among citizens. It hands over powers as well as responsibilities to the people and allows them to manage

developmental programmes of the local areas. It enhances the social order by promoting the legitimacy of the state, help in overcoming the differences and discrimination with regions and limit pressure for separatism by diverse regions or ethnic groups. Its great potentialities lie in the fact that under the guidance and supervision of the state governments, the final responsibility for carrying out rural development falls more and more on the people themselves through their own elected representatives. The goal is to decentralise power and bring decision making to the grass root level. The purpose of Panchayati Raj therefore is to promote participatory democracy wherein the Gram Sabha, consisting of all adult residents of the village, may not only deliberate but also participates in planning and implementing various programmes.

The political commitment to the concept of democratic decentralization in Jammu and Kashmir is not a new idea. Initially during the regime of Maharaja Hari Singh, Panchayati Raj Institutions in a modest way were introduced in the state and several powers were bestowed on them for raising taxes besides funding for addressing the infrastructural needs of the rural community. It was in 1935 that the first Village Panchayat Regulation Act No.1 of Samvat 1992 was promulgated by the then Maharaja Hari Singh. The preamble of the Act, stated, "It is expedient to establish in Jammu and Kashmir state, the Village Panchayats to assist in the administrative, civil and criminal justice and also to manage the sanitation and other common concerns of the village". It clearly shows that the essence behind the promulgation of this Act was not only to promote awareness about Panchayati Raj in the state but also to use panchayats as an extended arm of the government for judicial and civil administration.

The post-1947 period witnessed many new developments in the state. The National Conference (NC) came to power in March 1948. Empowering grass roots political institutions has been an ideal of the popular government and is emphatically mentioned in the New Kashmir Manifesto. This ideal was incorporated into the constitution of the state, which made it obligatory for the state to take steps to organise village panchayats and endow them with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as units of self government. Article 45 of the New Kashmir document defines people's panchayat as an organ of the state power in districts, tehsils and villages. Its activities cover the maintenance of state order, observance of laws and the protection of the rights of citizens, local economic and cultural development and

of the Panchayats and such other local bodies in the province of Jammu as the Sadar-i-Riyasat may by order specify. The popular government headed by Sheikh Abdullah replaced the Panchayat Act of 1935 (as amended in 1941) with Act-V of Samvat 2008 (corresponding to year 1951).

It is pertinent to mention that introduction of Community Development Programme and the National Extension Services (NES) occupied the full attention of the central and the state governments during the 1950s. Towards the end of the decade, it was realised that the expectations raised by these programmes were not getting fulfilled and that one of the main reasons was lack of people's participation in the planning and execution of these developmental schemes. At the national level, it was the study team on community development and NES headed by Balwant Rai Mehta which expressed concern about the lack of people's participation and made a strong plea for devolution of power to lower levels through panchayats. The Jammu and Kashmir state also enacted the Jammu and Kashmir Village Panchayat Act of 1958 and repealed all the earlier Acts.

Needless to mention that the story of Panchayati Raj in the state had remained more or less the same i.e remain dormant. No attempt was made to evaluate the possible problems and shortcomings so that suitable remedial action could have been taken up. This Act of 1958 failed to strengthen the panchayat institutions. Subsequently, the state government then introduced a developmental strategy popularly known as the Single Line Administration model with the idea to take the government to the people and not bring people on their door steps. This model ushered the process of administrative decentralisation and the building up of participatory base at the district level. It ensured the participation of the people in the developmental process and paved the way for decentralisation and delegation of authority. However, the implementation of this model led to the realisation that the human potential which is available at the grassroots level should be mainstreamed into the movement of development to provide a strong basis to the democratic structure. It was in this context that the desire to have a sound institutional framework to give a definite and positive role to the community in the matter of self governance has provided a sense of urgency for restructuring the institutional framework of Panchayati Raj. This realization apparently led to the introduction of Jammu and Kashmir Panchayati Raj Act, 1989. The Act for the first time provided for a three tier system consisting of Panchayat, Block Development Council (BDC) and District Panchayat. The Constitution of Jammu and Kashmir in 1952

and Kashmir Panchayati Raj Rules, 1996 in exercise of the powers conferred by Section 80 of the Jammu and Kashmir Panchayati Raj Act, 1989. It is argued that the panchayats for long remain dysfunctional due to the volatile conditions in the state, the insurgency or secessionist movement has commenced in Kashmir since 1990s. A number of panchs and sarpanches have become target of militancy and lost their lives, thus spreading a fear psychosis among others in the state. Moreover, there is lack of commitment and will of leadership to make panchayats as an instrument to bring change as well as to devolve powers to them. The state government in general has looked at the panchayats as the implementing agencies of the government sponsored programmes only.

It is significant to note that as per the Panchayati Raj Act of 1989 and the amendment rules of 1996, the election for the halqa panchayats for the first time were held in 2001 and thereafter in 2011, therefore, the elected bodies got constituted twice only in last three decades. However, out of 2700 panchayats only 1693 could be constituted in 2001 resulting in the non formation of the second tier and third tier of panchayats at the block and district levels. At the block level, the Block Development Officer remained under the non official elected Chairman of the Block Development Council. Panchayats remained defunct for four years since they were dissolved in 2006 when their five-year term ended and now again constituted in 2011 through panchayat elections at the halqa panchayat level only. As per the Panchayat Act of 1989, elections to the panchayats have to be held within six months of dissolution of Halqa Panchayats. However, this did happen after a period of five years. The working and execution of programmes related to development activities of panchayats remained under the arms of bureaucrats in the intermediate period. However, many voices were raised to amend the state Constitution to incorporate the seventy-third and seventy-fourth constitutional amendments of the Constitution of India into Jammu and Kashmir before the conduct of elections. Jammu and Kashmir government has till date not incorporate provisions of seventy-third amendment act of the Constitution of India into Jammu and Kashmir Panchayati Raj Act, 1989 or amend the state Constitution for effective decentralisation of powers. The people see panchayats as an agency of developmental work as it is evident from the fact that they considered monitoring and supervising the implementation of development programmes as the most significant power of panchayats. Panchayats are regarded as those bodies which play a supportive role rather than being an institution of self-governance of communities.

being advisory committees that makes suggestions which may or may not be accepted. Thus elected authorities under Panchayati Raj system are deprived of taking vital decisions. The panchayat representatives are not given the actual powers and even they are not having as much powers or responsibilities as the panchayats in other states of India are enjoying. Besides the literate/educated people feel that there are deficiencies in the PRS as the adequate powers are not given, the provisions of 73rd constitutional amendment are not made applicable and the panchayats supervises only infrastructure related development issues. On the other hand, illiterate people see PRS as good as they are getting employment, their problems are being addressed, transportation has become easier due to construction of tractor roads, health facilities are available and availed easily, drinking water facilities are made available by means of construction of 'babli' (springs) and handpumps etc. Thus there is mix of viewpoint regarding the panchayats system.

Gram Sabha acts as a watchdog on the working of halqa panchayat and facilitates people's participation in the decision making process at the grassroots level. The members of halqa panchayats have not been made accountable to the people after they are elected. However, the act provides that panchayat meeting should take place once in a month. The meetings are convened as a matter of procedure. The participation is meager which is about 40-50 persons. This poor attendance is due to number of reasons such as inappropriate time of the panchayat meetings; lack of information, communication and publicity of panchayat meetings; long distance from the residence; household work and powerlessness of the Gram Sabha. Therefore, Gram Sabha has failed as an institution of public participation and direct democracy. Government officials only take opinion of elected panchayat representatives in these panchayat meetings on the execution of work under governmental schemes and plan related to their wards. Finally they take decisions and execute on their own. Thus government officials act as masters of power instead of facilitators in decision making and implementing the governmental programmes at village panchayat level.

The halqa panchayat meetings are presided over by the Sarpanch and in his absence by VLW. The residents who did get any benefits hardly show any interest in attending the meetings. They come to attend only to meet their vested interests. Once this purpose is served, they did not attend the subsequent meetings. Infrastructure related issues predominate over social issues in these meetings. The provision of social issues is not

1989, envisages a panchayati adalat for every halqa which consists of a contiguous number of villages as determined by the government [section 42(1)]. The panchayati adalats are village courts, where disputes are settled between villagers. Legal Councils were composed in 2001 after panchayat elections but remained non-functional. Their functions were overtaken and performed by the elected representatives. Presently, there does not exist Panchayat adalats even after the new panchayats got constituted in 2011.

The reservation in panchayats is strongly contested by the people in these panchayats bodies. They regard that when all the villagers are availing the same facilities and face common problems then why should there be reservation for some sections of the society. Almost majority of the high caste population is against the reservation for SCs/STs. Only the young educated and the low caste persons support reservation. The elected panchs and sarpanches argue that one should be elected on the basis of one's talent. Therefore caste polarization still exists and operates in the working of panchayats. Even the voting is done on caste lines. With regard to the reservation of women's in panchayats, the younger age group (both males and females) favour the reservation of seats for women. In some areas traditional patriarchal attitude still operate as the old age group is opposing the active participation of women in panchayats. Those women who contested and won respective seats view that women could not be able to contest and come out of the four walls without political empowerment. The interaction outside the family and participation broke the stigma attached to the women that they should be confined to home and household work i.e. private activities. The positive impact is seen in the 2011 panchayat elections where large number of women's contested in the seats reserved for the women's which were provided by making an amendment in the J&K Panchayati Raj Act 1989 in 2003. Moreover, the panchayats do not have internal revenue mobilization. The financial support is provided but on political affiliation. The financial resources available to the PRIs fall far short of what is needed by these institutions to fulfill their responsibilities. Therefore the combination of politicians, bureaucrats and government is responsible for panchayat malfunctioning.

The responsibilities assigned to the panchayats vary from state to state, certain essential services such as provision of safe drinking water, rural sanitation, lighting of public places, preventive health care and primary education have been accepted as the legitimate and core functions of the local government. The services which were entrusted to

related to land; alcoholism and domestic violence. However, they are not empowered to take action against those who are found violating the norms. Therefore, administrative and financial control is still vested in the respective departments. Only one-tier of PRIs has remained functional in J&K i.e. at the level of halqa panchayat. Even at present, the panchayats are functional at the halqa panchayat level. In many states where MLAs and MPs are members of the District Boards (third-tier of PRIs at the district level), they have no voting rights but under the Jammu and Kashmir Panchayati Raj Act, they shall have these rights also. The executive authority of the District Boards in the state Act entirely rests with the government officers. According to the Act, the District Development Commissioner shall be the Chief Executive of the District Board and shall be assisted by the district level heads of departments in discharge of their functions as such. According to the state Panchayat Act, the village plans have to be made in consultation with the Deh Majlis (Gram Sabha) in the beginning of every financial year. At the block level these plans are consolidated and sent to district for the incorporation in the district plan. In Jammu and Kashmir the Block Development Councils (second-tier of PRIs at the block level) have not been constituted. Hence the functional link between the village and district is absent.

Rural Development Department of the state has constituted Monitoring Committees during the recess period of panchayats for continuing the running/carrying out of governmental programmes under various schemes in the villages without interruption. The panchayat meetings were called on when necessity arose with the existing elected panchs and sarpanches. They were consulted for their opinion on matters of development related to their respective panchayat constituency. The working and execution of programmes related to development activities of panchayats remained under the arms of bureaucracy when they were dissolved. Monitoring committees acted as advisory bodies only thus the devolution and delegation of power and authority to panchayats has not taken place. There are glaring deficiencies in implementing and monitoring despite programmes are conceptually well thought of, establishing lack of concern, commitment and accountability of implementers. Unfortunately achieving targeted physical units and financial expenditure has remained more important rather than achieving the ultimate objectives.

The Panchayati Raj Institutions have been in operation in almost all states in India for nearly five decades but with a number of variants in their structure concerning decision

more than the vigilance on behalf of government on the village affairs. It is due to undemocratic nature of the act that it has lost the faith of the people. As a result, the Act of 1941 came after amendment but could not even win favour of the villagers. After 1947, when the administrative machinery came under the popular government, steps were taken to remove the drawbacks of the previous Acts. The government tried their best to get favour of the common villagers and brought the Panchayat Acts of 1958 and 1989. The election procedure was improved from raising hands to secret ballots and also reservation provided to the women in revised Panchayat Act of 1989. Though the Panchayati Raj Institutions have been in existence in the state for a long time, it has been observed that these institutions have not been able to acquire the status and dignity of viable and responsive people's bodies due to number of factors including absence of periodic and regular elections and prolonged suppression; inadequate representation of marginalized and weaker sections; inadequate devolution of powers and lack of financial resources as well as their inability to generate resources. The panchayats have meager, occasional and tied government grants. Corruption, absence of information regarding the Act and schemes in documented form, limited involvement of people in decision making, lack of commitment and will of leadership to make panchayats as an instrument to bring change as well as to devolve powers to them are the other inhibiting factors.

However, the PRIs have not yet become the real institutions of self-governance at the grassroots level mainly due to the repugnance of higher level bureaucrats and politicians to share power with them and lack of capacity of these institutions in performing their envisaged functions and duties. The panchayats under the state Act are the institutions that lack autonomy. Even the preamble of state Act declare its objective is to improve rural administration and ensure people's participation in the development programmes, but the state ended up in creating panchayat bodies without decentralising the administrative and financial powers to such bodies. Panchayats can fulfill their responsibility as institutions of self government only if devolution is patterned on a nexus between the three Fs - functions, functionaries and finances. Whether it is municipal bodies or panchayats bodies, they have wretchedly failed to perform because neither they have the requisite powers to perform, nor the adequate funds to start or monitor community development works. In fact, the panchayat members do not enjoy the basic authority that is needed to make these local bodies functional. Moreover, there is a need to strengthen the planning apparatus at halqa

elections to these bodies, but the future of decentralised governance itself is at stake. Holding elections to PRIs is no doubt important, but the more important issue is that of making them effective instruments of change and development, towards building a strong and vibrant civil society.

The panchayats as local bodies have an important role to play in the reconstruction of New Jammu and Kashmir state and the government is planning to transfer power to these democratically elected bodies so that area specific needs of the people are taken care of and development carried on as per the requirements of the people. The government also maintains that these institutions will also help to ensure judicious spending of funds and creating dependable and useful public service infrastructure. These bodies will address the basic necessities of the masses at the grassroot level where the state government has failed to reach and fulfill their demands. It would also fill the governance deficit provided the panchayat bodies are fully empowered to take decisions which are bestowed to them and without political interference. This will enable these institutions to bring the masses at the helm of affairs and in decision making. The recently held elections of local bodies particularly of panchayats are an encouraging steps towards empowering people at the local level and plugging the loop holes in strengthening the grass root democracy in Jammu and Kashmir State. It is pertinent to mention that these elections have been free of any kind of violence in any part of the state. It is therefore hoped that the present government will undo the injustice meted to the people of Jammu and Kashmir State at local level since independence.

References:

1. R.P. Joshi and G.S. Narwani, Panchayat Raj in India: Emerging Trends Across The States, Rawat Publications, Jaipur, 2001, p. 21.
2. Balraj Puri, "J and K Panchayati Raj Bill: A Critique", Economic and Political Weekly, Volume 24, Number 28, July 15, 1989, p. 1567.
3. 'Halqa' means the area comprising a village or such contiguous number of villages as may be determined by government from time to time. Provided that the halqa shall be determined in such a manner that the population of any halqa does not exceed 3,000 in the hilly areas and 4,500 in the plain areas.
4. 'Panchayati Raj Act - 1989 and Panchayati Raj Rules - 1996' Agriculture & Rural Development Department, Jammu and Kashmir Government

7. Vasant Desai, Panchayati Raj- Power to the People, Himalaya Publications, Bombay, 1990, p. 4.
8. S.P. Jain, "The Gram Sabha: Gateway to Grassroot Democracy", Journal of Rural Development, Volume 16, Number 4, 1997, p. 558.
9. Maharaja Hari Singh was the last Dogra ruler of Jammu and Kashmir.
10. Riyaz Punjabi, "Panchayati Raj in Kashmir Yesterday, Today and Tomorrow", George Mathew (ed.), Panchayati Raj in Jammu and Kashmir, ISS and Concept Publications, New Delhi, 1990, p. 38.
11. Rekha Chowdhary, "Panchayat Elections in Kashmir", Economic and Political Weekly, Volume 36, Number 20, May 19-25, 2001, p. 1674.
12. Balraj Puri, n. 2, p. 1567.
13. Sadar-i-Riyasat was the designation of Head of State and it was replaced by Governor by the Constitution of J&K (6th Amendment) Act on April 10, 1965.
14. The Constitution of Jammu and Kashmir, Ranbir Government Press, Jammu, 1956 Legal Document No. 140, Section 50 (5), pp. 10-11.
15. It was a mechanism for developing the planning process at the district level for equitable development of areas within the district with the people's participation.
16. Jammu and Kashmir National Conference, Election Manifesto, Party General Secretary, Jammu and Kashmir National Conference, Jammu, 2008, p. 9.
17. Mohammad Shafi, "Revival of a Democratic Tradition", George Mathew (ed.), Panchayati Raj in Jammu and Kashmir, ISS and Concept Publications, New Delhi, 1990, p. 33.
18. Ibid.
19. Sushma Choudhary, "Does the Bill Gives Power to the People?" George Mathew (ed.), Panchayati Raj in Jammu and Kashmir, ISS and Concept Publications, New Delhi, 1990, p. 64.
20. 'Panch' means a member of Halqa Panchayat whether elected or nominated under Jammu and Kashmir Panchayati Raj Act, 1989.
21. 'Block' means the area comprising such contiguous number of Halqa Panchayats as may be determined by the government from time to time.
22. Syed Junaid Hashmi, 'Panchayat Act: J&K's blatant 'No' to 73rd amendment', Kashmir Times, April 26, 2010.
23. Alice Jacob and M.C. Mehta, "Panchayati Adalats in the Jammu and Kashmir Legislation", George Mathew (ed.), Panchayati Raj in Jammu and Kashmir, ISS and Concept Publications, New Delhi, 1990, p. 33.

Abstract

Sexual harassment of women at work place and other places as a deviant behavioural pattern is a nature of great concern and it is necessary to combat their evils. The main objective of the study is to explain the spatio-temporal variations in the incidences of sexual harassment cases in India. Data is to be collected from census of India for female population and Sexual Harassment cases from "Crime in India". Reports from (NCRB) National Crimes Records Bureau for the time 1991, 2001 and 2011. Research Methodology for analysis of data is to be used for crime rate

$$\frac{\text{Cases of Sexual Harassment}}{\text{Female Population of an area}} \times 100000$$

Data in collected from secondary source of Data. Sexual Harassment cases are offence or criminal intimidation insult and annoyance.

Introduction

There are many sections in the IPC which dealt with "offences of Criminal intimidations insult and annoyance". In this part, Section 509, which deals with "word, gesture or act intended to insult the modesty of a woman" or the cases of sexual harassment is dealt with.

Women are indeed vulnerable to violence because of their female sexuality which results in sexual harassment and other forms of crimes against them. Among the historical power relations responsible for crimes against women are the economic and social forces which indeed exploit the female labour and female body. Sexual harassment as a deviant behavioural pattern is a matter of great concern and it is necessary to combat their evils.

The Supreme Court of India held that every incident of sexual harassment of women at the work place or any other place results in violation of the fundamental rights of "Gender Equality and the Right to Life and Liberty". Section 509 of the Indian Penal Code has by an large attempted to define the offence of sexual harassment. This section makes 'intention' to insult the modesty of women the essential ingredient of the offence. If a man intending to outrage the modesty of a woman exposes his person indecently to her or uses obscene words intending that she should bear them or exhibits to her obscene drawing, he commits this offence. Further sexual harassment includes such unwelcome sexually determinant behavior (whether directly or by implication) as :

- ☆ Showing pornography;
- ☆ Any other unwelcome physical, verbal or non verbal conduct of sexual nature.

Objectives of the Study

Main objective of present study is to explain the spatio-Temporal pattern of crime sexual harassment in India. To aware the Indian society for their constitution law for man and woman

Methodology and Source of Data Collection

Crime rate and percentage of crimes incidences of sexual harassment cases with the help of female population data from census of India and data collected from N.C.R.B (National crimes second Bureau) Reports of 1991, 2001, 2011 and 2016 for crime.

Study Area

In India Sexual harassment cases are decreasing from 1991 to 2016. It more positive symbol of awareness about laws and human rights/women rights there are so many examples of such type of cases when ladies also have misused the laws and their rights and in some cases men have misused of their power.

In India : Example of Sexual Harassment case against Supreme Court (SC) Chief Justice Rajan Gogoi Meenakshi Ganguly South Asia Director at human rights watch said - "India's Supreme Court has a rich history of supporting the principles of equality and non-discrimination".

"The court needs to uphold this reputation by setting up a fair and credible inquiry into the sexual harassment complaint and protecting the woman who made the complaint and the witnesses".

A former junior assistant to chief justice filed a complaint on 19th April with 22 supreme court justices, accusing him of sexually harassing her in October, 2018. In response, Chief Justice Gogoi convened an urgent three judge bench on April 20 to hear the matter without notifying her. Justice also personally presided over the hearing, reforming the complaint as an attack on judicial the complaint as an attack on judicial independence and rejecting the allegations. Now problem is only for layman.

Data Analysis

Spatio temporal pattern of Sexual Harassment in India.

Data at the state level shows that in the year 1991 maximum number of cases of sexual harassment were registered in the state of Uttar Pradesh (2580) followed by Delhi (2,376) Tamil Nadu (1,203), Andhra Pradesh (999) and Pondicherry (697). There five states constitute about 77% of the total such cases reported in the country as a whole National average of sexual harassment rate was 2.55

(174.38) followed by Delhi (55.71) Chandigarh (10.94) and Andaman & Nicobar Islands (6.33). The exceptionally high rate of this crime in Pondicherry & Delhi is because till 1991 sexual harassment cases used to be referred as eve-teasing. But thereafter the cases of eve-teasing and sexual harassment have been listed separately.

Lowest sexual harassment rate was found in the states of Kerala (0.03) followed by Punjab (0.03) Bihar (0.06) Assam (0.09) etc.

It is noticeable that no case of sexual harassment was reported in Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, Dadra & Nagar Hanch and Lakshadweep.

In the year 2001, 9746 cases of sexual harassment were reported in the country as a whole there were about 6.7% of the total crime against women in India, Maximum cases of such type of crime were registered in the state of Uttar Pradesh (2659) followed by Andhra Pradesh (2,271) Maharashtra (1,120), Tamil Nadu (1,012) and Madhya Pradesh (912) These five states constitute about 82 percent of the total such cases reported in the country on a whole. National average of sexual harassment rate was 1.96. Against this figure nine states and two union territories recorded highest crime rate. Among the states Andhra Pradesh (700) ranked first followed by J&K (6.04) Sikkim (5.55) Haryana (4.7) Tamil Nadu (3.28) Uttar Pradesh (3.21) M.P. (2.6) Orissa (2.5) and Maharashtra (2.4). It is noticeable that in 2001 five more states namely J&K, Sikkim, M.P. Orissa and Maharashtra were added to the list of States with crime rate higher than the national average. A reverse trend experienced in Delhi and Andaman & Nicobar islands which were above the national average in 1991 but stepped down below the national average in 2001 lowest crime rate was found in the States of Assam (0.03) followed by Bihar (0.05) West Bengal (0.12) etc.

The number of sexual harassment cases has decreased by 14.0% during the year 2011 over the previous year (2010) 9961 cases. In the year 2011 Andhra Pradesh has reported 42.7% (3658 cases) followed by Maharashtra 12.5% (1,071 cases) of total Incidence Andhra Pradesh has reported highest Crime rate (4.3) as compare to national average crime rate of 0.7.

In the year 2016 maximum cases of sexual harassment were reported in Andhra Pradesh (1831) Telagana (1003) Maharashtra (924) Delhi (918) and Odisha (437). Highest crime rate was found in Delhi (51.67) Telangana (5.73), Andhra Pradesh (4.35) Goa (4.46) lowest crime rate in the year 2016 was found in West Bengal (0.01), T.N. (0.03) Jharkhand (0.08) Punjab (0.08) below the national

condition is to be found in some cases of crime against women and sexual harassment women are also misusing their favourable laws and rights. There should be fair results in courts in both cases crimes against man and women both.

Findings & Conclusion

In the year 1991, 10,283 cases of sexual harassment were reported which were 14 % of the total cases of crime committed against women in the country as a whole. In 2001, 9,746 cases were reported which were 6.8% of total crimes against woman and in 2011, 8,570 the number of such cases has decreased by 14.0% during the year over the previous year (2010) 9,961 cases which were 3.7% of total crimes against women in India. In 2016, 7305 cases of sexual harassment were registered which were only 2.15% of total crime against woman cases in India. It is a very positive thing that from 1991 to 2016 (10283-7305=2978) cases were decreased.

But it is very important to note that what is the main reason of such type of situation. First of all awareness education about rights and law of our constitution. After that in modern era few cases in working or female labour are still actually suffering and sometimes females are also misusing of the law or their rights Decadal changes of Sexual Harassment cases from 1991 to 2001 and 2001 to 2011 was found -5.22% and -12.07% respectively.

References

1. Ahuja, Ram (1998), "Crime Against Women", Jaipur, Rawat Publications
2. Census of India (1991), Final Population totals, Paper-1, Series - 1, Vol. II, Govt. of India 1992, pp 21-82
3. Census of India (2001), Series 1, Paper 1 of 2001, Provisional Population Totals, Registrar General and Census Commission, India New Delhi.
4. Census of India (2011), Final Population totals, Paper-1, Series 1, Govt. of India.
5. Crime in India (1991 to 2016), New Delhi National Crime Records Bureau.
6. Ghosh, S.K. (1993), Women and Crime, New Delhi, Ashish Publishing House
7. Nangla, B.K. (1991) Women, Crime and Law, Jaipur, Rawat Publications
8. The Tribune (Various dates) Chandigarh

Dr. Vineet Bala

Assistant Prof. in Geography
Vaish College, Rohtak

ABSTRACT

Indian Retail Industry is ranked among the ten largest retail markets in the world. The attitudinal shift of the Indian consumer and the emergence of organized retail formats have transformed the face of Retailing in India. With the sign of reemergence of economic growth in India, consumer buying in retail sector is being projected as a key opportunity area. As a consequence, Indian corporate houses are refocusing its strategic perspective in retail marketing with the idea to use resources optimally in order to create core competence and gain competitive advantage. The study theme is to analyses finer strategic perspective for the retail sector in India and suggest measures so that the corporate strategists could incorporate the same both qualitatively and quantitatively. Based upon the qualitative judgment, a retail unit may be given an overall understanding about the expected performance that can further be corroborated by quantitative analysis.

Keywords - FDI in retail sector, Good government policies, supply chain management

Introduction - Retail trade has emerged as one of the largest industry contributing to employment generation, revenue generation, increased turn over and many more. Organized retailing is showing signs of enormous creativity. It has emerged as one of the most dynamic and fast paced industries with several players entering the market. As a matter of fact retailing in India is gradually edge its way towards becoming the next boom industry. This study provides detailed information about the growth of retailing industry in India. It examines the growing awareness and brand consciousness among people across different socio-economic classes in India and how the urban and semi-urban retail markets are witnessing significant growth. The study includes growth of retail sector in India, strategies, strength and opportunities of retail stores, retail format in India, recent trends, and opportunities and challenges. This study concludes with the likely impact of the entry of global players into the Indian retailing industry. It also highlights the challenges faced by the industry in near future.

Retail and real estate are the two booming sectors of India in the present times. And if industry experts are to be believed, the prospects of both the sectors are mutually dependent on each other. Retail, one of India's largest industries, has presently emerged as one of the most dynamic and fast paced industries of our times with several players entering the market. Accounting for over 10 per cent of the country's GDP and around eight per cent of the

toward becoming the next boom industry.

Performance - In today's dynamic and shaky business world, the retail industry is constantly upgrading itself. With an endless array of customer choices, fierce competitors, pervasive use of the internet, and a complex global economy, retailers need to focus on finding ways to sustain and grow their businesses. Traditional growth models that focused on rolling out more stores and adding more product lines, no longer enjoy the return on investment they once did. Successful retailers are those who are able to adapt and change to the environment and develop new ways of serving customers, respecting the dynamics of current trends and adapting accordingly. The retail industry in India is hailed as a sunrise sector, and is estimated to double in value from US\$ 330 billion in 2007 to \$640 billion by 2015. In fact, India has topped AT Kearney's annual Global Retail Development Index (GRDI) for the third year in a row as the most attractive market for retail investment. The bad news is, despite the fact that India has one of the largest numbers of retail outlets in the World, organized retail accounts for only 4% of the total market. This makes it especially difficult to apply sophisticated merchandising and sales tools, enhance consumer interaction and also, make very accurate analysis. That said, analysts believe the sector is likely to show significant growth of over 9 % p.a over the next 10 years and also see rapid development in organized retail formats, with the proportion likely to reach a more respectable 25% by 2018.

Growth Potential - The key growth areas include the urban, luxury segment on one end of the spectrum and serving the rural sector on the other. In addition, government policy encouraging FDI in the segment has resulted in a plethora of international retailers keen on entering the market; American retail giant Wal-Mart has tied-up with Bharti Enterprises and global coffee giant Starbucks' has tied up with PVR Limited. In addition, Carrefour, Boots and others are also expected to come in. With so much action, it is natural that there is a huge scope for employment opportunities, and experts estimate that the sector will generate employment for ~ 2.5 million people in 2010. The top retail companies in India include the Raheja Group, Reliance Retail, Tata Trent, Future Group, RPG Retail, and Ebony Retail Holdings.

Future Prospects - There are many opportunities for those seeking to enter this sector, and entry level positions such as sales executives don't even require a

Naturally, the higher order jobs for graduates with

retail such as operations heads are extremely well looked after, and HR consultants believe they are paid in excess of Rs. 60 lakhs. The good news for graduates is that since the sector is so young and vibrant, career growth happens very rapidly, and these positions are very achievable in a compressed time period. Successful candidates across all levels are those who are dynamic, able to multi-task and are equipped with great communication skills.

Evolution of the Indian Retail Market - Retailing goes back to centuries; it started as a very primitive business but today has grown tremendously. First people were doing businesses with their neighbors. Goods were exchanged between them. Gradually people began to collect themselves to a given neighborhood, which provides a geographical place to do the exchange. This not only increases the exposure of a given good but also helps a lot towards the development of a more formalized system. Gradually, a few more start to get together to a place that in turn creates a need for a common place. Later this common place was called a fair. With the passing of time the number of people doing businesses in a given fair increased, issues like security, transportation becomes a matter of concern. This semi-formalized system then gave birth to small-scale groceries, where people start to provide more combinations in their own neighborhoods. Then came the issue of choice in given grocery, the choices the customer had was limited, this was the beginning of the concept of "everything under one roof".

As time passes, joint family changes into nuclear family. There too both members started earning which resulted into a new way of lifestyle. From then instead of mom-and-pop type of stores organized retail stores came into existence.

Recent Trend - Retailing in India is witnessing a huge revamping exercise as can be seen in the graph India is rated the fifth most attractive emerging retail market: a potential goldmine. Estimated to be US\$ 200 billion, of which organized retailing (i.e. modern trade) makes up 3 percent or US\$ 6.4 billion As per a report by KPMG the annual growth of department stores is estimated at 24% Ranked second in a Global Retail Development Index of 30 developing countries drawn up by AT Kearney. Organized retailing in India has been largely an urban Phenomenon with affluent classes and growing number of double-income households. More successful in cities in the south and west of India.from differences in consumer buying behavior to cost of real estate and taxation laws.

Rural markets emerging as a huge opportunity for retailers reflected in the share of the rural market across most categories of consumption Mahamaza is leveraging

Organized retail in India is little over a decade old. It is largely an urban phenomenon and the pace of growth is still slow. Some of the reasons for this slow growth are: -
The Kiranas Continue

The very first challenge facing the organized retail industry in India is competition from the unorganized sector. Traditionally retailing has established in India for centuries. It is a low cost structure, mostly owner operated, has negligible real estate and labor costs and little or no taxes to pay. Consumer familiarity that runs from generation to generation is one big advantage for the traditional retailing sector. On the other hand, organized sector have big expenses to meet and yet have to keep prices low enough to compete with the traditional sector.

Retail not Begin Recognized as an Industry in India

Lack of recognition as an industry hampers the availability of finance to the existing and new players. This affects growth and expansion plans.

Conclusion-

The word retail is derived from the French word retailer, means to cut off a piece or to break bulk. Therefore, a retailer is a dealer or trader who sells goods in small quantities. Retailing is the final step in the distribution of products, for consumption by the end consumers. It consists of all activities involved in the marketing of goods and services directly to the consumers, for their personal, family or household use. This excludes direct interface between the manufacturer and institutional buyers such as government and other bulk customers.

REFERENCES

- 1) Michael .J. Baker, "The Marketing Book ", Fourth edition. Viva Books Private Ltd p.p639-667.
- 2) Michael R. Solomon .Elnora. W Stuart, 2005 "Marketing Real people, Real choices", Pearson Education, Ltd.p.p563-564.
- 3) SujaNair "Retail Management", Himalaya Publishing House, p.p401 -429.
- 4) Jim Dion& Ted Topping, "Retailing", Jaico Publishing House, p.p127 -150.
- 5) Swapna Pradhan, "Retailing Management Text& Cases", Tata Mc Graw Hills Company p.p127-141,342-350. 6) Levy Weitz. "Retailing Management ",Tata Mc Graw Hills Company Ltd New Delhi p.p472-502.
- 7) David Gilbert, "Retail marketing Management", Pearson Education, New Delhi p.p45

Bhawna sanduja

Research scholar

H.No. 224, ward no. 18, Sohna, Distt. Gurugaon

Abstract

The study aimed to find the relationship between personality and cybercrime awareness of B.Ed. pupil teachers and to find the difference between the cybercrime awareness and personality (extrovert & introvert). The personality of B.Ed. pupil teachers shows that their level of the risk of cybercrime. According to their personality, how they feel, react & face their problems regarding cybercrime. The sample comprise 250 B.Ed. pupil teachers selected through stratified random sampling technique. Data was analysed by Mean, Standard Deviation, Standard Error of Mean and T Test, Pearson Product Moment correlation. To interpret the data bar graph, line graphs were used systematically. The present study shows a positive correlation between cybercrime awareness and personality of B.Ed. pupil teachers.

Keywords: Cybercrime awareness, personality

Introduction:-

In the recent times, cybercrime is a high stakes business, run by criminals. Criminals easily hack the id and passwords and other securities in a computer / laptop/ phones. The art of "people Hacking " uses psychological techniques to trick people for giving surprising gift, attractive links and others. They have install malicious software. The B.Ed.pupil teacher's personality traits indicates that they are more or less likely to fall in cybercrime. Their personality traits also indicates that are suffered or victims by cybercrime. There are mostly three types of personality- Extrovert, Introvert and ambivert. In this research, we have to find correlation between personality and cybercrime awareness. Jung believed that the normal mind is expressed either serious, tension or rational thinking. An individual differences depends on a thinking type or emotional type .The thinking type is introverted and emotional type is extroverted. Chenlong Lin, Wei fang and jianbin Jin write down an article "you are what you post in circle of friends" on we chat. They describe about self-presentation and identity production from a personality perspective .In this article they studied that we chat Is a popular application in the china user present their actual life or construct new identities different from those in their offline life. To fill this gap, the study explores the association between expression of different personality traits on circle of friends and their actual personality traits were measured through fine factor personality traits in offline.

STATEMENT OF THE PROBLEM:-

A STUDY OF CYBERCRIME AWARENESS AMONG B.ED. PUPIL TEACHERS IN RELATION TO THEIR

OPERATIONAL DEFINITION OF THE TERMS

CYBERCRIME:- Cybercrime is a criminal activity committed against or with the help of a computer network is defined as cybercrime.

Personality:- The different qualities of a person's character that make him/her different from other people.

OBJECTIVES:-

- 1) To study the relationship between cybercrime awareness and personality (Extrovert-Introvert) of B.Ed. pupil teachers.
- 2) To study the difference between cybercrime awareness of B.Ed. pupil teachers with extrovert and introvert personality.

HYPOTHESIS:-

- 1) There is no significant relationship between cybercrime awareness and personality (Extrovert-Introvert).
- 2) There is no significant difference between the cybercrime awareness of B.Ed. Teacher trainees with extrovert and introvert personality.

Variables:-

1. Independent variable
Personality
2. Dependent variable
Cybercrime Awareness

Tools were Used:-

Following tools were used to collect the data.

CCAS (Cybercrime Awareness scale) by S.Rajasekar 2011. The investigator used this scale for testing the awareness about cybercrime on B.Ed. pupil Teachers. This scale consisted of 42 statements out of which 24 were positive statements and remains 18 are negative statements. Each statements were contains five point scale from strongly agree, agree, undecided, disagree, strongly disagree. According to the statements 5, 4, 3, 2, 1, for positive statements & 1, 2, 3, 4, 5 were given for negative statements. The construct validity of this scale was found 0.87 and reliability was found 0.76.

In this research, the investigator used the personality Inventory by Yashvir Singh & Dr. Harmohan Singh. In this inventory, there was two types of personality Extrovert and introvert. This inventory was conduct on 17-24 years of 1500 students. In this inventory, there was three options yes, no, don't know for agreement, Disagreement and no decision According to the statements.

SAMPLE AND PROCEDURE:-

For collecting data, the investigator chooses six colleges of Education under CDLU & GJU. The


pupil teachers were started the fill up the questionnaire. Those teacher trainees were unable to understand the questions, they were asked the questions for getting meaning to the investigator. After completed the both questionnaire, the investigator collect the both tests from the B.Ed. pupil teachers.

ANALYSIS AND INTERPRETATION:-

The investigator were analysis the data with the help of SPSS software. The investigator was used mean, SD, T Test and level of significance and Pearson product moment correlation for check the relationship between the variables. The table were given as under with the Hypothesis.

1) There is no significant relationship between the cybercrime awareness of B.Ed. pupil teachers with extrovert and introvert personality.


Variables	N	Coefficient of correlation	Level
Cybercrime awareness scale	500	0.977	Significant
Personality	500		



Interpretation:-

This table indicates that the efficient of correlation between cybercrime awareness and personality is 0.977 which is significant at 0.01 level. So the null Hypothesis i.e. there is no significant difference between the cybercrime awareness of B.Ed. pupil teachers with extrovert and introvert personality, is rejected. The Magnitude of 'r' indicates very High positive correlation between cybercrime awareness and personality. Which means that increase the personality score leads to increase the cybercrime awareness score.

2) There is no significant difference between the cybercrime awareness and personality of B.Ed. pupil



From the table and figure, it can be observed that the T- Value of 4.89 was found significant at 0.09 and 0.05 level of significance with 4.89 degree of freedom, which indicates that the cybercrime awareness of B.Ed. pupil teachers with extrovert and introvert personality. So the null hypothesis i.e. there exists no significant difference in the cybercrime awareness of B.Ed. pupil teacher with extrovert and introvert personality, is rejected. Thus we can say that cybercrime awareness was affected by personality.

REFERENCES:-

1. Arati Visala J., Ms. Vaishali Rawat (2016) Role of self-concept and Emotional maturity in Excessive internet usage. The international journal of Indian psychology volume 3 Issue 3, No.5
2. Steve jobs and Steve woz Majak, Teach warm (02 feb, 2019) the psychological profile of a hacker with emphasis on security awareness.
3. Steve G.A., Van De Weiner, E. Rutgar, Leukfeldt (2017) Big five Personality traits of cybercrime costumes volume 00, Number 00, 2017. Cyber psychology, Behavior and Social Networking.
4. A Thakur (2018) effects of personality traits on cybercrime awareness of Rural and Urban area Krishikash, Punjab Agricultural University, and Ludhiana.
5. Coralline Brooks (18 Dec. 2018) your personality could put you Risk of cybercrime MICHIGAN STATE. Anna collard -04 June, 2019. Personality traits and cyber security African daily brief

Dr. Umender Malik

Assistant Professor III,
Department of Education VDUJ, Rohtak

Kavita

(Research Scholar)

सारांश : 'जल' एक महत्वपूर्ण संसाधन है, जो जीव समुदाय के लिए अत्यधिक उपयोगी है। वास्तव में जैविक पदार्थों के शुष्क भार का 90 प्रतिशत भाग आक्सीजन, हाइड्रोजन व कार्बन के मिश्रण से बनता है। पृथ्वी धरातल पर सम्पूर्ण जल की मात्रा लगभग 1310×10^{15} घन मीटर अथवा 1310×10^9 मिलियन घन आंकी गई है। इस जल का लगभग 97 प्रतिशत (1271×10^9 मिलियन घन मीटर) सागरों में खारे जल के रूप में उपलब्ध है। मात्र 3 प्रतिशत जल ताजा है। ताजा जल की वास्तविक मात्रा लगभग 39×10^{15} घन मीटर या 39×10^{15} मिलियन घन मीटर है। सम्पूर्ण ताजा जल हिमनद, मृदानमी, हिम सरिता एवं झील के रूप में है। इस ताजा जल का 75 प्रतिशत हिमनद एवं 24.5 प्रतिशत भूमिगत जल के रूप में मौजूद है। लगभग 0.5 प्रतिशत जल झीलों, मृदा नमी, सरिताओं एवं वायुमण्डल में है। इसमें 0.3 प्रतिशत झीलों में निहित है। 10.06 प्रतिशत मृदा नमी, 0.03 प्रतिशत सरिताओं एवं 0.03 प्रतिशत वायुमण्डल में उपलब्ध है।

'कृषि' भारतीय अर्थव्यवस्था का एक आवश्यक अंग है। कृषि क्षेत्र में सिंचाई के रूप में प्रयुक्त जल नदियों, नालों, जल प्रपातों, झील, तालाबों एवं नहरों द्वारा प्राप्त होता है। जबकि अवमृदा जल कुओं, नलकूपों, हैण्डपम्पों एवं स्रोतों द्वारा उपलब्ध होता है, परन्तु कृषि क्षेत्र में जल-आपूर्ति का सबसे प्रभावशाली सस्ता एवं बड़ा स्रोत जल वायुमण्डलीय आर्द्रता के संघनन से प्राप्त वर्षा ही है। वर्षा से प्राप्त जल कृषि का प्रमुख आधार है। प्रायः फसल-चक्र, शस्य प्रारूप एवं कृषि उत्पादन का स्तर एवं विषमता बहुत कुछ वर्षा पर ही निर्भर करती है। प्राचीन मानव सभ्यताओं का जन्म एवं विकास आदि नदियों एवं वर्षा के जल की उपलब्धता वाले क्षेत्रों में ही हुआ था। कुछ अपवादों को छोड़कर आज भी वे ही कृषि की दृष्टि से अधिक विकसित हैं। सामान्यतः कृषि फसलों के उत्पादन हेतु एक हेक्टेयर कृषि भूमि में 12000 से 14000 मीटर³ जल का उपयोग होता है। 'जल' कृषि विकास की मुख्य धुरि है। यहाँ पर यह स्पष्ट है कि मानव सभ्यता के विकास के साथ-साथ नगरीयकरण तथा औद्योगिकीकरण की बढ़ती प्रक्रिया, कृषि क्षेत्रों में बढ़ती जल की मांग एवं घरेलू जल आपूर्ति की बढ़ती मांग आदि के कारण 'जल' पर सर्वाधिक दबाव है तथा भविष्य में यह दबाव और बढ़ता जायेगा, जो गम्भीर चिन्तनीय है।

अध्ययन क्षेत्र:

प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध का अध्ययन क्षेत्र जनपद बिजनौर है जो पश्चिमी रुहेलखण्ड में स्थित मुरादाबाद मण्डल के अन्तर्गत स्थित है। जनपद बिजनौर का अक्षांशीय विस्तार 29°, 22' से 29°, 25' तक है।

देशान्तर के मध्य है जिसका क्षेत्रफल 4561 वर्ग किलोमीटर है। अध्ययन क्षेत्र की उत्तरी सीमा जनपद हरिद्वार (उत्तराखण्ड) एवं दक्षिणी सीमा पर मुरादाबाद जनपद स्थित है। जबकि पूर्वी सीमा जनपद ऊधम सिंह नगर एवं पश्चिमी सीमा पर मुजफ्फरनगर एवं मेरठ जनपदों का विस्तार है।

प्रशासनिक दृष्टि से जनपद बिजनौर में 01 जनपद मुख्यालय (बिजनौर), 05 तहसील मुख्यालय, 11 विकासखण्ड मुख्यालय, 130 न्यायपंचायत, 1128 ग्राम पंचायत एवं 2186 राजस्व ग्राम है। स्थानीय प्रशासन एवं निकायों की दृष्टि से 11 नगर पालिका परिषद एवं 15 टाउन एरिया शामिल हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या 36.82 लाख व्यक्ति एवं जनघनत्व 807 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है।

जनपद बिजनौर 18 वीं सदी तक पांचाल एवं कटेहर शासकों के अधीन रहा। मुगल बादशाह अकबर के समय यह क्षेत्र सम्भल सरकार का ही एक भाग था। 1801 में यह अंग्रेजों के शासन में चला गया। 1840 तक यह जनपद मुरादाबाद के अन्तर्गत रहा परन्तु 1840 के उपरान्त जनपद बिजनौर के रूप में अस्तित्व में आ गया।

प्राकृतिक स्वरूप:

जनपद बिजनौर गंगा-रामगंगा व उसकी सहायक नदियों द्वारा निक्षेपित अवसादी चट्टानों से निर्मित है। इसकी औसत ऊँचाई 250 मीटर तथा ढाल उत्तर-पश्चिम से दक्षिण-पूर्व को है। मानसूनी जलवायु वाले इस क्षेत्र में औसत तापमान 25.50 सेन्टीग्रेट तथा वार्षिक वर्षा 120 सेन्टीमीटर है। गीष्म ऋतु गर्म व शुष्क 'लू' गर्म हवाओं से युक्त, शीतकाल ठण्डा व शुष्क बना रहता है शीतकाल में पाला पड़ता है। वर्षा अन्तिम जून से मध्य सितम्बर तक है। यहाँ की मृदा उपजाऊपन लिए है तथा जलोढ़ प्रकार की है जिनको खादर व बांगर में बाँटा गया है। यहाँ चीका दोमट, बलुई, उदला, कटेहर मिट्टियाँ मिलती है। खनिजों का यहाँ अभाव है। यहाँ प्राकृतिक वनस्पति मानसूनी पतझड़ी है यहाँ पर 12.23 प्रतिशत भूमि पर वन, चारागाह व उद्यान क्षेत्र है। जंगली जानवरों का पलायन हो चुका है।

आर्थिक स्वरूप:

बिजनौर जनपद एक कृषि प्रधान क्षेत्र है। यहाँ की कार्यशील जन संख्या का 35 प्रतिशत भाग कृषक एवं कृषि श्रमिकों के रूप में संलग्न है। सकल प्रतिवेदित क्षेत्रफल के 70.38 प्रतिशत भाग पर कृषि कार्य होता है तथा दो फसली भूमि 73092 हेक्टेयर है।

प्रधान फसलें (संख्या) ताज के सिमेंटों गैर (35) लाख, महिषवंशीय 6.75 लाख एवं अजातवंशीय पशुधन 2.25 लाख

सं०		उद्यान, वृक्षों, एवं चारागाह	बंजर एवं कृषि अयोग्य भूमि	भूमि	अतिरिक्त अन्य उपयोग की भूमि	गया क्षेत्रफल	प्रतिवेदित क्षेत्रफल
1-	नजीबाबाद	27896	686	1169	6981	35637	72369
2-	किरतपुर	167	338	581	3634	22371	27091
3-	मोहम्मदपुर	724	1797	1410	10402	35950	50283
4-	हल्दौर	1799	393	819	5290	33809	42310
5-	कोतवाली	10106	245	996	8142	37938	57427
6-	अफजलगढ़	12746	1610	1193	9752	30210	55511
7-	नहतौर	74	19	127	3167	18744	22275
8-	अल्हैपुर	291	159	717	4250	26296	31713
9-	बुद्धनपुर	863	242	304	2953	21519	25881
10-	जलीलपुर	1509	278	981	2922	32420	38108
11-	नूरपुर	198	214	616	3964	28234	33226
योग ग्रामीण		56805	5081	8923	61457	323128	456194
नगरीय योग		21	199	495	3824	3812	8351
योग जनपद		56826	6080	9418	65281	326940	464545
प्रतिशत		12.23	1.30	2.03	14.05	70.38	100.00

स्रोत: जिला सांख्यिकीय पत्रिका, अर्थ एवं संख्या प्रभाग जनपद बिजनौर 2018।

का विकास तेजी से हुआ है। चीनी एवं खाण्डसारी, कागज व गत्ता निर्माण, मेन्था ऑयल एवं बोल्ड क्रिस्टल, आदा-मैदा व चावल मिलें, सूती वस्त्र एवं हथकरघा, इंजीनियरिंग, कृषि-यन्त्र विनिर्माण उद्योगों के साथ-साथ हस्तशिल्प एवं कुटीर उद्योगों का विकास हुआ है। परिवहन की दृष्टि से यह सड़क एवं रेलमार्ग से सीधे जुड़ा है। नजीबाबाद, नगीना, धामपुर, चोंदपुर एवं बिजनौर मुख्य व्यापारिक केन्द्र है।

कृषि स्वरूप:

बिजनौर जनपद में सकल प्रतिवेदित क्षेत्रफल 464545 हेक्टेयर है जिसमें कृषि के अन्तर्गत शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल 70.38 प्रतिशत है। वन, चारागाह, उद्यानों, वृक्षों एवं झाड़ियों के अन्तर्गत क्षेत्रफल 12.23 प्रतिशत, कृषि योग्य बंजर एवं कृषि अयोग्य भूमि 6080 हेक्टेयर, परती भूमि 2.03 प्रतिशत, कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग में लाई गई भूमि 14.06 प्रतिशत है। जैसा कि तालिका-से स्पष्ट है।

‘भूगर्भिक जल’ भी कहते हैं। बिजनौर जनपद में भू-जल को कृत्रिम साधनों के माध्यम से निकालकर प्रयोग में लाते हैं जिसका सर्वाधिक प्रयोग कृषि कार्य में किया जाता है। मानसून की स्वेच्छा चारिता एवं अनियमितता के कारण भूमिगत जल स्तर में निरन्तर कमी आ रही है। अध्ययन क्षेत्र में भूमिगत जल स्तर की गहराई 5.60 मीटर है। जिसमें मानसून पूर्व भूमिगत जल स्तर की गहराई 6.05 मीटर एवं मानसून उपरान्त भूमिगत जल स्तर की गहराई 5.15 मीटर है। जैसा कि तालिका-से स्पष्ट है।

सिंचाई:

बिजनौर जनपद में कृषि विकास में सिंचाई की भूमिका मुख्य है। कुल सिंचित क्षेत्रफल 309366 हेक्टेयर है। सिंचाई साधनों में नहरों की लम्बाई 1937 किलोमीटर है जिनके माध्यम से सिंचित क्षेत्रफल का 6.17 प्रतिशत भाग सिंचित है। राजकीय नलकूपों की संख्या 675 है जिनके माध्यम से 15386 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचा जाता है।

तालिका संख्या - 02

बिजनौर जनपद में भूमिगत जल स्तर की गहराई का स्वरूप 2018

क्र० सं०	विकासखण्ड	मानसून पूर्व	मानसून उपरान्त	वार्षिक औसत
1-	नजीबाबाद	5.55	4.75	5.10
2-	किरतपुर	6.20	5.10	5.65
3-	मोहम्मदपुर देवमल	5.75	5.15	5.45
4-	हल्दौर	5.25	5.15	5.70
5-	कोतवाली	5.80	4.90	5.35
6-	अफजलगढ़	6.55	5.45	5.50
7-	नहतौर	5.40	5.00	5.20
8-	अल्हैपुर	6.50	5.30	5.40
9-	बुद्धनपुर	5.75	4.85	5.30
10-	जलीलपुर	6.00	5.20	5.60
11-	नूरपुर	5.55	5.15	5.35
योग जनपद		6.05	5.15	5.60

इसके साथ ही अन्य प्रकार के साधनों की संख्या 10661 है जिनके द्वारा 19.72 प्रतिशत भाग सिंचित है। जैसा कि तालिका- से स्पष्ट है।

भू-जल दोहन एवं कृषि विकास सम्बन्धी समस्यायें:

तालिका संख्या - 03

बिजनौर जनपद में सिंचाई के साधन एवं सिंचित क्षेत्रफल, 2017-2018

क्र० सं०	सिंचाई के साधन	संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्रतिशत
1-	नहर (लम्बाई किलोमीटर में)	1937	19100	6.17
2-	राजकीय नलकूप	675	15386	4.98
3-	निजी नलकूप	26431	85182	27.53
4-	डीजल चालित पम्पिंग सैट्स	62802	128695	41.60
5-	अन्य प्रकार के साधन	10661	61003	19.72

स्रोत: जिला सांख्यिकीय पत्रिका, अर्थ एवं संख्या प्रभाग जनपद बिजनौर 2018।

बिजनौर जनपद एक कृषि प्रधान क्षेत्र है। जहाँ 326.95 हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल कृषि के अन्तर्गत है तथा सिंचित क्षेत्रफल 309.36 हजार हेक्टेयर है। इसके अलावा 36.82 लाख जनसंख्या के लिए घरेलू आपूर्ति, 12.50 लाख पशुधन के लिए जल की आवश्यकता, पर्यटन, मनोरंजन, वृक्षारोपण तथा औद्योगिक क्षेत्रों में जल की माँग में भारी वृद्धि हुई है। अध्ययन क्षेत्र में वर्षा की कम मात्रा होते हुए भी अन्य क्षेत्रों की तुलना में भू-जल की उपलब्धता अपेक्षाकृत उत्तम है क्योंकि सतत वाहिनी नदियाँ, नहरें, रजवाहा, झील, तालाबों की उपस्थिति एवं सिंचित क्षेत्र की बहुलता के कारण रिचार्ज की प्रक्रिया की तेज गति ने जल की पर्याप्त उपलब्धता को सन्तोषप्रद बनाया है परन्तु जल दोहन की दर में बढ़ोत्तरी के कारण जल संकट का संकेत है जो भविष्य में और भी बढ़ जाने का अनुमान है। ग्रीष्मकालीन 400-450 सेन्टीग्रेट तापमान तथा गर्म 'लू' के प्रभाव ने जल की माँग में वृद्धि के समस्त रिकार्ड ध्वस्त कर दिए हैं।

बिजनौर जनपद में जल की सम्पूर्ण उपयोगिता में 95 प्रतिशत भू-जल का योगदान है जिसे कृत्रिम साधनों से बाहर निकाला जाता है जिससे भू-जल स्तर में गिरावट आ रही है। हमारा जनमानस व सरकारें, विशेषतः युवा पीढ़ी अभी भावी संकट के प्रति सचेत नहीं है। जहरीले पदार्थों के समावेश, औद्योगिक वहिस्राव, नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों का गन्दा जल व कचरा, कूड़ा-करकट, धोबी घाटों, शवदाहों, नदियों के किनारे लगने वाले मेलों के कचरे आदि से जल प्रदूषित हो गया है। रिचार्ज प्रक्रिया की गति धीमी है। तालाबों की संख्या में कमी आई है जिससे भू-जल में कमी हो रही है।

गारने, क्षेत्रीय असन्तुलन दूर करने, कृषि भूमि पर दबाव कम करने, कृषि विकास प्रक्रिया को उचित दिशा एवं गति प्रदान करना वर्तमान स्तर पर उपलब्ध सुविधाओं और भौगोलिक दशाओं द्वारा सम्भव नहीं है। सिंचाई व्यवस्था दोषपूर्ण एवं अपर्याप्त है। मृदा अपरदन तेजी से



बढ़ा है। विद्युत आपूर्ति की समस्या, पूँजी उपलब्धता में कमी, खाद बीज आपूर्ति की समस्या, फसल-चक्र न अपनाया कृषि मशीनरी के प्रयोग में कमी एवं विपणन की समस्या कृषि विकास को प्रभावित कर रही है जिसके परिणामस्वरूप कृषि उत्पादन में कमी आई है।

समाधान:

'जल' का मूल तत्व भू-पृष्ठीय वर्षा के जल को अधिकतम संग्रहित करके, जल प्रवाह को नियन्त्रित व नियमित करके अधिकतम उपयोगी बनाना, उसका निश्चित भण्डार बनाये रखना तथा उसका अनुकूलतम उपयोग करना है। बिजनौर जनपद में जल संरक्षण हेतु खेतों की ऊँची मेढबन्दी ढाल के विपरीत जुताई तथा वर्षा ऋतु में खेतों की गहरी जुताई करके वर्षा जल को कुछ समय एकत्रित कर रिचार्ज की गति को बढ़ाया जा सकता है। जिससे भूजल स्तर ऊँचा उठेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में तालाब, पोखर व झील की पेन्दी से चीका मिट्टी खोदकर कम उपजाऊ व रेतीली मिट्टी डाली जाये, जिससे भूमि उपजाऊ होगी। बड़े कृषकों द्वारा अपने खेतों के मध्य 1 से 2 बीघा जमीन पर 3 से 4 मीटर गहरे कृत्रिम जलाशयों का निर्माण किया जाये जिससे एकत्रित जल द्वारा कृषि फसलों की सिंचाई सम्भव हो सकेगी। रामगंगा नदी पर अवरोधों का निर्माण, बरसाती नालों पर 4 से 6 मीटर ऊँचे व 40 से 50 मीटर लम्बे कच्चे मिट्टी के बाँधों का निर्माण करके वर्षा जल इकट्ठा हो सकता है। एकत्रित जल शीतकाल में सिंचाई हेतु प्रयोग के साथ-साथ भू-जल स्तर ऊँचा उठाने में सहायक सिद्ध होगा।

बिजनौर जनपद में कृषि विकास की प्रक्रिया को तेज करने के लिए जहाँ एक ओर कृषि भूमि में बढ़ोत्तरी आवश्यक है वहीं सिंचित क्षेत्र में बढ़ोत्तरी की जानी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना जरूरी है। कृषि विकास केन्द्रों की स्थापना होने से कृषि सम्बन्धी सुविधाओं में बढ़ोत्तरी होगी। कृषि उत्पादन का उचित मूल्य हेतु विपणन केन्द्रों की स्थापना आवश्यक है। कृषि कार्य में मशीनीकरण को बढ़ावा देना आवश्यक है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्य हेतु बैंकिंग प्रणाली की

प्रश्न है। अन्यथा सभी प्रयास विफल साबित होंगे।



1990

- 6 शर्मा, बी० एल० एवं भारद्वाज पलक : कृषि भूगोल सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक रस्तोगी पब्लिकेशन्स शिवाजी रोड, मेरठ 2012
- 7 गुर्जर आर० के० एवं जाट बी०सी० : जल संसाधन प्रबन्धन रावत प्रकाशन आगरा, 2010
- 8 शर्मा, बी० एल० : कृषि भूगोल, साहित्य भवन आगरा 1988
- 9 राव, बी० के० : हाईड्रोलोजिकल स्टडीज ऑफ एल्यूवल एरिया इन पार्ट आफ सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट पी०-एच०डी० थीसिस यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की
- 10 जिला विकास पुस्तिका, अर्थ एवं संख्या प्रभाग जनपद बिजनौर 2017।

निर्देशक
प्र० एल० बी० रावल
 पूर्व प्राचाय
 आर० एस० एम० (पी० जी०)
 कालिज, धामपुर

शोधार्थी
जितेन्द्र सिंह
 एम०ए० (भूगोल) नेट

सन्दर्भ

- 1 सिंह अमर एवं रजा मेंहदी : संसाधन एवं संरक्षण भूगोल, रस्तोगी प्रकाशन मेरठ 1982
- 2 आस्टम एम० डी० : दी रिलेशनशिप ऑफ एग्रीकल्चर टू सोशल एण्ड वाटर पोल्यूशन 1970
- 3 कृष्णामूर्ति, एस० : इन्फ्लूएन्स ऑफ मेटर इरीगेशन ऑन एग्रीकल्चर एण्ड एग्रो इण्डस्ट्री कमीशन नई दिल्ली, 1959
- 4 तिवारी, आर० सी० एवं सिंह बी० एन : कृषि भूगोल प्रयाग पुस्तक भवन इलाहाबाद 2000

प्रस्तावना:

ऊर्जा विकास की कुन्जी है। मानव शताब्दियों से विभिन्न कार्यों के लिए ऊर्जा के विभिन्न जैव एवं अजैव रूपों का प्रयोग करता आ रहा है। प्रारम्भ से उसने अपनी मॉसल शक्ति का उपयोग किया, फिर पशुओं का परिवहन कार्य में उपयोग किया। जैसे-जैसे मानव की आर्थिक क्रियायें बढ़ती गयी, ऊर्जा तथा शक्ति के नये-नये स्रोतों के विकास की भी आवश्यकता बढ़ती गयी। विभिन्न उद्योगों में चारकोल के रूप में लकड़ी का प्रचलन पहले से ही किया जा रहा है। मानव ने मशीनों को चलाने के लिए पवन चक्कियों का प्रयोग प्रारम्भ किया। शक्ति के संसाधनों का वास्तविक विकास अठारहवीं शताब्दी में औद्योगिक क्रान्ति से आरम्भ हुआ। कोयले का प्रयोग करके वाष्प शक्ति का विकास इंग्लैण्ड की औद्योगिक क्रान्ति का प्रथम चरण था। बाद में औद्योगिक क्रान्ति का प्रसार अन्य यूरोपीय देशों में भी हुआ। तब से मानव ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। समय बीतने के साथ ऊर्जा के नये स्रोत विकसित किये गये। पेट्रोलियम ने शनैः शनैः कोयले का स्थान ले लिया। जल शक्ति पहले से ही प्रयोग में थी। कालान्तर में परमाणु शक्ति का विकास किया गया। वास्तव में, ऊर्जा एवं शक्ति के स्रोत ही औद्योगीकरण तथा विकास के आधार स्तम्भ रहे हैं। सामान्यतः आर्थिक रूप से विकसित देश विकासशील देशों की तुलना में प्रतिव्यक्ति अधिक ऊर्जा का उत्पादन एवं उपभोग करते हैं।

अध्ययन क्षेत्र:

प्रस्तुत शोध-पत्र का अध्ययन क्षेत्र जनपद रामपुर है जो गंगा-रामगंगा के क्षेत्र का एक अभिन्न अंग है। इसका अक्षांशीय विस्तार 28°, 25' उत्तरी अक्षांश से 29°, 10' उत्तरी अक्षांश एवं देशान्तरीय विस्तार 78°, 51' पूर्वी देशान्तर से 79°, 28' पूर्वी देशान्तर तक है। अध्ययन क्षेत्र का क्षेत्रफल 2367 वर्ग किलोमीटर है। जनपद रामपुर की उत्तरी सीमा जनपद ऊधम सिंह नगर (उत्तराखण्ड) एवं दक्षिणी सीमा पर बदायूँ जनपद का विस्तार है। इसके पूर्व में जनपद बरेली एवं पश्चिम में मुरादाबाद जनपद स्थित है।

प्रशासनिक दृष्टि से जनपद रामपुर में 01 जनपद मुख्यालय (रामपुर), 06 तहसील मुख्यालय, 07 विकासखण्ड मुख्यालय 75 न्यायपंचायत, 580 ग्राम पंचायत एवं 1153 कुल राजस्व ग्राम सम्मिलित हैं। स्थानीय निकाय एवं प्रशासन की दृष्टि से 05 नगर पालिका परिषद एवं 03 नगर पंचायत स्थित हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या 23.35 लाख व्यक्ति है एवं

प्राकृतिक स्वरूप:

जनपद रामपुर गंगा की ऊपरी घाटी में स्थित एक लघु भू-भाग है। जिसका निर्माण जहाँ पर प्रवाहित नदियों के जलोढ़ से हुआ है। इस क्षेत्र का ढाल उत्तर-पश्चिम से दक्षिण-पूर्व को है। इसकी औसत ऊँचाई 178-180 मीटर है। रामगंगा एवं कोसी यहाँ की मुख्य नदियाँ हैं। स्वार एवं शाहबाद तहसीलों में वर्षा ऋतु में बाढ़ का प्रकोप बना रहता है। यहाँ पर परतदार अवसादी चट्टानों का विस्तार है जिनकी गहराई 1000-1500 मीटर है। यहाँ की जलवायु उष्णतर मानसूनी है। यहाँ का वार्षिक औसत तापमान 25.00 डिग्री सेल्सियस, वार्षिक वर्षा का औसत 115 सेन्टीमीटर, सापेक्षिक आर्द्रता 65-70 प्रतिशत एवं वायु की औसत गति 4.50-5.00 किलोमीटर है। मानसूनी पतझड़ी प्राकृतिक वनस्पति, वनों के अन्तर्गत क्षेत्रफल 6611 हेक्टेयर सामाजिक व कृषि वानिकी में सड़कों नहरों, मेढों पर वृक्षारोपण अन्य प्रमुख विशेषतायें हैं। उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी की उपलब्धता के कारण यह क्षेत्र कृषि प्रधान के अन्तर्गत है। उत्तरी दक्षिणी भागों में चिकनी, मध्य भागों में जलोढ़ एवं दोमट एवं दक्षिणी क्षेत्र में कटेहर उदला व भूड़ मिट्टी की उपलब्धता है।

आर्थिक स्वरूप:

जनपद रामपुर आर्थिक दृष्टि से विकासशील अवस्था में है। वर्तमान में यहाँ की मुख्य आर्थिक क्रिया कृषि एवं पशुपालन है क्योंकि कुल कार्यशील जनसंख्या का 55 प्रतिशत भाग कृषि व पशुपालन क्षेत्र में संलग्न है। सकल प्रतिवेदित क्षेत्र के लगभग 80 प्रतिशत भाग पर कृषि कार्य किया जाता है। इसके साथ ही दो फसली क्षेत्र 65 प्रतिशत तथा कृषि गहनता 170 प्रतिशत कृषि क्षेत्र की उत्तम स्थिति का द्योतक है। औद्योगिक दृष्टि से चीनी विनिर्माण, मेन्थाघास से ऑयल आसवन व बोल्ड वनस्पति घी, हथकरघा उद्योग जैसे कुटीर व वृहद उद्योगों की इकाईयाँ स्थित हैं, जो मुख्यतः कृषि क्षेत्र पर ही निर्भर हैं। स्वार, बिलासपुर, शाहबाद, मिलक एवं रामपुर मुख्य औद्योगिक व व्यापारिक केन्द्र हैं। हावड़ा-अमृतसर, रामपुर-काठगोदाम दो मुख्य रेलमार्ग, दिल्ली-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग-24 रामपुर-नैनीताल प्रादेशिक राजमार्ग मुरादाबाद हवाई पट्टी इस क्षेत्र की परिवहन व्यवस्था के परिचायक हैं।

ऊर्जा के स्रोत:

ऊर्जा आर्थिक विकास का एक आवश्यक निवेश है, जीवन स्तर में सुधार लाता है, ऊर्जा को दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं (1) प्रारम्भिक ऊर्जा (2) गैर-प्रारम्भिक ऊर्जा (सौर, पवन, ज्वारीय भूतापीय तथा बायोगैस ऊर्जा) ऊर्जा को गैर-वाणिज्यिक

सं०	आपूर्ति केन्द्र	केंद्र	डीजल	केंद्र		
1-	स्वार	02	119	07	07	06
2-	बिलासपुर	02	130	10	08	07
3-	सैदनगर	01	105	09	06	05
4-	चमरौआ	03	117	11	07	06
5-	शाहबाद	02	140	07	05	05
6-	मिलक	02	139	08	07	06
योग जनपद		12	750	50	40	35

स्रोत: जिला आपूर्ति अधिकारी खाद्य एवं रसद विभाग जनपद रामपुर।

तालिका संख्या - 02

जनपद रामपुर में विद्युत उपभोग का स्वरूप, 2017-2018

क्र० सं०	मद	विद्युत उपभोग हजार किलोवाट घण्टा	प्रतिशत
1-	घरेलू प्रकाश एवं लघु विद्युत शक्ति	416307	45.28
2-	वाणिज्यिक प्रकाश एवं लघु विद्युत शक्ति	86029	9.35
3-	औद्योगिक विद्युत शक्ति	148329	16.13
4-	सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था	21348	2.32
5-	रेल	8544	0.92
6-	कृषि विद्युत शक्ति	191007	20.78
7-	सार्वजनिक जलकल एवं मल प्रवाह उर्द्धन व्यवस्था	48007	5.22
कुल जनपद		919571	100.00

स्रोत: जिला सांख्यिकीय पत्रिका, अर्थ एवं संख्या प्रभाग जनपद रामपुर 2018।

उत्सर्ग, पशुशक्ति एवं वाणिज्यिक ऊर्जा (कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, जलविद्युत, नाभिकीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा) में भी वर्गीकृत किया गया है। ऊर्जा के स्रोतों का विवरण इस प्रकार है:-

(1) परम्परागत स्रोत:

परम्परागत ऊर्जा स्रोतों में कोयला, मिट्टी का तेल, विद्युत, डीजल एवं गैस शामिल है जो ऊर्जा प्राप्ति के मुख्य स्रोत है। कोयला शक्ति का मुख्य स्रोत है। जनपद रामपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में कोयले का उपयोग ईट भट्टों, हस्तशिल्पियों का भट्टियों, मिलों तथा भोजन पकाने में होता है। कोयले की आपूर्ति बाहरी क्षेत्रों से की जाती है। मिट्टी का तेल चट्टानी तेल है। यह हाइड्रो-कार्बन यौगिकों का मिश्रण है। जनपद रामपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी तेल की आपूर्ति सार्वजनिक राशन प्रणाली के माध्यम से की जाती है। इनकी संख्या 750 है जिनके माध्यम से 2.00 लाख लीटर मिट्टी तेल वितरित होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा स्रोतों में डीजल का अहम योगदान है। कृषि एवं परिवहन क्षेत्र डीजल की आपूर्ति पर ही आश्रित है। डीजल की

की आपूर्ति होती है। इसके साथ ही 1.00 लाख लीटर प्रतिदिन पेट्रोल विक्रय किया जाता है। जैसा कि तालिका से स्पष्ट है। अध्ययन क्षेत्र में विद्युत ग्रामीण क्षेत्र में ऊर्जा प्राप्ति का सशक्त माध्यम है जिसका उपभोग दिन-प्रतिदिन तेजी से बढ़ रहा है। सभी ग्रामों में विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण हो गया है। रामपुर विद्युत आपूर्ति का सबसे

बड़ा केन्द्र है। जनपद रामपुर में कुल विद्युत उपभोग 919571 हजार किलोवाट घण्टा है। खाना बनाने, प्रकाश, मशीनरी संचालित करने एवं वाहन संचालित करने में गैस मुख्य है जिसकी आपूर्ति गैस एजेन्सी के माध्यम से की जा रही है। कुल

35 गैस एजेन्सी के माध्यम से 1.00 लाख गैस सिलेन्डरों का वितरण किया जाता है। जैसा कि तालिका से स्पष्ट है।

(2) नव्यकरणीय स्रोत:

नव्यकरणीय साधनों में मानव शक्ति मुख्य है। ग्रामीण क्षेत्र में कृषि, पशुपालन, भवन, सड़क एवं विभिन्न प्रकार के कार्यों को सम्पन्न करने में मानवीय शक्ति मुख्य है। पशुशक्ति कृषि एवं आवागमन में अहम है। जनपद रामपुर में पशु शक्ति की संख्या 2.25 लाख है। काष्ठ ईंधन का प्रयोग घरेलू स्तर पर खाना बनाने में की जाती है जिसकी आपूर्ति स्थानीय स्तर से ही हो जाती है। पशुधन से प्राप्त गोबर से उपला तैयार होता है जिसका उपयोग खाना तैयार करने में होता है। ग्रामीण क्षेत्र में यह साधन सभी जगह उपलब्ध है।

(3) वैकल्पिक स्रोत:

वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों में सौर्य, पवन, गोलर गैस एवं जैवमास का शामिल करते हैं, यह अक्षय ऊर्जा के स्रोत हैं। सौर्य ऊर्जा का

जैव मास लकड़ी, वनस्पति, अन्य पशु विष्टा, मानवमल तथा सीवेज आदि को सड़ागलाकर गैस तैयार कर ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है। जैव मास का प्रयोग अध्ययन क्षेत्र में प्रारम्भ हो गया है।

ऊर्जा उपभोग का स्वरूप:

विकास की प्रक्रिया में तेजी से वृद्धि हो रही है जिसमें ऊर्जा उपभोग का मुख्य योगदान है। ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक प्रगति की रतार तेजी से बढ़ रही है। जनपद रामपुर में ऊर्जा साधनों की उपलब्धता के कारण घरेलू, कृषि, औद्योगिक परिवहन एवं विभिन्न क्षेत्रों में बदलाव दिखलाई पड़ रहा है जिनका विवरण इस प्रकार है—

घरेलू क्षेत्र:

जनपद रामपुर में घरेलू स्तर पर प्रयुक्त ऊर्जा में परम्परागत ऊर्जा साधनों का स्थान मुख्य है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रकाश हेतु 3.50 हजार किलोवाट घण्टा विद्युत उपभोग है। घरेलू स्तर पर प्रति परिवार प्रति माह विद्युत उपभोग 15.50 किलोवाट घण्टा, मिट्टी तेल 2.50 लीटर, बायोगैस 7250 लीटर, जलाऊ लकड़ी 10.50 किलोग्राम, कृषि क्षेत्र 5.50 किलोग्राम, उपला 20.75 किलोग्राम और एलपीजी 5.50 किलोग्राम औसत रूप से प्रकाश, पाकक्रिया एवं अन्य कार्यों में उपयोग किया जाता है।

कृषि क्षेत्र:

कृषि कार्य में विद्युत उपभोग 191 हजार किलोवाट घण्टा है। अध्ययन क्षेत्र में प्रति कृषक परिवार प्रति हेक्टेयर कृषि कार्य करने में औसत ऊर्जा उपभोग में मानवीय शक्ति 875.50 हजार किलोवाट घण्टा, विद्युत उपभोग, 25.75 किलोवाट घण्टा, डीजल 50 लीटर एवं अन्य प्रकार के साधन 20.50 लीटर प्रयुक्त में लाते हैं।

औद्योगिक क्षेत्र:

जनपद रामपुर के ग्रामीण क्षेत्र में औद्योगिक इकाईयां में आटा चक्की, धान कूटना, तेल धानी, कोल्हू एवं मैन्था आसवन इकाईयां शामिल हैं। औद्योगिक क्षेत्र विद्युत शक्ति उपभोग 148329 हजार किलोवाट घण्टा हैं ग्रामीण क्षेत्र में औसत रूप से प्रति लघु औद्योगिक इकाई के 5 घण्टा क्रियाशील रहने पर विद्युत उपभोग 20.50 किलोवाट घण्टा, डीजल 7.50 लीटर एवं मानवीय ऊर्जा 500 किलो कैलोरी औसत रूप से प्रयुक्त की जाती है।


परिवहन क्षेत्र:

जनपद रामपुर में परिवहन साधनों का विकास तेजी से हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र में औसत रूप से प्रति परिवार 25 किलोमीटर की दूरी प्रतिदिन तय करने पर प्रयुक्त प्रति माह ऊर्जा उपभोग में पेट्रोल 15.50 लीटर, डीजल 25.00 लीटर, गैस 5.00 किलो ग्राम,

एवं सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था में प्रयुक्त ऊर्जा उपभोग को शामिल किया गया है। पशुपालन कार्य में प्रति परिवार मानवीय ऊर्जा की खपत 3050 किलोकैलोरी, दुग्ध व्यवसाय में प्रति दिन ऊर्जा उपभोग 5.00 लीटर पेट्रोल, 25.00 लीटर डीजल एवं 20.00 किलो ग्राम गैस, 30.00 किलोग्राम उपला एवं मानवीय शक्ति 2000 किलो कैलोरी तथा सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था में विद्युत उपभोग 48007 हजार किलोवाट घण्टा है।

ऊर्जा संकट:


जनपद रामपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से बढ़ती जनसंख्या, औद्योगीकरण एवं नगरीयकरण के परिणामस्वरूप ऊर्जा उपभोग में तीव्रता आई है। कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्रों में ऊर्जा संकट देखने को मिलता है। विद्युत की समस्या विशेष रूप से प्रभावी है। कम वोल्टेज एवं आपूर्ति को कम समयावधि के कारण कार्य प्रभावित होता है। डीजल एवं पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि के कारण मशीनरी प्रयोग



आ रही है। गैस प्राप्ति की समस्या बनी रहती है। इसके साथ ही इनकी कीमतों में उतार-चढ़ाव बना रहता है।

समाधान:

जनपद रामपुर के ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ती ऊर्जा मांग के कारण ऊर्जा संकट के कारण ऊर्जा उपभोग के प्रति जागरूक हुए हैं। ऊर्जा की बढ़ती मांग के कारण ऊर्जा साधनों में वृद्धि एवं उपलब्धता पर विशेष ध्यान करने की जरूरत है। विद्युत आपूर्ति व्यवस्था एवं वोल्टेज सही रखना आवश्यक है। पेट्रोल एवं डीजल की कीमतें कम होनी चाहिए। गैस की नियमि आपूर्ति को बढ़ावा देने की जरूरत है। ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा के विभिन्न अवखण्डों में उपभोग के प्रतिरूपों का अध्ययन कर ऊर्जा संकट के निराकरण के लिए सरकारी



- भवन इलाहाबाद 2010
- हुसैन माजिद एवं सिंह रमेश : भारत का भूगोल टाटा एम0सी0 ग्राम-हिल 7 वेस्ट पाटिल नगर, नई दिल्ली 2012
- बीना, डी0आर0 : रूरल इनर्जी कन्स्यूसन प्राब्लम एवं प्रोसपेक्टस आशीष पब्लिशिंग हाऊस न्यू दिल्ली 1988
- पाठक, बी0एस0 एवं विनिंग : इनर्जी कन्स्यूमसन ऑफ मेजर क्रॉस इन व्हीट डोमिनाटेड प्रोडक्शन एग्रीकल्चर इन पंजाब आई0एस0ई0 1983
- राजपूत प्रेमप्रकाश एवं श्रीवास्तव रमेश : ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा उपभोग: संकट एवं समाधान वसुन्धरा प्रकाशन गोरखपुर, 1992
- माहेश्वरी आ0 सी0 : इनर्जी सेन्सिस एण्ड रिसोर्स असाई मेन्ट ऑफ विपेज इस्लामनगर इन डिस्ट्रिक्ट भोपाल 1981
- राव, हेमलता : रूरल इनर्जी क्राइसिस – ए डाइग्नोस्टिक इन लाइसेंस आशीष पब्लिशिंग हाऊस दिल्ली, 1984
- खरे, के0सी0 : वैकल्पिक ऊर्जा संसाधनों के विकास में उन्नतशील चूल्हों का योगदान वर्कशाप हिल्ड एट कान सोरटिम आन रूरल टेक्नालॉजी नई दिल्ली, 1984
- जिला विकास पुस्तिका अर्थ एवं संख्या प्रभाग जनपद रामपुर 2018।
- राजदान अनिल : ऊर्जा क्षेत्र – सबके लिए ऊर्जा के समक्ष चुनौतियां योजना मासिक पत्रिका अगस्त 2016 पृष्ठ-04

निर्देशक
डॉ० एल० बी० रावल
पूर्व प्राचार्य
आर० एस० एम० (पी०जी०)
कालिज धामपुर (बिजनौर)

शोधार्थी
सौदान सिंह
एम०ए० (भूगोल)
नेट जे०आर०एफ०

डॉ० राजकुमार निजात द्वारा रचित 'मधुकांत की नाट्य यात्रा' कृति मधुकांत जी के विभिन्न नाटकों पर आधारित एक उच्चस्तरीय समीक्षात्मक साहित्यिक कृति है, जिसे उन्होंने हिन्दी एवं पंजाबी के प्रख्यात मनीषी साहित्यकार डॉ० दर्शन सिंह को आदर समर्पित किया है।

आलोच्य पुस्तक की भूमिका में डॉ० निजात ने उल्लेख किया है कि मैंने मधुकांत के विभिन्न नाटकों को उनकी सामाजिक, साहित्यिक, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक उपादेयता को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें अपनी समालोचना का आधार बनाया है ताकि साहित्य जगत के प्रबु(पाठकों को एक ही स्थान पर एक साथ उच्च स्तरीय शोधपरक सामग्री उपलब्ध हो सके और वे उनकी विहंगम अन्वेषक अन्तर्दृष्टि व सूक्ष्म अवलोकन शक्ति एवं गहन विश्लेषणात्मक सृजन-कर्म से पूर्णतया परिप्रेक्ष्य में समुचित सदुपयोग हो सके।"

कृति के प्रथम भाग डॉ० निजात ने मधुकांत के ब्लड-बैंक, जग एक चिड़ियाघर कन्याभ्रूण का शाप, मेरे शैक्षिक नाटक तथा किशोर नाट्यमाला आदि विभिन्न नाटकों की कथा वस्तुओं का सारगर्भित एवं सम्यक समालोचनात्मक विश्लेषण संक्षेप रूप में प्रस्तुत किया है तथा अंतिम भाग में उनके तीन-नाटकों क्रमशः जय शिक्षक, तिरंगा-हाउस और युवा क्रान्ति के शोले को उनके मूल-रूप में पाठकों के पठन-पाठन अनुशीलन एवं रसास्वादन हेतु ज्यों का त्यों रख दिया है।

नाट्य-कृति के प्रथम नाटक- ब्लड-बैंक में रक्तदान के अखंड महत्व को रेखांकित किया है

तथा हर नागरिक को रक्तदान करने के लिए प्रेरित किया है। दूसरे नाटक 'थैली नहीं थैला' में पोलीथिन-बैग के प्रयोग को वर्जित एवं नुकसानदायक बताया है

और उसका इस्तेमाल न करने के लिए सजग किया है। तीसरे नाटक एड्स को लाइलाज रोग न मानकर समय पर उसका डॉक्टर से मुकम्मल इलाज करवाने एवं अपने जीवन-साथी से इसे न छिपा कर उसे साफ-साफ बता देने के लिए निर्देशित किया है।

नाट्यकृति का दूसरा नाटक-संग्रह कन्या-भ्रूण का शाप है जिसमें सात नाटक संग्रहित हैं। ट्यूशन नाटक में डॉ० निजात ने नाटक की केन्द्रीय मूल अवधारणा एवं अभिप्रेत के संदर्भ में ट्यूशन को एक सकारात्मक दृष्टि से देखने के लिए अभिप्रेरित किया है, क्योंकि ट्यूशन न केवल बालक की कमजोरी को दूर करने की दृष्टि से की जाती है अपितु बालक की नींव मजबूत करने एवं उसकी प्रतिभा को तराशने के उद्देश्य से की जाती है। मास्टर प्रज्ञानंद इसी प्रयोजन से ट्यूशन पढ़ाते हैं और गरीब बालक को निःशुल्क कोचिंग प्रदान करते हैं। डॉ० निजात ने काव्य कृति की रोचकता एवं प्रभावकारिता के अभिवर्न हेतु सरल भाषा व स्वरचित प्रेरणा दायी काव्य पंक्तियों का भी बीच-बीच में सम्पुट लगाया है जो 'अत्यन्त सराहनीय है जैसे- "दीप जलाते चलो-गली-गली, घर-घर यह समय की माँग है अँधेरे दूर हटेंगे जरूर, जो तुम ने दिल में ठान ली बड़े चलो, बड़े चलो ये देश की पुकार है इस, पुकार में समूचे राष्ट्र का सुविचार है।"

"चाँद जमी पर नाटक दिव्यांग जन की मनोवेदना को मुखरित करता है। शारीरिक अशक्तता के कारण वे समाज में सहजीवन व सम्मान जनक स्थान नहीं बना पाते हैं। उनके प्रति समाज को सकारात्मक दृष्टि से सोचने की अपरिहार्यता को नाटक रेखांकित करता है।

'नेत्रदान-महादान' नाटक मरणोपरांत नेत्रदान करने के लिए प्रेरित करता है और 'जय शिक्षक' नाटक समाज में शिक्षक की गरिमा और उसकी अहम भूमिका पर प्रकाश डालता है। डॉ० निजात ने प्रस्तुत नाटक को रचनात्मक दृष्टि से एक कालजयी कृति माना है।

इस प्रकार डॉ० निजात ने मधुकांत के बीस नाटक, एक एकांकी एवं एक रेडियो नाटक को आधार बनाकर उन सबकी सारगर्भित व्याख्या, विश्लेषण समीक्षात्मक टिप्पणियाँ एवं निष्कर्ष प्रस्तुत किए हैं जो मधुकांत के नाटकों के शैक्षिक, साहित्यिक, सामाजिक सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय विभिन्न आयामों के महनीय अवदान को शिदत से रेखांकित करते हैं और मधुकांत जी के विराट व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर सम्यक रूप से प्रकाश डालते हैं।

डॉ० निजात द्वारा विवेचित मधुकांत के सभी नाटक प्रेरणादायी, दिशाबोधक एवं संदेशप्रद है ये सामाजिक विसंगतियों पर कटाक्ष करते हैं तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पर्यावरण रक्तदान, नेत्रदान, समाज सेवा, राष्ट्र प्रेम, देश भक्ति, जीव-रक्षा, राष्ट्र-ध्वज एवं गुरु के महत्व का प्रतिपादन करते हैं और जीवन में आदर्शों को आत्मनात करने के लिए अनुप्राणित करते हैं। ये समाजिक जागरणों के उन्मूलनार्थ युवा वर्ग का आह्वान करते हैं तथा नारी और राष्ट्र की अस्मिता के अभिवर्न हेतु जन-जागरण का उज्ज्वल कार्य करते हैं

प्रभावशाली नाट्यकृति माना जा सकता है। भाषा की सरलता, प्रांजलता व रोचकता की दृष्टि से यह कृति सुधी समाज एवं समस्त पाठक वर्ग में निश्चित रूप से समादृत होगी, ऐसा मेरा ध्रुव विश्वास है।

अंत में मधुकान्त जी के संदर्भ में एक विशिष्ट बात का उल्लेख करना मैं अपना पुनीत कर्तव्य समझता हूँ, मेरी जानकारी में ये हरियाणा राज्य के एक मात्र सरस्वती माँ के लाडले सपूत है जिन्होंने साहित्य की विविध विधाओं जैसे कविता, कहानी, लघुकथा, उपन्यास, नाटक, रेडियोनाटक एकांकी, आलेख, संस्मरण रेखाचित्रादि में 110 से अधिक पुस्तकों का सृजन कर एक अनूठा कीर्तिमान अर्जित किया है। इसके अतिरिक्त शैक्षिक रक्तदान पर इन्होंने एक दर्जन से अधिक पुस्तक लिखने का एक गौरवपूर्ण कार्य किया है जो अभी तक किसी के द्वारा नहीं किया गया।

शुभेच्छुसमीक्षक

ज्ञानप्रकाश 'पीयूष'

पूर्व प्रधानाचार्य

1/258 मस्जिद वाली गली

तेलियान मोहल्ला सिरसा (हरियाणा)

पिन- 125055, मो. 9414537902

कृति	—	मधुकांत की नाट्य यात्रा
लेख	—	राजकुमार निजात
विधा	—	नाटक
मूल्य	—	पृष्ठ संख्या
प्रकाशक	—	नवशिला प्रकाशन नई दिल्ली।

देखा मैंने जब इक दिन,
अपने हिय के झरोखे में ।।
था बिल्कुल वो खाली,
भरा कोई ना गंद उसमें ।।

मैं जब धरती पे उतरा था,
मुझे उसने पुकारा था
मेरी कुदरत को तू पहचान
मुझे समझाया ये उसने था ।
मगर ये बात समझ आई,
मैं उसके बिना अधूरा था ।
देखा मैंने बिना अधूरा था ।
देखा मैंने जब इक दिन
अपने हिय के झरोखे में ।

लेकिन मुझे क्या पता था,
मैं क्यों औरों के वश में था ।
भला मेरी खता क्या थी,
मैं इक मासूम सा बचपन था ।
मगर ये बात समझ में आई,
मुझे भय चिंता ने घेरा था ।
देखा मैंने जब इक दिन,
अपने हिय के झरोखे में ।।

मैंने जब खड़ा होना जो सीखा,
मुकाम हासिल के जो ख्वाब हैं देखे ।
मेरे बड़े मुझे कहते बेटा कॉमर्स तुम्हें लेनी,
मेरे बड़े भेजना मुझे चाहते सीए और बैंकिंग में
मगर ये बात समझ आई,
मेरी रूचि न उसमें थी ।
देखा मैंने जब इक दिन,
अपने हिय के झरोखे में ।

